राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] चौदहवीं विधान सभा के छठे सत्र का सैंतीसवां दिवस [संख्या: 23

मंगलवार,

05 अप्रैल 2016

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज इस सत्र का यह आखिरी नमस्कार प्रात:कालीन। इसलिए एक बार और नमस्कार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दुर्जनों के लिए आज होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका आशीर्वाद बना रहे, आखिरी कैसे होगा?

श्री अध्यक्ष: नहीं, सत्र का। आज प्रस्तावना है कि अनिश्चितकालीन स्थगित होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री जी का भोजन भी करेंगे, सिनेमा भी देखेंगे। इसलिए आज ठीक-ठाक वातावरण में जल्दी खतम हो जाए, यह मेरा आपसे निवेदन है। प्रश्नकाल। श्री मोहन लाल गुप्ता।

तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर के सिन्धी कैम्प बस स्टैण्ड के नवीनीकरण पर व्यय राशि

498. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के मुख्य बस स्टैण्डों में से एक ''सिन्धी कैम्प बस स्टैण्ड जयपुर'' पर यात्री सुविधा बढ़ाने, इसे हाइटेक बनाने व अधिक आय अर्जित करने के उद्देश्य से इसके नव निर्माण का निर्णय लेकर कार्य प्रारम्भ किया गया था? यदि हां, तो कब एवं इसके प्रोजेक्ट की कुल लागत कितनी थी?

(2) क्या यह सही है कि मुख्य बस स्टैण्ड सिन्धी कैप जयपुर के लम्बे समय तक बंद रहने से रोडवेज को दिनों दिन घाटा हो रहा है? यदि हां,

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

तो अभी तक कितना घाटा हो चुका है व भविष्य में कितना घाटा होने की संभावना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त बस स्टैण्ड के परिसर में स्थित किरायेदारों से किराया प्राप्त हो रहा था? यदि हां, तो कितना किराया प्रति माह प्राप्त हो रहा था व अब तक कितना नुकसान हो चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि रोडवेज को किरायेदारों को समझौते के तहत बड़ी राशि भी देनी पड़ी थी? यदि हां, तो किन-किनको कब-कब व कितनी-कितनी राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) मुख्य भवन के बाहरी तरफ किरायेदारों को स्थान दिया गया था जब वहां क्या स्थिति थी एवं वर्तमान में क्या स्थिति है? इसमें परिवर्तन किसकी अनुमति से किया गया?

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बाबूलाल वर्मा): (1) जी हां। बजट घोषणा 2013-14 में केन्द्रीय बस स्टैण्ड सिन्धी कैम्प, जयपुर का 50 करोड़ रुपये की लागत से विकास करवाने की घोषणा की गई थी। राजस्थान परिवहन निगम द्वारा प्रथम चरण के कार्य हेतु आरएसआरडीसी से तीस करोड़ रुपये का एमओयू किया गया जिसके क्रम में आरएसआरडीसी द्वारा 26.66 करोड़ रुपये का आदेश जारी किया गया, जिसके अनुसार दिनांक 18.09.2013 को कार्य प्रारम्भ किया गया।

(2) मुख्य बस स्टैण्ड सिन्धी कैम्प जयपुर बंद नहीं है। माह अक्टूबर, 2013 से जनवरी, 2016 तक सिन्धी कैम्प जयपुर की गैर संचालन आय में 133.78 लाख रुपये की अनुमानित हानि हुई है एवं भविष्य की संभावनाओं के सम्बन्ध में आकलन सम्भव नहीं है।

(3) जी हां। सिन्धी कैम्प बस स्टैण्ड जयपुर पर स्थित स्टालधारियों से किराया प्राप्त हो रहा था। निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व माह सितम्बर, 2013 में 21.38 लाख रुपये राजस्व प्रति माह किरायेदारों से किराये के रूप में प्राप्त हो रहा था। प्लेटफार्म नंबर 02 एवं 03 के टूटने के पश्चात औसत किराया राशि 16.43 लाख रुपये प्रति माह प्राप्त हुई। इस प्रकार माह अक्टूबर, 2013 से जनवरी, 2016 तक सिन्धी कैम्प जयपुर की गैर संचालन आय में 133.78 लाख रुपये की अनुमानित हानि हुई।

(श्री बाबूलाल वर्मा)

(4) सिन्धी कैम्प परिसर प्लेटफार्म नम्बर 03 पर स्थित होटल को तोड़ने के कारण समझौते के तहत होटल मालिक श्री लीलाधर गजवानी को उनकी जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि 4.04 लाख एवं उनके निर्माण कार्य की लागत के बतौर 12.96 लाख रुपये का भुगतान आरएसआरडीसी के माध्यम से फरवरी 2014 में किया गया था। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी किरायेदार को समझौते के तहत कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(5) सिन्धी कैम्प प्लेटफार्म नम्बर 02 एवं 03 पर किरायेदारों को स्थान आबंटित किया गया था तब प्लेटफार्म नम्बर 02 से आगरा-हिण्डौन-भरतपुर-महुआ एवं प्लेटफार्म नम्बर 03 से डीलक्स एवं वोल्वो वाहनों का संचालन हो रहा था। वर्तमान में उक्त दोनों प्लेटफार्मों से संचालन बंद है एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ होने पर गड्ढा खुदा हुआ पड़ा है उक्त प्लेटफार्म पर संचालित होने वाले वाहनों का संचालन प्लेटफार्म नम्बर 05 एवं 06 पर किया जा रहा है। बजट घोषणा 2013-14 की क्रियान्विति में उक्त परिवर्तन की कार्यवाही की गई है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिन्धी कैम्प बस स्टैण्ड पर जो पुराना काम चालू था। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पुराना नक्शा क्या था? उसका एस्टीमेट क्या बना और उस पर अब तक कितना रुपया खर्च हो चुका है, और उसी के साथ-साथ अब नया नक्शा क्या है? उस पर कितना एस्टीमेट है? वो काम कब प्रारम्भ होगा? एक तो मेरा पूरक प्रश्न यह है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा बाद में पूछेंगे, विराजिए। अवसर दूंगा आपको।

श्री बाबूलाल वर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि 2013-14 के बजट में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इस काम की घोषणा की गई थी। पचास करोड़ की लागत से सिन्धी कैम्प बस स्टैण्ड का रिनोवेशन कराने की घोषणा की गई। उसके तहत जी प्लस थ्री का पूरा सैटअप बनाकर वहां का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काम तय किया गया और उसमें लगभग साढ़े छह करोड़ रुपये की राशि खर्च हो गई थी, लेकिन जिस प्रकार योजना बनी थी, उस योजना के तहत जब यह महसूस किया गया कि यह योजना पर्याप्त नहीं है तो इसका एक रिवाइज प्लान प्रस्तुत किया गया,

(श्री बाबूलाल वर्मा)

वो लगभग 110 करोड़ का प्लान है। उसके तहत अभी प्रकिया चल रही है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जायेगी, सिन्धी कैम्प कार्य योजना के तहत निश्चित रूप से उसका काम हम जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर दो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि साढ़े छह करोड़ रुपये की राशि उसमें पुराने प्लान के हिसाब से व्यय हो चुकी है। अब नया प्लान ला रहे हैं। अभी साढ़े छह करोड़ रुपये की राशि जो वेस्ट हो गई, उसका क्या होगा? यह भी सरकार का पैसा है, पब्लिक मनी है। आप जो नया नक्शा ला रहे हैं, नया प्लान बना रहे हैं, उसमें इस कंस्ट्रक्शन को आप शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि वहां पर इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है कि वह एक ढांचा खड़ा है और ऐसा लगता है कि वो जर्जर ढांचा खड़ा है, इस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। सरकार के साढ़े छह करोड़ रुपये व्यय हो गये। यह जो साढ़े छह करोड़ की राशि व्यय हुई है, उसका नये नक्शे में क्या होगा? इसको बताने का कष्ट करें।

श्री बाबूलाल वर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी नया नक्शा बना नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार का और कारपोरेशन का निश्चित रूप से यह मत है जैसा बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि बस टर्मिनल अथोरिटी का गठन हो गया है और बस टर्मिनल अथोरिटी के गठन के बाद यह प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है, जिसमें पहले फेज में राजस्थान में जितने भी बस स्टैण्ड्स हैं उनको नयी डी.पी.आर. बनाकर ठीक कराने की योजना बनायी गयी है। उसमें पहले फेज में सिन्धी कैम्प, जयुपर, अजमेर और उदयपुर का कार्य टेकअप किया गया है। इसकी प्रक्रिया चालू है। लगातार डिपार्टमेंट्स की बैठक हो रही है, जिसमें कई डिपार्टमेंट्स का इनवोल्वमेंट है। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि साढ़े छह करोड़ का क्या होगा, तो इसमें निश्चित रूप से हमारा मत है कि नयी डी.पी.आर. बनाते समय उस प्रकार के सारे कंस्ट्रक्शन का भी ध्यान रखा जायेगा, जिससे कि उस कंस्ट्रक्शन में जो राशि खर्च हो चुकी है उसको भी ध्यान में रखते हुए उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, इसका निश्चित रूप से ध्यान रखा जायेगा।

श्री अध्यक्षः विराजिए। श्री रामलाल शर्मा। पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने जो पहली बार डी.पी.आर. बनायी, उस डी.पी.आर. के बनने के बाद में उसकी जो समयावधि थी, क्या उस समयावधि के अन्दर काम पूरा नहीं होने की वजह से रिवाइज एस्टीमेट बनाना पड़ा और जो पहली डी.पी.आर. बनायी वो पचास करोड़ की थी और रिवाइज डी.पी.आर. 110 करोड़ की है, तो इन दोनों योजनाओं में इतना अन्तर क्यों है?

श्री बाबूलाल वर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिन्धी कैम्प हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा बस स्टैण्ड है और इसकी योजना बनाते समय निश्चित रूप से, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रजेंटेशन दिया गया तो इस बात का विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि कम-से-कम हमारे पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे एक माडल के रूप में बनाया जाये। इसको जिस प्रकार भी बस टर्मिनल अथोरिटी डिसाइड करेगी, उस हिसाब से बनायेंगे क्योंकि आज की तारीख में ट्रांसपोर्टेशन और विशेषकर परिवहन सेवाओं में एक अच्छी सेवा उपलब्ध हो, सही प्रकार से बसों का संचालन हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छोटे-छोटे ब्लाक्स बनाकर इसका निर्माण किया जाए। इसका एक पूरा कम्पोजिट प्लान बने। पूरी एक बड़ी बिल्डिंग बने, जिसमें वहां मार्केट भी हो, वहां रेस्टोरेंट्स भी हो, वहां आने-जाने वाले लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी हो, इन सब बातों को ध्यान में रखकर 110 करोड़ की डी.पी.आर. इसलिए बनी है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो प्लान है, उस प्लान में राजस्थान का सबसे बढ़िया बस अड्डा सिन्धी कैम्प को बनाने की राज्य सरकार की मंशा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी विशेष रूप से देख रही हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें अच्छा काम होगा।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न। श्री भंवर सिंह जी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि 13 दिसम्बर, 2015 को सरकार के दो साल पूरे होने पर राजस्थान की राजधानी को राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालयों से जोड़ने के लिए लोक परिवहन सेवा को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया।

(श्री भंवरसिंह)

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मेरा निवेदन रहेगा कि क्या यह सभी बसें अभी वर्तमान में राजधानी के सिंधी कैम्प बस स्टैण्ड से चलाई जा रही हैं, यदि नहीं चलाई जा रही हैं तो क्या यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए लोक परिवहन सेवा की इन अति महत्वपूर्ण योजना के तहत बसों को सिंधी कैम्प बस स्टैण्ड़ से चलाने का विचार रखते हैं?

इसके साथ एक और कहना चाहूंगा कि सिंधी कैम्प से बीकानेर के लिए दो वोल्वो बसें चलाई जा रही हैं, यह वोल्वो बसें अत्यन्त ही खराब हैं, रोजाना रास्ते में खराब होती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सिंधी कैम्प से बीकानेर जाने वाली बसों को, क्या नई बसें लगाने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री बाबूलाल वर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि राजस्थान रोडवेज़ की वर्तमान में आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री मंत्री जी की मंशा थी कि राजस्थान में रहने वाली जनता को अच्छी परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए 13 दिसम्बर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोक परिवहन बसों की शुरूआत की, 476 मार्गों को आइडेंटीफाई करके इसमें 77 परमिट जारी कर दिए गए। अभी भी इसमें लगभग 35-40 के आसपास बसें चल रही हैं। यह बात जरूर है कि थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है, क्योंकि कई श्रमिक संगठन हैं, सारे रोड़वेज के कर्मचारियों की कुछ बात थी, हमारी लगातार उनसे वार्ता चल रही है। हम चाहते हैं कि जो भी काम किया जाए, थोड़ा समय जरूर लग जाए लेकिन उसको एक अच्छे वातावरण में शुरू करके उन बसों का संचालन किया जाए। निश्चित रूप से राज्य सरकार की मंशा है कि बसें चलाई जाएंगी। लोक परिवहन सेवा के तहत जो बसें चलाने की योजना थी, माननीय सदस्य ने जो बीकानेर का जिक्र किया है, उन्होंने आज मेरी जानकारी में डाला है, निश्चित रूप से उन दोनों बसों के बारे में मैं जानकारी करके कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्री केसाराम चौधरी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, 77 बसें......

श्री अध्यक्ष: नहीं, हो गया।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): 77 बसें चल रही हैं और वह जयपुर से कहां जा रही हैं, लोगों को पता ही नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, जयपुर का एक मात्र बस स्टैण्ड है सिंधी कैम्प।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नाम पुकार लिया मैंने, केसाराम चौधरी। विराजो, विराजो।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी बसें चल रही हैं। कोई कहीं से जा रही है, कोई कहीं से जा रही है। एक स्टैण्ड तो निर्धारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): बस बाडी निर्माण के लिए प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया है क्या?

श्री बाबूलाल वर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन): जी?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): बस बाडी निर्माण करने के लिए प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया है क्या? जो गरीब और मजदूर बाडी बनाने वाले निर्माता थे.....

श्री बाबूलाल वर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, बसों की नई बाडी निर्माण के लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 01 अप्रैल से इसको लागू कर दिया है। जो मार्का की बस होगी उसी को हम लोग अलाउ करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री हीरालाल नागर।

प्रदेश में बी.पी.एल. श्रेणी के परिवारों का सर्वे

499. श्री हीरालाल नागर (सांगोद): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में बी.पी.एल. कार्ड जारी करने हेतु बी.पी.एल. श्रेणी में आने वाले परिवारों का सर्वे कब किया गया था? वर्तमान में बी.पी.एल. कार्ड बनाने के लिए सरकार ने कितने परिवारों का सर्वे किया है तथा उनमें से कितने परिवारों को बी.पी.एल. कार्ड जारी किए गए? कोटा जिले का उपखण्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बी.पी.एल. कार्ड/सूची बनाते समय बी.पी.एल. श्रेणी में चयनित परिवारों से इस श्रेणी में होने का एवं कोई भूमि व

(श्री हीरालाल नागर)

अचल सम्पत्ति नहीं होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र लिया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि बी.पी.एल. श्रेणी में वे ही परिवार शामिल किए जाते हैं जो निर्धन एवं भूमिहीन हैं? यदि हां तो सम्बन्धित आदेशों, परिपत्रों व नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार आगामी समय में बी.पी.एल. परिवारों का सर्वे कराने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(5) प्रदेश में बी.पी.एल. एवं एपीएल कार्डधारी परिवारों को सरकार द्वारा किस-किस तरह के क्या-क्या लाभ दिये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल): (1) भारत सरकार के निर्देशानुसार बी.पी.एल. श्रेणी में आने वाले परिवारों का सर्वे वर्ष 2002 में किया गया था। कोटा जिला उपखण्ड में बी.पी.एल. वर्ष 2002 में सर्वे के बाद कुल 34730 परिवार बी.पी.एल. में शामिल हैं, जिसमें अपील के माध्यम से जोड़े गए 378 परिवार शामिल हैं। उक्त सभी परिवारों को बी.पी.एल. कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) बी.पी.एल. कार्ड/सूची बनाते समय बी.पी.एल. श्रेणी में चयनित परिवारों से इस श्रेणी में होने का एवं कोई भूमि व अचल सम्पत्ति नहीं होने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का शपथ पत्र लिए जाने का प्रावधान नहीं है।

बी.पी.एल. सूची-2002 के चयन हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 13 आर्थिक एवं सामाजिक सूचकों के आधार पर सर्वे करवाकर 52 अंकों में से अंक प्रदान किए गए थे। सर्वे से प्राप्त अंकों के आधार पर आरोही क्रम में सूचियां तैयार कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक आने वाले परिवारों को एकल कट आफ स्कोर के आधार पर 12 अंक प्राप्त करने वाले समस्त एवं 13 अंक प्राप्त करने वाले आंशिक परिवारों को बी.पी.एल. सूची 2002 (ग्रामीण) में चयन किया गया था। निर्धारित प्रपत्र की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) बी.पी.एल. सूची-2002 के चयन हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 13 आर्थिक एवं सामाजिक सूचकों के आधार पर सर्वे

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

करवाकर 52 अंकों में से अंक प्रदान किए गए थे। सर्वे से प्राप्त अंकों के आधार पर आरोही क्रम में सूचियां तैयार कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक आने वाले परिवारों को एकल कट आफ स्कोर के आधार पर 12 अंक प्राप्त करने वाले समस्त एवं 13 अंक प्राप्त करने वाले आंशिक परिवारों का बी.पी.एल. सूची-2002 (ग्रामीण) में चयन किया गया था। निर्धारित प्रपत्र की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशानुसार सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 का सर्वे किया जाकर अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। उसी से पात्र परिवारों को विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित किया जाएगा।

(5) प्रदेश में बी.पी.एल. एवं एपीएल कार्डधारी परिवारों को योजनाओं में निम्नानुसार लाभ दिया जा रहा है।

1. बी.पी.एल. हेतु देय लाभ की योजनाएं।
   1. इंदिरा आवास योजना
   2. महात्मा गांधी नरेगा योजना
   3. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
   4. खाद्य सुरक्षा
   5. मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष
   6. पन्नाधाय जीवन अमृत योजना
   7. शिक्षा सहयोग योजना
   8. पुत्री के विवाह पर अनुदान
2. स्टेट बी.पी.एल. हेतु देय लाभ
   1. महात्मा गांधी नरेगा योजना
   2. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (चिह्नित वर्ग के लिए)
   3. खाद्य सुरक्षा
   4. अन्य चिह्नित वर्ग आवासीय योजना (वार्षिक आय 1.20 लाख की सीमा तक)
   5. मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

3. ए.पी. एल.

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना
2. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (चिह्नित वर्ग के लिए)
3. अन्य चिह्नित वर्ग आवासीय योजना (वार्षिक आय 1.20 लाख की सीमा तक)

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: विराजिए। पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कोटा जिले में 2002 में किए गए सर्वे के उपरान्त पुन: बी.पी.एल. सूची में नाम जोड़ने हेतु सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को कितनी अपीलें प्राप्त हुईं? संख्या का वर्षवार, उपखण्डवार विवरण उपलब्ध कराएं।

अपील के सर्वे के बाद कितने अपीलकर्ताओं को 12 अंक से कम अंक प्राप्त हुए, उसकी भी वर्षवार, उपखण्डवार जानकारी दें?

क्या मंत्री महोदय, यह भी बताने की कृपा करेंगे कि 12 से कम अंक प्राप्त होने के उपरान्त भी सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारियों द्वारा बी.पी.एल. सूची में नाम नहीं जोड़कर उन्हें लम्बित रखा जाता है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए, लम्बा चौड़ा हो जाएगा। इसका जवाब आ जाने दीजिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, और नहीं तो क्यों? 12 अंक प्राप्त करने के उपरान्त नाम जोड़ने वाले परिवारों की संख्या कितनी है?

श्री अध्यक्ष: आप कितने पूरक प्रश्न पूछोगे?

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): इन आवेदनों को बी.पी.एल. कार्ड कब तक जारी कर दिए जाएंगे? उपखण्डवार जानकारी उपलब्ध कराएं।

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत विस्तार से क्वेश्चन पूछा है। माननीय सदस्य से निवेदन कर रहा हूं कि बी.पी.एल. संख्या 2002 में

(श्री सुरेन्द्र गोयल)
द्विस्तरीय अपील का प्रावधान है। जिसमें प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार न्यायालय में तथा द्वितीय अपील सम्बन्धित जिला कलक्टर के यहां की जाती है।

मेरी प्राप्त जानकारी के अनुसार कोटा जिले में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय तथा जिला कलक्टर कोटा के पास 2007 से अभी तक कुल 12893 अपील दायर हुई हैं, जिनमें से सम्बन्धित अपील अधिकारीगण द्वारा 12722 अपीलों का निस्तारण कर दिया गया है, तथा 171 अपीलें लम्बित हैं। उक्त निर्धारित अपीलों के आधार पर 378 अपील स्वीकार की जाकर बी.पी.एल. सूची में नाम जोड़े गए हैं तथा 12344 अपीलें खारिज की गई हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इन्होंने उपखण्डवार पूछा है, मैं इनसे निवेदन कर दूं कि सांगोद कनवास में 2007 से कुल अपीलें प्राप्त हुई थीं 11761, उनमें 11761 का निस्तारण कर दिया गया है, लम्बित एक भी नहीं है। बी.पी.एल. परिवारों की संख्या उनमें से सिर्फ 51 है, 11710 खारिज कर दी गई हैं।

इसी प्रकार कनवास में, 171 प्रकरण प्राप्त हुए थे जिसमें 160 का निस्तारण कर दिया है, 17 लम्बित हैं, 160 खारिज कर दी गई हैं।

रामगंजमण्डी में, 256 अपीलें आई थीं जिसमें से 256 का ही निस्तारण कर दिया गया है, 48 बी.पी.एल. बनाए गए हैं, 208 खारिज कर दिए गए हैं।

कोटा लाड़पुरा में, कुल 90 प्रकरण प्राप्त हुए थे, 90 का ही निस्तारण कर दिया है, 08 को बी.पी.एल. में चयन कर लिया है, 82 खारिज कर दिए गए हैं।

दीगोद के अन्दर, 400 अपीलें आई थीं जिसमें से 305 का निस्तारण कर दिया है 95 लम्बित हैं, 200 बी.पी.एल. बना दिए गए हैं और 105 खारिज कर दिए हैं।

इटावा में, कुल प्रकरण 159 प्राप्त हुए जिसमें से 100 निस्तारित कर दिए, 59 लम्बित हैं, 71 बी.पी.एल. परिवारों को बना दिए गए हैं और 29 खारिज कर दिए गए हैं।

कलक्टर कोटा के यहां, अपीलों के कुल प्रकरण 50 प्राप्त हुए थे जिसमें से 50 ही निस्तारित कर दिए गए हैं और 50 ही खारिज कर दिए गए हैं।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

मानानीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार यह खण्डवाइज मैंने माननीय सदस्य को निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय मंत्री महोदय ने जानकारी उपलब्ध कराई.....

श्री अध्यक्ष: सारा आ गया, और पूछना है?

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): उसमें जो लम्बित प्रकरण हैं वे कितने समय से हैं और अगर अधिकारियों की कोताही की वजह से वे लम्बित रखे गये हैं तो उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे, माननीय मंत्री महोदय, यह भी आप बताएं तथा क्या सरकार 2011 में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के उपरांत प्रकाशित सूची के पात्र परिवारों को बी.पी.एल. में सम्मिलित करने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों? मंत्री महोदय, यह भी बताने की कृपा करें कि 2011 की सूची लागू होने में यदि विलम्ब होता है तो क्या 2002 की सूची के पात्र परिवारों को सरकार यथावत लाभ देती रहेगी। यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं इनसे निवेदन कर रहा हूं कि यह वर्षवार कितना है, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वर्षवार जितनी भी अपीलें आती हैं, उसी वर्ष में उसका निस्तारण किया जाता है। जैसा कि मैंने इनको उत्तर में बता दिया, 12893 कुल प्रकरण आए थे, जिसमें से 12722 का निस्तारण कर दिया। सिर्फ 171 लम्बित हैं और 378 बी.पी.एल. बना दिये और 12334 को खारिज कर दिया। कुल पैंडिंग 171 ही हैं, पहला जवाब तो मेरा यह है।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): 171 के खिलाफ, वह पैंडिंग कब से हैं, अगर वह निस्तारण नहीं हुए तो उसमें देरी के लिये कोई जिम्मेदार हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। बैठिए, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ऐसा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी माननीय सदस्य किसी स्पेसिफिक बात के लिये कि इन-इन ने 12 से कम अंक प्राप्त किये हैं अपीलार्थी ने और इसकी जानबूझकर खारिज की गई है, ऐसा प्रकरण कोई मेरे सामने लाया जाएगा तो मैं इसकी जांच कराऊंगा और जांच करके सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, ललित कुमार। (व्यवधान) नो, नो, नो।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): यह पूरा उत्तर कहां हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक जवाब और है इनका।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): एक जवाब और है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, ललितजी, बैठिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 2011 के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है तो यह क्या है कि सामाजिक, आर्थिक, जाति आधारित जनगणना 2011 में हुई थी। जिसमें सामाजिक और आर्थिक स्तर का पता लगाने हेतु कार्यवाही की गई थी। उक्त जनगणना के आधार पर कितने और कौनसे परिवारों को बी.पी.एल. माना जाकर लाभान्वित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में निर्णय, माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के स्तर पर ही पैंडिंग है। केन्द्र सरकार के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के पश्चात ही इस सूची में से पात्र परिवारों को लाभान्वित किया जाना सम्भव होगा। जैसा कि 2002 के बारे में पूछा, मैं इनसे निवेदन करूं कि जब तक वहां से क्लीयर डाइरेक्शंस नहीं आयें, जब तक 2002 की बी.पी.एल. सूची के परिवारों को लाभान्वित किया जाता रहेगा।

श्री अध्यक्ष: ललित कुमार।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो 2002 की सर्वे की सूची थी, उसमें वर्तमान में कौन-कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं, व सरपंच व सचिवों द्वारा वर्तमान में सरकार द्वारा पात्रता की सूची मांगी गई है। इस सूची

(श्री ललित कुमार)

में बी.पी.एल. के कई जो लाभार्थी हैं और वर्तमान में उनको मिलना चाहिये, उनके नाम काट दिये गये, इस सन्दर्भ में सरकार उनको दिलाने की मंशा रखती है या नहीं रखती है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया कि बी.पी.एल. में जो परिवार हैं, उनको इन्दिरा आवास योजना है, महात्मा गांधी नरेगा है, स्वच्छ भारत मिशन है, खाद्य सुरक्षा है, मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष है, पन्नाधाय जीवन अमृत योजना है, शिक्षा सहयोग योजना है, पुत्री का विवाह अनुदान है और स्टेट बी.पी.एल. है उसको महात्मा गांधी नरेगा योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, खाद्य सुरक्षा है, अन्य चिह्नित वर्ग आवासीय योजना है, मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष, इस प्रकार की स्कीम्स के अन्दर उनको लाभान्वित किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। दूसरा प्रश्न श्रीमती...।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मैंने कहा, अध्यक्ष महोदय, आप श्रीमती कहकर रुक गये, पता नहीं आपकी कृपा हो, नहीं हो, शिरोधार्य है आपकी आज्ञा।

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको इशारा भी कर दिया था। (व्यवधान) मैंने आपको इशारा भी कर दिया था।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि एक तो जैसा ललितजी ने कहा कि जो बी.पी.एल. के योग्य परिवार हैं और उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है, न उनके पास कोई जमीन है, न रोजगार का साधन है, न ही मकान है, वह नरेगा में मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और शेष बचे हुओं को आप दुबारा जोड़ने की मंशा रखते हैं या नहीं, जो अभी भी नये ऐसे कुछ परिवार हैं, जो शेष बचे हुए हैं, उनको जोड़ेंगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): और, साहब, बी.पी.एल. के मकानों की किश्त भी नहीं मिल रही है तो कब तक मिल जायेगी?

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने सदन को निवेदन किया कि इसके अन्दर द्विस्तरीय अपील की व्यवस्था है। अगर वह व्यक्ति आज भी बी.पी.एल. श्रेणी में आने लायक है तो उसकी प्रथम अपील एस.डी.ओ. कोर्ट में एस.डी.एम. के सामने होती है। आप उनको अपील करवाइये। अगर उसका जुड़ने लायक होगा तो पहले उसका सर्वे होगा। सर्वे के बाद में ग्राम सभा से उसका एप्रूवल होगा और 12 अंक से कम नम्बर हैं तो उसका बी.पी.एल. में चयन होगा। जो भी सुविधाएं चयन होने के बाद में मिलनी होंगी, उसको मिलेंगी।

श्री अध्यक्ष: तीसरा प्रश्न, विद्याशंकर नन्दवाना। (व्यवधान) तीसरा प्रश्न विद्याशंकर नन्दवाना।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, जो आपने बताया, प्रक्रिया सही है।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया, जवाब आ गया, नहीं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): नहीं, वह कह रहे हम।

श्री अध्यक्ष: नहीं, जवाब आ गया। (व्यवधान) तीन पूरक प्रश्न हैं। व्यवस्था है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): लेकिन एस.डी.एम. उनको वहां से भगा देता है। तो कृपया करके आप निर्देशित करें कि जो योग्य परिवार हैं उनका नाम देवें।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था है। (व्यवधान) हां, विद्याशंकर नन्दवाना। (व्यवधान) बात कह दें। (व्यवधान)

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि प्रथम अपील अधिकारी उप खण्ड अधिकारी रहेंगे। आपने कोटा जिले के पांचों ब्लाक्स की अलग-अलग स्थिति बताई, उसमें सांगोद ब्लाक में 11 हजार आवेदन बताए। क्या इस प्रकार का, एक ब्लाक में 125, 170 और सांगोद ब्लाक में 11 हजार आवेदन बी.पी.एल. के लिये आये। क्या इस विषय की मंत्री महोदय जांच कराना चाहेंगे, इतनी बड़ी असमानता क्यों रही?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जैसा मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया कि 2007 से है और 2007 में 8209

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

प्रकरण आये थे। उसी साल इनका निस्तारण किया गया। 2008 में 544 आये थे, 2009 में 722 आये थे, 2010 में 425 आये थे, 2011 में 800 आये थे, 2012 में 621 आये थे, 2013 में 176 आये थे, 2014 में 185 आये थे, 2015 में 78 आये थे, इस प्रकार ये 11700 आये थे। अगर माननीय सदस्य यह बताते हैं कि इसमें कोई लेकुना रहा है, इसमें कोई न कोई वैमनस्यता की भावना से खारिज किये गये हैं या वाकई में बी.पी.एल. हैं और उनका बी.पी.एल. में नाम सर्वे के आधार पर नहीं जोड़ा गया है, इस आधार पर कोई भी ऐसी बात होगी तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर रहा हूं कि जो भी प्रकरण खारिज हुए हैं उनकी लिस्ट ले करके, आप जो भी मुझे बताएंगे, उसके आधार पर मैं जांच करवा लूंगा और जांच करवाने के बाद में अगर उस अधिकारी की गलती है तो उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्यवाही करूंगा। (व्यवधान)

प्रश्न संख्या-500

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मानवेन्द्र सिंह

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न, श्री रमेश।

अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्रवृत्ति आबंटन में अनियमितता की जांच

501. **श्री रमेश** (सपोटरा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गत पांच वर्षों में अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्रवृत्ति आबंटन में कितनी अनियमितताएं पाई गईं? इनमें कितने-कितने अधिकारियों को दोषी पाया गया एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अनियमितताओं की जांच किस-किस स्तर पर की गई?

(3) सरकार द्वारा उक्त अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अरुण चतुर्वेदी): (1) जी हां, गत पांच वर्षों (2010-11 से 2014-15) में जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बूंदी के कार्यालय

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

में छात्रवृत्ति में हुई अनियमितताओं की जांच करवाई गई है। जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है। उक्त जांच दिनांक 10.03.14 से 14.03.14 करवाई गई है। जांच रिपोर्ट दिनांक 25.03.14 को ही प्राप्त हुई है। उक्त जांच में दोषी पाये गये संविदा कर्मी कम्प्यूटर आपरेटर श्री रवि प्रकाश बृजवत द्वारा प्लेसमेंट एजेन्सी मानव कल्याण चेतना संस्थान, नाहर का चौकटा, सुरंग गेट, बूंदी के विरुद्ध बूंदी थाने में एफ.आई.आर. संख्या 122/14, दिनांक 26.02.14, धारा 408, 409, 420, 468, 471 एवं 1208 के अन्तर्गत दर्ज की गई। उक्त एफ.आई.आर. के उपरान्त पुलिस द्वारा कैलाश को 30.09.15, आकाश बृजवत को 04.09.15 एवं रवि प्रकाश बृजवत को 21.11.15 को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 09.09.15 को आकाश से 5,20,700 रुपये एवं रवि प्रकाश बृजवत से 4,15,000 रुपये दिनांक 29.11.15 को बरामद किये गये। उक्त तीनों के विरुद्ध चार्जशीट नम्बर 38, दिनांक 16.02.2016 को न्यायालय में पेश की गई है। प्रकरण में पुलिस द्वारा अनुसंधान जारी है। उक्त तीनों की न्यायालय में जमानत स्वीकृत हो चुकी है।

दिनांक 21.11.2015 को संविदाकर्मी कम्प्यूटर आपरेटर रविप्रकाश बृजवत के पुलिस की हिरासत में आने के बाद से दिनांक 23.11.2015 से जिला कार्यालय बूंदी में कार्यरत लिपिक श्री विनोद कुमार कार्यालय से निरन्तर अनुपस्थित चल रहे हैं। श्री विनोद कुमार को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा कार्यालय में उपस्थिति हेतु लिखा गया है, परन्तु आज दिनांक तक वह अनुपस्थित चल रहे हैं। उक्त रिपोर्ट के उपरान्त उक्त जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही निर्णयाधीन है।

(2) उक्त जांच दल निदेशालय स्तर के लेखाधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी से करवायी गई थी।

(3) विभाग द्वारा वर्तमान में आनलाइन आवेदन कर आनलाइन ही स्वीकृति जारी कर, आनलाइन ही बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से छात्रवृत्ति योजनाओं को पेपरलैस कर छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितताओं को रोकने हेतु निम्नांकित कदम उठाये गये हैं:-

1. अगर कोई विद्यार्थी गलत तथ्यों के आधार पर छात्रवृत्ति लेते हुए पाया गया हो तो उसकी छात्रवृत्ति निरस्त कर दी जाएगी तथा छात्रवृत्ति की जितनी रकम दी गई है, वापस ले ली जाएगी। इस तरह के क्रियाकलाप से सम्बन्धित विद्यार्थी को हमेशा के लिए

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

किसी भी योजना के अन्तर्गत किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (Debarred) कर दिया जाएगा तथा विद्यार्थी को काली सूची (Black List) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृत-कर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं- 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

2. अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आनलाइन आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (Debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैक लिस्ट (Black List) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृत-कर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं- 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।
3. अगर किसी राजकीय कर्मचारी/अधिकारी द्वारा अनियमितता की जाती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध जांच करवाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न-नम्बर एक।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि खातों की जांच में पाया गया कि अनियमितताएं वर्ष 2010 से निरन्तर की जा रही थीं जिसके कारण कुल गबन की राशि 27 लाख 93 हजार 112 रुपये रुपये तक हो गयी। इस अवधि में फरार कनिष्ठ लिपिक के अतिरिक्त 11 अन्य अधिकारी/कर्मचारी और तीन लेखाधिकारी जो जांच-कर्ता थे, उनकी भी नियुक्ति थी लेकिन आपने वर्ष 2010 से 2014 तक खातों की जांच करने या नहीं करने के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की? केवल संविदा-कर्मी, कम्प्यूटर-आपरेटर और लिपिक को ही सम्पूर्ण प्रकरण का दोषी बताकर उच्चाधिकारियों जो सबसे अधिक जिम्मेदार थे बचाने की कार्यवाही क्यों की जा रही है? इसमें एक तथ्य यह भी है कि अनियमितताएं उस लिपिक, जो वर्तमान में फरार बताया जा रहा है,

(श्री रमेश)
कार्यभार ग्रहण करने से पहले चल रही थीं तो फिर आखिरकार किस आधार पर केवल उसे ही सम्पूर्ण भ्रष्टाचार का दोषी बनाया जा रहा है? पहला प्रश्न यह है।

श्री अध्यक्षः बैठिए।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इसकी, यह प्रकरण 2010 से 2013-14 के बीच का है। हमारी जानकारी में आने के बाद ही तुरन्त हमने इसकी जांच कमेटी बनाई, जांच रिपोर्ट की और 13.10, मार्च, 14.03.2014 तक पूरी जांच हुई इसकी। मैंने बताया पहले ही कि निदेशालय स्तर के अकाउंटेंट और सहायक अकाउंटेंट, दोनों के माध्यम से हमने जांच करवाई। जांच रिपोर्ट में जो-जो दोषी पाए गये उनके खिलाफ हमने कार्यवाही अपनी तरफ से बढ़ाई है, पुलिस ने भी एफ.आई.आर. दर्ज की है। हमने भी चार्ज-शीट देकर इन्वेस्टीगेशन स्टार्ट किया है और एक विनोद कुमार कर्मचारी जो लगातार अनुपस्थित चल रहा था, उसको हमने नोटिस दिया। उसके बाद भी जब वह वहां पर उपस्थित नहीं हुआ तो उसको भी हमने सस्पैंड कर दिया।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न नम्बर-दो।

श्री रमेश (सपोटरा): यह जवाब सही नहीं है क्योंकि, पर्टिकुलर एक लिपिक या कम्प्यूटर संविदा-कर्मी जो है, क्या उसने ही घोटाला कर लिया 2014 तक? अधिकारी आपके जो बैठे हैं, आपके अकाउंटेंट हैं, आपके अन्य अधिकारी हैं, क्या उनको पता नहीं था? उनकी मिलीभगत नहीं है? एक छोटे से कर्मचारी को या संविदा-कर्मी को आप दंड दे रहे हो और ऊपर के अधिकारी को बचा रहे हो और उस कमेटी में भी, जांच कमेटी में उनको सम्मिलित क्यों कर रहे हो आप? आप जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं उनके होते हुए, चार वर्ष से भ्रष्टाचार हो रहा है और आफिस वालों को पता नहीं है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से पूछना चाह रहा हूं, उसी पहले प्रश्न में कि जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं क्या? पहला क्वेश्चन तो यह है। इसका जवाब दीजिए।

दूसरा, क्वेश्चन मेरा यह है कि जिस कार्मिक पर खातों की जिम्मेदारी थी, उसके स्थान पर वर्तमान में दोषी कर्मचारी खातों की देख-रेख कर रहा था तो फिर आपने जिम्मेदार पर कार्यवाही क्यों नहीं की और इस प्रकार

(श्री रमेश)

अनियमितता करने में सहयोग करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही क्यों नहीं की? जिन लोगों के खातों में अवैध रूप से राशि हस्तांतरित की गयी, उसकी वसूली के लिए क्या प्रयास किये गये? तो पहले तो पहला क्वेश्चन ही बताएं आप।

श्री अध्यक्षः नहीं, यह दो हो चुके हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): दो नहीं है, पहला है।

श्री अध्यक्षः दूसरा पूरक प्रश्न हो चुका है आपका यह।

श्री रमेश (सपोटरा): पहले का उत्तर नहीं दिया है।

श्री अध्यक्षः हां, दोनों का साथ दे देंगे अभी।

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं, मेरे दोनों क्वेश्चन तो हो गये, उत्तर की बात कर रहा हूं मैं।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है, पहले तो इंक्वायरी एक्ट बना हुआ है, उसके तहत इंक्वायरी की बात होती है और उसी में हम इंक्वायरी की जो प्रक्रिया है, उसके तहत एक जांच कमेटी बनाई और जांच कमेटी ने जिन-जिन को दोषी माना है, उसके ऊपर हम कार्यवाही करते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक बात हमारे किसी अधिकारी के बारे में आप बताएंगे तो अलग से जांच करवाकर उसकी भी हम जांच करवा लेंगे। अभी तक की रिपोर्ट में जो आए हैं, उनके खिलाफ हमने कार्यवाही की है, चालान पेश कर दिया, पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है, उससे राशि भी रिकवर कर रखी है और लगातार इस कार्मिक के ऊपर फालो करके, हमने एक जो कर्मचारी अनुपस्थित चल रहा था, उसको भी सस्पैंड किया है।

श्री अध्यक्षः श्री मानिक चन्दजी सुराना, दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री रमेश (सपोटरा): मैंने यह पूछा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से कि जो हस्तांतरित राशि की गयी है, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे, वह भी नहीं बता रहे हो। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? क्योंकि, एक बाबू इतने दिनों से, चार साल से उसी कार्यालय में काम कर रहा है, उसके खिलाफ आप कार्यवाही कर रहे हो। उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज है, उसको अरैस्ट तक नहीं किया गया है। एक तरह से आप अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सीधा-सीधा यह दिख रहा है। एक

(श्री रमेश)

संविदाकर्मी है या फिर वह बाबू है जो अब वहीं पर घूम रहा है, आप कह रहे हैं कि वह मिल नहीं रहा है, फरार चल रहा है। कहां फरार चल रहा है, वह वहां बूंदी में ही रह रहा है तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन है कि जो मैंने क्वेश्चन किया है, उसका उत्तर सही दें।

श्री अध्यक्ष: श्री मानिक चन्दजी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जो वहां निर्णायक अधिकारी थे, एक कम्प्यूटर आपरेटर को, एक संविदाकर्मी को आपने छांट लिया। ऐसा तो नहीं है कि जांच-कर्मी में ही वह अधिकारी थे, जिनकी जिम्मेदारी है, वह ही तो कहीं जांच अधिकारी नहीं बना दिये गये? (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर तो देखो, ऐसी क्या नाराजगी है, माननीय अध्यक्ष महोदय? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्न पूछ चुके। आपकी हमेशा ही आदत रही है। जब तीन चांस मैंने दे दिये फिर भी आप नहीं बैठते इसलिए नाराजगी है। बैठिए। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): उत्तर तो दिलवा दो। ऐसी नाराजगी क्या है? आज तो अंतिम दिन चल रहा है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): इसलिए जो निर्णायक थे उनको, जो अधिकारी निर्णायक थे वहां डिस्बर्समेंट करने के लिए, काम फाइनल करने के लिए, मेरा निवेदन है कि आप उनके खिलाफ जांच करें। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं तीन बार आपको चांस दे चुका हूं। मेरे व्यवस्था के हिसाब से माननीय विधायक ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): आप संरक्षण दें, हमारे सवालों का जवाब दिलवायें। आप जवाब नहीं दिलवा रहे हैं, अंकित नहीं होगा, बस आपके पास, ऐसी क्या नाराजगी है?

श्री अध्यक्ष: केवल मानिकजी का जवाब दिया जाए। मानिकजी का जवाब दिया जाए।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बिलकुल धैर्य-शील हैं, आपने इसमें नाराजगी की बात की है। (व्यवधान)

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था और नियमों के हिसाब से कार्यवाही होगी। आप बैठिए। मानिकजी का जवाब दीजिए आप।

श्री रमेश (सपोटरा): तो उत्तर क्यों नहीं दिलवा रहे हो?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उनके ऊपर कार्यवाही क्या की? मैंने अब तक निवेदन किया कि जो हमने जांच कमेटी बनाई थी, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की है। निश्चित रूप से एक बात ध्यान आती है कि अगर किसी व्यक्ति का सुपरवाइजरी नैग्लिजेंस का मामला आता है, निश्चित रूप से इस विषय के ऊपर भी मैं अतिरिक्त एक जांच और करवा लूंगा और कोई सुपरवाइजरी नैग्लिजेंस का मामला होगा तो निश्चित रूप से उसमें जांच के दायरे में आएगा तो कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: बस, आ गया जवाब आपका भी? ठीक है। श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि डाक्टर अम्बेडकर विमुक्त, घूमंतू तथा अर्द्ध घूमंतू उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से कितनी राशि प्राप्त हुई?

श्री अध्यक्ष: यह इससे सम्बन्धित नहीं है घूमंतू, इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): अनियमितता ही है, साहब। इससे सम्बन्धित ही है। उसी से सम्बन्धित है। अनियमितताओं का ही है, साहब। अनियमितताओं का ही है। वही है, साहब, अनियमितताओं का ही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, बिलकुल नहीं। नो-नो, नहीं। अनुसूचित जाति, जनजाति का है। बैठिए आप। घुमंतू से सम्बन्धित नहीं है यह सवाल।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): फिर भी उपलब्ध करवा दूंगा, उन्हें।

श्री अध्यक्ष: श्री गोरधन। सवाल से सम्बन्धित कोई पूरक प्रश्न पूछिये। श्री गोरधन।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सीकर जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सत्र 2015-16 में अब तक कितने आवेदन आपके विभाग को प्राप्त हुए हैं और कितने छात्र-छात्राओं को आपने छात्रवृत्ति वितरित की है और शेष कितने अभी बकाया हैं और उनको कब तक आप छात्रवृत्ति देंगे? इसी में मेरा दूसरा निवेदन है कि क्या जो शारीरिक रूप से विकलांग है, उनको भी आपके विभाग के द्वारा थ्री-व्हीलर स्कूटर देने की योजना है क्या?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मेरे पास केवल सीकर में कितने आवेदन आए, उपलब्ध नहीं है लेकिन 2015-16 में कुल जो आवेदन हमारे पास आए हैं वह 3 लाख 64 हजार 135 हैं। यह पहली बार हमने पेपरलैस और पूरी तरह से आनलाइन स्कालरशिप का एक सिस्टम डवलप किया और उसी के आधार पर काम कर रहे हैं। इसमें एक दिक्कत आई.टी.आई. के विद्यार्थियों की आ रही थी। इसमें एक सिस्टम किया, पहले जैसा कि माननीय सदस्य- श्री रमेशजी ने जो प्रश्न किया था और यह जो अनियमितताओं के मामले आते थे, कई बार ध्यान में आया कि एक ही विद्यार्थी ने कई जगह से उठा लिया और इसी तरह से चैक भी अलग-अलग गये और उस तरह की भी बात रहती थी। इन सबको चैक करने के लिए हमने इस आनलाइन सिस्टम में उनका चैक एण्ड बैलेंस डवलप किए हैं। अब इसमें पेपरलैस में आई.टी.आई. का हमने एक सिस्टम डाला है। पहले कई मान्यता प्राप्त जो संस्थान नहीं होते थे, उनको भी स्कालरशिप मिल जाती थी। हमने किया कि जिस संस्थान से एफिलियेटेड है, वह संस्थान जब उसको रिकाग्नाइज कर देगा, तब ही उसका पोर्टल खुलता है, तब ही उसकी एप्लीकेशन स्वीकार होती है, नम्बर मिलता है और उसको रिकाग्नाइज जो इंस्टीट्यूट है, उन्हीं को नम्बर मिलेगा, उनकी ही एप्लीकेशन मानेंगे। आई.टी.आई. के विद्यार्थी जो होते हैं, उनमें एक दिक्कत इस बार आई थी कि वहां केन्द्र की जो इनकी संस्था राजस्थान की है, उसमें आपस में समन्वय की कमी होने के कारण से उनकी एप्लीकेशंस को लेट भरा गया। अब वह सार्ट-आउट हो गया है। पिछले दिनों श्रम मंत्री महोदय दिल्ली गये थे, वहां अधिकारियों के साथ बैठकर उन्होंने समस्या का निदान कर लिया है, उनकी एप्लीकेशंस शुरू हो गयी हैं और उनका वैरिफिकेशन का काम चालू हो गया है इसलिए हमने 20 तारीख तक इसकी

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

एप्लीकेशंस को लेने की तारीख बढ़ाई है और 20 तारीख के बाद हम इन सबके डिस्बर्समेंट का काम शुरू करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल श्री नारायण सिंह देवल।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्षजी, इसी से सम्बन्धित है 517. मेरा 517 नम्बर का क्वेश्चन लगा हुआ है। एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: नो-नो, 517 के नम्बर पर आएगा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): इसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, 517 पर आएगा। मैं नम्बर ऊंचा-नीचा नहीं कर सकता।

502, श्री नारायण सिंह देवल।

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों का चयन

502. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना क्या है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के तहत पात्र व्यक्ति योजना के लाभ लेने से वंचित हैं? यदि हां, तो पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाये जा रहे हैं?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री हेमसिंह भड़ाना): (1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित पात्र लाभार्थियों/परिवारों को अनुदानित दरों पर खाद्यान्न (गेहूं) उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त योजना के तहत चयनित सभी पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र व्यक्ति अपना नाम अपीलीय प्रक्रिया के माध्यम से जुड़वाने हेतु अपील प्रस्तुत कर सकता है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश दिनांक 5.11.2015 के अनुसार

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यथासंभव अथवा वांछित दस्तावेज संलग्न कर अपील दायर कर सकता है। यदि प्रार्थी उपखण्ड अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट हो तो सम्बन्धित जिला कलक्टर (रसद) के समक्ष द्वितीय अपील कर प्रस्तुत कर सकता है। आदेश दिनांक 5.11.2015 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना दिनांक 2 अक्टूबर, 2013 से लागू है। उक्त योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया हुआ है।

उक्त योजना में पात्र व्यक्तियों के समावेशन एवं अपात्र व्यक्तियों के निष्कासन हेतु राज्य स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा सूचियों के शुद्धिकरण हेतु प्रवर्तन अधिकारियों/निरीक्षकों को नियुक्त कर खाद्य सुरक्षा सूचियों की जांच करवाकर पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम उक्त सूचियों से कम किये जाने की कार्यवाही की गयी है। साथ ही खाद्य सुरक्षा सूचियों के शुद्धिकरण हेतु चयनित पात्र लाभार्भियों का सत्यापन शहरी क्षेत्र में नगरपालिका/नगर निकाय के अधिशाषी अधिकारी/ प्रभारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सेवकों एवं पटवारी द्वारा कराया गया है।

उचित मूल्य दुकानों पर राशन सामग्री वितरण में पारदर्शिता हेतु Pos (Point of sale) मशीन उपलब्ध करवाई जा रही है। इस मशीन के द्वारा लाभार्थी/उपभोक्ता का बायोमैट्रिक सत्यापन कर राशन सामग्री का वितरण किया जाता है जिससे पात्र व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी को राशन सामग्री का वितरण नहीं हो।

वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र व्यक्ति अपना नाम अपीलीय प्रक्रिया के माध्यम से जुड़वाने हेतु अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर 1. श्री नारायण सिंह।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में पिछले दो वर्षों में कितनी प्रथम अपील व कितनी द्वितीय अपील प्रस्तुत हुई और उसमें से कितनी अपीलों का फैसला सकारात्मक रूप से और कितनी अपीलों का नकारात्मक रूप से निर्णय लिया गया?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी बताया है कि 05.11.2015 को हमने पूरे प्रदेश में सभी एस डी ओ. को निर्देश दिये हैं कि जो व्यक्ति पात्र है, और वह किसी कारण से रह गया है तो अपने पात्रता का वह प्रमाण पत्र प्रार्थी उसको दे और उस पर सम्बन्धित एजेन्सी ग्राम सेवक और पटवारी से जांच कराये या नगर पालिका, नगर निगम में है तो कमिश्नर या ई.ओ. से जांच कराये और अगर वह पात्र व्यक्ति है तो उसको चयन कर सकता है और एस डी एम स्वयं भी यह समझे कि चयन का आधार है इसका और पात्र व्यक्ति को स्वयं भी सम्मिलित कर सकता है। यह पूरे प्रदेश भर में 5.11.2015 से लागू है और जो व्यक्ति पात्र नहीं है और वह उसका नाम पात्रता की श्रेणी में है तो भी अपीलीय अधिकार है कि एस डी ओ के पास सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करें कि यह अपात्र व्यक्ति है, इसको पात्रता की सूची में गलत रखा है, उसको नाम हटाने का भी अधिकार है। रानीवाड़ा के माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, यह इस तरह का नहीं है। इनकी जानकारी लेकर इनको पहुंचा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में करीब तीन हजार व्यक्तियों को राजनीतिक द्वेषता के कारण इन योजनाओं से वंचित रख दिया है और इन तीन हजार लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इनको पुन: सर्वे कर इनके नाम जोड़ने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा अभी बताया है कि पात्रता की अपील करना प्रथम अपील एस डी ओ पर है और इसकी कोई समय सीमा नहीं है, वह कभी भी अपील कर सकता है और निस्तारण एस डी ओ करेगा और एस डी ओ की जांच से सतुंष्ट नहीं होता है तो कलक्टर के यहां सैकिण्ड अपील हो सकती है।

दूसरा, यह कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, पात्रता स्वयं व्यक्ति, पात्र व्यक्ति खुद की अपील पर ही पात्रता की श्रेणी की अपील कर सकता है, सामूहिक रूप से नहीं की जा सकती। इसलिए जो-जो व्यक्ति पात्र हैं, वह समझें हम पात्र हैं, हमको वंचित रखा गया तो निश्चित रूप से उपखण्ड अधिकारी को अपील दें और अपील करके अधिकारी उसका निस्तारण करेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, पूरक प्रश्न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं यह राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2 अक्टूबर, 2013 को लागू हुई और उसके आधार पर पूरे प्रदेश में लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का चयन हुआ। यह नियमानुसार हुआ, नियम के मुताबिक हुआ, लेकिन आपने आने के बाद में 19.8.2014 को अपनी मनमर्जी से उन नियमों में संशोधन कर दिया, उन मापदण्डों में संशोधन कर दिया और उस संशोधन के कारण से प्रदेश के लगभग 90-95 लाख लोग, जो इस योजना से लाभान्वित होते थे, वह लोग वंचित हो गये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, कि क्या पहले जो नियम थे, वह कानून के विपरीत बनाये गये थे तो उसके लिये तो कौन दोषी है, उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? और अगर वह दोषी नहीं थे और नियम सही थे तो आपने संशोधित करके प्रदेश के लगभग 95 लाख, एक करोड़ लोगों को इस खाद्य सुरक्षा गारण्टी अधिनियम की इस योजना से लाभान्वित होने से बचाया, इनके लिये कौन दोषी हैं? उन 95-96 लाख लोगों को आज यह खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है, इसके लिये कौन दोषी हैं? दोनों में से एक दोषी जरूर हैं मंत्री महोदय। या तो जिन्होंने अधिनियम की पालना सुनिश्चित सही तरीके से नहीं की, गलत चयन हो गये तो उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? आपने यहां आने के बाद में केवल टास्क फोर्स गठित कर दी, जांच कमेटी बैठा दी, निर्णय आ जाएगा। खाली टास्क फोर्स गठित करने और जांच कमेटी बैठाने से आगे भी बढ़ोगे? 95-96 लाख लोगों को आपने वंचित कर दिया।

श्री अध्यक्ष: हो गया, विराजें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): और अगर बिना नियमों के वंचित कर दिया अगर किसी ने गलत दे दिया था तो उनको बता दो कि इन-इन लोगों ने नियमानुसार नहीं किया, उनके खिलाफ हमने यह कार्यवाही की है। आपकी जो पोस मशीनें हैं न, इनका अंगूठा सही नहीं चल रहा है माननीय मंत्री महोदय, इसकी वजह से काफी लोगों को खाद्य सुरक्षा गारण्टी अधिनियम का लाभ नहीं मिल रहा है। यह आपकी पोस मशीनें फर्जी हैं, इनके आधार पर लोगों को वंचित करने की साजिश चल रही है। इसको कब तक आप समाप्त कर दोगे, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले विधायक ने चिन्ता जाहिर की है। इनको चिन्ता ही नहीं, अपने गिरहबान में झांककर देखें कि टास्क फोर्स कमेटी पूर्ववर्ती सरकार के समय से गठित थी। हमने नहीं गठित की। टास्क फोर्स कमेटी हमेशा गठित रहती है, यह आपकी जानकारी में बताऊं। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने, पूर्ववर्ती सरकार ने आनन-फानन में पूरे हिन्दुस्तान के लिये एन एफ एस लागू हुआ था। राजस्थान ने सबसे पहले बिना पात्रता के चयन किये, बिना मापदण्ड देखे, खाली राजनीतिक लाभ लेने के लिये 02 अक्टूबर, 2013 को ..(व्यवधान) आप सुन लो बात। एक-एक चीज का जवाब दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फिर अब आपने क्या कार्यवाही की? अगर बिना नियमों के, बिना मापदण्ड के किये तो उन अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? और अगर नियमानुसार किये तो आपने किस कानून के तहत उनको वंचित रखने का काम किया है? (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप बैठिये। मैं सक्षम हूं। एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो यह सीधा सा हमको कह रहे हैं कि एक करोड़ घटा दिये। अब सुनने की स्थिति में रहो न, एक करोड़ आपने जोड़े थे न, आपने किन लोगों को लाभ दिया? यह टास्क फोर्स कमेटी आपकी गठित की हुई है। यह 17.7.2013 को ....(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 17.7.2014 को .... (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप सुनो, आ रहा हूं, वहां भी आ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): और नियम विरुद्ध हटाये हैं 96 लाख लोगों को। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप सुनने की क्षमता रखो। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा जवाब दूंगा, पूरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इनकी जन्म-पत्री बता दो। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तैयारी से आता हूं ऐसे नहीं आता हूं। डिबेट कर लो चाहे एक घंटे विभाग पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, 17.7.2013 को माननीय ए.सी.एस., तत्कालीन चीफ सैक्रेट्री की अध्यक्षता में जब यह पंचायत राज के ए.सी.एस. थे, माननीय सी.एस. राजन जी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई। उसके बाद हमने दूसरी उस कमेटी की मीटिंग की 15.07.2014 को, इस कमेटी का अध्यक्ष है मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर विकास आवासन, यह उनके सदस्य हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास, ये सदस्य हैं, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास, पंचायत राज विभाग, ये भी सदस्य हैं, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग सदस्य हैं। (व्यवधान) सुन लो आप। प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, ये सदस्य हैं, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, आयुक्त, मिड डे मील निदेशक, जनगणना विभाग, आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सवाल है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरा सवाल यह है कि कानून के मुताबिक दिया या नहीं दिया पहले वाली सरकार ने। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह अध्यक्ष तय करेंगे, आप कौन होते हो बीच में कहने वाले? सुन लो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अगर नियम के विरुद्ध दिया तो उनके खिलाफ कार्यवाही करो। अगर आपने नियम विरुद्ध नाम एक करोड़ लोगों के काटे हैं तो इनके खिलाफ कार्यवाही करो।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर डोटासरा, नहीं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कोई नियम विरुद्ध नहीं काटे हैं, पुरानी कारस्तानियों को बाहर निकाला है। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित हुई है और सारे, इसमें प्रिंसिपल सैक्रेटरी और एस.सी.एस. सभी विभागों के हैं। इन्होंने क्या-क्या मापदण्ड रखे हैं, किन-किनको समावेश किया है, किन-किन को निष्कासित किया जाए, शहरी में किनको लिया जाए, ग्रामीण में किसको लिया जाए, 53 परसेंट शहरी आबादी एन.एफ.एस.ए. के, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम केन्द्र सरकार देता है और 70 परसेंट आबादी ग्रामीण क्षेत्र की लेता है, यह पूरे राजस्थान में।

एक जानकारी आपको और बताता हूं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कोई जिले की नहीं, तहसील की नहीं, यूनिट माना है पूरे राज्य को। इस पूरे राज्य की यूनिट के अनुसार पिछली बार जब आपने ये निष्कासन और इनके सुनाऊं क्या-क्या मापदण्ड हैं? बहुत लम्बा समय हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: शार्ट कर दीजिए, शार्ट कर दीजिए जवाब। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके खाद्य मंत्री तो अभी तक जेल में हैं, वो बाहर आये ही नहीं। (व्यवधान) बाबूलाल जी नागर अभी जेल में ही हैं, वो वापस आये ही नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न चल रहा है, इसके बाद में दूसरा प्रश्न लूंगा।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जो माननीय सदस्य बता रहे हैं न उसी कारण हम पारदर्शिता लाये हैं इस विभाग के अन्दर। अब आप सुन लो ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री जी, एक करोड़ लोगों को बाहर क्यों किया, किस नियम के तहत किया? मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कमेटी के नियम हैं ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कौन अधिकारी दोषी हैं जिन्होंने एक करोड़ लोगों को इस योजना के लाभ से वंचित किया?

श्री अध्यक्ष: गोविन्द सिंह जी, अब आप उठेंगे नहीं। गोविन्द सिंह जी, गोविन्द सिंह जी, अब आप उठेंगे नहीं ...(व्यवधान) सारा एक्सपंज कर दूंगा आपका।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वो आप लोगों ने गलत लोगों को, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसमें जुड़वाया।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपके पार्टी के कार्यकर्ता थे।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप लोगों ने पूर्ववर्ती सरकार में उस व्यक्ति के साथ अन्याय किया। जिसमें व्यक्ति पात्र था वो वंचित किया और जो अपात्र था उसको आपने जोड़ा।

श्री अध्यक्ष: अगला पूरक प्रश्न। श्री जोगाराम। अगला पूरक प्रश्न, श्री जोगाराम। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): और ऐसा गलत काम करने वाले आजकल जेल में हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की, वो तो बताओ। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वो जेल में चले गये जेल में। (व्यवधान) वो लोग तो जेल में चले गये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारे समय में ...(व्यवधान) तो उन अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? एक करोड़ लोगों को, एक करोड़ लोगों को इस योजना से वंचित करने का काम किया है आपकी सरकार ने।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जिसने किया वो जेल में हैं जेल में ... (व्यवधान) वो कर दिया वो जेल में हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री डोटासरा जी ...(व्यवधान) नहीं, एक्सपंज करा दूं मैं आपका? अब अगर एक भी शब्द बोले तो सारा एक्सपंज करा दूंगा। बार-बार खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान) नो, नो, नो।

आपको मैं एक बात कहता हूं। यहां एक व्यवस्था है, इनको मैंने पूरक प्रश्न का अवसर दिया, उसका जो जवाब आयेगा वो ही सुनना पड़ेगा, ये गलत वो गलत, वो नहीं होगा। और अब मैंने इसीलिए कह दिया, बार-बार उठकर और ...(व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं पूरा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं। हां, मिस्टर जोगाराम।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अब नहीं, नहीं, ठीक है, जोगाराम जी दूसरा सवाल करेंगे। मिस्टर जोगाराम। (व्यवधान) तीन से ज्यादा नहीं हो सकते।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 10 के तहत चयनित गृहस्थी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कितनी कीमत पर क्या-क्या सामग्री या गेहूं वितरण किया जा रहा है? राजस्थान प्रदेश में हर माह कुल कितने क्विंटल गेहूं वितरण किया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): टाइम पास करना है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): टाइम नहीं, मैं सही जवाब दे रहा हूं न अब, टाइम तो आप पास कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, सीधे नहीं, इधर बात करें।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो धारा 10 का इन्होंने वर्णन किया है उसके तहत पात्र व्यक्ति को हम दो रुपये किलो पांच के.जी. पर यूनिट से अन्त्योदय को 35 किलो, पूरे राजस्थान में दे रहे हैं जो पिछली सरकार ने ढाई और तीन किलो देने का काम किया था।

और बताना चाहूंगा कि हमको भारत सरकार से प्राप्त आबंटन, जो इन्होंने पूछा है, कोटा होता है 6 करोड़ 74 लाख 6299 मैट्रिक टन और 6 करोड़ 65 लाख 158 आबंटन हुआ है और 65 करोड़ मैट्रिक टन इसका उठाव हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, श्री शत्रुघ्न गौतम, तीसरा पूरक प्रश्न। उसके बाद आपका मेन प्रश्न।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): मेरे प्रश्न का जवाब आ गया, हुकम।

श्री अध्यक्ष: आ गया। अगला सवाल, श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'।

प्रदेश के सहकारी बैंकों में नाबार्ड के दिशा निर्देशानुसार कार्मिकों की नियुक्ति

503. **श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'** (चित्तौड़गढ़): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नाबार्ड द्वारा राज्य में संचालित केन्द्रीय सहकारी बैंकों को व्यवसाय के अनुपात में कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्या एवं कब? दिशा-निर्देशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसरण में वर्तमान में किसी भी केन्द्रीय सहकारी बैंक में पर्याप्त संख्या में कार्मिक उपलब्ध नहीं हैं? यदि हां, तो नाबार्ड के दिशा-निर्देश अनुसार वांछित कार्मिक, सहकारिता विभाग द्वारा अनुमत कार्मिक व वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों की संख्या का वर्गवार, बैंकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नाबार्ड के दिशा-निर्देश अनुसार कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए कोई नीति निर्धारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(मंत्री जी का जवाब जो सदन पटल पर रखा गया।)

राज्य मंत्री सहकारिता (श्री अजय सिंह): (1) जी हां। प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त दिर्शा-निर्देशों में बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक संशोधन के साथ इन्हें अपनाने हेतु उल्लेखित किया गया है। बैंकों की अपेक्षाओं व आवश्यकता के अनुसार कार्मिकों के पद रिक्त हैं।

(3) नाबार्ड के दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत बैंकों की अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक संशोधनों के साथ इन्हें अपनाया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): मैडम, धन्यवाद दे रहा हूं मैं तो अभी।

साहब, मेरे क्वेश्चन का पूरा जवाब आ गया, सैटिस्फाइड जवाब है और मैं मंत्री जी को और रजिस्ट्रार साहब को धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: चलो, अगला सवाल, श्री सुरेश धाकड़।

बनास नदी से बजरी खनन की रायल्टी की अधिक वसूली

504. श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सुरेश धाकड़)

(1) क्या यह सही है कि बनास नदी के खनन की जाने वाली बजरी पर सरकार द्वारा रायल्टी ली जाती है? यदि हां, तो किस-किस वाहन पर कितनी-कितनी राशि किस मानदंड से ली जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि निर्धारित मानदंडों से ज्यादा शुल्क वसूल करने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो गत दो वर्षों में कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया?

(3) क्या सरकार बजरी पर की जा रही अवैध वसूली पर नियंत्रण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु सरकार की क्या योजना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खान (श्री राजकुमार रिणवां): (1) जी हां। बनास नदी में खनिज बजरी के खनन पट्टा हेतु जारी एल.ओ.आई. धारी, जिन्हें अस्थायी कार्यानुमति प्रदान की गई है, के क्षेत्र में निर्मित बजरी पर रायल्टी एवं परमिट फीस विभाग द्वारा वसूली जाती है। बजरी पर वसूल की जाने वाली परमिट फीस की दरें वाहनों में भरी गयी बजरी के वज़न के आधार पर प्रति वाहन नियत है जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है तथा रायल्टी की दरें भी परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध हैं।

(2) जी हां। बनास नदी एल.ओ.आई. क्षेत्र से निर्गमित खनिज बजरी पर निर्धारित मापदंड से ज्यादा रायल्टी एवं परमिट फीस की राशि वसूल करने की गत दो वर्षों में प्राप्त शिकायतों एवं उनके निराकरण हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। विभाग के अधिकारियों एवं तकनीकी कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली की शिकायतों पर समय-समय पर क्षेत्र का निरीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की गयी है एवं आगे भी सतत रूप से की जाती रहेगी, की गयी कार्यवाही का विवरण खण्ड-2 के उत्तर में दिया गया है। इसके अलावा शासन के पत्र दिनांक 09.12.2014, 24.02.2015 व 10.08.2015 की पालना में बजरी एल.ओ.आई. धारकों से क्षेत्र में सीसी टीवी कैमरे एवं तुला यंत्र स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। शासन पत्रों की प्रति परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें यह कहा है कि रायल्टी नियमानुसार ली जा रही है। यह बात ठीक है लेकिन एक डम्पर के अन्दर 30 टन बजरी भरते हैं जबकि बजरी भरने का रूल है 16 टन का। सरकार ने नियम बना रखा है कि 16 टन से आप ज्यादा नहीं भर सकते हो और ठेकेदार वहां कहता है कि आपको 16 टन से ज्यादा लेनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे यहां से आपको रेत नहीं भरने दूंगा। रोड पर चढ़ते ही उसको आर.टी.ओ. वाले पकड़ लेते हैं, दो लाख का जुर्माना वसूल करके उसको बंद कर देते हैं। आपका ठेकेदार मनमाने ढंग से वहां से रायल्टी वसूल करता है। 16 टन के 480 रुपये और प्लस 100 रुपये इनके एक्स्ट्रा चार्ज, 580 रुपये में जो बजरी मिलती थी आज वो साढ़े सात हजार रुपये में मार्केट में मिल रही है, आम आदमी उससे परेशान है।

दूसरा, इसके साथ यह भी पूछना है ...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न कीजिए।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): हां, तो मेरा प्रश्न यही है कि इसमें आपकी दरें तो सही हैं लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है उसकी कोई जानकारी नहीं है और उसकी शिकायतें कोई नहीं, और जो भी शिकायतें होती हैं खानापूर्ति बना करके आठ-दस जनों के नाम लिख दिये इसमें कि इनके किया और कोई जानकारी नहीं पायी गयी। मैं दावे से कहता हूं कि किसी भी जगह रोड पर अगर किसी भी डम्पर को रुकवा लो अगर वो ओवर लोड नहीं हो, तो मंत्री जी इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, जवाब दीजिए।

श्री राजकुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार और अवैध खनन की स्थिति यह है बहुत चेष्टा करने के बाद में कि, 'सपेरा जंगल में बीन लेकर आ गया मगर नाग भी बड़ा कमीना है, वह दूरबीन लेकर आ गया।'

हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी है, अपना पूरा प्रयास किया कि आप देख रहे हैं पांच महीनों में हमने एक इतना बड़ा अभियान चला रखा है, जनवरी में माननीय गृह मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी, चीफ सैक्रेटरी थे, कितने-कितने आप देखिये, 1478 प्रकरण पांच महीनों में हमने किये हैं, जब्त वाहनों की संख्या 1204 है, दर्ज की गयी एफ.आई.आर. 126 हैं, जब्त किये गये औजार 141 हैं, वसूल की गयी शास्ति राशि 3 करोड़ 81 लाख रुपये है।

(श्री राजकुमार रिणवां)

हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है पर ये लोग जाकर, जब भी हम कोई कार्यवाही करते हैं, पीछे में इतनी बजरी की दरें बढ़ गयी थीं, शिकायत आने से सम्माननीय सी.एम. साहब ने एक कमेटी बनायी, बनाकर कलैक्टरों को पावर दे दिया कि हर जिले की दरें आप लोग निर्धारित करेंगे। जब वो दरें निर्धारित करने लगे तो जो एल.ओ.आई. धारक थे वो सब जयपुर हाई कोर्ट में चले गये, जयपुर होई कोर्ट ने खारिज कर दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट चले गये और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्टे दे दिया। अब हमारी तो मजबूरी है, जब कोर्ट का स्टे आ गया तो हम उनमें इन्टरफियर नहीं कर सकते बाकी फिर भी हमारा पूरा प्रेशर है। आपको बताएं कि जो यह बनास नदी 15 तहसीलों से निकलती है इनमें हमने 15 एल.ओ.आई. जारी की थी, उनमें तीन जगह वो बंद है, हो नहीं रहा है, उसमें भी हमने इतना प्रेशर किया कि 9 ई.सी. वो लोग ले आए हैं, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। अब जो नयी पालिसी आ रही है।

श्री अध्यक्षः प्रश्नकाल समाप्त। सपेरे की बीन को जरा मजबूत कीजिए।

(12.00 बजे)

अनुपस्थिति अनुमति

डा. बी. आर. चौधरी, को 29 फरवरी, 2016 से सत्रांत तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि डॉ. बी.आर. चौधरी, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 29 फरवरी, 2016 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से तहसील राजगढ़ के किसानों की खरीफ फसल के बीमा की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

2. श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा पालीटैक्नीक परीक्षा केन्द्र पुनः निजी कालजों को सुपुर्द करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय में डिग्रियों की प्रिंटिंग में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में।

4. श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से जिला बीकानेर में दलित छात्रा के साथ शारीरिक शिक्षक द्वारा बलात्कार कर हत्या करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से जिला बीकानेर में दलित छात्रा के साथ शारीरिक शिक्षक द्वारा बलात्कार कर हत्या करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

6. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से राजस्थान खेल नीति के अन्तर्गत खिलाड़ियों के जमीन आबंटन हेतु लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में।

7. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांचौर में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8. श्री गिर्राज सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में अत्यधिक यातायात दबाव से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती शकुन्तला रावत, श्री सुखराम विश्नोई एवं श्री गिर्राज सिंह को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. मास्टर मामन सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र तिजारा में बाइपास रोड बनाने हेतु अवाप्त की गई भूमि पर शीघ्रातिशीघ्र सड़क बनवाने व किसानों को मुआवजा राशि दिलाए जाने के सम्बन्ध में।

38] नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त-05 अप्रैल, 2016-विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(श्री अध्यक्ष)

2. श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से नादौती-सवाई माधोपुर चम्बल पेयजल परियोजना का कार्य तीव्र गति से पूर्ण कराए जाने के सम्बन्ध में।

3. श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 75 से 100 बैड में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

4. श्री हीरालाल दरांगी, सदस्य की ओर से मीना-मीणा विवाद के कारण विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल फलासिया के अनुसूचित जनजाति के आदिवासियों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आ रही परेशानी के सम्बन्ध में।

5. श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से प्रदेश में नीलगाय/रोजड़ों से किसानों को हो रही परेशानियों के सम्बन्ध में।

6. श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से प्रदेश के कल्प वृक्ष खेजड़ी को लुप्त होने से बचाने व पर्यावरण की रक्षा करने के सम्बन्ध में।

7. श्री ललित कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में मनाये जाने वाले फूल डोल उत्सव को पर्यटन विभाग के कलेण्डर में शामिल किए जाने के सम्बन्ध में।

8. श्री सुखाराम, सदस्य की ओर से मेड़ता में अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

9. श्री खेमाराम, सदस्य की ओर से सुजानगढ़ नगर परिषद में होटल वैलकम में अवैध रूप से बीयर बार का लाइसैंस दिये जाने के सम्बन्ध में।

10. श्री शुभकरण चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के बालाजी स्टैण्ड, खींवासर में 132 के.वी. जी.एस.एस. स्थापित करने के सम्बन्ध में।

11. श्रीमती सोना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के मसीतावाली हैड, सूरतगढ़ ब्रांच व गंगनहर की एफ.एफ.ए. माइनर के टेल स्थित क्षेत्र में किसानों को सिंचाई के लिए पूरा पानी नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से तहसील व नगरपालिका क्षेत्रों में नया किराया कानून लागू करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाएं आज पढ़ी हुई मानी जाएंगी।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

पर्ची

आज दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को शून्यकाल में बोलने हेतु 59 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

	नाम माननीय विधायक	**विषय**
1.	डा. फूलचन्द भिण्डा	यमुना के बाढ़ के पानी को राजस्थान में लाने की योजना बनाकर जल सुविधा बढ़ाने के सम्बन्ध में।
2.	श्री राजेन्द्र गुर्जर	बीसलपुर बांध के विस्थापितों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में
3.	श्री विद्याशंकर नन्दवाना	इटावा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
4.	श्रीमती अंजु देवी धानका	बस्सी कस्बे में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय...।

श्री अध्यक्ष: जिस विषय पर आपने दिया है उस पर 2-3 आ चुके हैं और माननीय गुलाब जी कटारिया उस पर आश्वासन भी दे चुके हैं। बार-बार उसको यहां रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। पुख्ता कार्यवाही उस पर हो रही है। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, दलित का मामला है ...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): दो मिनट साहब। छोटा सा मामला है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा कि यह मुद्दा छोटा नहीं है। यह बड़ा मुद्दा है। जब एक विषय पर पूरी विधान सभा को आश्वस्त कर दिया गया कि उस पर बिलकुल पुख्ता कार्यवाही हो रही है। उसमें फिर आप रोज-रोज स्थगन प्रस्ताव लाते हैं ...(व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में इस बात को लेकर चर्चा है ...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): दो मिनट दे देते आप। किसानों से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय दे दें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइए। एक मिनट नहीं, बहुत पुख्ता आश्वासन दिया जा चुका है गृह मंत्रीजी की ओर से। उसको रोज बार-बार करके असेम्बली को इन्वेस्टीगेशन एजेंसी मत बनाइए। बैठिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: हां, हां, तो उसका आश्वासन दे चुके हैं। एक शब्द अंकित नहीं हो। यह क्या मजाक बना रखी है। आप बैठिये भंवर सिंह जी, आप बैठिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाएं। एक भी शब्द अंकित नहीं हो। गम्भीर है, आ चुका है। उस पर आश्वासन आ चुका सरकार का। आप बैठ जाइए ...(व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: शकुन्तला जी रावत। रोज-रोज असेम्बली को इन्वेस्टीगेशन एजेंसी बनाना चाहते हैं। क्या मतलब है यह? शकुन्तला जी रावत।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

खिलाड़ियों के जमीन आबंटन हेतु लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के तहत निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान की खेल नीति बनी हुई है। जो कि खिलाड़ी को अगर वह राजस्थान का निवासी है और वह

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

खिलाड़ी यदि ओलंपिक, एशियाड या कामनवैल्थ इनमें भारत देश का प्रतिनिधित्व करता है या मैडल जीतता है तो सरकार उसको नहरी सिंचित क्षेत्र में तथा आवासीय क्षेत्र में जमीन आबंटित करती है। अन्य शुल्क सम्बन्धी सुविधाएं भी दी जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय, ऐसे खिलाड़ी राजस्थान की पहचान बनाते हैं। राजस्थान का नाम रोशन करते हैं। इनको प्रोत्साहन देने हेतु जो खेल नीति बनी हुई है, उसका समयबद्ध तरीके से पालन होना चाहिए लेकिन ऐसा वर्तमान में नहीं हो रहा है। सरकार के खेल विभाग में मेरे सम्पर्क में 4-5 महिला खिलाड़ी सम्पर्क में आई हैं, जिन्होंने जमीन आबंटन के लिए फाइल भी लगा रखी है, वह 2 वर्षों से सरकार के पास लम्बित पड़ी हुई है। ऐसे में खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में जो नाम रोशन किया और फिर ऐसे परिणाम आते हैं तो इनसे उनका मनोबल डाउन होता है। उनको प्रोत्साहन सम्बन्धी समस्त प्रावधान खिलाड़ियों के हित में तथा उदीयमान खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु उचित समयानुसार आदेशों की पालना होनी चाहिए। ऐसी जितनी भी फाइल लम्बित हैं, उनका निस्तारण होना चाहिए।

पड़ौसी राज्य जो हरियाणा है, लगता हुआ है, वहां खिलाड़ियों को करोड़ों में राशि दी जाती है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपने यहां पर भी राजस्थान सरकार ऐसी ही पहल करे। जो भी लम्बित प्रकरण हैं उनका निस्तारण करे।

श्री अध्यक्ष: आपस में बात नहीं करें। अपने-अपने स्थान पर बैठें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): प्रत्येक ग्राम पंचायतों में भी जैसे अभी नये-नये नियम बनाए तो खेल मैदान बनायें, जिससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा और अपना नाम होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे यहां चाहे किसी भी योजना के तहत, देवनारायण योजना के तहत जहां जमीनें पड़ी हुई हैं सरकारी, वहां पर खेल मैदान बनाने का प्रावधान रखें, जिससे कि खेल को बढ़ावा मिल सके। हमारी कई ऐसी बड़ी-बड़ी पंचायतें और कस्बे हैं, वहां पर बनाये जाने का प्रावधान होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को नए संवत की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

श्री अध्यक्षः विराजें, विराजें। ध्यानाकर्षित कर लिया। श्री सुखराम विश्नोई।

सांचौर में गंदे पानी की निकासी

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 50 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर को बने हुए करीब 40 साल हुए हैं, परन्तु सीवरेज नहीं होने से गंदा पानी वार्ड नम्बर 4, 5, 24, 25 पूरे में फैला हुआ है।

श्री अध्यक्षः मैं भी घूमा हुआ हूं वहां पर बहुत।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): वहां पानी फैला हुआ होने से मच्छर पैदा होते हैं और उससे मलेरिया फैलता है।

उससे दूसरी और बीमारियां होती हैं। हमने कई बार निवेदन किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो सांचौर विधान सभा क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है उसको सीवरेज बनाने के लिए पैसे मंजूर किए जाएं ताकि जो गंदा पानी है माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन-चार ट्यूबवैल भी नगरपालिका ने खोदे परन्तु ट्यूबवैल में वह गंदा पानी जा नहीं सकता है जब तक निकासी का कोई साधन नहीं हो, वहां ट्यूबवैल से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। वहां ट्यूबवैल के अलावा दूसरी व्यवस्था की जाए ताकि गंदा पानी बाहर निकले, लोग निजात पा सकें, रात को वहां सो नहीं सकते, रास्ते पानी से भरे हुए हैं, घरों के चारों तरफ पानी फैला हुआ है इससे निजात दिलाने की व्यवस्था की जाए।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी, आप रेस्पोंड करेंगे क्या?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय मंत्रीजी।

श्री अध्यक्षः यदि वह नहीं कर रहे हैं तो आप व्यक्तिगत मिल लीजिए, समस्या का हल हो जाएगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है।

श्री अध्यक्षः सांचौर में।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सांचौर में नालियां तो बनी हुई हैं लेकिन जो मेन ड्रेन होना चाहिए वह मेन ड्रेन नहीं है। इससे सांचौर के जो साउथ का इलाका है वहां तो पानी नालियों से जाकर, प्राकृतिक संसाधनों से रण आफ कच्छ में चला जाता है। दूसरा जो

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इलाका है, साउथ का इलाका है, उसका कोई निदान नहीं है, केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अभी 2015-16 में एक रिपोर्ट बनाई है, डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट 110 करोड़ रुपए की, वह केवल स्ट्रोंग वाटर की और गंदे पानी की है, मैं समझता हूं कि सांचौर की आबादी 2011 में 35 हजार की थी। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कई डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट देखने का सौभाग्य मिला है, लेकिन यह डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट जो मैंने देखी है वह बड़ी अजीब है और मुझे लगता है कि वह ठीक नहीं है क्योंकि 35 हजार की आबादी पर 110 करोड़ रुपए का केवल ड्रेन सिस्टम बने तो इसका मतलब है कि जयपुर के लिए ड्रेन सिस्टम बनाना पड़े तो साढ़े बारह हजार करोड़ रुपए चाहिए इसलिए मैं समझता हूं कि यह ड्रेन सिस्टम की जो डीपीआर बनी है वह सही नहीं बनी है और सांचौर के लिए आपके राज में जो प्रोग्राम चलता था यूआईडीएसएसएमटी, जो छोटे शहरों के लिए था, मुझे नहीं पता कि उसमें सांचौर शहर को क्यों नहीं लिया गया? अब मैं देखता हूं कि जो डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनी है, इस डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट को हम दिखवाएंगे और इसको ठीक कराने के बाद में टुकड़े-टुकड़े में किस प्रकार से वहां पर स्ट्रोंग वाटर, गंदे पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था की जा सकती है इसकी चिंता करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सांचौर नगरपालिका की इनकम उतनी इस बार 11-12 करोड़ की होगी, सांचौर की नगरपालिका की इनकम और बाकी किसी संसाधन के साथ में या हुडको से लोन लेने के बाद में इस प्रोजैक्ट रिपोर्ट को और ठीक करने के बाद किस प्रकार से आपके इस पानी की व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री गिर्राज सिंह।

बाड़ी में अत्यधिक यातायात से आमजन को परेशानी

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में जो ट्रैफिक की समस्या है, बाडी सिटी है वह आजादी के बाद से जो पुरानी रोडें हैं वह वही पुरानी चली आ रही हैं, ना तो वहां पर कोई बाइपास की सुविधा है, न कोई निकलने के लिए रास्ता है वहां पर एक रेलवे क्रोसिंग भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़ी में आप रिंग रोड बनाएं और बाड़ी की ट्रैफिक की समस्या है, कहीं पर भी अगर दुर्घटना हो जाती है तो टाइम पर

(श्री गिर्राज सिंह)

वहां पुलिस नहीं पहुंच पाती है और जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी समस्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बाड़ी की जनसंख्या आजादी के आस पास आठ-दस हजार थी, आज एक लाख से ऊपर तो हमारे बाजार की जनसंख्या हो गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें बाड़ी से जाने वाले वाहन हैं जो आगरा की साइड में यूपी में भी जाते हैं, इधर अपने भरतपुर जाने के लिए भी रास्ता वही है तो उसके लिए माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस समस्या का समाधान करें यह हमारे यहां बहुत बड़ी समस्या है, आए दिन बाजार में जाम लगा रहता है और मैंने आपको खूब लिखकर भी दिया है, मंत्रीजी, मैं आपसे व्यक्तिगत पहले घर पर भी एक बार मिलकर, लिखकर देकर आया था, हमारे एमपी साहब ने भी आपको लिखकर दिया है कि बाड़ी की सबसे मेन समस्या ट्रैफिक की है। हरदम जाम लगा रहता है, ऐसी कोई समस्या का समाधान निकालें, वहां पर कोई बाइपास बनाएं या जो आधा बाइपास हमारा जो नया निकला हुआ है, आप उस अधूरे बाइपास को पूरा कराएं और जो हमारी बाड़ी की समस्या है, उसका माननीय मंत्रीजी, आप समाधान करें और लोग आंदोलन करेंगे, यह मजबूरी है हमारी, हमारी मजबूरी यह है कि हरदम अगर कोई घटना हो जाती है तो वहां पर हम समय पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, हरदम जाम की स्थिति रहती है। आपके पास काफी लोग आते हैं, आपकी पार्टी के लोगों ने भी यही मांग रखी है, जो बीजेपी के हमारे कार्यकर्ता हैं हमारी बाड़ी के, धौलपुर जिले के...

श्री अध्यक्ष: समस्या है, माननीय मंत्रीजी से मांग करें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): समस्या है, सभी ने समस्या के लिए उन्होंने भी मांग की है, मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि आप इस पर कोई न कोई जवाब दें, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप माननीय मंत्रीजी से जवाब दिलाएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, जवाब दीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह बात सच है कि बाड़ी में यातायात पुलिस की कोई स्वीकृत नफरी नहीं है लेकिन फिर भी विभाग ने पिछले 6.5.15 से एक एएसआई और छह कांस्टेबल केवल बाड़ी की यातायात व्यवस्था के लिए ही हमने लगाए हैं, स्वीकृत नफरी न होते हुए भी हमने अपनी तरफ से यातायात व्यवस्था को सुचारु चलाने के लिए 6 प्लस 7 प्लस

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

1, 1 एएसआई ओर 7 कांस्टेबल लगाएं हैं, इसी तरह से आपका जो कंचनपुर है, बाइजाघ है, सेंपूऊ थाना है इनमें भी स्थानीय पुलिस जो हमारे पास है, यातायात पुलिस तो नहीं है लेकिन उनको लगाकर भी वहां की यातायात व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं और पिछले कुछ महीनों में उसमें सुधार हुआ है ऐसी मेरे पास कुछ रिपोर्ट है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय मंत्रीजी, आपने यह बताया यह तो टेम्परेरी व्यवस्था है और इससे कोई समस्या का हमारी का समाधान नहीं हुआ है, ट्रैफिक तो जैसा का जैसा ही है, यह तो नहीं कि आपने ट्रैफिक वाले लगा दिए आपने एएसआई लगा दिया, उससे ट्रैफिक बंद थोड़े हो गया? ट्रैफिक की समस्या तो यूं ही रहेगी। मुझे जयपुर आना है तो उसी रोड से आऊंगा, उससे समस्या का समाधान नहीं हो गया है, समाधान तो माननीय मंत्रीजी उससे होगा जो रिंग रोड निकलेगी वहां से तब जाकर समाधान होगा, इससे कोई समाधान नहीं होगा कि हमने एएसआई लगा दिया, हमने पांच कांस्टेबल लगा दिए इससे क्या बाजार की आवाजाही बंद हो रही है? मंत्री महोदय, जवाब दें और हम आपको धन्यवाद देंगे यदि आप इसको करेंगे तो।

श्री अध्यक्ष: पहले ही दे दो। माननीय मंत्रीजी।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि बाड़ी में जैसा माननीय गृह मंत्रीजी ने बताया और बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया, वहां के यातायात के दबाव को देखते हुए, यह बसेड़ी की तरफ से जो यातायात आता है, बाड़ी बसेड़ी का और बाड़ी सेपऊ का, उसकी वजह से यातायात का दबाव, इससे हालांकि पहले साढ़े पांच किलोमीटर एक आपके बाइपास जो एनएच 23 नया बना है उसका बाइपास बना है लेकिन उसके बावजूद भी उसके बांई तरफ तो जो ट्रैफिक आता है उसकी वजह से वहां आवश्यकता है इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इन तीन जिलों के लिए विशेष रूप से सवाईमाधोपुर, धौलपुर और करौली के लिए हमारे को निर्देशित किया है कि हम वहां जाकर कैम्प करें और इस तरीके की समस्या जो माननीय सदस्य ने बताई है उनका समाधान करें। तीन दिन का हम दौरा करेंगे उस दौरान उसको देख लेंगे, माननीय सदस्य को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने जो आवश्यकता बताई है उसका सर्वे करके और उचित निर्णय करेंगे।

श्री अध्यक्ष: इनको भी एसोसिएट कर लेना। श्री फूलचन्द भिण्डा। यमुना का पानी, संक्षिप्त में, बहुत बड़ा विषय है लेकिन आज संक्षिप्त कर लें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): संक्षिप्त क्या, यह तो बहुत बड़ा मामला है।

श्री अध्यक्ष: है लेकिन पानी ही तो लाना है। भूमिका बहुत लम्बी है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आप घोषणा करवा दीजिए, मैं तो बैठ जाऊंगा एक मिनट में।

श्री अध्यक्ष: घोषणा तो हो जाएगी। आपने ध्यान खींच लिया लेकिन फिर भी आप पांच दस मिनट में अपनी बात रख दीजिए।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

यमुना के पानी से राजस्थान में जल सुविधा

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में दस परसेंट भूमि है देश की और एक परसेंट पानी है और वह भी कम पड़ता जा रहा है। हम एकाध स्रोत पर ही आश्रित हैं जैसे चम्बल है, बनास है, या बीसलपुर का पानी है, माही डैम है, यह तो इस साइड का क्षेत्र है लेकिन अरावली के उस साइड का जो क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है उसमें पानी अंडर ग्राउंड भी नहीं है और बाहरी स्रोत भी नहीं है, केवल एक स्रोत है यमुना का बाढ़ का पानी, यमुना का जो सामान्य जल है उसमें तो जो राज्य का हिस्सा है वह कई प्रयासों के बाद भी पूरा नहीं मिल पा रहा है लेकिन बाढ़ का पानी ऐसा है जो 39 दिन औसतन पिछले 20 वर्ष का औसत है, 39 दिन तक बाढ़ रहती है यमुना में और वह बाढ़ यूपी को नुकसान करती है, बिहार को नुकसान करती है, बंगाल को नुकसान करती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है, 2200 किलोमीटर तक, सात सौ कोस जिसको बोलते हैं, 2200 किलोमीटर वह बाढ़ जाती है लेकिन अगर उस पानी को राजस्थान में लाया जाए जिसमें झज्जर होकर हरियाणा का झज्जर ऐसा स्थान है जहां पर यह 130 किलोमीटर पानी सतही बहकर आ रहा है, नहरें आ रही हैं और उसको और आगे जब हम लाते हैं। तो 60 किलोमीटर जो वहां एक नहर है जवाहरलाल नेहरू कैनाल हरियाणा में है, उसके समानान्तर उस पानी को अगर 60 किलोमीटर और लाया जाता है तो राजस्थान को टच करता है। उस पानी को फिर वहां नारनौल के रास्ते से लिफ्ट करके, हमारा राजस्थान एक ऐसा बैल्ट है, श्रीमाधोपुर तहसील में थोई, कांवट में एक खारडा है, वह एक अण्डरग्राउण्ड

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

झील ही है, वहीं सुराणा के नाले हैं जो 18 हजार बीघा में नाले ही नाले हैं, इस बिन्दु पर अगर पानी आता है तो वहां से पांचों दिशाओं में, चार दिशा ही नहीं, कार्नर साइड में भी, पांचों दिशाओं में स्वत: ही पानी बहता है। बहता भी थोड़ा-बहुत नहीं है, 10-5 किलोमीटर नहीं बहता, सैकड़ों किलोमीटर बहता है। पहला पानी उत्तर की तरफ अगर हम वापस मोड़ें तो भूचारा बांध आता है। भूचारा बांध सुराणी से होते हुए नालों से होते हुए भूचारा बांध भरने के बाद सोता नाला बहता है जो कोटपूतली, बहरोड़, नीमराना, धारूहेड़ा, धारूहेड़ा से टर्न करके वह पानी तिजारा होता हुआ जो मथुरा नाला है, भरतपुर को पार करते हुए, वहां तक स्वत: बहने की स्थिति में है लगभग 210 किलोमीटर यह स्वत: ही बहेगा यहां आने के बाद में। दूसरा, उसके बाद में जो मंडूसा का ढेर है, अजीतगढ़ के नीचे, कांवट और थोई के नीचे, उसके बाद त्रिवेणी नदी बहती है, जो त्रिवेणी धाम है शाहपुरा में, वहां से साबी नदी निकलती है और साबी नदी निकलकर जवानपुरा बांध भरेगी, जवानपुरा में बांध अभी है, उसके बाद वह शाहपुरा, विराटनगर, कोटपूतली, बानसूर, मुण्डावर और वापस धारूहेड़ा में जाकर मिलेगा। यह भी 160 किलोमीटर स्वत: ही बहेगा। तीसरी जो दिशा है, जिसमें कोई टाइम था जब यहां जयपुर को पानी मिलता था वह भी मानगढ़ होते हुए अमरसर, मनोहरपुर होते हुए बेणीमाधव नदी है उसके माध्यम से जमवारामगढ़ के बांध में पानी आता था उसके बाद ओवरफ्लो होकर वह पानी जाएगा बस्सी तहसील, जमवारामगढ़ तहसील, उसके बाद दौसा जिला, उसके बाद सवाईमाधोपुर की एक तहसील, फिर करौली की एक तहसील, उसके बाद भरतपुर की तीन तहसीलें, उसके बाद फिर वह चम्बल में जाकर गिरेगा। उसका जो चौथा पार्ट है वह एक दिवराला स्थान है, जो आपने सुना होगा, कोई सती का प्रकरण आया था, वह दिवराला होकर नदी आती है, चौमूं के पास वीर हनुमान जी का पर्वत है, जिसको सरकार डवलप कर रही है उसमें बांडी नदी बहती है, जो कालख का बांध है यह भी स्वत: ही बहेगा। कालख बांध में जाने के बाद जब भर जाएगा तो बनास में जाएगा और बनास में मिलकर वह वापस चम्बल में चला जाएगा। उसके बाद जो पांचवां क्षेत्र है वह रींगस की एक नदी निकलती है। रींगस की नदी से वह सांभर झील में जाएगा, श्रीमाधोपुर तहसील, दांतारामगढ़ तहसील, उसके बाद सांभर, 35 किलोमीटर लम्बी सांभर झील भरेगी उस पानी से। वह ओवरफ्लो होगा तो फिर नागौर जिले में पुष्कर की साइड से निकलते हुए नागौर जिले में, जोधपुर जिले में, बाड़मेर जिले में होते हुए गुजरात में

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

जाएगा, लूणी नदी के बेसिन में से होकर जाएगा। इस प्रकार पांचों जगह पानी जाने वाला ऐसा बिन्दु है जिसमें आगे का खर्चा नहीं है। आज हम बीसलपुर का पानी तो ला रहे हैं, लेकिन बीसलपुर का पानी लाने की प्रति लीटर कोस्ट क्या आ रही है, लिफ्ट करने की। इसमें लिफ्ट का सिस्टम नहीं है, केवल वह पानी 60 किलोमीटर लिफ्ट होगा। राजस्थान में व्यापक स्कोप है, बंजर भूमि है, नाले हैं तो हजारों की संख्या में छोटे-छोटे टीलों के बीच में झीलें बन जाएंगी, तालाब बन जाएंगे और पानी रिचार्ज हो जाएगा, अण्डरग्राउण्ड रिचार्ज हो जाएगा। मैं दावे का साथ कह सकता हूं जो मैंने 13 जिले बताये हैं, अगर यहां पानी लिफ्ट हो जाएगा, जो खर्चा आएगा, जो एस्टीमेट हम बनाएंगे उसका खर्चा आएगा, अगले 5 साल में पीने के पानी पर खर्च हो रहा है उन क्षेत्रों में उसी से पाइंट आउट हो जाएगा, उसी से वर्क आउट हो जाएगा, उस एक्सपेंडिचर को मीट-आउट हम कर लेंगे। ऐसी स्कीम जो बिलकुल इकोनोमिकल है, व्यावहारिक है, उससे 13 जिलों को पानी मिलेगा वरना राजस्थान के लिए हम कितना चम्बल का पानी ला पाएंगे, कितना बीसलपुर का पानी ला पाएंगे। इस प्रकार की जो स्थिति है उसके लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं। एक और क्षेत्र रह गया।

श्री अध्यक्ष: ध्यान आकर्षित कर लिया।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): वह पानी नारनौल के रास्ते से खेतड़ी, झुंझुनूं, चूरू, नागौर होकर जोधपुर तक उसी सैक्टर में जाएगा। इस प्रकार की व्यावहारिक स्थिति किसी भी परियोजना की नहीं हो सकती इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके कारण से भूगर्भ का जल भी आएगा। अभी तो हम फ्लोराइड का पानी पीते हैं क्योंकि लाखों वर्षों से जमीन में भरा हुआ पानी निकाल रहे हैं बहुत नीचे से, लेकिन स्वत: जो पानी यमुना का होगा उसके कारण से फ्लोराइड की समस्या भी दूर हो जाएगी, हैण्ड पम्प से भी पानी आ जाएगा। ऐसी स्कीम पर सरकार विचार करे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): दो मिनट और बोलूंगा। मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि एक संकल्प पारित करके भारत सरकार को लिखे कि हरियाणा से जमीन लेकर हमें यह रास्ता दें। हमें केवल रास्ता चाहिए हरियाणा के अन्दर से पानी के लिए। इस प्रकार का संकल्प पारित करके

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

भारत सरकार को भेजा जाय तो निश्चित तौर पर राजस्थान की जो पानी की समस्या है वह दूर हो सकती है, इतना मेरा निवेदन था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सिंचाई मंत्रीजी, आप कुछ रेस्पोंड करेंगे? नहीं। ठीक। श्री राजेन्द्र गुर्जर। बीसलपुर बांध के...(व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): जवाब दिला दीजिए, डीपीआर की बात तो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बात कर लेना आप। आप भी विद्वान आदमी हो, वह भी विद्वान आदमी हैं। दोनों ही आपस में बात कर लेना। श्री राजेन्द्र गुर्जर।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस पानी के लिए पहले चम्बल की योजना बनी थी पानी लाने के लिए।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, बैठिए। बिलकुल नहीं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आज इतना बड़ा इण्डस्ट्रियल एरिया डवलप कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। आप विराजिए प्लीज।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): मंत्रीजी यह बताएं, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो वह बता दें।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। उनको बोलने का अधिकार था, उन्होंने बोल लिया। अब आप विराजिए। आप अपनी तरफ से दीजिए। विषय अपनी तरफ से उठाइये। (व्यवधान) बैठिए। बैठ जाइये। श्री राजेन्द्र गुर्जर।

बीसलपुर बांध के विस्थापितों को मूलभूत सुविधाएं

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बीसलपुर बांध बना था। वहां से जो किसान विस्थापित हुए थे, उनको बसाया गया था तो उस समय उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गयीं। वहां पर रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी के लिए पाइपलाइन डाली गयी थी वो भी टूट गई। सिंचाई विभाग द्वारा वहां कुछ क्षेत्रों में रोड्स बनी थीं, वे भी टूट चुकी हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि उन सड़कों को दुबारा मरम्मत के लिए या तो पैसा आबंटन किया जाय या फिर पीडब्ल्यूडी को स्थानान्तरित किया जाय ताकि वापस सही रोड बनें। वहां इतने गहरे गड्ढे हो गये, कई दुर्घटनाएं हो गईं और दुर्घटना में कई लोग घायल हो

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

गये। जिन लोगों को वहां पर बसाया गया था उनको सभी प्रकार का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक उनको कोई सुविधाएं नहीं हैं। बस भी वहां जाती नहीं, बच्चों को पढ़ने के लिए केकड़ी या देवली जाना पड़ता है। उनके लिए साधन की व्यवस्था इसलिए नहीं है कि वहां रोड ही नहीं है। कई लोगों को पट्टे ही नहीं दिये गये। उनको बसा तो दिया, लेकिन उनकी जो मूलभूत सुविधा राशन, पानी जो भी है, लाइट भी नहीं ले सकते, कनेक्शन भी नहीं ले पाते। रावथा मेरा क्षेत्र है, भगवानपुरा है, वहां पर किसानों को उसका भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि उनको जो सुविधाएं देनी चाहिए वह उनको नहीं मिल पा रही हैं।

एक मेरे कमाण्ड क्षेत्र में आने वाली जमीन है, जो सिवाय चक जमीन है उसका आज दिन तक आबंटन नहीं किया गया। हालांकि उन पर लोग बसे हुए हैं, किसान अपनी खेती भी कर रहे हैं। अगर उस जमीन का आबंटन कर दिया जाय, जबकि राजस्थान में सब जगह कर दिया गया है। देवली-उनियारा विधान सभा क्षेत्र में नहीं किया गया है। अगर उसको कर दिया जाय तो उससे हमको राजस्व भी मिलेगा और किसान बार-बार पैनल्टी देता है, उसको डर बना रहता है कि पता नहीं, क्या होगा। बसा हुआ है, खेती भी कर रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस पर आबंटन किया जाय तो किसानों को राहत मिले।

जो हमें पहले मुआवजा दिया गया था उसमें कई लोग मुआवजे से वंचित हैं। कुछ जमीन आवंटित करनी थी, लेकिन कई किसान बाहर कमाने-खाने चले गये, 2007 तक इसमें टाइम था वह टाइम क्रोस हो गया। हम चाहते हैं दोबारा से टाइम बढ़ाया जाय ताकि जो किसान वंचित हैं उनको दोबारा उस जमीन का अवार्ड मिले और अवार्ड लेकर अपनी जमीन खरीद सकें। कई का मुआवजा तो आज तक नहीं मिला। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि उनको मुआवजा दिलाया जाय। 2007 तक का जो समय दिया था उसके बाद वे आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहीं कलक्टर को लिखा, सबको अवगत करा दिया, मंत्रीजी को भी अवगत कराया है। मेरा ऐसा मानना है कि इसको जल्दी 2007 की डेट बढ़ा दी जाय तो उनको वह जमीन आबंटित हो जाय। वह शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां विद्यालय भी क्रमोन्नत हो। मैं चाहता हूं जो डूब क्षेत्र है वहां शिक्षा की बहुत

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

समस्या है। जब उनको बसाया गया था तो उनके घर उजड़े हुए थे। वे पूरे क्षेत्र को, राजस्थान को पानी पिला रहे हैं, जयपुर, अजमेर, टोंक, चार-पांच जिलों को पानी पिला रहे हैं। उनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से इतना ही कहना है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। श्री विद्याशंकर नंदवाना। इटावा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना।

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं थोड़ा। राजस्व मंत्री जी बोल रहे हैं साहब।

श्री अध्यक्ष: अच्छा तो ठीक है। राजस्व मंत्रीजी, आप दे रहे हैं? वो दे ही नहीं रहे हैं। श्री नन्दवाना। अब विराजो।

इटावा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां आपका ध्यान इस देश की ओर, जो कृषि प्रधान देश कहलाता है, दिलाना चाहता हूं। यहां राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में जो हमारी प्रगति होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। छोटे प्रदेश पंजाब और हरियाणा में हमसे ज्यादा कृषि में प्रगति हुई है और इसका प्रमुख कारण इन दो राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में कृषि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं। राजस्थान में जहां मात्र 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं जो जोबनेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा में स्थित हैं। इन कृषि विश्वविद्यालयों में जोबनेर के अधीन राजकीय व निजी 8 कृषि महाविद्यालय, जोधपुर के अधीन 3 कृषि महाविद्यालय नागौर, सुमेरपुर और मण्डोर में हैं, उदयपुर के अधीन एक कृषि महाविद्यालय, बीकानेर के अधीन 11 राजकीय और निजी महाविद्यालय कार्यरत हैं जबकि कोटा महाविद्यालय के अन्तर्गत सवाई माधोपुर के राजकीय महाविद्यालय में कृषि संकाय खुला हुआ है एवं झालावाड़ में उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय है।

मान्यवर, राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार 2 मई, 2013 को कोटा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जिसकी विधिवत स्थापना 14.9.2013 को की गई। इस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, करौली व सवाई माधोपुर सहित छह जिले आते हैं। इन दो वर्ष की स्थापना के बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय कृषि मंत्रीजी का मैं यहां आभार व्यक्त

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

करना चाहूंगा कि उन्होंने इस महाविद्यालय को पूर्णकालिक कुलपति व पूरे बजट की व्यवस्था की है लेकिन आज भी पूरा स्टाफ भरने की व अन्य प्रक्रियाओं को प्रारम्भ करने में यह विश्वविद्यालय आगे नहीं बढ़ पाया है। यहां एक विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कृषि, इंजीनियरिंग, डेयरी, फूड साइंस, गृह विज्ञान, पशु विज्ञान, कृषि प्रबन्धन जैसे विषय महाविद्यालय में खोले जाने सम्भव हैं लेकिन इसके लिए कोई प्लान तक भी तैयार नहीं किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा-चम्बल सिंचाई परियोजना के माध्यम से कोटा-बूंदी-बारां में 2 लाख 29 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचित होती है वहीं कोटा जिले में इसकी संख्या लगभग 1 लाख 4 हजार हैक्टेयर है। मान्यवर, मैं यहां ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस रकबे में से लगभग 70 हजार हैक्टेयर भूमि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिंचित होती है वो जिले की सबसे ज्यादा उपज देने वाली कृषि उपज मण्डी, कोटा के बाद इटावा ही स्थित है। बारां और बूंदी की समानान्तर सीमाएं जुड़ी हुई हैं व बहुत बड़ी मध्य प्रदेश की कृषि सीमा भी जुड़ी हुई है। साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन बड़ी नदियां चम्बल, कालीसिंध और पार्वती निकल रही हैं। यह भी पाया गया है कि मेरे क्षेत्र में होने वाली सरसों में अन्य क्षेत्र की सरसों से अधिक तेल की मात्रा मिलती है जिससे यह प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र की कृषि भूमि अन्य क्षेत्रों से काफी उपजाऊ भी है। मेरा लगातार इस कृषि प्रधान क्षेत्र में विकास के लिए आग्रह है कि यहां हमें यदि कृषि महाविद्यालय दिया जाता है तो हमारे यहां कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि भी है व महाविद्यालय की स्थापना से यहां के किसानों का कृषि का ज्ञान बढ़ेगा, किसानों की कृषि उत्पाद को बढ़ाने में रूचि बढ़ेगी, देश की सकल कृषि आय में योगदान बढ़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने अपने जवाब में सभी सम्भाग स्तर पर एक महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी लेकिन मेरे इटावा उपखण्ड में कोई राजकीय महाविद्यालय भी नहीं है। अत: यदि इटावा में कृषि महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जाता है तो यहां महाविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय कोटा की सहायक इकाई के रूप में कार्य करेगा जिससे इस सिंचित क्षेत्र के किसानों को उन्नतशील कृषि करने में योगदान मिलेगा। मैं यही बात कहकर माननीय कृषि मंत्री महोदय को आग्रह करूंगा कि वो मेरी मांग पर विचार कर मुझे अनुगृहीत करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। कृषि मंत्रीजी, बोलेंगे? हां, बोलिये। संक्षेप में, विषय बहुत सीमित है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इटावा में कृषि महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा, इसके बारे में कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से यह सही है कि राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय अभी संचालित किये जा रहे हैं और राज्य सरकार की प्राथमिकता भी रही है कि कृषि और कृषि विषय को अधिक से अधिक लोगों के बीच में हम लेकर जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि इसी क्रम में 15 संघटक, 3 सरकारी और 18 सम्बद्ध गैर सरकारी कृषि महाविद्यालय भी संचालित किये जा रहे हैं। इसी प्रकार 7 जगह निजी विश्वविद्यालय के माध्यम से कृषि शिक्षा दी जा रही है। जहां तक कोटा विश्वविद्यालय का प्रश्न है, यह सही है कि वहां पर एक भी कोई स्वतंत्र कालेज इसके अधीनस्थ नहीं है, लेकिन वर्तमान में सवाई माधोपुर भी कोटा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आता है, वहां पर कृषि संकाय चला रखी है और निजी क्षेत्र में कृषि स्नातक स्तर पर भी कैरियर पाइंट, कोटा विश्वविद्यालय में भी कृषि का डिग्री कालेज संचालित किया जा रहा है। साथ ही झालावाड़ में उद्यानिकी और वानिकी का संचालन भी किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से अभी हाल ही में एक वाइस चांसलर, कोटा कृषि विश्वविद्यालय से प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है जिसमें कृषि महाविद्यालय यूनिवर्सिटी कैम्पस में ही खोलने का प्रस्ताव आया है जिसका हम लोग परीक्षण करा रहे हैं और निजी क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोलने की भी नीति तैयार की जा रही है। नीति तैयार होने के बाद निश्चित रूप से यदि निजी क्षेत्र में प्रस्ताव प्राप्त होंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अंजू धानका।

बस्सी कस्बे में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से अव्यवस्था

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, बस्सी विधान सभा क्षेत्र के बस्सी कस्बे में विगत 65 दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर होने की वजह से पूरे कस्बे में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। पूरे कस्बे में दो महीने से सफाई नहीं होने की वजह से महामारी जैसी आशंका फैली हुई है जिसके कारण से आम जनता को गम्भीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे स्टेशन, मंदिर, सीएचसी, गली-मौहल्ले, बाजार, सब में गंदगी के

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

ढेर लगे हुए हैं जिसके कारण आमजन का चलना भी दूभर हो गया है। सीएचसी में जाने वाले बीमार व्यक्ति इलाज कराने के लिए जाते हैं लेकिन वहां पर जिसके लिए इलाज कराते हैं उससे ज्यादा घर पर बीमारियां लेकर आ रहे हैं। वहां पर इतनी दुर्गन्ध है कि दुकानें अक्सर बन्द रहने लगी हैं। दो महीने से सफाई नहीं होने की वजह से कारोबारी दुकानें बन्द कर देते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और गन्दगी की वजह से चारों तरफ से रास्ते जाम होने लग गये हैं। अगर चार दिन भी कूड़ा नहीं उठे तब इतनी प्राब्लम घर में हो जाती है तो अगर दो महीने से कूड़ा नहीं उठ रहा है, सफाई नहीं हो पा रही है तो कितनी दिक्कत आ रही होगी, यह आप समझ सकते हैं, मंत्री महोदय समझ सकते हैं। सुअर, कुत्ते और अन्य जानवर उसमें खाना ढूंढने के चक्कर में जाकर चारों ओर फैला देते हैं तो इतनी खराब वहां पर परिस्थिति हो रही है। इसका कारण यह है कि बस्सी कस्बे में 28 सफाई कर्मचारी हैं जिनकी न्यूनतम मजदूरी कई सालों से, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 60 रुपये ही है और आज भी उनको 60 रुपये ही मिल रहे हैं जबकि न्यूनतम मजदूरी आज 197 है, 197 रुपये अगर उनको मिल जाएं तो यह समस्या खतम हो सकती है लेकिन उसमें पंचायत यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि ये आंशिक काल के हैं जबकि उनको 20 साल हो गये वहां पर काम करते हुए। प्रशासन को, कलक्टर को और अपने पंचायती राज विभाग को, इन सबको कई बार लिखकर देने के बावजूद भी इस पर कोई काम अब तक नहीं हो पाया है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मंत्री महोदय जी, 60 रुपये में किसी का गुजारा हो नहीं सकता और यह आप भी समझ सकते हैं। जैसे स्वच्छता अभियान में सभी जन-प्रतिनिधि कस्बों में, गांवों में, पार्षद हों चाहे सरपंच हों और दूसरे जन-प्रतिनिधि हों, झाड़ू लेकर न्यूज पेपर में फोटो देने के लिए बहुत अच्छा है लेकिन जिसका काम उसी को साजे, वो सफाईकर्मी ही सफाई करेंगे। मैंने तो झाड़ू हाथ में लेकर ऐसा पोज कभी किया नहीं है और मुझे ऐसी नौटंकी करने का शौक भी नहीं है। इसलिए मैं यह चाहती हूं कि ये सफाई कर्मचारी ही सफाई नियमित रूप से करें और उन्हें मंत्री महोदय, 197 रुपये जो न्यूनतम मजदूरी है, डेली वेजेज की, वो दिलवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्षः विराजिये।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): इसमें मैं जानती हूं कि पंचायती राज विभाग का यह काम नहीं है कि वो दे लेकिन पंचायती राज मंत्री महोदय

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

जी पंचायत को निर्देशित कर सकते हैं कि वो सफाई कर्मचारियों को दें। इसके लिए मंत्रीजी मुझे जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये-विराजिये।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

सूरजमल विश्वविद्यालय द्वारा सत्र के दौरान बोर्ड आफ मैनेजमेंट की बैठक का आयोजन

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत् प्रक्रिया के नियम 157 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से यह उठाया था कि सत्र के दौरान किसी भी समिति या बोर्ड का जहां विधायक मैम्बर होता है, परिपत्र के अनुसार उसकी मीटिंग नहीं रखी जा सकती। भरतपुर स्थित महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने यह मीटिंग आज की रखी थी। यहां उठाने के बावजूद भी मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से भी आग्रह किया था। उन्होंने भी इस मीटिंग को कैंसिल करने के लिए उनसे कहा था लेकिन मेरी जानकारी में आई है कि वह बोर्ड आफ मैनेजमेंट की मीटिंग अभी तक कैंसिल नहीं की गई है। मेरे द्वारा बात करने पर भी...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप लिखित में दे दीजिये। इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया जायेगा। विराजिये आप।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): मैं प्रस्ताव पेश कर चुका हूं। मेरा आग्रह है, इस पर कार्यवाही कराई जाए।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब दिलवा दीजिये, 60 रुपये मजदूरी हो रही है...

श्री अध्यक्ष: देखिये, जवाब सरकार देना चाहे तो ठीक, नहीं देना चाहे तो ठीक।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): उसमें जवाब नहीं, सिर्फ निर्देशित करना है पंचायत को।

श्री अध्यक्ष: आप मांगिये। आप मांग रहे हैं। ये नहीं दे रहे हैं तो विराजिये आप।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मंत्रीजी को सिर्फ यही कहना है कि हां, हम पंचायत को निर्देशित करेंगे। आप निर्देशित तो कर सकते हैं न। मैं आपसे थोड़े ही कह रही हूं कि 197 रुपये आप दो।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी नहीं कहना चाहें तो मैं कैसे कहला सकता हूं। विराजो आप तो। आप वैसे मंत्रीजी से मिल लेना लेकिन मंत्रीजी...

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मुझे तो डेली वेजेज कोर्ट में जाकर आपको पार्टी भी तो बनाना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि आप निर्देशित कर दीजिये। मैं तो कुछ करूंगी।

श्री अध्यक्ष: जितने तरीके हैं, अपनाइये आप। माननीय विधायक, रिलीफ पाने के लिए जितने तरीके हैं, सब आप अपनाइये। विराजिये आप।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मैं थोड़े ही झाड़ू हाथ में लेकर पोज दूंगी न्यूजपेपर में। वह तो सफाई कर्मचारी ही सफाई करेंगे। आप उनको न्यूनतम मजदूरी तो दो। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ निर्देशित करने का आश्वासन भी नहीं दे सकते। कल भी जवाब नहीं मिला, किसी बात का जवाब ही नहीं राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने ध्यान आकर्षित किया, सरकार आकर्षित हो गई। पर अब ये कह रही हैं कि अगर नहीं करोगे तो मैं कोर्ट में जाऊंगी। यह तो एक तरह से हमें धमका रही हैं माननीय सदस्या।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): तो आप भी नहीं मान रहे हैं बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पहले ही डरे हुए हैं। हम तो पहले ही डरे हुए लोग हैं। धमका रही हैं हमें ये तो। अध्यक्ष महोदय, आप हमारा संरक्षण करो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री राजेन्द्र राठौड़।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का चतुर्थ प्रतिवेदन वर्ष 2014-15

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1) के अन्तर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रतिवेदन आज आखिरी दिन रख रहे हो। ये पूर्व में ही रख देते तो इसका इस्तेमाल हो जाता डिबेट के अन्दर। आपसे तो उम्मीद नहीं थी कि आप इतना लेट रखेंगे।

(12.42 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, आज जो प्रतिवेदन यहां रखा है इन्होंने, इतना लेट, आखिरी दिन, इसका क्या इस्तेमाल करेंगे हम डिबेट के अन्दर, श्रीमन्? आपके रहते हुए, आप कस्टोडियन हैं हाउस के। आप तो स्वयं इस मामले में बड़े जागरूक हैं। इनको प्रताड़ित कीजिये उपाध्यक्ष महोदय। इनको निर्देशित कीजिये कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सीएजी की रिपोर्ट भी लेट आई है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। सीएजी की रिपोर्ट भी लेट आ रही है, प्रतिवेदन भी, लेखे-जोखे भी लेट आ रहे हैं, सारा सब कुछ लेट हो रहा है सरकार का, तो आप थोड़ा सा फरमायें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कम्पनी है, यह राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड, यह धारा 395(1) कम्पनी एक्ट के तहत सरकारी कम्पनी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार करता हूं कि इसकी एन्युअल रिपोर्ट एजीएम की बैठक के तीन महीने बाद तैयार हो जानी चाहिए थी, उसमें विलम्ब हुआ है। मैं इस विलम्ब के कारणों की जांच करूंगा और जांच में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कार्यवाही करूंगा और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए मैं सदन को आश्वस्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अजय सिंह।

राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर की लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2014-15

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 54(14) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर की लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2014-2015 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय। ये सीरियस मैटर है। It is a very serious matter on this last day. यह तो बड़ा सीरियस मैटर है उपाध्यक्ष महोदय। इनको भी निर्देशित कीजिये आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप थोड़ा रौद्र रूप धारण कीजिये, ऐसे थोड़े ही चलेगा, इतना लिबरल।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आज आपके मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। अपना रौद्र रूप दिखाइये जिससे भविष्य में ये सतर्क हो जाएं मंत्री, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री उपाध्यक्ष: विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016. श्री वासुदेव देवनानी।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016 जो पेश किया जा रहा है। इसके साथ-साथ ही पूर्व में जो 2013 का राजस्थान विद्यालय फीस के संग्रहण का विनियमन अधिनियम, 2013 को रिपील करके एक नया विधेयक पेश किया जा रहा है।

(श्री सुखराम विश्नोई)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ बातें विरोधाभासी हैं। इसमें अध्याय-2 की धारा-4(ख) में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक सत्र प्रारम्भ के तीस दिवस पूर्व पीटीए, जो माता-पिता-अभिभावक संगठन है, पीटीए उसका शोर्ट नाम है, के गठन की बात लिखी है।

उसकी अगली धारा-6(2) के तहत स्पष्ट लिखा है कि ''...अनुमोदन देते समय विद्यालय स्तरीय फीस समिति को नये सिरे से फीस की रकम विनिश्चित करने का प्राधिकार होगा।'' माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दोनों बातें विरोधाभासी हैं। एक तरफ तो जो कमेटी बनी हुई है, वह छह माह पहले अगले साल की डिटेल देगी तो अगले साल के लिए जो छात्र हैं, उनके अभिभावक तो उस कमेटी में सदस्य नहीं हैं तो ऐसे में जरूरी है कि जिस कमेटी में जिस सत्र के अभिभावक हैं, वह सदस्य हों, उसी का निर्णय किया जाए तो स्पष्ट होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के किसी भी राज्य में जो फीस एक्ट बने हुए हैं, उस फीस एक्ट के वसूलने के दो तरीके हैं। एक तो फीस का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर में, दूसरी जो नियमित वार्षिक वृद्धि होती है। उस वार्षिक वृद्धि के आधार पर फीस का निर्धारण किया जाता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। तमिलनाडु के अन्दर जो व्यवस्था है, वह तीन साल के अन्दर है। महाराष्ट्र में दो साल में है। राजस्थान के अन्दर जो व्यवस्था कर रखी है, वह एक तरफ तो जो पीटीए बनी हुई है, उसमें प्रत्येक वर्ष में तय की गई है। उसके बाद में जो खण्डीय फीस समन्वय समिति है, उस खण्डीय फीस समन्वय समिति में 2(क) में ''निजी विद्यालय और माता-पिता के प्रतिनिधियों की पदावधि और उसके नाम निर्देशन की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए होगी और ऐसे किसी भी कारण से उससे पूर्व रिक्ति होने की दशा में पदावधि की शेष कालावधि के लिए ऐसे व्यक्ति नहीं भरे जायेंगे। इसी के तहत जो आगे खण्डीय फीस समन्वय समिति बनी हुई है। इसमें यह स्पष्ट किया हुआ है कि पुनरीक्षण समिति का विनिश्चय अंतिम और निर्णायक होगा और तीन शैक्षणिक वर्ष के लिए पक्षकारों का आबद्ध होगा। उक्त कालावधि की समाप्ति पर धारा-6 में अभिकथित प्रक्रिया अपनाते हुए निजी विद्यालय अपनी फीस ढांचे में प्रस्तावित करने के लिए स्वतंत्र है।

(श्री सुखराम विश्नोई)

मानानीय उपाध्यक्ष महोदय, ये तीनों बातें तीन तरह की अलग-अलग बातें करती हैं। यह जो पीटीए है, वह एक साल के लिए है। उसके बाद में खण्डीय फीस विनियामक समिति है, यह दो साल की बात करती है और उसके बाद में खण्डीय फीस पुनरीक्षण समिति है, उनमें तीन साल तक की बात कही है। तो कुल मिलाकर तीनों जगह तीन साल की कमेटी बनाई जाये ताकि बार-बार विवाद पैदा नहीं हो, बात आगे नहीं बढ़े।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद में यह जो पीटीए बनी हुई है, इस पीटीए में दोनों तरफ से पांच-पांच सदस्य हैं। पांच सदस्य अध्यक्ष, सचिव और सदस्य, ये तो प्राइवेट स्कूल बाडी के हैं और पांच सदस्य माता-पिता, पीटीए की तरफ से हैं। दोनों तरफ से पांच-पांच सदस्य, कुल 10 सदस्य हैं। अगर मान लो, किसी बात की जिद्द हो जाती है तो दोनों बराबर होने की स्थिति में निर्णय क्या लिया जाये? ऐसा प्रावधान किया जाये। निकटतम सरकारी स्कूल का, सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी स्कूल का जो प्राचार्य है, उस विवादग्रस्त स्थिति में, मान लो दोनों पक्षों में विवाद होता है कि प्राचार्य की उसमें नियुक्ति की जाये कि विवाद की हालत में निकटतम सरकारी स्कूल का प्राचार्य इसका मैम्बर होगा। विवाद के मामले में वह फैसला करेगा। यह व्यवस्था की जाए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

इसके बाद में यह दोनों संशोधन, एक तो अध्याय-2 की धारा-4 उपधारा(ख) में प्रतिवर्ष पीटीए गठन की बजाय तीन वर्ष वाले की मैंने पहले बात की है। धारा-4 (ख) में अतिरिक्त उपधारा जोड़कर, महंगाई दो तरह की है। एक तरफ तो फीस का स्ट्रक्चर है। स्कूल में कमरे कितने हैं, स्कूल की व्यवस्था कैसी है, स्कूल दूर कितनी है, कमरे कितने हैं? दूसरी जो, वार्षिक वृद्धि कितनी होती है? वार्षिक वृद्धि के आधार पर है। जबकि इसी एक्ट की धारा-6 (5) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि खंडीय फीस विनियामक समिति के अंतिम विनिश्चय होने तक प्रबंध को पूर्व शैक्षणिक वर्ष की फीस में दस प्रतिशत की वृद्धि करके, ऐसी फीस के संग्रहण की स्वतंत्रता होगी। जब दस परसेंट फीस बढ़ोतरी की बात यह एक्ट खुद कह रहा है तो इसके बनिस्पत यह ठीक है कि जो वृद्धि होती है उस वृद्धि के आधार पर ही की जाए। वृद्धि नहीं होती है तो फीस नहीं बढ़ेगी वरना इसमें तो दस परसेंट फीस हर साल बढ़ेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत निवेदन है ऐसे फीस का

(श्री सुखराम विश्नोई)

प्रावधान किया जाए। जैसे ही बढ़ोतरी हो जाए, न तो उसमें स्कूल के व्यवस्थापकों को कोई कमी आएगी और न कोई विवाद पैदा होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही धारा 8 (च) में लिखा है ''मापदण्डों के अनुसार अर्हित अध्यापन और गैर अध्यापन कर्मचारिवृन्द और उनके वेतन घटक'' इसके बारे में मेरा निवेदन है कि इसमें जो प्रबोधक है या मान लो विद्यार्थी सहायक हैं, विद्यार्थी मित्र हैं इनके लिए भी इसमें प्रावधान किया जाए ताकि उनको सही तनख्वाह मिल सके और इनको इसके अन्दर डाला जाए। क्वालिफाइड टीचर और अन-क्वालीफाइड टीचर में जब आपने भेद कर दिया तो विद्यार्थी मित्रों को और जो पैरा टीचर हैं उनको इसमें ऐड किया जाए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय धारा-7 खंडीय फीस विनियामक समिति का गठन है। इसमें (च) में निजी विद्यालयों के दो प्रतिनिधि जो खंड आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जायें। इसमें दो आदमी पूरे संभाग में कौनसे होंगे, यह कोई तय नहीं है? जब तय नहीं है तो इसमें विवाद पैदा होगा। ऐसी हालत के अन्दर जो मान्यता प्राप्त प्राइवेट शिक्षकों के संगठन बने हुए हैं। मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठनों से नाम मांगे जाएं और उनसे नाम मांगे जाकर के वो नाम खंड समिति को भेजे जाएं ताकि कोई विवाद पैदा नहीं हो। वर्ना मान लीजिए खंड आयुक्त किसी दूसरे का नाम दे देगा और वह जो प्राइवेट टीचर एसोसिएशन किसी दूसरे का नाम सुझाएगी इसलिए मेरा निवेदन है कि (च) में संशोधान किया जाकर के मान्यता प्राप्त जो शिक्षक संगठन है उन्हीं के मार्फत इसमें चयन किया जाए।

इसके बाद में माननीय उपाध्यक्ष महोदय अध्याय-2 में धारा-9 की उपधारा-2 को हटाया जाए। क्योंकि इसको जब तक नहीं हटाएंगे तब तक फीस का सही वातावरण तैयार नहीं होगा। इसके अलावा अध्याय-3 में अभिलेखों का संधारण है। इसमें भी अध्याय-3 की उपधारा-13 में लेखाओं का विनियमन की रीति स्पष्ट कर दी जाए। इसमें स्पष्ट नहीं है, किस तरह से होगी? ताकि एकरूपता बनी रहे। अब तक निर्धारित नहीं होने से बड़ी परेशानी आ रही है। निजी विद्यालयों के लेखों का विनियमन आयकर विभाग से या चैरिटेबल संस्थाओं या सहकारी विभाग से, किस तरह से होगा? इसका पूरा निर्धारण किया जाए ताकि उसमें एकरूपता बनी रहे। मैं कुल मिलाकर के यह जो विधेयक लाया गया है इसको पुन: छह महीने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: डा. फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016 विचारार्थ लाया गया है। जब से निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी है उसके बाद यह सामान्य तौर पर आलोचना का और विवाद का भी विषय रहा है। फीस कितनी बढ़े, कैसे बढ़े, पिछले दो वर्षों में प्रयास किया गया सरकार की ओर से एक समिति बनी। न्यायाधीश के नेतृत्व में एक समिति बनी लेकिन वह बहुत कम परसेंट में निर्णय कर पाई और वह भी विवाद में रही। अब इस एक्ट के माध्यम से उसको चैनेलाइज किया गया है। संभाग स्तर पर एक कमेटी होगी उसके बाद पूर्ण निरीक्षण समिति बनाई गई है अपील के अधिकार के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता तो रहती है। इस प्रकार का सिस्टम किया गया है लेकिन उसमें एक प्राथमिक स्तर पर कमेटी बनाई गई है विद्यालय स्तर पर। उसमें विद्यालय का मालिक है, उसका प्रधानाचार्य है, उसके अध्यापक हैं और एक पेरेन्ट्स टीचर जो एसोसिएशन है उसका फार्मेशन किया गया है। अभी माननीय सदस्य ने यह कहा था पांच-पांच सदस्य हैं। इसमें मेरा एक सुझाव है कि कोई मिला-जुला विषय भी हो सकता है वो पांच आदमी कौन होंगे और सामान्य तौर पर बच्चों के मामले में स्कूल के प्रबंध से ज्यादा टकराहट की स्थिति में नहीं होते हैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में देखते हैं। तो कोई न कोई सरकारी व्यक्ति वहां रहे और सामान्य तौर पर ब्लाक स्तर पर सरकारी व्यवस्था है ब्लाक शिक्षा अधिकारी की उसको उसमें मैम्बर डालने से 11 मैम्बर भी हो जाएंगे और सरकारी मानिटरिंग भी हो जाएगी। यह जो निर्णय किया गया है फीस का वह मन-माने तरीके से तो नहीं किया गया है। इस कारण से मेरा इसमें एक सुझाव है धारा 4 (2) (क) में जोड़ने का प्रस्ताव करता हू कि यह जोड़ा जाए। सम्भाग स्तर पर जो कमेटी है उसमें पुनरीक्षण समिति में प्रारम्भिक शिक्षा के सचिव को प्रभारी बनाया गया है और माध्यमिक शिक्षा के सचिव को भी उसमें मैम्बर रखा गया है। तो या तो फिर हम प्राइमरी शिक्षा को आधार बनाकर के कर रहे हैं क्योंकि इसमें सामान्य तौर पर अधिकारी लेवल पर भी यह आता है कि मैं बड़ा हूं, यह स्थिति रहती है इसलिए इस कारण से इसमें शायद माध्यमिक शिक्षा सचिव को अगर प्रभारी बनाया जाता है तो ज्यादा ठीक रहता और एक बैलेंस की बात होती। इसमें प्रावधान हमने सब डाले हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी ये नियम बनाए जाएं तब व्यावहारिक दृष्टि से बनाये जायें और इसमें प्रत्येक विद्यालयों

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

को शामिल करने की आवश्यकता मैं नहीं मानता हूं। छोटे गांवों में भी प्राइवेट स्कूलें खुल गईं और फीस वो पांच हजार से भी कम लेते हैं। एक विद्यालय जो पास के टाउन में है वह बीस हजार फीस लेता है और गांव में हजार, डेढ़ हजार में भी पढ़ाते हैं बच्चों को, तो ऐसे सब विद्यालयों को अगर शामिल कर लेंगे तो जटिलता पैदा होगी। इस कारण से मेरा यह मानना है कि जो न्यूनतम फीस हम सोचेंगे कि न्यूनतम फीस इस स्थान पर होनी चाहिए। जैसे मिनिमम वेज भी अध्यापक को मिल जाए और उसका काम चल जाए, इस प्रकार की नीति सोचेंगे तो काफी विद्यालय इस प्रक्रिया से मुक्त होंगे वरना तो एक भ्रष्टाचार की स्थिति और पैदा हो जाएगी क्योंकि उसका सिस्टम इस प्रकार से जटिल बनाने से तो बात नहीं बनेगी।

इसी प्रकार से जो सामाजिक संस्थाएं विद्यालय चलाते हैं, अभी इन बीस सालों को छोड़ दें तो उसके पहले तो हमारे सामाजिक संगठन ही विद्यालय चलाते थे और वो अच्छे विद्यालय चलाते थे। उनकी आज भी प्रतिष्ठा है, पहले भी प्रतिष्ठा थी और शिक्षा में उनका बहुत बड़ा योगदान था। व्यक्तिगत लोग अगर विद्यालय चलाते हैं तो उसका अलग सिस्टम है लेकिन जो संस्थागत विद्यालय हैं उनके विद्यालयों से भी कोई न कोई प्रतिनिधि इसमें लिया जाए, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि उनका बहुत लमबा अनुभव भी रहता है और वहां सामाजिक सेवा के दृष्टिकोण से भी कुछ पैसा देकर भी विद्यालय चलाते हैं इसलिए उनको थोड़ा-सा प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक संगठन जो विद्यालय चलाते हैं, उनका फीस के दृष्टिकोण में उनका योगदान हो, ऐसा किया जाना चाहिए। पहले कभी लेखों का संधारण व्यवस्थित तरीके से हो इसकी चिंता नहीं की गई थी और इस एक्ट में पहली बार अकाउंट्स का संधारण और रिकार्ड के संधारण की बात की गई है। अभी ध्यान में आया कि पंचायती राज में हमने योग्यता लागू की और प्राइवेट विद्यालयों में ऐसी टी सी काट दी एक सीकर के व्यक्ति ने जो जेल में हैं। उसने कहा कि मैंने साठ टी सी काट दीं और सबको मैंने योग्य कर दिया तो ऐसी चीजों पर भी चैक लगेगा, क्योंकि रिकार्ड संधारण की बात इसमें की गयी है। एक अच्छा कदम है कि प्राइवेट सैक्टर को नियंत्रित तो नहीं, लेकिन व्यवस्थित किया जाए। ऐसा प्रयास इसमें किया गया है। ऐसे ही इसमें प्रावधान है इस कारण से मैंने जो तीन महीने के लिए जनमत जानने का सुझाव दिया था उसको मैं वापस लेता हूं। जय हिन्द।

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह जी।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016 को जनमत जानने का जो मैंने प्रस्ताव दिया है, उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसाराम जी चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016 आज सदन में रखा गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में यह जो कमेटी गठित की गयी है, उसमें पहले तो अध्यापक और माता-पिता के बीच में एक संगम की स्थापना करेंगे और इसमें माता-पिताओं का चयन किया जाएगा और उनसे पचास रुपये फीस के रूप में नगरीय है तो और ग्रामीण क्षेत्रीय हैं तो बीस रुपये फीस लेकर के एक माता-पिता अध्यापक संगम स्थापित करेंगे और उसमें उनकी लाटरी निकालेंगे। लाटरी निकालकर के उनमें से पांच सदस्य लेंगे और फीस निर्धारण के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। उसमें अध्यक्ष वो ही वहां का प्रबंधक जो उस संस्था को चलाता है, उसका प्रशासन करने वाला व्यक्ति जो प्रबंधक है वो और दूसरा निजी विद्यालय का प्रधानाचार्य। उसी विद्यालय का प्रधानाचार्य, निजी विद्यालय के प्रबंधक द्वारा नाम निर्देशित तीन व्यक्ति। तीन और दो पांच वो हो गये और पांच माता-पिता तो दस आदमियों में से निर्णय किस आधार पर होगा मान लो पांच-पांच बन गये तो। इस आधार पर मेरा मानना है कि गांव का कोई भी सरपंच या जनप्रतिनिधि भी इसमें डाला जाता तो उस पर एक कंट्रोलिंग रहती और गांव के सरपंच की भी पूछ होती कि फीस निर्धारण की कमेटी में भी उसका नाम है और उसकी वजह से यह ग्यारह की कमेटी होती और निर्णय में किसी न किसी तरह से एक तरफ फैसला हो सकता था, इसमें यह सुधार करना चाहिए। फीस ये निजी विद्यालय मनमाने तरीके से लेते हैं और जिसको कंट्रोल करने के लिए यह बिल लाया गया है, मैं इसकी तो प्रशंसा करता हूं कि आज दिन तक निजी विद्यालय अपनी मनमर्जी से मतलब फीस का अलग और किराये के नाम से दूसरी कच्ची रसीदें देकर के। इसी तरीके से मेरे यहां पर एक गैलेक्सी इंटरनेशनल स्कूल चलती है उसमें एक बार बच्चों को गांव में ही उतार दिया बस में से कि आपकी महीने की फीस नहीं आयी है फिर स्कूल से बाहर भी निकाल दिया।

(श्री केसाराम चौधरी)

प्रश्न लगाया तो उसकी जांच हो रही है इस तरह से फीस के नाम से ये प्राइवेट संस्थाएं बच्चों का शोषण करती हैं। इसलिए यह जो बिल लाया गया है इस बिल के माध्यम से उन पर कंट्रोल करने की जो सरकार की भावना है, मंशा है कि जो प्राइवेट संस्थाएं फीस अधिक वसूलती हैं उनका कंट्रोल करने के लिए निश्चित रूप से यह बिल उन पर एक लगाम का काम करेगा। मैं इस बिल की प्रशंसा करते हुए मैंने जो इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव दिया है, मैं उसको विदड्रा करता हूं। आप विदड्रा करने की आज्ञा प्रदान करें। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मान सिंह जी।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016 पर चर्चा चल रही है। पहली बार सरकार ने एक आम धारणा प्राइवेट स्कूलों के प्रति कि किस प्रकार से फीस बढ़ाते हैं और काफी लम्बे समय से एक विवाद चल रहा था। राज्य स्तर पर जो न्यायिक कमेटी थी उसके माध्यम से भी जिस प्रकार से इसका निस्तारण होना चाहिए वह नहीं हुआ और कई शंकाएं व्यक्त की गयीं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मंत्री जी को और सरकार को कि उन्होंने एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो शिक्षा समाज का मूल आधार है जिसमें निश्चित रूप से प्राइवेट सैक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान है और एक आरटीआई के तहत जानकारी है प्राइवेट स्कूलों की लगभग संख्या है वह 32,222 है लेकिन यह लगभग चालीस हजार हो सकती है। तो इतना बड़ा क्षेत्र प्राइवेट सैक्टर में हमारे साथ में है। माननीय मंत्रीजी को मैं यह भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जिस विधेयक को बनाया है इसमें एजुकेशनलिस्ट और शिक्षा जगत के लोगों से जो चर्चा की थी और माननीय मंत्री जी ने जिस ड्राफ्ट पर चर्चा की थी उसके अध्याय-2 की धारा-6 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें यह लिखा हुआ है, "Once the fees has been determined after two years the Management shall increase fee on the basis of the proportional increase in CPI (issued by govt. of India) in next year without any consent of school level fee committee." It means, एक बार जो फीस हमारी जो विनियामक कमेटी है सरकार जिसको बनाने जा रही है अगर वो कोई फीस तय कर देती है तो नैक्स्ट ईयर से जो महंगाई का इंडेक्स है उस इंडेक्स के माध्यम से अपने आप वो फीस बढ़ जाए और इंडेक्स सैन्टर गवर्नमेंट जारी

(श्री मान सिंह)

करती है अगर उससे ज्यादा प्राइवेट स्कूल फीस वसूल करते हैं तो निश्चित रूप से विधेयक के माध्यम से सरकार को अधिकार होगा कि उस पर कार्यवाही करे तो मेरा अनुरोध है कि इस बारे में सरकार चूंकि इस सैक्टर से हमारा जो भाव है, यह नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट सैक्टर में स्कूलिंग केवल एक प्रोफेश्नली काम है निश्चित रूप से समाज में एक योगदान भी है उनका और सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ में प्राइवेट सैक्टर योगदान दे रहा है।

माननीय मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे जो सेन्ट्रल स्कूल्स हैं, उन केन्द्रीय विद्यालयों ने 2013-14 में हण्ड्रेड परसेंट फीस इंक्रीज कर दी, हंड्रेड परसेंट। इसी प्रकार से मैं एक और ध्यान आपका दिलाना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी, 2013 में तत्कालीन सरकार ने निजी स्कूलों पर जो हम शुल्क लेते हैं मान्यता का उसमें एक हजार परसेंट की बढ़ोतरी कर दी, एक हजार परसेंट की बढ़ोतरी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिन प्राथमिक संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन 2008-09 तक फ्री था, उस रजिस्ट्रेशन पर पचपन हजार का शुल्क कर दिया गया। जिन माध्यमिक स्कूलों पर 2008-09 तक चालीस हजार रुपये का शुल्क था उसको 3,95,000 रुपये कर दिया गया और इसी प्रकार से इसको फिर बढ़ाकर इस शुल्क को 2013-14 में जो कन्फर्मेशन शुल्क है उसको 4,20,000 रुपये कर दिया गया। इस प्रकार से तत्कालीन सरकार ने जो स्कूलों पर एकदम लगाम लगाओ और पूरी तरह से एक वातावरण तैयार कर दो कि प्राइवेट सैक्टर में यह लूट हो रही है उन पर फीस लगा दो और वह फीस बढ़ा दी गयी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनसे फीस मत लो उनसे शुल्क भी आप लीजिये। उन पर पूरा कंट्रोल भी सरकार का होना चाहिए और हम सब लोग कंट्रोल चाहते भी हैं, लेकिन हमारा भाव यह होना चाहिए कि वो सैक्टर निश्चित रूप से समाज को एजुकेशन में उसका जो भाग है जो उसका योगदान है वो योगदान भी निश्चित रूप से उसमें है और उस हिसाब से आप जब देखते हैं तो इनका जो फीस स्ट्रक्चर जो आरटीआई के हिसाब से है 23,920 स्कूल ऐसे हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर जीरो से पांच हजार है। 5,001 से 10,000 तक का स्ट्रक्चर 6,664 स्कूलों का है, 10,001 से 15,000 तक लेते हैं वो हैं 1,158 और जिनका स्ट्रक्चर 15,001 से 20,000 है वो स्कूल हैं 273 और 20,001 से 25,000 जो लेते हैं वो हैं 198 और 25,001 से ऊपर जो फीस लेते हैं वो स्कूल मात्र 13 हैं। तो, माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा जैसा शाहपुरा से आने

(श्री मान सिंह)

वाले हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस क्षेत्र में ऐसे भी सामाजिक, धार्मिक ट्रस्ट हैं, ऐसी भी सामाजिक संस्थाएं हैं जिनका बहुत-बड़ा योगदान है और बहुत अच्छे भाव से समाज को शिक्षा जगत में अपने योगदान के माध्यम से ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जो नो लोस, नो प्रोफिट में चलती हैं और ऐसी भी बहुत संस्थाएं हैं जो गांवों में जिनका फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। अगर इस प्रकार की संख्या को हम देखते हैं तो यह पच्चीस हजार के लगभग हैं।

केवल शिक्षा में योगदान देकर समाज की दिशा में योगदान दे रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, दूसरा मैं आपसे अनुरोध करूंगा इसकी धारा 6 के 2 में है आपने कहा है कि फीस समितियों के इस अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगा और अनुमोदन देते समय विद्यालय स्तरीय फीस समिति को नये सिरे से फीस की रकम विनिश्चित करने का प्राधिकार होगा। माननीय मंत्रीजी, इसमें हम केवल एक चीज जोड देते हैं कि फीस तय करते समय अगर महंगाई के सूचकांक को मानदंड मानेंगे, अगर एक शब्द यह हम जोड़ देते हैं तो न तो प्राइवेट स्कूल उसमें गलती कर पायेगा, न सरकारी स्तर पर किसी प्रकार का आरोप लगेगा कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी का उसमें इंस्पेक्टर राज कायम हुआ है और ना ही सम्भाग स्तर पर इस प्रकार की शिकायतें आपके पास ज्यादा आएंगी। अगर फीस इंडेक्स को महंगाई इंडेक्स से जोड़ने की लाइन इसमें जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से जो सरकार की जो मंशा है इस क्षेत्र में न तो हमारे अभिभावक की लूट हो, न गरीब के बच्चे के साथ इस प्रकार का भेदभाव हो कि अनलिमिटेड उसकी फीस बढ़ सके। इस प्रकार का इसमें अगर आप प्रावधान करते हैं तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा।

इसी के साथ माननीय मंत्रीजी मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि धारा 9 की उपधारा 2 में जो आपकी इंस्पेक्शन कमेटी है उसको सीज करने का राइट दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि हम सरकारी इंस्पेक्शन, सरकारी रिकार्ड, लेकिन सीज करने का जो राइट है उसके मामले में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे रखा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर यह कहा है ''aforesaid Tamil Nadu Act was challenged before the Madras High court, as well as before Supreme court of India. Both the courts upheld the validity of this Act, accept section 2 which has empowered the district Committee to make searches and inspect the records of the School and dismiss others, made by unaided private schools"

(श्री मानसिंह)

सीज करने का जो है उसको एकदम नहीं होना चाहिये। केवल हम इंस्पेक्ट करें, उसका रिकार्ड चैक करें, उस पर इन्क्वायरी बैठायें लेकिन। हम उसको एकदम सीज कर दें, इस प्रकार का फरमान मैं समझता हूं कि जैसी आपकी भावना है और जिस प्रकार का सरकार यह बिल लाई है, मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की भावना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि यह प्रोग्रेसिव बिल है जिसके माध्यम से राजस्थान में शिक्षा जगत में लगभग 40 हजार संस्थाओं का शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है उनको हम यह विश्वास दिलाये कि सरकार की मंशा अभिभावक और आपके बीच में सामंजस्य की है। आपकी गुणात्मक शिक्षा निश्चित रूप से आपका अलग-अलग मैनडेट, आपकी स्टेजेज तय करेगी और सरकार से अनुरोध है कि इसमें केवल धारा 6 (2) में इतना-सा जोड़ दें कि कमेटी एक बार निश्चित करने के बाद आगे से जब भी इसमें फैसला होगा तो महंगाई इंडेक्स से होगा तो न कोई अभिभावक को दिक्कत होगी, न सरकार की तरफ से प्रैशर होगा, यही मुझे कहना है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में मैंने जो जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव किया था उसे वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एजुकेशन में फीस निर्धारित करने के संदर्भ में जो बिल लाये हैं उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। राज्य सरकार जो बिल लेकर आई है वह पूरी तरह से बड़े निजी विद्यालयों के लिये बनाया गया बिल है और इस बिल से अभिभावकों को कोई फायदा होने वाला नहीं है और न किसी प्रकार का आर्थिक लाभ मिलेगा। एक तरह से यह बिल इस प्रकार से लाया गया है कि नीचे से ऊपर तक का सिस्टम मजबूत होगा। जिस प्रकार का बिल यह सरकार लाई है उससे तो बढ़िया हमारे समय में जो एक उच्च स्तरीय कमेटी हमने बनाई। जिस प्रकार से स्कूलों से सूचनाएं मांग कर हमने फीस निर्धारित की और फीस निर्धारित होने के बाद प्राइवेट स्कूलों में एक हड़कंप मचा कि यह तो हमारे खिलाफ एक साजिश हो गई, हमने कंट्रोल करने का प्रयास किया। इसके खिलाफ यह लोग कोर्ट में भी गये लेकिन

(श्री रमेश)

अभिभावकों के द्वारा इसे सराहा गया। आप जो बिल लेकर आये हैं उससे तो ऐसा लगता है जैसे निजी स्कूलों के लिये एक बिल बनाया गया है। यह जो बिल आप महाराष्ट्र पैटर्न पर लेकर आये हैं, इस बिल के जो प्रावधान हैं उसको मैं बताना चाहूंगा कि अभिभावकों का क्या प्रतिनिधित्व रहेगा और क्या अभिभावक इसको प्रभावित कर पायेंगे। पहले तो इन्होंने विद्यालय में अध्यापक और अभिभावकों की एक एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया है। उसके लिये भी एक कमेटी गठित होगी, उसके लिये एक निर्धारित राशि वसूल की जायेगी और उसके बाद विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन किया जायेगा। उसमें केवल पांच अभिभावक होंगे। जो पांच अभिभावक होंगे उनका लाटरी से निर्धारण किया जायेगा कि वह कौन लोग होंगे। जो पांच लोग लाटरी में आयेंगे वह शिक्षित होंगे या नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है। ग्रामीण व्यवस्था में देखें कि हमारी लिट्रेसी रेट क्या है। उस लाटरी में कोई अनपढ़ महिला या पुरुष आ गया तो वह स्कूल वालों को कैसे प्रभावित कर पायेंगे कि फीस का निर्धारण क्या होगा, क्या नहीं होगा। जिस प्रकार की व्यवस्था हमने देखी है अभी संकुल में निजी विद्यालयों के लोग आ गये और हंगामा कर दिया और ताला लगा दिया। हमारे शिक्षा मंत्री और सरकार को हाथ जोड़कर उनको राज़ी करना पड़ा, बाहर निकालना पड़ा। इस प्रकार की व्यवस्था में जो हमारे पांच अभिभावक रहेंगे, वह उनको कैसे प्रभावित कर पायेंगे। सरकार बिल लाई तो ऐसा सिस्टम डवलप करना चाहिये था कि कमेटी रहेगी विद्यालय के अभिभावक भी रहेंगे और अध्यापक भी रहेंगे। पहले जितने भी अभिभावक हैं जिनके बच्चे उस स्कूल में पढते हैं उनको एक मैसेज करवाते कि हम फीस का निर्धारण करेंगे आपकी क्या सलाह है। एक कमेटी का गठन होता, कमेटी उनकी सुनवाई करती स्कूल में, फिर उसके बाद रिजल्टेंट कनक्लूड निकलकर आता कि इस स्कूल की फीस यह होनी चाहिये, इस स्कूल में यह व्यवस्था है, इतना खर्चा है, उसके बाद तय होता तो अच्छा लगता कि कनक्लूड आया है। जो भी सदस्य रहेगा जो अभिभावक हैं वह केवल एक साल के लिये होंगे और अगले साल तीन साल तक वह सदस्य नहीं रह पायेंगे, यह व्यवस्था भी आपने इसमें कर दी है। निजी विद्यालय प्रबंधन फीस का प्रारूप पेश करेगा उसमें 30 दिन के अन्दर-अन्दर आपको अनुमोदन करना होगा। नये सिरे से फीस का निर्धारण भी कर सकेगी। समिति अलग-अलग हैड बतायेगी जिसके आधार पर फीस ली जायेगी। लेकिन अभिभावकों को पूरी जानकारी होने के लिये सरकार

(श्री रमेश)

के माध्यम से एक अकाउंटेंट की व्यवस्था करते कि यह सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि उस समिति में आपस में विवाद होता है, वह फीस निर्धारित नहीं कर पाती तो आपने राजस्व उपखण्ड लेवल पर एक कमेटी का गठन किया है। उसमें चार अधिकारी होंगे, खण्ड का जो उपखण्ड अधिकारी होगा, आयुक्त होगा और दो अभिभावकों को रखा है। वह दो भी क्या लाटरी के माध्यम से होंगे, कौन होंगे। यह दो अभिभावक इनके बीच में रहेंगे तो क्या निर्णय कर पायेंगे। मेरा सरकार से निवेदन है कि जहां नीचे के लेवल पर, स्कूल लेवल पर होता है यदि शहर में कर रहे हैं तो पार्षदों का रिप्रजेंटेशन होना चाहिये, ग्राम पंचायत पर कर रहे हैं तो सरपंच को इसमें शामिल किया जाये और उपखण्ड लेवल पर यदि इस तरह की व्यवस्था है तो आपका जो लोकल विधायक है, उसको भी इस कमेटी में रखा जाना चाहिये। आपने क्यों नहीं रखा? यह भी मंत्रीजी जब जवाब दें तब बतायें। इस कमेटी में दो अभिभावकों से भी काम चलने वाला नहीं है। इसका जो रेशो होना चाहिए कि स्टूडेन्ट इसका कितना है, उस रेशो में तो कम-से-कम पांच गुना अभिभावकों की संख्या होनी चाहिए और आपने तीसरी बात यह रखी है कि फीस का निर्धारण, कारकों की लोकेशन किस आधार पर तय होगा? कौनसा स्कूल कौनसे पोश इलाके में या कच्ची बस्ती में है या ईजी गोइंग है या उस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डपलप या उसका नाम है। तो यह चीज भी आपको देखनी पड़ेगी कि वो स्कूल कब खुला था? उस जमाने में उस जमीन की रेट क्या थी? उसका भी आप कंसिडरेशन करेंगे। दूसरा, मेरा निवेदन है कि वे इंफ्रास्ट्रक्चर बताते हैं, अपनी सुविधाएं बताते हैं। वैबसाइट पर कुछ सुविधाएं दी होती हैं और जब एक्चुअल में अब स्कूल में आपका बच्चा पढ़ने जाता है तो वहां पर सुविधाएं कुछ और होती हैं। वो हिसाब-किताब बढ़ा-चढ़ाकर बता देते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि जो स्कूल, जो शिक्षण संस्थाएं, जिन्होंने रियायती दर पर सरकार से टोकन मनी पर भूमि ली है। आज तक उन्होंने सरकार से जो टर्म्स एण्ड कंडीशन एग्रीमेंट किया था, उसको वो आज तक फालो नहीं करते हैं। एस.सी.-एस.टी. है, बी.पी.एल. उनका 25 परसेंट ओवरआल रहेगा। आर.टी.ई. के

(श्री रमेश)

माध्यम से भी उन्होंने आज तक फालो नहीं किया है। तो उसके लिए आप स्पेशल तौर पर एक नियम बनायें कि हमारी जमीन हमने दी है। करोड़ों रुपये की जमीन है। उस पर आप काबिज होकर बैठे हो और वहां पर स्कूल नहीं चलाकर आप दूसरे कोचिंग चला रहे हो, व्यावसायिक उपयोग ले रहे हो। इस तरह का जो वातावरण बना है। सरकारों ने अपने लोगों को निजी फायदा पहुंचाने के लिए एक-एक दिन में। मंत्रीजी, ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूं कि 2003 के आठवें महीने में हमारी सरकार एक आदमी को एक आदेश निकला कि 26814 वर्ग मीटर डी.एल.सी. के 10 परसेंट पर दे दी। फिर आपने उसकी 2005 में समीक्षा कर दी कि गलत दी है और फिर आपने उस पर ठप्पा लगा दिया। पहले तो उसे 28 लाख में जमीन दी फिर आपने कहा कि 28 लाख और जमा करायें यह बिलकुल अच्छी संस्था है और अच्छा काम कर रही है। उसको आपने 2005 में 79 लाख में जो जमीन दी है, उसकी आज वैल्यू 180 करोड़ है। तो किस प्रकार एक आदमी को निजी फायदा देने के लिए 180 करोड़ का फायदा पहुंचा दिया। उसके एक-दो करोड़ खर्च हुए होंगे। वो स्कूल आज कोचिंग चला रहा है, स्कूल नहीं चला रहा है। किसी गरीब बच्चे को एडमिशन नहीं देता है। तो ऐसे कई स्कूल हैं। यहां पर एग्जाम्पल लें जैसे सुबोध कालेज है, रेयान स्कूल है मानसरोवर में, और भी ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकारी रियायत पर भूमि लेकर आज हमारे गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाती है। फीस का तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार की जो व्यवस्था इस बिल में है तो उन भी एक कठोर कानून बनायें, अगर आपको पारदर्शिता लानी है, प्राइवेट कॉलेजों को आपको कंट्रोल में करना है। जिस प्रकार प्रशासन का रख-रखाव है, टीचर का वेतन है, एकाउंट्स से सम्बन्धित प्राइवेट स्कूलों में अन्य स्टाफ होता है, उनके जो वेतन-भत्ते होते हैं। टी.ए., डी.ए. या उसका पी.एफ या जी.एफ. जो भी रहता है, वह सारा ओपन हो। चैक के द्वारा उनको वेतन मिले। उसका रिकार्ड मेंटेन करें। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में पैसे तो दो-पांच हजार देते हैं। आप उसमें जब जोड़कर बताएंगे कि हमारा खर्चा तो यह है। एक टीचर का बीस-पचास हजार रुपये बता देंगे, जबकि एक्चुअल में पांच से दस हजार रुपये ही देंगे। तो इस बात का भी सर्वे हो जाये या खुलासा हो जाये, उसका पूरा प्रैक्टिकली। आपका जो इनकम टैक्स या जो भी है। उससे सारी जानकारी लेने के बाद कि एक्चुअल में इस स्कूल में इतना खर्चा होता है। यह फीस इतनी

(श्री रमेश)

होनी चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था सरकार करे और खण्ड स्तरीय फीस निर्धारण समिति को आपने धारा-9 के अनुसार जो शक्तियां दी हैं, वो इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देने वाली हैं। इसमें केवल वही अधिकारी लाभान्वित होंगे जिनको निरीक्षण का अधिकार होगा और राज्य सरकार निरीक्षण के समय निश्चित संख्या में अभिभावकों को भी सम्मिलित करें, तभी यह प्रावधान सफल होगा। नहीं तो इस निरीक्षण में भ्रष्टाचार होगा और इस निरीक्षण का फायदा आम अभिभावकों को नहीं मिलेगा। सरकार को फायदा मिल सकता है।

आपने एक बार फीस निर्धारण के पश्चात् तीन साल तक वही रखने का जो निर्णय लिया है, यह भी हमारी समिति के निर्णय की नकल ही है, लेकिन आपने कहीं भी विद्यालय द्वारा इनडाइरेक्ट या छिपे तौर पर भुगतान लेने सम्बन्धी शिकायत या कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं रखा है। जबकि अधिकांश निजी विद्यालयों में डोनेशन या डवलपमेंट फीस के नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम वसूलते हैं। इसके बाद आपने पुनरीक्षण समिति का गठन किया है, जिसमें सात अधिकारी, दो स्कूल के प्रतिनिधियों के साथ केवल दो माता-पिता के रूप में प्रतिनिधि भी हैं। आप हर स्थान पर माता-पिता के प्रतिनिधित्व को कमजोर करने पर क्यों तुले हुए हैं? आप माता-पिता के प्रतिनिधित्व की संख्या, अधिकारी और स्कूल प्रतिनिधियों की कुल संख्या से पांच गुना तक बढ़ायें और आपने जो फीस दण्ड का प्रोविजन रखा है कि पचास रुपये से ढाई लाख रुपये तक, बड़े-बड़े स्कूलों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दण्ड दे दें, आपको पचास हजार रुपये दे जाएगा, आपको एक लाख रुपये दे जाएगा। मनमानी फीस वसूल करेगा। इसमें आप कौनसा कानून ला रहे हो, जिससे अभिभावकों को फायदा होगा? और आपने लिखा है कि दुबारा अपराध करेगा तो एक लाख रुपये हो, वो तो आपको दो लाख रुपये भी दे देगा। फीस वसूल करता रहेगा। आप सहयोग करते रहना कि बहुत बड़ी वाहवाही ले ली कि हमने उसको दण्ड दे दिया। पहले पचास हजार लिये, अब लाख रुपये ले लेंगे। आपने इसमें अपराधों के संज्ञान और प्रावधान में उपनिदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा फाइल परिवाद के सिवाय किसी अन्य फाइल परिवाद पर नहीं देकर। यहां पर भी एक तरह से इंस्पेक्टर राज को ही बढ़ावा देने का प्रयास किया है। क्योंकि सम्बन्धित अधिकारी को प्रभावित करना बड़ी ईजी गोइंग बात हो गई है। उससे मिल लेगा, उसकी सुनवाई हो जायेगी, उसकी अपील हो जायेगी और परिवाद को वहां खारिज कर देगा कि जो भी स्कूल वाले कह रहे

(श्री रमेश)

हैं वो सही है। अभिभावक कह रहे हैं, वो गलत है। इस तरह से इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देना, प्राइवेट स्कूलों को मनमानी फीस वसूल करने का जो सिस्टम या जो बिल लाये हैं, उससे लोगों में निराशा फैलेगी। इससे संशोधन होना चाहिए और इस बिल में जो बातें होनी चाहिए थी। विद्यालय द्वारा किताब-कापी और ड्रेसों का स्वयं के स्तर पर निर्धारित दुकान से विक्रय निश्चित करना। इसमें भी बहुत अधिक लूटा जायेगा। राज्य सरकार निश्चित करे कि अभिभावक यह स्वयं के स्तर पर खरीद सके और ड्रेस में एकरूपता के प्रावधान को बनाये रखे।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि जो अधिकारी किसी समिति का सदस्य है, उसके बच्चे या निकटतम रिश्तेदार सम्बन्धित विद्यालय में अध्ययन ना कर रहे हों। अभिभावक संगम को तार्किक आधार पर सभी समितियों के निर्णयों के पश्चात ही वीटो का अधिकार हो। अंतिम निर्णय लेने से पूर्व अभिभावक संगम की सहमति आवश्यक हो, जब तक अभिभावक संगम एकजुट और फीस के सम्बन्ध में सहमत नहीं होगा, तब तक इस प्रकार से फीस का निर्धारण किसी भी प्रकार से अभिभावकों के हितों की रक्षा नहीं कर सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, जिस प्रकार सरकार यह बिल लायी है और इससे निजी स्कूलों को बढ़ावा देने का काम हुआ है, एक मोनोपोली आइटम बन जाएगा। वो किसी के बस नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस सरकार का जिस प्रकार का वातावरण इस प्रदेश में बन रहा है। पहले शिक्षा मंत्री थे माननीय कालीचरण जी, फिर उनकी शिकायत हुई तो उनको बदला गया और माननीय देवनानी जी को बिठाया गया। देवनानी जी के समय में ट्रांसफर-तबादले हुए तो यहां पर भी शिकायत हो गई। शिकायत भ्रष्टाचार की हुई या अन्य कोई मैटर होगा। इस बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन यहां भी तबादलों के संदर्भ में एक समिति का गठन कर दिया। एक तबादला कमेटी बना दी और उसमें भी जनप्रतिनिधि नहीं, मंत्री नहीं। तो यह कैसी सरकार है? कौनसा बिल ला रही है? क्या काम करेगी? जब अपने स्तर पर तबादलों में पारदर्शिता नहीं है। काम में कोई पारदर्शिता नहीं है और यह बिल जो लाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ निजी विद्यालयों को बढ़ावा देने के लिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए। तो मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और इसको तीन माह के लिए परचालित करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016 सदन में विचार के लिए लाया गया है। माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके उद्देश्य और कारणों में संक्षेप में बताया है। राज्य में निजी विद्यालयों की संख्या 34 हजार के पार हो गई। 2013 में पिछली सरकार एक्ट लेकर आई थी उसमें केवल एक फीस निर्धारण समिति थी। एक फीस निर्धारण समिति राजस्थान में अपना दायित्व ठीक तरीके से नहीं निभा पाई। इसीलिए आवश्यकता महसूस की गई कि राज्य स्तरीय फीस समिति अकेली थी उसकी जगह त्रि-स्तरीय व्यवस्था की जाए। एक विद्यालय फीस समिति का गठन, एक खण्ड स्तरीय फीस समिति का गठन, एक राज्य स्तरीय फीस समिति का गठन, पुनरीक्षण समिति। मैं समझता हूं इसके पीछे बहुत पवित्र मंशा है। फीस का निर्धारण किस प्रकार से होना चाहिए, फीस निर्धारण त्वरित गति से हो इसलिए विद्यालय स्तरीय समिति बना दी जाए, सार्थक कदम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन बात कहकर अपनी बात शुरू करूंगा। प्राइवेट विद्यालयों का आकर्षण इतना बढ़ गया, पहले तो भारत सरकार को आरटीई लाना पड़ा। गरीब आदमी की इच्छाशक्ति होती है मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ूं, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में उनको बांधा। जब लगातार विद्यार्थियों की भरमार बढ़ती जा रही है, फीस वसूली के नाम पर उनको व्यावसायिक प्रतिष्ठान कहा जा रहा है और फीस नियंत्रण का कानून भी हम ला रहे हैं। नियंत्रण कह लीजिए, सुसंगत कह लीजिए लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में कई बार कहा, सौभाग्य से राज्य के शिक्षा मंत्री हैं वह स्वयं शिक्षक रहे हैं। हमें इस पर भी कभी-कभी विचार करने की आवश्यकता होनी चाहिए कि मैं जब हायर सैकण्डरी का विद्यार्थी था तब इस राजस्थान की पापुलेशन आज से आधी होगी और मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था उसकी छात्र संख्या चार हजार थी। आज जब जनसंख्या दुगनी हो गई और मैं विधायक बनकर अपने स्कूल एजुकेशन वाले विद्यालय में जाता हूं तो विद्यार्थियों की संख्या दस गुना घट गई, 400. एक्ट ला रहे हैं, हम इसको कहेंगे, अभिभावक को, विद्यालय को, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित कराकर ठीक दिशा में कदम बढ़ाने का, चिंता करके गम्भीरतापूर्ण सार्थक कदम उठा रहे हैं लेकिन

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जिस निमित्त, आप विभाग के मंत्री है, सरकारी शिक्षा में मौलिक सुधार जो आपका प्राथमिक दायित्व है, राजस्थान में यह भी संदेश जाना चाहिए कि हम सरकारी शिक्षा में सुधार और उसके प्रति इतना भरोसा पैदा कर दें कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ जो डायवर्जन हुआ उसको रोकें। आज प्राइवेट स्कूलों के फीस निर्धारण से ज्यादा बड़ी जरूरत, हमारे प्रति अविश्वास होकर उनके प्रति डायवर्जन हो रहा है उस डायवर्जन को रोकना बड़ी चुनौती है। नहीं रोक पाए तो इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर, कभी-कभी शिक्षा मंत्रीजी कहते हैं मेरे पास साढ़े चार लाख अध्यापक है। पूरी सरकार में जितने कर्मचारी हैं उससे आधे से ज्यादा मेरे पास हैं। पूरी सरकार में जितने कर्मचारी हैं उससे आधे से ज्यादा आपके पास हैं, लेकिन राजस्थान के उस विद्यार्थी का, अभिभावक का भरोसा पिछले 30 सालों में दस प्रतिशत रह गया। यह जिम्मेदार नहीं है, 30 सालों में जो कुछ भी व्यवस्थाएं बीच में रहीं, इस विषय में जब तक आत्मचिंतन नहीं करेंगे इन बिलों को लाकर हम नियंत्रण कर लेंगे।

आज हमारे लिए आवश्यक कदम उठाना है सरकारी शिक्षा में सुधार। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 22 में लिखा है कि फीस के संग्रहण का विनियमन, अधिनियम 2013 आया था, आज इस विधेयक के पारित होते ही पहले उसका निरसन हो जाएगा। निरसित हो जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी का ध्यान चाहूंगा, एक में नाम और दूसरे में परिभाषाएं। जब मैं परिभाषण पढ़ रहा हूं, (त) निजी विद्यालय, ऐसा कोई विद्यालय अभिप्रेत है जो किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा स्थापित और प्रशासित या अनुरक्षित हो, और जो राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 (1992 का अधिनियम संख्या 19) की धारा 2 के अधीन खण्ड (थ) के अन्तर्गत कोई मान्यता प्राप्त संस्था किन्तु जो भी इसमें छूट दी है, भारत सरकार जिसको संचालित कर रही हो या कोई सेमी गवर्नमैंट या जो भी है।

आपने (न) में 'विद्यालय' से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और किसी भी प्रबंध द्वारा प्रबंधित और किसी भारतीय या विदेशी पाठ्यक्रम या बोर्ड से सम्बद्ध, प्रारम्भिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय, चाहे सहायता प्राप्त, आंशिक रूप से सहायता प्राप्त और सहायता न पाने वाला हो, जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था द्वारा चलाये जाने वाला

(श्री प्रहलाद गुंजल)

विद्यालय सम्मिलित है, किन्तु इसमें केवल धार्मिक अनुदेश प्रदान करने वाला कोई विद्यालय सम्मिलित नहीं है, अभिप्रेत है।

मानननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल मेरी शंका का समाधान चाहता हूं। मैं कोटा से आता हूं। दो लाख विद्यार्थी हैं। दसवीं कक्षा पास करके वहां एक लाख बच्चे कोचिंग के लिए आ जाते हैं, 11वीं में आकर वह सीबीएसई बोर्ड के किसी स्कूल में एडमिशन लेता है। वहां केवल स्कूल को फीस देता है। उसकी पढ़ाई केवल कोचिंग संस्थान में होती है। यह जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं में आप, राजस्थान सरकार सीबीएसई स्कूलों को मान्यता दे सकती है, मेरी जानकारी कम है। इसमें तो आपने लिखा है राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। मैं समझता हूं कि सीबीएसई की मान्यता तो भारत सरकार से मिलती होगी। अभी जोगाराम जी बोलेंगे तो ज्यादा स्पष्ट करेंगे, उनको कानून की जानकारी ज्यादा है।

क्या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सीबीएसई के स्कूल, आज जिसके पास जरा सी भी संसाधनों की पूर्ति है वह अभिभावक अपने बच्चे को सीबीएसई के स्कूल में पढ़ाना चाहता है। राजस्थान शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल तो सेवा कर रहे हैं गांव में। फसल पर फीस दे देना, फसल आए जब। असली फीस वसूली हो रही है वह केन्द्रीय माध्यमिक बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में हो रही है। अगर आप उनको इस परिभाषा में कवर करते हो तो मैं समझता हूं कि सारा का सारा राजस्थान वाकई में ऐसा महसूस करेगा कि आपने इस प्रदेश के एक-एक अभिभावक को और एक-एक बच्चे को न्याय दिलाने का कदम उठाया है। अगर आप इससे सीबीएसई के स्कूल बाहर रखेंगे तो मैं समझता हूं कि यह बिल आधा है। बिल अच्छा है लेकिन बिल आधा है। आधा बिल लाकर हम पूरे राजस्थान को न्याय दिला दें यह कल्पना हमारी कैसे पूरी होगी इस बारे में मैं समझता हूं कि जब मंत्रीजी जवाब देंगे तो निश्चित ही बताएंगे।

मैंने सीबीएसई का कहा है। अध्याय दो, फीस संग्रहण के लिए लिखा है, कोई विद्यालय स्वयं या इसके निमित्त इस अधिनियम के अधीन नियत या अनुमोदित फीस से अधिक कोई फीस संग्रहित नहीं करेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पूरे के पूरे एक्ट को पढ़ लीजिए या तो जल्दबाजी में लाए हैं। कल एक तो भूमि वाला तो यहीं आ गया, रात को 12 बजे यहां से गए, पढ़ नहीं

(श्री प्रहलाद गुंजल)

पाए। मैं तो इसमें नहीं पढ़ पाया कि आपकी मैक्सिमम फीस लिमिट क्या होगी, मिनिमम फीस लिमिट क्या होगी, यह कहीं भी नहीं है। उससे ज्यादा तो नहीं लेंगे, पर ज्यादा क्या होगी।

फिर आपने माता-पिता संगम, प्रत्येक निजी विद्यालय में माता-पिता-अध्यापक संगम का गठन होगा। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ में 30 दिवस के भीतर-भीतर विद्यालय के मुखिया द्वारा माता-पिता संगम गठित किया जाएगा। विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक और विद्यालय के प्रत्येक छात्र का माता-पिता, संगम का सदस्य होगा और नगरीय क्षेत्र की दशा में 50 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र की दशा में 20 रुपये। मेरा कहना यह है, मैंने यह परिभाषाएं पढ़ी हैं। प्रिंसिपल भी डिफाइंड है, प्राचार्य भी डिफाइंड है, सारी परिभाषाएं, यह 'मुखिया' कौन है। मुझे तो पता नहीं कि यह मुखिया परिभाषा में कौन है, जो माता-पिता-अध्यापक संगम का गठन करेगा। कल जाकर कोई कानूनी विवाद आया कि आखिर यह एक्ट में मुखिया नाम की चीज क्या है। इस एक्ट में कहीं मुखिया परिभाषित नहीं है। या तो आपने यह मान लिया कि एक व्यक्ति है, सोसाइटी नहीं, सोसाइटी तो उसके अधीन कागजी फार्मेशन है, स्कूल को चलाता है। परम्परा यही है, जिसको हम अघोषित रूप से राजस्थान की इस विधान सभा में स्वीकार कर रहे हैं कि सोसाइटी तो स्कूल चलाती नहीं है, एक व्यक्ति है, जो मालिक है। सोसाइटी तो एक कागजी फार्मेशन है, तो उसको डिफाइन करते मुखिया, वह जो सोसाइटी का सर्वेसर्वा पद धारित करने वाला व्यक्ति होगा, जो निजी विद्यालयों को संचालित करने वाली सोसाइटी है तो लोग सोचते कि हां वाकई उस मुखिया पर भी दायित्व डाला है। हमने मुखिया लिख दिया, परिभाषित ही नहीं किया। प्रिंसिपल पर दायित्व डालेंगे या कोई किसी और डाइरेक्टर पर दायित्व डालेंगे, मुखिया किसको डिफाइन करेंगे हम इस एक्ट में, और आपने तय कर दिया, यह 50 रुपये फीस काहे की होगी, शहरों में हर मां-बाप से, 20 रुपये गांवों में किस बात की होगी। इसका उल्लेख नहीं है, संगम गठित होकर संगम का सदस्यता शुल्क है क्या। अगर यह संगम का सदस्यता शुल्क है तो सदस्यता शुल्क के बारे में भी कहीं डिफाइन नहीं किया गया। इस वसूली के बाद इस पैसे का उपयोग कहां होगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहीं पूरे एक्ट में नहीं है। किन नियमों के दायरे में लिया जायेगा, लिया तो जायेगा, यह लिख दिया, कौन से नियम के दायरे में, कौनसे

(श्री प्रहलाद गुंजल)

प्रभार के रूप में, शुल्क के रूप में, सदस्यता के रूप में, विद्यालय विकास के रूप में, या संगम पर आयोजित होने वाले व्यय के रूप में, कहीं उल्लेख नहीं है, किस प्रभार में लेंगे, किस खर्चे के लिये लेंगे। इसको खर्च करने वाली एजेंसी कौन होगी, उसके राइट्स क्या होंगे। 5-5, 10-10 हजार बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। यह जो राशि आ जायेगी, इसको खर्च कौन करेगा। इसलिये यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि इस पर खर्चा किस प्रकार से होगा और धारा 4 की उप धारा 2 (क), इस पर बोल चुके माननीय सदस्य। पांच अभिभावक होंगे, पांच विद्यालय के लोग होंगे। मैं समझता हूं, इस पर मुझे नहीं बोलना। अभिभावक ने अपनी पैरवी की, विद्यालय ने अपनी पैरवी की, निर्णय कैसे होगा। उसकी एक अपील की व्यवस्था है। निर्णय नहीं होगा तो भी अपील होगी। निर्णय हो जायेगा और सुसंगत नहीं होगा तो भी अपील होगी। यह बात अलग है कि विद्यालय स्तरीय फीस संग्रहण समिति किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाती है तो उसका भी अपील का प्रावधान होगा, यह इस एक्ट में क्लाज नहीं जोड़ा, लेकिन नियम बनाते समय मैं समझता हूं कि इस बात का उल्लेख जरूर कर देंगे कि अगर विद्यालय के अभिभावक और विद्यालय की प्रबंधन समिति के बीच में किसी प्रकार का विवाद होता है तो वह भी जो खंडीय समिति है, उसमें निश्चित रूप से अपील के लिये जा सकती है। अभिभावक भी जा सकते हैं और विद्यालय भी जा सकता है।

मैं धारा 6 की उप धारा (2) पर जाना चाहता हूं। इसमें लिखा है, धारा 4 की (2) का (ग), माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 'विद्यालय स्तरीय फीस समिति की अवधि एक शैक्षणिक वर्ष के लिये होगी और कोई सदस्य माता-पिता विद्यालय स्तरीय फीस समिति के सदस्य के रूप में उसकी अंतिम अवधि के अवसान से आगामी तीन वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर लाटरी द्वारा लाट निकाले जाने का पात्र नहीं होगा।' मेरे ख्याल से एक बार में जो फीस निर्धारित होगी वह तीन साल के लिये होगी, तीन साल के लिये। एक बार में आप तीन साल के लिये फीस निर्धारित कर रहे हैं और समिति एक साल के लिये बना रहे हैं। दो साल विद्यालय स्तरीय फीस समिति नहीं रहेगी। फिर हर तीसरे साल में एक समिति बनानी पड़ेगी। क्या दो साल तक समिति नहीं रहेगी जो फीस के किसी भी बीच के अवरोधों के बारे में चर्चा करने की स्थितियां कर सके, मैं समझता हूं कि इसका भी उल्लेख होता तो इसमें

(श्री प्रहलाद गुंजल)

ज्यादा ठीक रहता। यह तो स्पष्ट है ही कि विद्यालय स्तरीय फीस समिति अनुमोदन किस प्रकार से करेगी। अधिनियम की अध्याय 2 की धारा 7 में आपने समिति का वर्णन किया है, खण्ड स्तरीय फीस समिति, आपने सदस्य लिखे हैं। अभिभावकों को भी आपने उसमें प्रतिनिधित्व दिया है। मैं समझता हूं कि यह अपने आप में अच्छा कदम है। धारा 8 में आपने फीस के अवधारण के कारक बताये हैं, विद्यालय की अवस्थिति, अगर इस पर विचार करके कई विद्यालय, जिनकी आर्थिक स्थितियां ज्यादा ठीक नहीं होतीं तो मैं समझता हूं कि ठीक काम करेंगे। धारा 9 में आपने लिखा है, खण्डीय फीस विनियामक समिति की शक्तियां, और फिर आपने इसमें आगे लिखा है, इस अधिनियम की धारा 9 में खण्डीय फीस विनियामक समिति की शक्तियों और कृत्यों का उल्लेख किया है। खंडीय फीस विनियामक समिति का कार्य विद्यालय प्रबन्ध और माता-पिता-अध्यापक संगम के बीच विवाद का न्याय निर्णयन करना है। परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें वाद लेकर कौन जायेगा, क्या स्कूल जायेगा, क्या अभिभावक जायेगा। मैं समझता हूं नियमों में इसको भी ठीक तरीके से परिभाषित किया जाना चाहिये ताकि इसमें जो पीड़ित पक्षकार हो उसके अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन नहीं हो और माता-पिता या फीस समिति के गैर सदस्य, फीस निर्धारित समिति के गैर सदस्य, समिति आपने दस लोगों की बना दी। अभिभावक संघ में आपके पास पांच हजार सदस्य हैं। वह, जो समिति का गैर सदस्य है लेकिन वह माता-पिता-अध्यापक संगम का सदस्य है, इस पूरे एक्ट में होने वाली किसी भी एक्टिविटी से अगर वह प्रभावित होता है तो उसके अधिकारों के बारे में, उसके जुडीशियल राइट्स, उसके अपील के राइट्स, लीगल राइट्स उनके बारे में भी निश्चित रूप से उन्हें अधिकार मिलना चाहिये।

माननीय, अब मैं धारा 9 की उप धारा (4), 'अध्यक्ष की अनुपस्थिति में खण्डीय फीस विनियामक समिति द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा। खण्डीय फीस विनियामक समिति का आदेश उसके समक्ष कार्यवाही के पक्षकारों पर दो शैक्षणिक वर्ष के लिए बाध्यकारी होगा।' माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर आप आ जाइये खण्ड (9) में, 'खण्डीय फीस विनियामक समिति द्वारा पारित किये गये आदेश निजी विद्यालयों पर तीन शैक्षणिक वर्ष के लिये आबद्धकर होंगे।' आप खण्ड (4) में तो दो के लिये कह रहे हैं। विद्यालय भी उसमें एक पक्षकार होगा। दोनों पक्षों पर दो वर्ष के लिये होगा, और खण्ड (9)

(श्री प्रहलाद गुंजल)

में आप कह रहे हैं, तीन वर्ष के लिये होगा। आखिर इन दोनों के बीच में अन्तर क्या है, उद्देश्य क्या है, परपज क्या है। 'दो' और 'तीन' अलग-अलग डिफाइन करना, पक्षकार तो विद्यालय और अभिभावक। एक में आप कह रहे हैं, सब सैक्शन (4) में कि दोनों पर दो वर्ष के लिये खण्डीय विनियामक समिति के आदेश एप्लाई होंगे और एक में कह रहे हैं तीन साल के लिये होंगे। मैं समझता हूं कि इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे कि कौनसा आदेश तो दो साल के लिये होगा, और कौनसा आदेश तीन साल के लिये होगा।

यह जो फीस निर्धारण के लिये पुनरीक्षण समिति है, इसमें कम से कम, कहीं न कहीं यह बाध्यकारी कदम रख दें कि शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने से पहले इसका विनिश्चय आ जाये, अपीलीय समिति से लेकर एक प्रक्रिया तय करें कि अगर स्कूल फीस समिति यह निर्धारण नहीं कर पाई, वह इतने समय में खण्डीय समिति के पास होगा और खण्डीय समिति से नहीं हुआ तो पुनरीक्षण समिति, उसके पास जायेंगे, यह सारी की सारी प्रक्रिया सैशन प्रारम्भ होने से पहले किस तरह से निपट जाए, इसका नियमों में स्पष्ट उल्लेख करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा ठीक रहेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाकी जो एक्ट में इन्होंने सद्‌भावनापूर्वक कार्यवाही, खण्डीय समिति, लेखा विनियम, अभिलेखों का संधारण, अपराध और शास्तियां, कोई भी एक्ट बनता है तो अपराध और शास्तियां उस एक्ट को लागू करने के लिए उल्लेखित किया जाता है। इस पर गुणावगुण के आधार पर चर्चा कर लें और चर्चा करके इस पर आगे कदम बढ़ाएं। मेरा एक और कहना है- '17- अपराधों का संज्ञान:- कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, ऐसे अधिकारी के, जो उप-निदेशक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो, जिसे सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, द्वारा फाइल किये गये किसी परिवाद के सिवाय नहीं करेगा।' न्यायालय में आपने अभिभावक को जाने की बाउंडेशंस लगा दी। डिप्टी डाइरेक्टर ही जा पाएगा। क्यों भाई? आपके फैसले से डिप्टी डाइरेक्टर, अभिभावक संतुष्ट नहीं है तो इससे अभिभावक अधिकारी और विद्यालय प्रबंधन के बीच में फुटबाल बन जाएगा और इसलिए मेरा निवेदन दो, तीन बातों पर है कि एक तो दो साल और तीन साल के उस पर करें, एक डिप्टी डाइरेक्टर अकेले को राइट, अपील नहीं होना चाहिए, तीसरा, टाइम बाउंड प्रोग्राम हो और चौथा, सी.बी.एस.ई. को आप कवर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? आप या तो परिभाषाओं में या कहीं पर भी परंतुक में यह

(श्री प्रहलाद गुंजल)

डाल दें कि राज्य में संचालित गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त करने हेतु राज्य के शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने की आवश्यकता होती है। आप एक यही डाल दें। विद्यालय का मतलब, राज्य के किसी भी शिक्षा अधिकारी या डिप्टी डाइरेक्टर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, संचालन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त संस्था, इतना उल्लेख करने मात्र से यह जो सी.बी.एस.ई. के स्कूल संचालित हो रहे हैं, यह सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। वह अलग बात है कि वह कोर्ट में जाएंगे कि हमारी मान्यता तो वहां से है लेकिन यह डाल दें कि ऐसे किसी विद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु विभाग को आवेदन किये जाने पर आवश्यक जांच और कार्यवाही कर ऐसे विद्यालय को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाता है। हम कंडिशन लगा दें, ऐसे अनापत्ति प्रमाण-पत्र को जारी किये जाने के बावजूद उक्त विद्यालय राजस्थान गैर-शैक्षणिक संस्था अधिनियम, 1959 और नियम, 1993 की पालना में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना किये जाने के लिए, आज वह बाध्य नहीं है, नहीं है, आप एक्ट लाकर कैसे बाध्य कर दोगे? एक्ट में आप क्लाज डालो। भारत सरकार कोई एक्ट लाती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम राजस्थान के हितों के अनुकूल उसमें अपना अमेंडमेंट करते हैं। आप अगर सैंट्रल एजुकेशन का कोई उनका एक्ट है, सी.बी.एस.ई. बोर्ड का, उसकी कुछ धाराओं में राजस्थान के हितों के अनुकूल अमेंडमेंट कर सकता है, यह सदन या इसमें उल्लेख कर सकता है तो मैं समझता हूं कि जब इसका समग्र कार्य क्षेत्र पूरा राजस्थान आप ले रहे हैं, राजस्थान के एक अभिभावक और एक-एक विद्यार्थी को लाभ दिलवाना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सी.बी.एस.ई. के स्कूलों को कवर करो और सी.बी.एस.ई. के स्कूलों को कवर नहीं किया तो आधे राजस्थान को लाभ मिलेगा। बिल पूरे राजस्थान के लिए और फायदा आधे राजस्थान को, इस पर विचार करें। विचार करके ठोस कदम उठायें। नियम बनाते समय या फिर आपको एक अमेंडमेंट लाना पड़ेगा कि आखिर ज्यादा बच्चे तो सेंट्रल स्कूल्स की तरफ ही आकर्षित हो रहे हैं।

मेरा इतना ही आग्रह है, आप स्वयं शिक्षक हैं। सरकारी शिक्षा में गुणात्मक सुधार का चिंतन करें। इनको हैड-मास्टर अपन बना रहे हैं, फीस निर्धारण से लेकर सैक्रेटरी वगैरह को, इनको डी.डी. को और इनको जरा कहो

(श्री प्रहलाद गुंजल)
तो सही कि भाई, नीचे पांचवी तक का पहाड़ा आठवीं के बच्चों को नहीं आता पांच का पहाड़ा। पांचवी के बच्चों को चार का पहाड़ा नहीं आता, इस पर भी चिंता कर लो, हैड-मास्टरी बहुत हो गयी। हमने जो यह अध्यापकों को प्रशासनिक अधिकारी बना दिया, अलग-अलग विभागों में भेजकर, उनकी मानिटरिंग की व्यवस्था करके, अध्यापन का काम हमारे सरकारी स्कूल का समाप्त होता जा रहा है, यह हमारे लिए चिंता की और दु:खदायी स्थिति है। इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, आप तो अध्यापक हैं। आपने सारे शिक्षा के क्षेत्र के उतार-चढ़ाव और सारी नीतियों में बदलाव और किस तरीके से हमारी शिक्षा पद्धति का हश्र हुआ है, यह सारा आपने देखा है और अध्ययन और विवेचन आपने किया है।

मैं समझता हूं कि इन सारे अनुभवों के आधार पर आप इस एक्ट के साथ-साथ सरकारी शिक्षा की माली हालत में सुधार के बारे में गम्भीर कदम उठाएंगे और जो हमारे से डाइवर्ट होकर भरोसा प्राइवेट स्कूल की तरफ चला गया है, वापस उस मन को हमारी तरफ डाइवर्ट करेंगे, यह डाइवर्शन करने में आप अगर सफल होंगे तो आप राजस्थान के ऐतिहासिक शिक्षा मंत्री होंगे। लोग इतिहास में आपको याद करेंगे। मेरी आपको शुभ-कामनाएं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन था कि आज इस सदन की नेता की तरफ से भोज भी है, फिल्म भी देखनी है, सब लोग आमंत्रित भी हैं इसलिए थोड़ा संक्षिप्त हो जाए। पांच बजे तक अपने दोनों बिल पास हो जाएं तो उसके पश्चात् लोग अपने ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): उससे पहले ही हो जाएंगे आज दोनों ही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आसन क्या करे, संसदीय कार्य मंत्री महोदय?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप सर्व-शक्तिशाली हो, आपमें इतनी शक्ति है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इतने विद्वानों की बुद्धि के, कुशाग्र बुद्धि का भण्डार है कि उसका उपयोग और उसका, वह इस सदन में करने में तत्पर है इसलिए आसन भी बंधा हुआ है कुछ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सर्व-शक्तिशाली हैं। वह हनुमानजी को थोड़े ही पता था, जामवंत ने हनुमानजी को बताया तब ही पता लगा कि कितने शक्तिशाली हैं। मैं तो आपकी शक्ति का अहसास दिलवाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए भाग कर आया हूं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हमको पहले ही अहसास है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण बिल है और आज अंतिम दिन संसदीय कार्य मंत्रीजी यह लाए हैं। मैं समझता हूं कि यह तो चाहते ही यही हैं कि आनन-फानन में हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता करके घर चले जाएं और पिक्चर देखें ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आनन-फानन में नहीं हो रहा है, विधिवत हो रहा है यह।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लेकिन यह राजस्थान की जनता का सदन है, जनता ने चुनकर भेजा है, उनके हितों की रक्षा के लिए, पूरे समय बात करेंगे और माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेहरबान हैं तो फिर आप कर भी क्या सकते हैं? जब उपाध्यक्ष महोदय, आसन मेहरबान है तो फिर जनता के हितों की बात सदन में होगी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अब आप टाइम जाया न करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हमेशा इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। माननीय सचेतक महोदय, कुछ बातें तो ऐसी होती हैं ...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): खुदा मेहरबान तो ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हर समय पर आप स्कोर करने की सोचो न, यह स्कोर नहीं होते इस तरह मतलब, फिर एथिक्स क्या रहेगी? कौन बात करेगा आपस में?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माइनस स्कोरिंग हो रहा है, माइनस स्कोरिंग।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जब एक बार तय हो गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता को आमंत्रित जब मुख्य मंत्रीजी ने किया तब सारी बात तय हो गयी, उसके बाद भी अब बिना मतलब, इनके होड़ लगी हुई है, 22 तो जने हो, कौन आगे, कौन पीछे, बात करते हैं बिना मतलब ही। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अति संक्षेप में सिर्फ पांच पाइंट के लिए आपको निवेदन करूंगा। मैं इस बात को मानता हूं कि यह बिल एक प्रोग्रेसिव बिल है और मैं सारी भूमिका नहीं बांधकर सीधा ही मेरा जो पाइंट है, उस पर आ जाता हूं। पहला नम्बर कि यह बिल क्यों आया और इस बिल के आने के पीछे दो कारण, यह जो मैंने आब्जेक्शन बताए हैं, उसमें एक बात मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वह फैक्चुअली थोड़ा-सा गलत है। आपने जो 34 हजार प्राइवेट स्कूलें बतायी हैं लगभग, वह 34 हजार नहीं होकर अभी जो रिपोर्ट पेश हुई है, उसके अनुसार यह 21548 है तो 21548 व 34 हजार में थोड़ा ज्यादा फर्क है इसीलिए करीब, यह मानकर चलें कि 21 हजार, 22 हजार के आस-पास प्राइवेट स्कूल्स हैं और यह बिल उनके लिए है।

दूसरा, यह कि इसमें भी जो पी.एस. स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। वह तो करीब पांच हजार के आस-पास ही हैं। यू.पी.एस. है, वह करीब 16 हजार के आस-पास है लेकिन सबसे बड़ा जो बिल लाने का कारण रहा है, वह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय रहा है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. रिट पिटीशन संख्या-1812/2014, सोसाइटी फार अन-एडेड प्राइवेट स्कूल फार राजस्थान, जयपुर वर्सेज प्रिंसिपल सैक्रेटरी स्कूल आफ शिक्षण संस्थान एजुकेशन उसमें और उसमें दिनांक 7.10.2014 को उन्होंने यह कहा कि इस एक्ट में जो कमप्लीट टोक लगाने का, ...(व्यवधान) यह बंद कर दो। कमप्लीट बैन लगाने का जो कहा गया है वह पूर्ण रूप से गलत है और उनको स्कूल की फीस बढ़नी भी चाहिए, एक्सेस भी बढ़नी चाहिए और दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए और इसी के आधार पर यह एक्ट लाया गया है और इसमें जो पैरा नम्बर-13, 14 और 15, इनमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो आब्जर्वेशन किया है, उसमें एक पैरा जो पांच लाइन का मैं आपके सामने निवेदन करूंगा "As an interim measure, we direct that unaided private schools in the State of Rajasthan, for which the fee structure has not been determined by the Committee, will be free to increase the fees for the academic session 2014-15, and thereafter, until the fee structure is determined in respect of such school by the Committee constituted under the Rajasthan School (Regulations of Collection of Fee) Act, 2013, on a condition that such unaided private schools will submit an undertaking to the statutory body with which they are affiliated and recognized, to the effect that they will abide by the fee structure to be fixed by the Committee under the Rajasthan Schools (Regulations of Collection of Fee) Act, 2013 subject to challenge of the increase in accordance with law. This

(श्री जोगाराम पटेल)

undertaking will be in addition to the undertaking to be given under sub-rule (1) of rule 8A (Form - 1) for grant of recognition under the Rules made under the RTE Act."

(14.00 बजे)

एक तो यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेन तो यह था और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर यह री-कंसीडर करना था और दूसरा यह था कि इसमें एक बार कमेटी ने जो भी निर्णय ले लिया, उसकी कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं थी। Either appeal or revision or whatever may be. वो कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं थी, इसीलिये यह दूसरा एक्ट लाने की आवश्यकता हुई।

दूसरा, मेरा निवेदन यह था, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इस एक्ट को लाने की मंशा यह भी है कि दोनों के बीच में बैलेंस रखना है। फीस भी निर्धारित करनी है, रीजनेबल करनी है और स्कूलों के साथ भी न्याय करना है। पेरेंट्स पर भी भार नहीं पड़े और स्कूलों की फीस की वजह से ऐसी स्थिति भी नहीं आए कि स्कूल चलाने में असमर्थ हो जाए।

हालांकि जैसा कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने निवेदन किया, हमारा बेसिक उद्देश्य होना चाहिये कि हमारी स्कूल्स, हमारे सरकारी विद्यालय आगे बढ़ें और वह इस स्थिति में आ जाएं कि प्राइवेट स्कूलें बंद होने की स्थिति में आ जाएं। आज की तारीख में भी हमारे पास 45 लाख 71 हजार के लगभग विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनके पास सिर्फ 29 लाख 17 हजार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अगर इस आंकड़े को हम धीरे-धीरे कम करना शुरू कर दें तो आने वाले 3-4 वर्ष के उपरान्त प्राइवेट स्कूलें अपने आप ही बंद होने की स्थिति में आ जाएंगी। तो फीस बढ़ाने का प्रश्न नहीं रहेगा, फीस कम करने का प्रश्न आ जाएगा।

साथ ही साथ हमारे पास 51 हजार से अधिक, करीब 52 हजार स्कूलें हैं प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल और उनके पास सिर्फ 21 हजार स्कूलें हैं।

मेरा पहला निवेदन माननीय मंत्री महोदय से यह है कि हम हमारी स्कूलों की व्यवस्था इतनी बढ़िया करें कि प्राइवेट स्कूलें हमारे कम्पीटिशन में आ ही नहीं सकें और उसके लिये दो-तीन बातें हैं। हमारा एजुकेशन स्टैण्डर्ड हो, एजुकेशन स्टैण्डर्ड होने के साथ ही साथ हमारा जो विद्यार्थी है, वह दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। प्राइवेट विद्यालय क्या करते हैं दो-चार अंग्रेजी की किताबें

(श्री जोगाराम पटेल)

चला देते हैं, ड्रेस लगा देते हैं, टाई लगा देते हैं तो समझते हैं हमारा बच्चा बहुत ही ज्यादा पढ़ रहा है। हमें भी इस बारे में विचार करना पड़ेगा कि हमारा स्कूल का जो स्टैण्डर्ड है, वह दिखने में अच्छा हो, बिल्डिंग पर रंग-रोगन हो, बैठने की व्यवस्था अच्छी हो। हमारा जो छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, उसकी ड्रेस से उसका लुक भी एकदम अच्छा लगे तो वह प्राइवेट स्कूल के कम्पीटिशन में आ सके। यह अगर हम कर देंगे तो आने वाले दो या तीन साल के उपरान्त धीरे-धीरे हम प्राइवेट स्कूल के कम्पीटिशन में आ जाएंगे और उनकी जो हमारे से आधी स्कूलें हैं, और हमारे से करीब आधी के करीब उनके जो स्टूडैण्ट्स हैं, वह अगर हम वन थर्ड कर देंगे तो धीरे-धीरे वह स्कूलें हमारे कम्पीटिशन में नहीं रहेंगी। पहला निवेदन तो मेरा यह था।

दूसरा, जो पाइंट मैं निवेदन कर रहा हूं और माननीय मंत्री का आपके मार्फत भी ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो हमारी कमेटी बन रही है, इस कमेटी को हम एवरी ईयर ले रहे हैं। यह जो आपकी फीस निर्धारण समिति बन रही है, इसको हम एवरी ईयर बना रहे हैं। हर साल बना रहे हैं, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिये बना रहे हैं और इसका जो कार्यकाल रख रहे हैं, वह कार्यकाल हर वर्ष रख रहे हैं। एक ही वर्ष के लिये रख रहे हैं। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ में 30 दिन के भीतर-भीतर विद्यालय के मुखिया द्वारा माता-पिता, अध्यापक, अब मेरे इसमें तीन सजेशन हैं। यह एक बार फीस डिटरमिन हो रही है, वो पहले दो साल के लिये थी, अब अमेंडमेंट सरकार जो खुद लाई, उसके अनुसार तीन वर्ष के लिये हो रही है। एक बार जब फीस तीन वर्ष के लिये डिटरमिन हो गयी तो मेरा सब्मिशन यह है कि जब कमेटी की जरूरत ही नहीं है हमारी इस कमेटी की, तो फिर हर विद्यार्थी पर 50 रुपये का भार डालना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें मेंडेटरी कर दिया है। हर विद्यार्थी का जो अभिभावक है, उसको 50 रुपये हर वर्ष देना है और अगर हम दो वर्ष के लिये इस कमेटी का हर वर्ष की तरह गठन नहीं करें तो भी काम चलेगा और एक विद्यार्थी पर 50 रुपये बचेंगे तो वह बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा। दूसरा रीजन यह भी है कि यह एक राजनीतिक अखाड़ा भी विद्यालय में हो जाएगा, क्योंकि हर विद्यालय का मैनेजमेंट है, वह यह चाहेगा कि उस कमेटी में आने वाले मैक्सिमम मैम्बर मेरे फेवर के हों। मैं जो फीस का प्रपोजल कर रहा हूं, वह मेरी मानें और मैं जिनका चयन कर रहा हूं दो आदमियों का या दो अभिभावकों का या दो पेरेंट्स का, वह हो। तो ऐसी स्थिति में वह अनावश्यक

(श्री जोगाराम पटेल)

रूप से रोजाना, अगर हर वर्ष उसकी कमेटी बनेगी तो कमेटी बनते ही तो स्वाभाविक है कि प्रतिद्वन्द्विता होती है या कम्पीटिशन होता है कि मैं इसमें मैम्बर चुना जाऊं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इसमें जब कमेटी के जो मैम्बर चुने जा रहे हैं, जो दो सदस्य चुने जा रहे हैं, उनका कार्यकाल भी इसमें दो वर्ष बताया गया है कि एक बार उनका नोमिनेशन होने के बाद वह दो वर्ष तक रहेंगे। अब मैं इस वर्ष एकेडेमिक ईयर, मेरा जो अगला आ रहा है 2016-17 का, उसमें जिन दो व्यक्तियों का नोमिनेशन हो गया, अगले वर्ष कमेटी दूसरी आएगी, वह कमेटी कहेगी, नहीं यह जो दो नोमिनेशन किया है, यह हमें पसन्द नहीं। हमारे हिसाब से तो यह दो दूसरे होने चाहिए। पहला तो यह कि राज्य में अखाड़ा हो जाएगा और दूसरा यह कि आपस में वैमनस्यता की स्थिति भी हो जाएगी। जिन दो का नोमिनेशन करके भेजा गया है, हो सकता है उन दो में से उनके जो बच्चे हैं, वह और किसी स्कूल में शिफ्ट हो गये, या उन्होंने उस स्कूल का स्टैण्डर्ड पूरा कर दिया और बाहर निकल गये। ऐसी स्थिति में इनका कार्यकाल या तो तीन वर्ष कर दिया जावे, जो समिति है और जो नोमिनेशन होने वाले जो पेरेंट्स हैं, इनका भी तीन वर्ष कर दिया जावे और फीस का डिटरमिनेशन, समिति का कार्यकाल है, वह भी तीन वर्ष कर दिया जावे तो तीनों में एकरूपता हो जाएगी।

तीसरा, जो मेरा निवेदन है कि इसमें हिन्दी में लिखा है माता-पिता और अंग्रेजी में लिखा है पेरेंट्स। इसको भी आप संशोधित कर लें। माता-पिता का इक्वल पेरेंट्स नहीं होगा। आप माता-पिता लिखें तो फिर यहां अंग्रेजी में भी माता-पिता ही लिखें। मैंने इसलिये एक संशोधन भी दिया था कि अभिभावक जोड़ना भी जरूरी है और अगर आप पेरेंट्स या अभिभावक लिख देते तो यह हिन्दी-अंग्रेजी की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसमें तो पेरेंट्स लिखा है और यहां लिखा है माता-पिता। यहां तो पेरेंट्स-टीचर्स एसोसिएशन है और यहां माता-पिता एसोसिएशन है। इसलिये इसको भी ठीक करें।

नैक्स्ट, जो मेरा निवेदन है कि इन प्राइवेट स्कूलों की जो फीस निर्धारित हो रही है, वह फीस निर्धारण होने के बाद चाहे वह अपीलेट आथोरिटी में हो, या रिवीजनल आथोरिटी में हो, उनको भी आप तीन वर्ष के लिये टर्म दे रहे हैं, लेकिन उनका नोमिनेशन जो है, चाहे वह कमेटी का नोमिनेशन, चाहे वह रिवीजनल कमेटी का नोमिनेशन या दूसरी कमेटी का नोमिनेशन हो, उसका

(श्री जोगाराम पटेल)

कोई क्राइटेरिया तय होना चाहिये। पहले में तो आपने लाटरी से कर दिया, लेकिन जो डिवीजनल कमिश्नर लेवल की है या स्टेट लेवल की है, उसके सलेक्शन या नोमिनेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसलिये मेरा इसमें निवेदन है कि क्राइटेरिया भी मुकर्रर किया जाए।

लास्ट में, समय की नजाकतता को देखते हुए निवेदन करूंगा मैं, वह यह कि हम अपने स्कूलों का, जैसा मैंने पहले बताया, विस्तार करें। क्वालिफिकेशन का स्टैण्डर्ड बढ़ाएं, गुणात्मक शिक्षा देवें और विद्यालयों में जो हमारी कमी है, उसको बढ़ाने का प्रयास करें, हमारे अध्यापकों की जो कमी है, वेकेन्सी है, उसको भरें। प्राइमरी स्कूलों में आपने किया है, इसके लिये आपको धन्यवाद। यदि प्राइमरी सैक्शन में हम इंगलिश को प्रारम्भ करें आप्शनल सब्जैक्ट के रूप में, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की जो ड्रेस है, उस ड्रेस को बदलें।

बिल्डिंग की रिपेयरिंग इत्यादि के बारे में तो मैंने आपसे निवेदन कर दिया और आखिर में मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि यह जो फीस निर्धारण समिति है, इस फीस निर्धारण समिति में मेंडेटरी नहीं करें। नहीं तो एक स्टूडेंट पर 50 रुपये का भार बढ़ जाएगा, यह आप्शनल कर दें। अगर कोई पेरेंट्स कहें कि कुछ भी फीस करो मेरे तो कोई विवाद नहीं है और वह कमेटी में नहीं आना चाहे तो उससे जबर्दस्ती 50 रुपया वसूल नहीं किया जाए। जो मैम्बर बनना चाहे, वह 50 रुपये दे दे, जो नहीं बनना चाहे उसकी इच्छा पर छोड़ दें।

यह कुछ मुख्य-मुख्य बातें आपसे निवेदन करनी थीं, आपने मुझे समय दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, उसे मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री धीरज गुर्जर।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे मैं बिल पर तो बोल ही रहा हूं, लेकिन मैं यह कहता हूं कि हमारे बिलों की भाषा इतनी क्लिष्ट होती है, इतनी क्लिष्ट हिन्दी का उपयोग करते हैं कि आमजन समझ ही नहीं पाते। जैसे अभी जोगाराम जी ने उठाया कि माता-पिता और अभिभावक में अंतर हो गया। माता-पिता नहीं हैं और उसके अभिभावक उसको पाल रहे हैं तो वह अभिभावक कोई भी हो सकता है, दादा-दादी हो सकते हैं,

(श्री धीरज गुर्जर)

चाचा-चाची हो सकते हैं, जिनके पास बच्चा रह रहा है, वह हो सकते हैं। और कई ऐसे शब्द हैं। उधर आप लिख रहे हैं एसोसिएशन और इधर आप लिख रहे हैं संगम। अब संगम का अर्थ अपने आप में मिलना होता है और एसोसिएशन का अर्थ अगर हम निकालें तो अलग है। कुछ जगह हिन्दी सरल है, कुछ जगह अंग्रेजी सरल है।

कम से कम यह जो बिल आते हैं विधान सभा के अन्दर, तो यह सिर्फ हमारे पढ़ने के लिये नहीं होते, इनको आमजन भी पढ़ना चाहता है। साधारण लोग भी पढ़ना चाहते हैं। कम से कम यह ऐसी भाषा में होना चाहिये, सामान्य बोल-चाल की हिन्दी भाषा के अन्दर, कि जिसको आम-आदमी उन बिलों को पढ़कर इनके अन्दर जो बातें छिपी हुई हैं, क्योंकि बहुत सी बार इस लेंग्वेज के जाल के अन्दर ऐसी बातें भी आदमी के दिमाग में आने से छूट जाती हैं, जिनका उपयोग होना चाहिये। मुझे पता नहीं इस बारे में यहां बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात यहां रख रहा हूं कि बिल आगे से कोई भी सरकार लाए, तो कम से कम ऐसा बिल लेकर आए, ऐसी भाषा में लेकर आए कि वह सामान्य बोलचाल की भाषा के शब्दों का उपयोग हो, उसमें इतने भारी-भरकम शब्द नहीं हो कि उसका अर्थ कुछ और निकले और आदमी समझे कुछ और।

दूसरी बात है कि हम जो निजी स्कूल की बात करते हैं, आम आदमी के लिए निजी स्कूल का मतलब यह नहीं है जो गांवों के अन्दर छोटी-छोटी स्कूलें चल रही हैं या तहसीलों के अन्दर स्कूलें चल रही हैं। निजी स्कूलों से उनका मतलब है कि जो शिक्षा का माफिया बन गया है, जयपुर के अन्दर या बड़े-बड़े शहरों के अन्दर जो बड़े-बड़े कारपोरेट घरानों ने या व्यावसायिक घरानों ने लाखों-करोड़ों लगाकर अपना स्ट्रक्चर खड़ा करके जो अपनी चकाचौंध की दुनिया स्थापित करी है। क्योंकि हर आदमी चाहता है, वो कितना ही गरीब आदमी हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला आदमी क्यों नहीं हो वो यह जरूर चाहता है, उसकी क्षमता से ज्यादा वो कोशिश करता है कि मेरा बेटा अच्छा पढ़-लिख जाए। तो जो यह शिक्षा का मंदिर होता है यह शिक्षा का मंदिर नहीं होकर यह पैसा कमाने का एक जरिया बनता जा रहा है। इसके अन्दर सबसे बड़ी कमी है, मैंने पहले भी मंत्रीजी को कहा था कि निजी स्कूलें इसीलिए प्रभावी हैं क्योंकि हमारे पास जो टीचर है वो प्रतियोगिता में पास हुआ जो इंटेलिजेंट आदमी है वो हमारी स्कूल में टीचर है लेकिन वो समय पर जाता नहीं है,

(श्री धीरज गुर्जर)

हमारा उस प्रभावी नियंत्रण नहीं है। हमारी स्कूलों की बिल्डिंगें ऐसी नहीं हैं, स्कूलों के अन्दर कोई बच्चों का ध्यान रखने वाला नहीं है और निजी स्कूलों के अन्दर हम से कमतर क्षमताएं हैं लेकिन फिर भी वो दिखावे के दम पर हमारे आदमियों को ज्यादा अन्दर खींच लेते हैं। इसलिए सरकारी स्कूलों को प्रभावी बनाना होगा।

मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने यह मोबाइल का प्रतिबंध लागू किया है, इसके अन्दर कितना ही विरोध हो, आप घबराना मत, मंत्रीजी, आपने बिलकुल सही किया है क्योंकि जो +++ जैसी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं, स्कूलों के अन्दर बच्चियों के साथ छेड़-छाड़ की घटनाएं होती हैं और जो बच्चियों के बौद्धिक स्तर और मानसिक स्तर में जब उनको मां सरस्वती का ज्ञान मिलना चाहिए उस समय मोबाइल के द्वारा जो अश्लील चीजें उनके दिमाग के अन्दर जाती हैं, उस पर आपने शिक्षा के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाने का बहुत हिम्मत वाला काम किया है। इसके लिए आप निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं।

जो मैं आपसे कह रहा हूं कि फीस की ही लूट नहीं होती है, फीस के अलावा जो यह प्राइवेट स्कूल लूट करते हैं उसका सबसे बड़ा माध्यम इन्होंने बना रखा है किताबों और कापियों को, और कापियों यूनिफार्म को। मैंने आपसे इस सदन में पहले भी मांग की थी कि पूरे राजस्थान में एक पैरामीटर लागू कर दीजिए कि जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं ए से लेकर जेड तक, जैसलमेर से लेकर कोटा तक और कोटा से लेकर भीलवाड़ा तक, उन सभी सरकारी स्कूल की ड्रेसों के अन्दर यह कपड़ा चलेगा, यह कलर होगा, इसकी रेट यह होगी और इसी तरह से इन प्राइवेट स्कूलों के अन्दर भी आप लागू कर दीजिए कि राजस्थान की सभी प्राइवेट स्कूलों के अन्दर जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए यह कपड़ा होगा, इस कपड़े की क्वालिटी यह होगी और इसकी रेट यह होगी ताकि ये जो कभी किसी से पांच हजार मीटर का कि नहीं, हम तो रीबोक की पेंट पहनायेंगे, नहीं हम तो रीबोक के जूते पहनायेंगे, नहीं हम तो एडिडास के जूते पहनाएंगे। बेचारा गांव का गरीब आदमी सोचता है कि मेरा बेटा भी जाकर उस स्कूल के अन्दर पढ़े, तो वो जिस तरह से लूट करते हैं यूनिफार्म के नाम पर, जिस तरह से लूट करते हैं जूतों के नाम पर, जिस तरह से लूट करते हैं किताबों के नाम पर, एन.सी.ई.आर.टी. की किताबों से पढ़वाना नहीं चाहते हैं, ये खुद अपनी छपाई हुई किताबों के माध्यम से अपने मन पसंद के

(श्री धीरज गुर्जर)

दुकानदार को ठेका दे देते हैं और उसके ऊपर मन पसंद की रेट तय कर देते हैं, एक-एक विषय की दो-दो, तीन-तीन किताबें हैं, बच्चे का वज़न दस किलो नहीं है लेकिन उसके बैग का वज़न बारह किलो होता है और इतना बड़ा बैग और बस्ता उसके कंधे पर लाद देते हैं क्योंकि इनका मकसद पैसा कमाना रह गया, इनका मकसद यह नहीं है कि जनता को फायदा दें या लोगों का फायदा करवाएं।

आपका जो यह बिल है, मंत्रीजी, इस बिल के अन्दर सबसे बड़ी कमी यह ही है कि आपने कहीं यह तय नहीं किया है। क्योंकि जब तक आप स्कूलों का कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे, गांव वाली स्कूल फिर उससे तहसील में जो स्कूल है, फिर जिला मुख्यालय पर जो स्कूल है, महानगरों में जो स्कूल है, आपको इनकी कैटेगरी बनाकर, जो हम पहले बिल लेकर आये थे, राज्य फीस निर्धारण समिति जो हमने बनायी थी, उसके तहत आपको मैक्सिमम फीस तय करनी होगी कि फलां-फलां स्कूल के अन्दर जो कैटेगरी है ए, बी, सी और डी, इस स्कूल के अन्दर इससे ज्यादा फीस निर्धारण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि राजा कभी नहीं चाहेगा कि रंक का बेटा उसके साथ पढ़े। जो बिड़ला में पढ़ा रहे हैं, जो जेवियर जैसी बड़ी-बड़ी, महंगी-महंगी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वहां कोई यह नहीं चाहेगा, सेठ कभी नहीं चाहेगा कि गरीब का बेटा मेरे बेटे के साथ पढ़ जाए। अब वो पांचों अभिभावक, जो लाटरी में सलेक्ट होंगे वो पांचों लाखों रुपये कमाने वाले सलेक्ट हो जाएंगे तो वो लाखों रुपये कमाने वाले उस गरीब की थोड़ी सोचेंगे, वो तो यह देखेंगे कि हमारी फीस का लेवल इतना हाई रखो ताकि उस स्कूल के अन्दर गरीब बच्चे का प्रवेश ही नहीं हो जाए। इसलिए आपको पहले यह तय करना पड़ेगा कि स्कूल के अन्दर मैक्सिमम 10 हजार रुपये, 15 हजार रुपये, 20 हजार रुपये, 25 हजार रुपये से ज्यादा कोई स्कूल अपनी फीस निर्धारित नहीं कर पायेगा और उसके बाद वो फीस कमेटी अपने स्तर पर उस फीस के अन्दर छूट देने का काम करे, फीस बढ़ाने का काम नहीं करे। आपके द्वारा जो मैक्सिमम फीस निर्धारित की जायेगी उस फीस में जब आप छूट दिलवाने का काम करेंगे तब जाकर आपका यह सपना और आपकी यह सोच साकार हो पायेगी।

(14.14 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

(श्री धीरज गुर्जर)

सिर्फ जो राज्य बोर्ड है, जो मुद्दा उठाया कि स्कूलें ऐसी भी हैं जो सी.बी.एस.ई. के नेतृत्व में भी चल रही हैं, मैंने ऐसी प्राइवेट स्कूलें भी देखी हैं जो विदेश के अन्दर से अपने कोर्स की डिग्री को लाकर यहां पढ़ाते हैं, तो अगर ये मनमर्जी की रेटें तय करेंगी और यह आपके बिल के दायरे में नहीं आएंगी तो आपका बिल लाने का मकसद ही खतम हो जायेगा।

इसके साथ जो आपने पांच-पांच सदस्य रखे हैं, पांच आदमी मैनेजमेंट के हो गये, पांच आदमी अभिभावक हो गये तो जब संख्या बराबर रहेगी तो ये उस अभिभावक को मैनेज कर लेंगे। इनकी कार्यवाही को देखने का, इनकी जो मीटिंग हो सब के सामने हो। ये बंद कमरे में मीटिंग करेंगे, इनको किसी को प्रलोभन दे दिया, किसी प्रकार की बात कह दी, इनको अपने प्रभाव में ले लिया तो निश्चित रूप से ये बच्चों का भला नहीं कर पायेंगे। आम अभिभावकों की मीटिंग बुलाकर उस मीटिंग के अन्दर इनकी कार्यवाही हो और सब उस कार्यवाही को देखें और उस कार्यवाही के अन्दर जब फीस निर्धारित हो तब जा कर आपका मकसद साकार हो पाएगा।

मैं आपको यह कहना चाहता हूं यह जो आप बिल लेकर आये हैं यह बिल आप आनन-फानन के अन्दर लेकर आये हैं, जल्दबाजी के अन्दर लेकर आये हैं। आपको यह सोचना होगा। अभी दुर्भाग्य है कि हमारी जोधपुर की बेटी जो इंटेलिजेंट थी, वो विदेश के अन्दर पढ़ने चली गयी तो उसको खुद की स्कालरशिप के दम पर पढ़ना पड़ा। मैंने पहले भी आपसे यह मांग की थी कि अगर आप राजस्थान का भला करना चाहते हैं तो राजस्थान के जो बी.पी.एल. परिवार हैं, जिस तरह राम राज्य में उन बच्चों को गोद लेकर पढ़ाते थे उस तरह से आप बच्चों की परीक्षा करवाओ, उनका काम्पिटिशन कराओ और फिर राजस्थान के एक हजार बच्चों को छांटो जो सिर्फ गरीब परिवार के हैं और बी.पी.एल. नहीं, सामान्य वर्ग के अल्प आय वर्ग के भी जो लोग हैं उनके बच्चों का चयन करके फिर आप आपके द्वारा उनको स्कूल अलाट करो। जिस तरह से आप बी.एड. कालेज के अन्दर अलाट करते हैं कि इस बी.एड. कालेज के अन्दर ये बच्चा जाएगा, इसमें ये जाएगा उसमें जाएगा, राजस्थान के गरीबों के बच्चों की एक प्रतियोगी परीक्षा कराओ, उस परीक्षा के अन्दर जो बच्चे इंटेलिजेंट साबित होते हैं, बहुत अच्छे नम्बर लेकर आते हैं उनकी मैरिट बना कर ये जो पूरे राजस्थान के अन्दर बड़ी-बड़ी स्कूल की दुकानें खुली हुई हैं इनके अन्दर आप इनको लाट अलाट कर दो कि इन दस बच्चों को पढ़ाने का

(श्री धीरज गुर्जर)

खर्चा तुम उठाना, इन दस बच्चों का खर्चा फलां स्कूल उठाएगी, इन दस बच्चों का खर्चा फलां स्कूल उठाएगी। उस दिन राजस्थान का गरीब बच्चा जिसके मा-बाप के पास पैसे नहीं हैं, उसका बच्चा जब इन अमीरों की स्कूल के अन्दर पढ़ेगा तब सही मायने में राजस्थान का निर्माण हो पाएगा।

बाकी आप जो यह बिल लेकर आये हैं यह बिल भला करने वाला बिल नहीं है क्योंकि अलग-अलग स्कूलों के अन्दर जब तक आप स्कूलों का कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे, इनकी ग्रेडिंग तय नहीं करेंगे और उस ग्रेड के आधार पर आप अपनी मैक्सिमम फीस तय नहीं करेंगे तब तक आपके इस बिल के अन्दर इतनी विसंगतियां आ जाएंगी कि यह भी एक जी का जंजाल बन जाएगा।

इसलिए मैं सदन के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करें।

श्री सभापति: श्री घनश्याम।

(अनुपस्थित)

श्री भंवरसिंह।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016 के सम्बन्ध में मेरे द्वारा जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से राजस्थान में जो निजी विद्यालय हैं उनकी फीस का निर्धारण एक प्रभावी और एक सही तरीके से होना चाहिए लेकिन जो बिल में दो अभिभावकों का चयन स्कूल स्तर की जो कमेटी है उसमें करने के बारे में लिखा गया है, माननीय सभापति महोदय, दो अभिभावक, कितना ही बड़ा विद्यालय है और उसमें सिर्फ यदि दो अभिभावक, सैंकड़ों और हजारों की छात्र संख्या में दो अभिभावकों को उसमें लाटरी के द्वारा सदस्य लिया जाता है तो मैं समझता हूं कि जो फीस का निर्धारण है वो पूर्ण रूप से उस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की आर्थिक स्थिति और उस विद्यालय की स्थिति के अनुरूप नहीं हो पाएगा।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से विद्यालय प्रबंधन समिति में विधायकों के और सांसदों के प्रतिनिधियों को पहले भी सम्मिलित किया जाता रहा है, इस कमेटी में भी क्षेत्र के विधायक के द्वारा मनोनीत कम से कम दो सदस्यों को फीस निर्धारण कमेटी में रखा जाए, यह मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री भंवरसिंह)

इसके अलावा जो आर.टी.ई. के तहत पूरे देश में कानून लागू किया गया और हमारे राज्य में भी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले या बी.पी.एल. परिवार के या अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवार के जिन बच्चों का नामांकन निजी विद्यालयों में करवाया जाता है।

सभापति महोदय, इस प्रकार के नामांकन का यह जो कानून है, यह पूर्ण रूप से सभी जगह सही तरीके से लागू नहीं हो पाया है। जिन निजी विद्यालयों के द्वारा इस श्रेणी के बच्चों को पिछले 2-3 सालों में एडमिशन दिया गया, उन निजी विद्यालयों के उन बच्चों के एडमिशन के अगेंस्ट में सरकार के द्वारा जो एक निश्चित राशि दी जाती है, उस राशि को पिछले 2 सालों में, मैं मेरे बीकानेर जिले की कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को गरीब बच्चों के पढ़ाने के बदले जो अनुदान दिया जाता है, वह पिछले 2-3 सालों से बकाया है।

सभापति महोदय, निजी विद्यालय हर वर्ष खुलते जा रहे हैं। प्रदेश में निजी विद्यालय निश्चित रूप से खुलने चाहिए। इन निजी विद्यालयों के खुलने से भी शिक्षा का प्रचार-प्रसार होता है, लेकिन निजी विद्यालय खोलने के अभी जो मापदंड हैं, उनमें और ज्यादा नियम और प्रावधान बनाये जाने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय, हम देखते हैं कि गांवों में, ढाणियों में स्कूल खुल जाते हैं लेकिन न उनका भवन है और न उनका जो ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, पढ़े लिखे शिक्षक होने चाहिए, उनकी भी कमी जगह-जगह देखने को मिलती है। उसी की वजह से पूरी तरह से सिस्टेमेटिक और परिपक्व लोग हैं, जो स्कूल का, विद्यालय का संचालन कर सकते हैं, उनके पास में टीम के अभाव में, बिना अनुभव के और बिना योग्यता के अध्यापक रख लिए जाते हैं। बिना योग्यता के कर्मचारी रख लिए जाते हैं। जिसकी वजह से स्कूलों में अनुशासनहीनता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

सभापति महोदय, अभी पिछले दिनों 28, 29 तारीख को बीकानेर जिले के नोखा में शिक्षक प्रशिक्षण यानी बी.एसटी. करने वाली छात्रा जो पिछले 2 सालों से शिक्षक प्रशिक्षण में अध्ययन कर रही थी, वहां स्टाफ का शारीरिक शिक्षक और छात्रावास की वार्डन एवं विद्यालय की प्रबंध समिति के लोगों के द्वारा उस छात्रा के साथ किस प्रकार से बलात्कार किया। जब वह बात खुली तो उसके बाद में उस छात्रा की, +++ जो बाड़मेर जिले की छात्रा है, उसकी हत्या कर दी गई।

(श्री भंवरसिंह)

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि हम निश्चित रूप से नए विद्यालय खोलें, लेकिन उसके निर्धारित मापदंड होने चाहिए। जो उन मापदंडों की अवहेलना करता है या जो अनुशासनहीनता करते हैं, इस प्रकार के विद्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण होना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि तत्काल कार्यवाही करने की राजस्थान में बहुत ज्यादा आवश्यकता है।

सभापति महोदय, निजी विद्यालयों के जो फीस के मापदंड हैं, वह तय किये जा रहे हैं। उसके बारे में कानून लाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ हमारे प्रदेश के जो राजकीय विद्यालय हैं, उन पर भी पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हमारे प्रदेश के जो राजकीय विद्यालय हैं, उनमें शिक्षकों की कमी होने की वजह से हमारे द्वारा अभी पिछले साल जो विद्यालय क्रमोन्नत किये गये, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में, इन विद्यालयों में न तो व्याख्याता हैं, न वरिष्ठ अध्यापक हैं, न शारीरिक शिक्षक हैं, ऐसी स्थितियों में दिनों दिन सरकारी विद्यालयों की स्थिति कमजोर होगी। उनकी जो क्वालिटी होती है उसका स्तर दिनों-दिन गिरता जा रहा है। ऐसी स्थिति में निजी विद्यालयों की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान का आम आदमी सरकारी विद्यालयों में पढ़ता है। गरीब का बेटा, किसान का बेटा सरकारी विद्यालयों में पढ़ता है। उन सरकारी विद्यालयों के लिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आने वाला जुलाई का सत्र जब शुरू हो तो कम से कम दसवीं से जो बारहवीं के विद्यालय हैं, उनमें उन छात्रों को जो बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं, उनका परिणाम प्रभावित नहीं हो और उनका जो भविष्य है, वह अंधकारमय नहीं हो, इसलिए व्याख्याताओं के, वरिष्ठ अध्यापकों के जो अति आवश्यक पद होते हैं, उनको जुलाई के सत्र से भरा जाए।

सभापति महोदय, राजस्थान में नए विद्यालय खोले हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यह सराहनीय है। लेकिन उसके साथ-साथ पिछले साल 2015-16 में साढ़े 17 हजार स्कूल एकीकरण के नाम पर बंद कर दिये गये। इस बार फिर राजस्थान के गांव और ढाणियों में जो छोटे-छोटे विद्यालय हैं, उन ढाणियों में रहने वाले लोग, जो कि गांव से 10 किलोमीटर दूर हैं, 15 किलोमीटर दूर हैं, उनमें 5-5, 10-10 परिवार रहते हैं, उनके बीच में पिछली सरकार के द्वारा स्कूलें

(श्री भंवरसिंह)

खोली गईं। वहां छात्र-छात्राओं की संख्या कम हो सकती है लेकिन ऐसे विद्यालयों को बंद करने की सरकार आगामी सत्र से जो सोच रही है, मैं मंत्री महोदय आपको कहना चाहूंगा कि कम से कम एक साल का समय, जो विद्यालय 15 से कम नामांकन वाले हैं, उनको 2016-17 के सत्र में सरकार बंद करने का सोच रही है। जो 4 हजार स्कूल आपने बंद करने के लिए चिह्नित किये हैं उनको आप एक साल के लिए बंद नहीं करें। मैं दावे के साथ मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आने वाले सालों में वहां के नामांकन बढ़ेंगे। यदि नामांकन एक साल की अवधि में नहीं बढ़ते हैं तो मंत्री महोदय यदि एकीकरण करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन 2016-17 का जो आगामी सत्र शुरू होने वाला है, उस सत्र में 15 से कम नामांकन वाले जो विद्यालय हैं, उनको बंद करके गांव और ढाणी में बैठे हुए बच्चों को पढ़ाई से वंचित नहीं किया जाए। यह मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मेरे द्वारा राजस्थान विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2016 के संदर्भ में 3 माह के लिए जनमत जानने का प्रस्ताव दिया गया है। यह बिल पूर्ण रुपेण नहीं है। यदि हम जल्दबाजी में इस बिल को पारित करेंगे तो राजस्थान के जो निजी विद्यालय हैं, जिन पर सरकार का पूरी तरह से अंकुश रहे और राजस्थान के आम आदमी का जिसमें भला हो, इस प्रकार का यह बिल नहीं हो पायेगा। इस बिल को 3 माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जल्दी करुंगी, चिंता मत करो आप। सम्माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2016 पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, वैसे तो मेरे उठते ही बोल देंगे कुछ न कुछ। लेकिन फिर भी जो इसमें नियम बनाए गए हैं। परिभाषाएं, अधिक फीस के संग्रहण का प्रतिषेध, अध्यापक संगम, सरकारी विद्यालयों और सहायतार्थ विद्यालयों में फीस का नियतन, निजी विद्यालयों में फीस विनियमन, जो यह संगम बनाया गया है कि निजी विद्यालयों में तो पहले से ही अभिभावक मीटिंग में आया करते थे। कोई इस तरह से मुझे इसमें नया नजर नहीं आया है।

इसमें जो दिया गया है कि 30 दिन के अन्दर-अन्दर विद्यालय के

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

मुखिया, माता-पिता द्वारा अध्यापक संगम जो गठित किया जाएगा, अभी तक तो हमने सुना था कि छात्र ही नियमों का पालन करते थे। लेकिन अब माता-पिता भी करेंगे। उनकी तो एक ही है, बाकी सारी जो कार्यकारिणी है, वह तो विद्यालय की ही है और वह पहले भी ऐसे ही होती आई थी। नया कर दिया, एक फीस लगाकर के, कि अभी तक तो छात्र-छात्राएं फीस देते थे, लेकिन अब पेरेंटस को भी फीस देनी पड़ेगी। यह किस तरीके का नियम है?

वह पैसा एक फंड में जमा कराना पड़ेगा, अपन तो पैसा कम करने की बात कर रहे थे, फीस को घटाने की बात कर रहे थे लेकिन इसमें और जोड़ने की बात आ रही है। वार्षिक फीस जो देंगे और इतने सारे जो पेरेंट्स देंगे वह किस तरीके से लाटरी निकाली जाएगी और फिर उनको एक साल तक के लिए रखा जाएगा और पांच ही इसमें नाम लिए जाएंगे तो हर व्यक्ति इसमें एक तरह से जोड़ने की होड़ाहोड़ी मच जाएगी और निर्णय के लिए तो वही डीईओ होगा, जिला शिक्षा अधिकारी होगा, जहां भी जो भी रिपोर्टस होगी अपनी इससे पहले भी इसी तरीके से दी जा रही थी, अभी भी वही तरीका अपनाया जा रहा है तो नया इसमें कुछ लग नहीं रहा कि नया इसमें कुछ एड किया जा रहा है। फीस की जो समिति तय करेगी उसमें तो पहले भी, अभी भी समिति ही तय करती है और अब इसमें भी समिति तय करेगी तो उसमें पेरेंट्स को जो लिया गया है वह करेंगे और उसमें भी 60 दिन का जो नियम रखा है, इसमें जो लिखा गया है, कोई सदस्य अशोभनीय होगा तो उसे हटाया जाएगा तो किस तरीके का अशोभनीय होगा? कोई गलत बोलेगा, गलत व्यवहार है या क्या किस तरीके का होगा, इसका इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। फीस का निर्धारण जो करेंगे प्रशासन के रखरखाव के लिए, विद्यालय के प्रोस्पैक्ट्स के लिए और छात्र-छात्राओं को सुविधा देने के लिए, तो यह किस तरीके का है और इसमें जो निर्णय लेने का है उसमें पूरी अपील सुनने का भी नहीं रखा गया है कि इस तरीके से शिक्षण संस्था को किस आधार पर बंद करने का, जांच कमेटी जाएगी तो किस आधार पर बंद करेगी? एकदम से ही इस तरह से नहीं होना चाहिए, यह कोई दुकान तो है नहीं कि उसको बंद कर देंगे, वह शिक्षण संस्था है, उसमें छात्र-छात्राओं के हितों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और आजकल की जो शिक्षण संस्थान हैं, प्राइवेट विद्यालय हों चाहे कालेज हों, यह राजस्थान का एक अभिन्न अंग बन गया है इनको अपन इस तरीके से नहीं हटा सकते क्योंकि सरकार बिल लाए तो उसमें अभिभावकों की

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

भी बात सुननी चाहिए, प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं की भी बात सुननी चाहिए और उसके बाद में इन चीजों को लागू करना चाहिए।

इस चीज से ऐसा भी हो सकता है, माननीय सभापति महोदय, जो उसमें सदस्य बनेंगे, कई बार उसमें ऐसा होता देखा है और आगे देखना, विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी कि जो छात्र उसमें अपना एडमिशन करवा देगा जिसको किसी शिक्षण संस्थान से कोई द्वेषता होगी और वह आकर उस स्कूल में हंगामा होगा, विवाद होगा, यह विवाद की स्थिति भी बन सकती है इस तरीके के नियमों से।

शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है, माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में शिक्षण संस्थाओं की बात करें तो एक मेरा अनुरोध और है, जब शिक्षा की बात चल रही है तो जो कोई भी कार्य होता है तो अध्यापकों को लगा देते हैं, चाहे जनगणना हो, चाहे कोई और सर्वे करवाना हो, किसी भी तरीके का गांव का, देहात का, सिटी का सर्वे हो उसमें अध्यापकों को ले लेते हैं। अभी जल स्वावलम्बन का जो चल रहा है, माननीय सभापति महोदय, उसमें गड्ढे खोदने तो मास्टरजी चले गए, हम निकले उधर से मैंने कहा, क्या है, कहां बच्चे घूम रहे हैं, बोले, गुरुजी तो तालाब खोदने के लिए गए हैं और बच्चे घूम रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इस तरीके का भी नहीं होना चाहिए गुरुओं के हितों का भी ध्यान रखे और बच्चों का हित उसमें सबसे ज्यादा है कि परीक्षाएं जो चल रही हैं और प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में जो अध्यापक हैं उन्हें भी छुट्टी और ये सारी चीजें ऐसी जो सरकारी अध्यापकों पर लागू होती है वह भी लागू होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से और माननीय मंत्रीजी से अनुरोध है कि जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे वह प्राइवेट हों चाहे सरकारी हों लेकिन उनके अन्दर इस विधेयक के तहत आप एक नियम इतना सा लागू कर देते माननीय मंत्रीजी कि वहां पर एक कंट्रोल रूम होना चाहिए था जिसमें जो पीड़ित बालिकाएं हैं, जो छात्राएं पीड़ित हैं किसी शिक्षक के द्वारा या किसी छात्र के द्वारा पीड़ित है, कोई फोन से हो या चाहे किसी भी तरीके से हो तो वह अपनी परिवेदना, अपने दिल की बात वह घर पर अपने मां-बाप से नहीं कह सकती, माननीय मंत्रीजी, वह वहां जाकर अपने कंट्रोल रूम में शिकायत कर देती तो यह जैसा अभी एक डाक्टर पिता, एक शिक्षित पिता यह कह रहा है कि लड़कियों को दसवीं के बाद नहीं पढ़ाना

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

चाहिए, यह उस दु:खी बाप की अंतरात्मा बोल रही है माननीय मंत्रीजी, इसके अन्दर एक पाइंट ऐसा भी आप जोड़ देते तो अच्छा होता, एक कंट्रोल रूम होना चाहिए जिससे कि बालिकाएं अपने मन की बात वहां रख सकें और आगे से ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके, मेरा आपसे यही अनुरोध है।

मैं इस विधेयक को तीन महीने के लिए परिचालित करने की मांग रखती हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज हम राजस्थान विद्यालय फीस का विनियमन विधेयक, 2016 पर चर्चा कर रहे हैं। 2013 में माननीय सभापति महोदय, इसी सदन में एक विधेयक आया था और वह विधेयक पारित भी हुआ था और माननीय शिक्षा मंत्रीजी जो आज हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी थी, पूर्व शिक्षा मंत्री ने भी रखी थी और मैं समझता हूं कि उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम भी हुआ लेकिन आगे चलकर दो वर्ग हो गए। एक वर्ग अभिभावकों का कि निजी शिक्षण संस्थान वाले लूटने का काम कर रहे हैं, पैसा ज्यादा ले रहे हैं, हम हमारे बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, दूसरा वर्ग वह हो गया जो निजी शिक्षण संस्थान चलाकर इस राजस्थान के बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, दोनों वर्गों की अपनी-अपनी पीड़ाएं हैं, आज हमें दोनों बातों पर विचार करना जरूरी हो गया है। हम यह चाहते हैं कि निजी शिक्षण संस्थाओं की फीस वृद्धि पर मनमानी मोटी जो फीस वसूलते हैं उनके ऊपर रोक लगे, हम यह भी चाहते हैं कि निजी शिक्षण संस्थान संचालित करके गांव में ढाणी में बैठे हमारे गरीब के बच्चे को पढ़ाने का काम करते हैं, उसको शिक्षा देने का काम करती है, यह इसलिए भी जरूरी हो गया है, माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकारी स्कूलें, हमारी सरकार, हमारे बच्चों को, हमारे प्रदेश के बच्चों को पढ़ाने में नाकाम हो रही है, हम वह सुविधाएं देने में असमर्थ हो रहे हैं, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार बीजेपी की हो, लेकिन हमारा सोच, हमारी सरकारों का सोच, सरकारी स्कूलों के प्रति कोई ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। न हम टीचर भर्ती कर पा रहे हैं, न हम भवन बना पा रहे हैं, न हम पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं, न वहां बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए शौचालय की व्यवस्था है। हम इस प्रदेश

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

को ले जाना कहां चाहते हैं। शिक्षा बहुत ही आवश्यक है, बगैर शिक्षा कुछ भी सम्भव नहीं है, व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता, प्रदेश का विकास नहीं हो सकता।

माननीय मंत्रीजी से मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप जिस कारण से बिल लेकर आए हैं, आपने उद्देश्य और कारणों में कथन किया और उसमें यह लिखा कि लगभग 34 हजार हमारे निजी विद्यालय संचालित हैं। पहली बात तो शिक्षा मंत्रीजी बिल लेकर आ रहे हैं और आज की तारीख में प्रदेश में कितने निजी शिक्षण संस्थान संचालित हैं यह 'लगभग' लिखना पड़ रहा है, एक्ट में भी, उद्देश्यों में भी जो एक्ट लेकर आए हैं उसके में कि वह क्यों लाना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी हमारे लिए हास्यास्पद स्थिति नहीं हो सकती। जब हमें एक्जैक्ट यही पता नहीं है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह संख्या 51 हजार के लगभग है, और आपके पोर्टल के ऊपर जो संख्या है उसका आंकड़ा 32222 है, आप एक्ट में 34 हजार बता रहे हो। आज हम इस स्थिति में हैं कि हमें खुद को पता नहीं कि कितने निजी शिक्षण संस्थान हैं। यह कई स्तर के निजी शिक्षण संस्थान हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही लूटने वाले और बड़े लोगों के हैं और दो-दो लाख, पचास-पचास हजार फीस ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, कई विद्यालय वह भी हैं जो गांव ढाणी में अपना विद्यालय, अपनी गाढ़ी कमाई से मकान बनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करके इधर-उधर से जुगाड़ करके बीएडधारियों को लाकर उनको पढ़ाने का काम करते हैं और हमारे प्रदेश के विकास में सहयोग प्रदान करते हैं। कई विद्यालय ऐसे भी हैं जो ठीक-ठीक चल रहे हैं, उनकी रेपुटेशन भी ठीक है, शिक्षा भी ठीक है, फीस भी मीडियम लेते हैं, कई विद्यालय ऐसे हैं जो शिक्षा माफिया के रूप में काम करते हैं उनके ऊपर चैक न तो कांग्रेस की सरकार लगा पाई और न शिक्षा मंत्रीजी आप लगा पाए। वह बेलगाम होते जा रहे हैं और वह बेलगाम शिक्षा माफिया होता जा रहा है।

इसी का परिणाम है कि कभी आप बिल लाए, यह बिल लाने के बाद में जो पहले का बिल है, राजस्थान विद्यालय फीस के संग्रहण का विनियमन अधिनियम, 2013 वह स्वत: समाप्त हो जाएगा, नया फीस का कानून आ जाएगा। इसके कई धाराओं पर भी मुझे आपत्ति है लेकिन समय की आवश्यकता को देखते हुए कि मैं बिलकुल मेरी बात को एक्ट तक सीमित रखूं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अध्याय 2 की धारा 4(ख) पी.टी.ए. का गठन। यह कांट्राडिक्टरी है। एक तरफ तो आप कह रहे हो शिक्षण संस्थान का सत्र प्रारम्भ होगा उसके 30 दिवस में बनाना होगा। एक तरफ आप कह रहे हो कि 6 महीने पहले उनको सूचना देनी होगी, मैं समझता हूं दोनों अपने आपमें कांट्राडिक्टरी हैं।

एक सबसे बड़ी दिक्कत है जो इसमें निजी शिक्षण संस्थान वाले मांग कर रहे हैं कि आप तीन साल के लिए फीस स्ट्रक्चर निर्धारण कर रहे हैं। ठीक बात है, कीजिए तीन साल के लिए, लेकिन उनका यह मानना है कि जब महंगाई बढ़ती है, हमारे वेतन-भत्ते बढ़ते हैं, जब सरकारी कर्मचारियों की, टीचर्स की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, जब महंगाई बढ़ जाती है तो हर व्यक्ति को महंगाई का लाभ मिलता है तो मैं समझता हूं इनको भी मिलना चाहिए। हम उन कुछ चुनिंदा माफियाओं को नहीं रोक पा रहे हैं। इसकी वजह से सबके ऊपर ऐसा राइडर लगा दो कि तीन साल तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, मैं समझता हूं यह ज्यादा कड़ाई का नियम है, इसमें रिलेक्सेशन होना चाहिए। वैसे भी आपकी धारा 6 कह रही है कि आप 5 से 10 परसेंट वृद्धि कर सकते हो। मैं समझता हूं इसको एक तरह से विवाद में लाने की जरूरत नहीं है। जो कमेटी बनेगी, डाइरेक्टर होगा, प्रिंसिपल होगा, तीन टीचर होंगे, पांच अभिभावक होंगे, इनके चयन का क्या मापदण्ड होगा। इनकी सूचना आप नोटिस बोर्ड पर चिपकाओगे, किस तरीके से सूचना देने का क्या आधार होगा, नोटिस बोर्ड पर चिपकाओ या नहीं चिपकाओ।

मैं समझता हूं कि किसी प्रकार की गम्भीरता का परिचय इसमें नहीं दिया। केवल हो-हल्ला हो रहा है कि ये निजी शिक्षण संस्थान फीस बढ़ा रहे हैं, यह कर रहे हैं और उनको रोकने के लिए पहले वाले एक्ट पर हम काम कर नहीं पाये। अगर पहले वाले एक्ट पर सही तरीके से काम हो पाता तो मैं समझता हूं आज इस बिल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दूसरे स्टेट्स में यह बिल आया है। इनकी कई धाराएं, जैसे सीज करने का अधिकार है, सीज करने का, इसमें कोर्ट में भी लोग गये हैं तमिलनाडु वगैरह में। कोर्ट ने कहा आप इस तरीके से सीज नहीं कर सकते। मैं समझता हूं सब चीजें आपको और हमको समझनी पड़ेंगी।

धारा 4 की उपधारा ''ग'' में जो नोटिस का प्रावधान है इसमें भी मेरी आपत्ति है। धारा 7 की उपधारा ''च'' है उसमें भी आपने विद्यालयों के दो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

प्रतिनिधि, अभिभावक प्रतिनिधि खण्डस्तरीय समिति और राज्य समिति में दोनों का चयन कैसे होगा यह कोई क्लियर नहीं किया है। मेरा निवेदन है, ये शिक्षक संगठन हैं, ये मैनेज हो जाएंगे। कोई दो आदमियों को मैनेज कर लेगा, ठीक है आपकी फीस नहीं लेंगे, हम कहें जो फीस बढ़ा दो तो मैं समझता हूं बहुत दिक्कत का सामना माननीय शिक्षा मंत्रीजी आपको करना पड़ेगा। 3-4 तो शिक्षा संगठन हैं, उनके प्रतिनिधि जो ज्यादा बहुमत में हैं, जिनके पास में ज्यादा मान्यताएं हैं, जिन स्कूलों का ज्यादा समर्थन प्राप्त है उनमें से आप रखकर उनकी बात सुनकर, अगर उनको आप रखते तो मैं समझता हूं और ज्यादा सुझाव आपके पास में आ जाते।

दूसरा, जो निजी शिक्षण संस्थान हैं इनमें 8 लाख के लगभग टीचर व कर्मचारी काम करते हैं। यह छोटा कैडर नहीं है। हमारे सरकारी कैडर से भी ज्यादा है। उसमें आपने 8(च) में राइडर डाल लिया कि केवल ट्रेंड टीचर होगा उसी की हम बात करेंगे, दूसरे को हम इसमें नहीं मानेंगे। मैं समझता हूं सब जगह ट्रेंड नहीं हो सकते। बड़े धन्ना सेठ, माफिया स्कूलें बनाकर बैठे हैं, बिल्डिंग बनाकर बैठे हैं जो आपका और हमारा ही टेलीफोन नहीं उठाते हैं, मैं समझता हूं वे तो ट्रेंड रख लेंगे, लेकिन जो गांव के गरीब, ढाणी के बच्चे को शिक्षा देने वाली बात होगी उसके लिए मैं समझता हूं अनट्रेंड को रखना पड़ेगा, उसकी अपनी मजबूरी है, उसको फीस भी कम आती है। तीन के पीछे एक बच्चे को फ्री भी लोग पढ़ा देते हैं, कोई दो के पीछे एक फ्री, पांच दिला देगा तो एक फ्री, इस तरीके का करके अपना जुगाड़ चलाते हैं और शिक्षण संस्थान बच्चों को शिक्षित करने का काम करते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज समय की आवश्यकता हो गई है। हम पंचायती राज का एक्ट लाकर प्रावधान कर सकते हैं कि शौचालय होगा वही सरपंच का चुनाव लड़ेगा, वही पंच का चुनाव लड़ेगा और वही नगरपालिका का चुनाव लड़ेगा। सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं क्या आज हम यह एक्ट नहीं ला सकते कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर सलेक्ट होगा वो शपथ-पत्र देगा कि मैं मेरे बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाऊंगा। जो एमएलए या एमपी हैं ये क्या शपथ-पत्र नहीं दे सकते कि हम शौचालय के साथ-साथ सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे? क्या सरकार आने से पहले ये शपथ-पत्र नहीं दे, पहले दिन जब ऑथ लें कि जो शिक्षण संस्थान सरकारी हैं उसमें भवन बनाऊंगा, एक भी स्कूल में यह एक्ट है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

केन्द्र का शिक्षा का अधिकार कानून है उसमें सब प्रावधान हैं, लेकिन उन प्रावधानों की पालना कराने की जिम्मेदारी हमारी सरकारों की है। हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं और केवल एक्ट लाकर घर में बैठ गये। रात को एक एक्ट आया था नगरपालिका वाला, हक प्रमाणन का। मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक भी व्यक्ति वहां नहीं जाएगा और जाएगा तो वह अधिकारी उसको प्रमाण-पत्र नहीं देंगे कि मुझसे इसमें कोई गलती हो जाए तो मेरी ड्यूटी होगी।

इस तरह के एक्ट लाने की जरूरत नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, इच्छाशक्ति प्रबल करने की आवश्यकता है। प्रबल इच्छाशक्ति से आप ऐसा फैसला लीजिए कि एमएलए और एमपी सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा, हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी होगी कि सरकारी स्कूलों में भवन की कमी नहीं हो। आपके एकीकरण करने के बाद में हमारे गांव की जनता कपड़े फाड़ती है। वे यह कहते हैं स्कूलों में एक स्कूल से दूसरी स्कूल बंद करके आपने छात्र संख्या तो बढ़ा दी, लेकिन बैठने के लिए कमरा नहीं है, बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, बच्चों के लिए शौचालय नहीं है। उसकी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। हम जब तक वह व्यवस्था नहीं करेंगे, बार-बार हमने सुना है, पोर्टल पर हमने व्यवस्था कर दी, अब हमारे पास आंकड़ा हो गया, 60 साल बाद तो हमारे पास आंकड़ा आने की बात कर रहे हैं कि कितने सरकारी स्कूल हैं, कितने टीचर कम हैं, कितनी रिक्त सूचना है और कितने विद्यालयों में भवन की कमी है, कितने विद्यालयों में शौचालयों की कमी है, कितने विद्यालयों में पानी की कमी है, 60 साल बाद तो हम यह कर पाये। आज हम यह बातें कर रहे हैं कि इस एक्ट के आने से क्या फीस नियंत्रित हो जाएगी? बड़े-बड़े जयपुर के नामचीन, अजमेर आपके जिले के और जयपुर जिस राजधानी में आप मंत्री बने बैठे हैं, वहां के स्कूल संचालक आपका और हमारा टेलीफोन नहीं उठाते। हम किस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं?

मंत्री महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। दोनों बातें करना जरूरी हैं। हम अपने ऊपर भी राइडर लगाएं। केवल निजी शिक्षण संस्थानों पर राइडर लगाने की बात करते हैं। हमारा एक भी बच्चा, किसी भी जन-प्रतिनिधि का, एमएलए, एमपी की बात छोड़ दीजिए, सरपंच का बेटा भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है और सरकारी स्कूल में कोई भी आदमी अपने बच्चे का भविष्य गर्त में डालने के लिए नहीं पढ़ाता क्योंकि वहां गणित का

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

पढ़ाने के लिए टीचर नहीं, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अंग्रेजी का अध्यापक नहीं, विज्ञान पढ़ाने के लिए विज्ञान का अध्यापक नहीं। आपने काफी विज्ञान विषय खोले। क्यों बंद कर दिये? बंद इसलिए कर दिये कि न वहां लैब है, न विज्ञान का अध्यापक है, केवल खोलने मात्र से नहीं होगा।

इसलिए हमें कुछ करना है, अगर हमारे मन में है कि कुछ करें तो इस प्रकार के एक्ट लाइये, आप पास भी कराएंगे, बहुमत है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं जब तक राजनैतिक इच्छाशक्ति से, एक दफा अगर कोई वीपी सिंह बन जाय, देश के प्रधान मंत्री थे और यह आरक्षण लागू कर गये, उनको पद की परवाह नहीं थी, जिस नेता को पद की परवाह नहीं होगी, जिस नेता को यह होगा कि मैं राजस्थान के लिए हूं, मेरे समाज ने इतना बड़ा ओहदा दिया है, मुझे आज मुख्यमंत्री, मंत्री और एमएलए बनाया है, अगर उस दिन हम सोच लेंगे कि हमारा समाज के प्रति क्या दायित्व है और समाज के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है उसको निभाने के लिए कड़े फैसले करने पड़े तो इस सदन में हम सब साथ रहेंगे। आप कड़े फैसले लीजिए, सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने का काम कीजिए। वहां पर अध्यापकों का ठहराव निश्चित कीजिए।

कभी तो अकबर महान हटा रहे हैं, कभी महाराणा प्रताप महान जोड़ रहे हैं, 37-37 लाख की पुस्तकें छपी पड़ी हैं। आप उनको कह रहे हैं कि ये तो अशोक गहलोत के शासन में छप गयीं इसलिए इनको तो कबाड़खाने में बेचेंगे और हमारी आरएसएस की विचारधारा को थोपने के लिए नया पाठ्यक्रम शामिल कराएंगे। यह क्या है? यह ठीक नहीं है।

आप जिस विचाराधारा से हैं, आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हम जब सरकार में हैं तो हम इस पूरे प्रदेश की जनता के ट्रस्टी हैं और सरकार में जब बैठे हैं मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के ट्रस्टी हैं। इसलिए इस प्रदेश की भलाई के लिए हमें काम करना होगा। हमारी व्यक्तिगत आइडियोलोजी को छोड़ना होगा। चाहे मेरी कांग्रेस की आइडियोलोजी कुछ कहती हो, आपकी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलोजी कुछ कहती हो, लेकिन इन स्कूलों पर दोहरी मार मत करिए। निजी स्कूलों पर आप कह रहे हैं लगाम लगाएंगे, लगाइये। जो धन्ना सेठ हैं माफिया, उन पर लगाइये, लेकिन आपके कानून की आड़ में जो छप्पर डालकर, टीनशैड डालकर हमारे गांव में, ढाणी में निजी स्कूल चलाकर जो बेटा अपने आपको भी रोजगार दे रहा है और बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहा है। उसके

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

ऊपर लगाम लगा पाओगे, आप यहां बड़ी-बड़ी जो हमारी इसी रोड पर जब हम पांच बत्ती से आते हैं तो इन स्कूलों के ऊपर लगा नहीं पाओगे। जब तक हम सब जन-प्रतिनिधि एकमत होकर इस प्रकार का कानून पारित नहीं करें कि जो एमएलए, एमपी, सरकारी कर्मचारी होगा उसका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और हर सरकार का दायित्व होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी कि उन सरकारी स्कूलों में सारा का सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ उपलब्ध करायेंगे। अगर इस प्रकार की मंशा होगी तो यह ठीक होगा वर्ना बिल तो हम भी लाये, आप ले आये और जब 2018 में हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले आपके इस कानून को बदलने का काम करेंगे क्योंकि इससे कोई फीसों का निर्धारण हो ही नहीं सकता है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, माननीय सदस्य मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि 2018 में, सभापति महोदय, इस शिक्षा का भट्टा कांग्रेस ने बिठाया है। (व्यवधान) इस शिक्षा का भट्टा ही आपने बिठाया है और बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, 60 साल में 45 साल कांग्रेस ने शासन किया है। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): क्या महाराणा प्रताप महान नहीं हैं? बता दो महान् नहीं हैं क्या?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अकबर महान नहीं है क्या? अकबर महान नहीं है क्या?

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): आपको एतराज है क्या? नहीं, महाराणा प्रताप महान नहीं है क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अकबर भी महान है, साम्प्रदायिक सौहार्द का प्रतीक था अकबर। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, इन्होंने शिक्षा का भट्टा बिठा दिया और बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनको छूट दे दो तो फिर मैं अपनी बात को....

श्री सभापति: अपनी बात को थोड़ा आप...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसा है, मेरी बात सुनिये। एक खेत होता है और खेत में रात को भूंगा उगता है, भूंगा जानते हो न? उस भूंगे से पार नहीं पड़ने वाली है। खेत में छह महीने तक किसान मेहनत करके जो अन्न पैदा करता है न, वह अन्न ही पेट भरता है, वो भूंगा पेट नहीं भरता है। इसलिए एक दफा 159-160 क्या आ गये, उछल-उछल करके कह रहे हैं, 60 साल में से 45 साल कांग्रेस ने शासन किया है, इतना शानदार शासन किया है और यह जितना इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट जो आप देख रहे हो, जितने उद्योग, कल-कारखाने आप देख रहे हो, जितनी सड़कें देख रहे हो, उनमें से 95 प्रतिशत कांग्रेस की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कितनी देर से बोल रहे हो और किसके ऊपर बोल रहे हो? (व्यवधान)

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): डोटासरा जी, आपने इतना बढ़िया काम किया आठवीं तक बिना पढ़े पास करने का, उसका परिणाम जनता ने आपको बता दिया। वास्तव में आपने अनपढ़ करके जनता को गुमराह किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठें। आप बिल पर बोलो न, आप तो इतने विद्वान हो। बिल पर बोलो न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिल पर ही बोल रहा हूं मैं, बिल के अलावा बोला हूं क्या कोई? एक भूंगे वाली बात ही तो कही है जो आपके लिए, बीजेपी के लिए साबित होती है। वो ही तो बात की है इसके अलावा तो कुछ कहा ही नहीं।

सभापति महोदय, मैं कन्क्लूड करता हूं और आखिर में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस प्रकार की कमेटियां बिठाकर आप फीस का निर्धारण नहीं कर सकते। यह सब कुछ मैनेज हो जाएगा। जब मंत्री मैनेज हो सकता है, जब मुख्य मंत्री मैनेज हो सकते हैं तो ये अभिभावक, पेरेंट्स मैनेज नहीं हो सकते क्या फीस बढ़ाने के लिए? आप किससे करवा रहे हो? अभिभावकों को तो बेचारों को रहने ही दो। उनकी सुविधाओं के लिए सरकारी स्कूलों का वातावरण तैयार करो और निजी शिक्षण संस्थान जो माफिया के रूप में काम कर रहे हैं उनके उपर लगाम लगाने का आप बिल लेकर आइये।

उच्च शिक्षा मंत्रीजी कह रहे थे कि विनियामक आयोग बना दूंगा, यूनिवर्सिटीज को ठीक कर दूंगा, कर दिया क्या? कह रहे हैं कि वो तमिलनाडु

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

में या पता नहीं कौनसे स्टेट में एक्ट कोर्ट में चला गया इसलिए मैं लेकर नहीं आया। आप डरते क्यों हो? आप सही लेकर आइये। दूसरे स्टेट के एक्ट की कापी करने से काम नहीं चलेगा, हमारा दिमाग लगना चाहिए, हमारी जनता की क्या आवाज है वो बात यहां होनी चाहिए। हम इसलिए एक्ट, विनियामक आयोग नहीं बना पाये कि दूसरे स्टेट की नकल करना चाह रहे थे लेकिन उस नकल में दिक्कत यह हो गई कि उस एक्ट को हम ले तो आये और राजस्थान नाम चैंज करना था लेकिन वो एक्ट वहां दूसरे स्टेट में कोर्ट में चला गया और चैलेंज हो गया इसलिए हम नहीं ला रहे हैं। आपने कैसे मान लिया कि आप जो बिल लेकर आ रहे हो, विनियामक आयोग जो बना रहे हो वो पहले कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, यह मानकर के।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा मुझे नहीं बोलना, आज समय की बात है और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पिक्चर देखने के लिए उतावले हो रहे हैं, मैं उसमें बाधक नहीं बनना चाहता। पूरे एक महीने मैंने अपनी बात कही है जितनी कह सकता था। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप भले परिवार से आते हैं, आपके मन में भी इच्छा है कि मैं कुछ करके जाऊं, क्योंकि जाना सबको है इसलिए ऐसा करके जाइये कि सरकारी स्कूलों का भी स्तर सुधरे और ये निजी शिक्षण संस्थान, जो माफिया के रूप में काम कर रहे हैं उनके ऊपर लगाम लगे और जो गांव-ढाणी और छोटे-छोटे कस्बे में निजी शिक्षण संस्थान के रूप में काम कर रहे हैं उनकी भी उचित फीस वृद्धि हो। जो उचित हो वह करें क्योंकि उनका काम तो चले, उनको इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के लिए दो रुपये तो मिलें, वो अपनी फीस तय कर पाएं, उनको भी अच्छी फीस मिले और जो महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से प्रति वर्ष ऐसी व्यवस्था कर दीजिये कि आटोमैटिक आपके और हमारे बीच में आना ही पड़े, प्रति वर्ष उनकी फीस जितनी कायदे से बढ़नी चाहिए वो बढ़ जाए और यह सारा झगड़ा मिट जाए।

यह झगड़ा ज्यादा नहीं बढ़ जाए इसके लिए मैं इस बिल को, क्योंकि आनन-फानन में केवल कांग्रेस के लाये हुए बिल को निरस्त करना है और शिवकुमार जी शर्मा, जो इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने कड़ी चिट्ठी माननीय मुख्य मंत्री जी की आंखें खोलने के लिए लिख दी, इस सरकार की आंखें खोलने के लिए लिख दी और उससे नाराज होकर वो बिल निरस्त कर रहे हैं और यह नया बिल ला रहे हैं। केवल बिल लाने से कुछ नहीं होगा, इच्छाशक्ति को

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मजबूत करना पड़ेगा, हमें हमारी सोच को सुधारना पड़ेगा और जनता के ट्रस्टी के रूप में काम करना पड़ेगा तभी जाकर हम सार्थक हो पायेंगे। इसलिए इस बिल को आज पास नहीं करके जनमत जानने के लिए परिचालित करने का मैं प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, यह इनके एक घंटे के भाषण का सार क्या निकला? सिवाय जिस तरह से चौपड़ पर खड़े होकर एक ही बात को पांच बार कहना, सात बार कहना। कुछ कृपा करो निधान, ऐसे मत करो। इतना अच्छा इम्प्रेशन था तो आज आखिरी दिन में अपना इम्प्रेशन क्यों खराब कर रहे हो? आखिरी दिन में इम्प्रेशन क्यों खराब कर रहे हो?

श्री सभापति: श्री हीरालाल नागर।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको प्रतिपक्ष की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी छह बजे की पिक्चर में बाधक नहीं बनूंगा, दूसरा बिल जल्दी निपटा देंगे।

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, सदन की कार्यवाही महत्वूपर्ण है, पिक्चर महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य बार-बार सब सदस्यों के लिए कहते हैं। पिक्चर दिखाए कोई, देखे कोई, देखे या नहीं देखे, पर सदन की जो कार्यवाही है वो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है। इसलिए उसकी पिक्चर से तुलना नहीं करें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह सबको मालूम है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सदन की कार्यवाही बहुत महत्वपूर्ण है, यह ज्ञान सिर्फ आपको ही थोड़े है? हमको भी थोड़ा-बहुत होगा। हमें भी थोड़ा बहुत होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपका क्या, इतना ज्ञान क्यों बढ़ा रहे हो?

श्री सभापति: श्री मनोज कुमार।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्रश्न उन्होंने उठाया पिक्चर का। आपने उठाया क्या पिक्चर का प्रश्न?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चोर की दाढ़ी में तिनका होता है साहब।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): और इसको अगर आप यह मानकर चलते हो न कि सदन का हम गला घोंट देंगे इस प्रकार से, यह नहीं कर सकते। मैं इनको कह रहा हूं, इन्होंने प्रश्न उठाया है कि बीजेपी के लोगों को पिक्चर देखने का शौक हो रहा है और इसलिए सदन की कार्यवाही से भाग रहे हैं। भाग नहीं रहे हैं हम, हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं। जिस प्रकार से काम करना है, करिए। किसी भी माननीय सदस्य की आस्था को आप पिक्चर के नाम से नहीं दबा सकते।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016 पर चर्चा चल रही है। माननीय सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे राजस्थान जैसे प्रदेश में शिक्षा की जो बात है वो सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालयों के बीच हमारे इस राजस्थान के प्रत्येक नागरिक की यह भावना हो गई कि राजस्थान के सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था छात्रों के अनुकूल नहीं है, शिक्षा के अनुकूल नहीं है और वहां उचित शिक्षा नहीं मिल सकती। इस भावना को मन में रखते हुए अभिभावक यह चाहते हुए भी हमारे बच्चों को हम सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं लेकिन फिर भी अभिभावक की मानसिकता ऐसी बन गई हमारे इस राजस्थान की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए कि हमारे बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में भेजना चाहिए जिससे हमें वहां से शिक्षा अच्छी प्राप्त हो सकती है। यह हमारी मानसिकता इन दोनों विद्यालयों की भिन्नता के कारण हो गई क्योंकि हमारे विद्यालय, सरकारी विद्यालयों की हम बार-बार बात करते हैं कि भवन नहीं हैं, हम कहते हैं कि वहां शौचालय नहीं हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, बैठने के लिए बैंच नहीं हैं और आखिर में वहां लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। तो सब अभिभावक सोचते हैं कि हमारा बच्चा हर तरीके

(श्री मनोज कुमार)

से वहां परेशान हो जाएगा इस कारण हमारे इस सरकारी तंत्र के खिलाफ हमारी मानसिकता बदल गई और यह मानसिकता दिमाग में बैठ गई इसलिए प्राइवेट विद्यालयों का प्रचलन ज्यादा हो गया।

सभापति महोदय, मैं, विशेषकर यह कहना चाहूंगा कि प्राइवेट विद्यालय, अगर हम फीस नियंत्रण की बात करते हैं, अगर हमारे सरकारी तंत्र की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी और हमारे संख्या बढ़ जाएगी और प्राइवेट विद्यालयों में अगर छात्रों की संख्या कम हो जाएगी तो अपने आप जो फीस बढ़ रही है इसका कम होने का कारण बन जाएगी। लेकिन हमारे विद्यालयों में इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, पिछले 70 साल में जिस तरीके से कांग्रेस के सचेतक बोल रहे थे कि हमने 45 साल राज किया है और आप बोल रहे हो कि हमने 17 साल राज किया है, अगर आप दोनों ने यहां राज करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने लगातार राज करके भी अगर इस राजस्थान की जनता का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है और जो गुलामी के समय अंग्रेज यहां शिक्षा छोड़कर गये उससे लेकर के आज तक हमारी शिक्षा की व्यवस्था को नहीं सुधार पाये तो हम कौनसी सरकार की और कौनसे राज की बात कर रहे हैं? क्यों तो अपने आपमें भारतीय जनता पार्टी खुश हो रही है? क्यों ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि 2018 में आ जायेंगे? यह शिक्षा का मामला है, इसमें आप दोनों पार्टी के लोग गम्भीरता से सोचें और इस राजस्थान के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत है।

(15.00 बजे)

शिक्षा का वर्तमान में बाजारीकरण हो गया है। शिक्षा अकेली फीस पर निर्धारित नहीं है। शिक्षा में आप जाइये। आपको ड्रेस खरीदनी पड़ेगी, उसी विद्यालय से खरीदनी पड़ेगी। आपको किताब खरीदनी है, उसी विद्यालय से खरीदनी पड़ेगी। टाई, बैल्ट, जूते, सारी की सारी व्यवस्था, सारी चीजों को उसी विद्यालय से खरीदना पड़ता है जिस विद्यालय में छात्र पढ़ता है। इसलिए इस फीस निर्धारण के साथ ही साथ इस बात की भी इस एक्ट में पाबंदी लगाई जाये कि आपके विद्यालय में आप ऐसी व्यवस्था करेंगे। आपसे ना खरीदी जाये और अभिभावक स्वतंत्र हों कि वह उस छात्र की किताब कहीं से खरीदें। अपने जूते, ड्रेस, टाई कहीं से भी खरीदें। उसके लिए इस बाजारीकरण को रोकने की

(श्री मनोज कुमार)

हमें ज्यादा जरूरत है। जो भी प्राइवेट विद्यालय हैं, उनकी मानसिकता उच्च शिक्षा देने की नहीं है। उनकी मानसिकता सिर्फ यह है कि हमारे विद्यालय में नामांकन ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़े और हम धन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसके अलावा प्राइवेट विद्यालय में शिक्षा के प्रति कोई चिंता नहीं है। इस एक्ट में माता-पिता, अभिभावक संगम, जो आपने शुरुआत में लिखा है। मैं कहना चाह रहा हूं कि आप फीस नियंत्रण की तो बात कर रहे हो, लेकिन नियंत्रण से पहले अभिभावकों पर आप वज़न डाल रहे हैं कि आप अगर उसके सदस्य बनेंगे तो शहरी क्षेत्र में 50 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 20 रुपये। आप उनको और रुपया देने का काम कर रहे हो। आपकी फीस नियंत्रित होगी कि नहीं होगी लेकिन यह हर अभिभावक पर 50 और 20 रुपये का वज़न आप अभी डालने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि धारा-4(ख) में अगर आपने यह प्रावधान किया है तो सदस्य बिल्कुल नि:शुल्क हों। इसमें उनकी सदस्यता के लिए फीस है इसको हटाया जाये और अभिभावक उसमें नि:शुल्क रूप से शामिल हों।

विद्यालय फीस की जो कमेटी बन रही है, उस कमेटी में पांच सदस्य विद्यालय के आएंगे, पांच सदस्य अभिभावक हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कौन तय करेगा? अभिभावक अगर आप लाटरी से शामिल करेंगे तो हो सकता है, वे सभी अभिभावक अनपढ़ आ जायें। वे पढ़े-लिखे ना हों। वह इन सारी बातों को अगर नहीं समझ पाये तो जो निर्णय इस कमेटी में प्राइवेट विद्यालय के पांच सदस्य होंगे, वह करेंगे, वही निर्णय इनको मानना पड़ेगा। इसलिए इसमें किसी भी एक सरकारी अधिकारी को, वहां के एबीईईओ को या बीईईओ को या किसी प्रिंसिपल को इस कमेटी में शामिल किया जाये, जो कम से कम उन अभिभावकों को बता सके कि किस आधार पर इस फीस का निर्धारण हमें करना है।

इसमें उल्लंघन करने पर इन्होंने निर्धारित किया है कि उन पर 50,000 रुपये जुर्माना लगेगा। दुबारा करेगा तो एक लाख रुपये जुर्माना लगेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपके ये दो बार तय करने के बाद, अगर तीसरी बार भी कोई विद्यालय उसमें उसका उल्लंघन करता है तो उस विद्यालय की मान्यता रद्द करने का प्रावधान भी आप इसमें शामिल करें क्योंकि बार-बार, वह जानबूझकर कर रहा है। जो कई लाखों रुपये इकट्ठे कर रहा है और

(श्री मनोज कुमार)

थोड़ी-सी गलती के कारण लाख-दो लाख रुपये अगर किसी को देने पड़ जायें, अगर सरकार जुर्माने के रूप में ले ले तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर वह तीसरी-चौथी बार अपराध करते हैं तो उनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। इसका इसमें भी प्रावधान किया जाना चाहिए।

आपने कहा कि हमारे प्राइवेट विद्यालय राजस्थान में जो हैं, सीबीएसई के जितने भी विद्यालय हैं, उनको आपने इसमें शामिल नहीं किया। इस राजस्थान में पढ़ाने वाले सीबीएसई को हम सरकारी, सारे तंत्र, सारी व्यवस्था देते हैं तो फिर हम उन पर नियंत्रण क्यों नहीं कर सकते? इसलिए आप इन सीबीएसई के मान्यता प्राप्त विद्यालयों को भी इसमें शामिल करें और उन पर भी नियंत्रण करने का काम करें।

निजी विद्यालयों में हमारे लगे हुए शिक्षकों का वेतन, जब आप फीस निर्धारण करेंगे तो प्राइवेट विद्यालय में लगे हुए उन शिक्षकों के वेतन की बात भी आएगी। उसी के आधार पर आप फीस का निर्धारण करेंगे। जिस समय फीस निर्धारण करने के समय विद्यालय प्रबन्धन द्वारा पेश किया जाये, उन निजी शिक्षकों को वह वेतन मिले। उसको भी आप नियंत्रण करने का इसमें प्रावधान करें।

इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में एक विद्यालय को मान्यता कहीं मिली हुई है और वह अपनी गांव-गांव में अपनी ब्रांच खोल देते हैं और उनके माध्यम से बच्चों को कोई सुविधा नहीं मिलती। एक ही विद्यालय पांच-पांच जगह पढ़ाकर अपनी छात्र संख्या बढ़ाता है। ऐसे विद्यालयों पर भी नियंत्रण किया जाये और उनकी निगरानी की जाये। जांच की जाये कि अगर वह जगह-जगह, बिना मान्यता प्राप्त ब्रांच खोलते हैं तो उनकी मान्यता रद्द की जाये।

मैं सरकारी तंत्र में एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे शिक्षक जो सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं, उनको सरकार ने बड़े वज़न दे रखे हैं कि आप जनगणना करिये, आप वोट लिखने का काम करिये, आप पशुगणना करिये। मैं कहता हूं कि इन शिक्षकों को सारी जिम्मेदारियों से हटाकर, शिक्षा के अलावा दूसरा कोई काम शिक्षकों को नहीं दिया जाये, जिससे हमारी इस शिक्षा का स्तर सुधर सके।

इसी के साथ, निजी विद्यालय को आप लोगों ने खूब मान्यता दे रखी है लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे हैं राजस्थान में, वहां अभिभावक अपने बच्चों को

(श्री मनोज कुमार)

पढ़ाना चाहते हैं। वह फीस देने के लिए भी तैयार हैं। सारी चीज होते हुए भी, वह विद्यालय में पढ़ना चाहते हुए भी उस विद्यालय में उनको प्रवेश नहीं मिलता। अगर प्राइवेट विद्यालय हैं, फीस ले रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक छात्र को और अभिभावक को उस विद्यालय में पढ़ने की शिक्षा के अधिकार के तहत स्वतंत्रता के अधिकार की पालना कराई जाये। उस विद्यालय में अगर सीट कम है तो वह व्यवस्था बढ़ाए और सभी छात्रों को, जो अभिभावक उस विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, उस विद्यालय में पढ़ाने की उनकी व्यवस्था की जाये।

प्राइवेट विद्यालयों में आपके सरकारी विद्यालयों के शिक्षक पढ़ाने के लिए जाते हैं। उनकी क्लास लेने के लिए जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकारी शिक्षक वहां पढ़ाने जाते हैं तो सबको वह कहते हैं कि आप सरकारी विद्यालय में न आयें, प्राइवेट विद्यालय में भेजने का काम करें, तब इन शिक्षकों पर भी आप नियंत्रण करें। इन शिक्षकों को भी रोकने का काम करें। सरकारी विद्यालय के शिक्षक दूसरे विद्यालय में अगर कहीं पढ़ाने जाते हैं तो आप उन पर रोक लगाने का काम करें।

एक गम्भीर विषय है। हमारे सरकारी विद्यालय हों चाहे प्राइवेट विद्यालय हों, हमारी बच्चियां वहां पढ़ने जाती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। प्राइवेट विद्यालयों में कोई देखरेख नहीं है। उन बच्चियों की सुरक्षा की व्यवस्था आप लोग करें। नोखा में +++ जो शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय में पढ़ रही थी, उसके साथ जो अन्याय हुआ। उस विद्यालय के प्रबन्धक शामिल हैं, उसमें काम करने वाले शिक्षक शामिल हैं। ऐसा गम्भीर अपराध, बलात्कार करना, उसके बाद उसकी हत्या करना, उसके बाद भी उस प्रशिक्षण महाविद्यालय को मान्यता देकर सरकार रखती है तो इससे गम्भीर विषय इस राजस्थान में कोई और नहीं हो सकता। इसलिए कहना चाहता हूं कि प्राइवेट विद्यालय में इन बच्चियों की सुरक्षा के लिए आप गम्भीरता से विचार करें। क्योंकि जो बच्चियां इस विद्यालय में पढ़ती हैं, वहां के प्राइवेट शिक्षक उनके साथ जो हरकतें करते हैं, उन हरकतों के लिए भी आप कोई न कोई मानीटरिंग की व्यवस्था करें, उनकी जिम्मेदारी सौंपे और उस विद्यालय की, विशेषकर जिस विद्यालय में बच्चियों के साथ छेड़खानी हो, उनके साथ गलत हरकतें हों, उन विद्यालयों की मान्यता तो आपको प्रथम अपराध के साथ ही रद्द कर देनी चाहिए।

(श्री मनोज कुमार)

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रावधान से नहीं, हमको इस राजस्थान में शिक्षा का अगर सुधार करना है तो हमारे सरकारी तंत्र में सुधार करने की जरूरत है। हमारे सरकारी तंत्र में हम सुधार कर लेंगे तो उससे हमारे प्राइवेट विद्यालयों में छात्रों की संख्या कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो ये अपने आप ही फीस कम कर देंगे और जब फीस कम कर देंगे तो हमें इन पर नियंत्रण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016 को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मानिकचन्द सुराना (अनुपस्थित) प्रभारी मंत्री।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय सभापतिजी, आज राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016 पर सार्थक चर्चा हुई। पक्ष और विपक्ष के लोगों ने इसमें बहुत ही रूचि लेकर इसको पढ़ा, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

वास्तव में शिक्षा एक मिशन है, एक दायित्व है, कर्तव्य है, समाज के प्रति हमारी एक बहुत बड़ी भूमिका है। वैदिक काल से ही गुरुकुलों के रूप में गुरुओं द्वारा शिक्षा के प्रसार हेतु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जाती रही है। उस समय शिक्षा चयनात्मक थी। राजा-महाराजाओं के लिए अलग और सामान्य जन के लिए अलग शिक्षा केन्द्र थे, लेकिन वर्तमान स्वरूप भिन्न है। हमको सबको समान रूप से ही शिक्षा देनी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना हमारे राज्य का दायित्व है और उसमें समाज के सभी वर्गों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए सरकारी विद्यालयों के साथ-साथ निजी विद्यालयों की भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें एक बात बड़ी साफ है। सरकार निजीकरण के तो पक्ष में है, लेकिन इसके व्यवसायीकरण के पक्ष में नहीं है। शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। यह मिशन है, लेकिन इस प्रकार की चर्चाएं कई बार होती हैं। यह मुझे भी अनुभव है। हमारे प्रतिपक्ष के कुछ लोग कह रहे थे कि आपने कुछ सोचा होगा। निश्चित रूप से मैंने सोचा। जब मैं विद्यार्थी था, तब मैंने सोचा कि मैं शिक्षक बनकर ठीक करूंगा। जब शिक्षक बना, तो सोचा कि प्रिंसिपल बनकर ठीक किया जा सकता है। जब प्रिंसिपल

(श्री वासुदेव देवनानी)

बना, तो सोचा कि सरकार बहुत कुछ तय करती है इसलिए सरकार में भागीदार बनकर ठीक करूंगा और आप सबके आशीर्वाद से मुझे यह मौका भी मिला इसलिए जो चर्चा चली कि आज शिक्षण संस्थाएं ठीक होनी चाहिए।

(15.10 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक कदम आपको ऊपर और जाना पड़ेगा।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इतना पर्याप्त है मेरे लिए। तो इसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से सरकारी और प्राइवेट की जब चर्चा होती है तब चूंकि हमारी जनसंख्या, छात्रों की आवश्यकता, शिक्षा की आवश्यकता दोनों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है लेकिन शिक्षा में सरकारी स्कूल अच्छे चलें यह बार-बार चर्चा में आया है। निश्चित रूप से सरकारी स्कूलों की व्यवस्था और शिक्षा में सुधार हो इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है। मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूं इस सवा साल में हमने काफी प्रयत्न किए हैं। उसका जवाब मैंने डिमाण्ड के समय दे दिया है उसको रिपीट मैं नहीं करूंगा। क्योंकि जब लोग कह रहे थे कि नामांकन, मैं कह रहा हूं पिछले तीन वर्षों में लगातार आपका चार-चार लाख नामांकन आपके शासन में कम हो रहा था। यह पहला वर्ष है जिसमें वो चार लाख नामांकन कम होना तो रुका लेकिन साथ में साढ़े आठ लाख नामांकन हमारे सरकारी स्कूलों में बढ़ा है। यह ऐतिहासिक है और आगामी वर्ष बढ़ेगा यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब जब इस बिल की भूमिका आई, आप कह रहे थे कि आपके पास विद्यालय की संख्या आपने लगभग लिखा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, बड़े मंत्री कैसे हंस रहे हैं आपकी बातों पर?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह उनका काम है। जब आपने कहा कि आपके पास लिस्ट नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में लगभग आपने 34 हजार लिखा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर 4 हजार 497 स्कूल प्राइमरी हैं, 15 हजार 695 अपर प्राइमरी हैं और 13 हजार 600 सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी हैं। कुल 34 हजार 92 की सूची है, हमारे पास पूरी

(श्री वासुदेव देवनानी)

इसकी जानकारी है। जब यहां विद्यालय के प्रबंधन की बात आई, फीस की बात आई। कई बार चर्चाएं सदन में भी आती हैं, अख़बार में आती है कि मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं। कहीं पर जूते और इनकी बात आती है और इस प्रकार की समस्याएं रोज अख़बारों में सुर्खियां बनकर आती हैं और अपन भी चर्चा करते हैं तो उस पर कोई व्यवस्था हो।

इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय में दर्ज रिट याचिका संख्या 1861/2004 जब अभिभावक संघर्ष समिति बनाम राजस्थान में तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दिया था कि राजस्थान में तमिलनाडु राज्य फीस एक्ट की तर्ज पर हम फीस एक्ट बनाने की कार्यवाही करेंगे। वह फीस एक्ट बना और फीस एक्ट 01 अगस्त, 2013 से लागू भी हुआ और उसमें रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति बनी, काम हुआ, काम करना प्रारम्भ किया लेकिन तीन वर्ष के अन्दर 9 हजार 483 स्कूलों की फीस तय हो पाई। अब 34 हजार में से तीन साल के अन्दर यदि 9 हजार 483 की होगी तो निश्चित रूप से इसका मतलब यह तो वर्षों तक चलेगा। इसलिए सोचा कि इस एक्ट में परिवर्तन किया जाना चाहिए और इसके साथ-साथ जब उन्होंने यह सारी फीस तय की। यह भी कोर्ट के अन्दर चेलेंज हुई और रिट याचिका संख्या 1812/2014 एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 09 मार्च, 2015 को एक अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की गई। "Until further orders, the orders passed by the Committee under Section 64 of the Act shall not be implemented and no steps will be taken by the State Education Authorities for enforcing such orders." फिर इस क्रम में आगे 15 अक्टूबर, 2015 को इस अंतरिम निषेधाज्ञा को स्थाई करते हुए एक आदेश पारित किया गया "Interim order passed by the Court in this batch of the petition shall continue till the disposal of the writ petition." यदि यही चलता रहता तो कहीं भी इन प्राइवेट स्कूलों में किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता और यह खुले-आम चलता रहता। और इसमें जो बहुत बड़ी कमियां रहीं उस कमियों में चार बहुत बड़ी कमियां थी। किसी भी स्कूल के अन्दर उसके जो कारक होते हैं वह चार होते हैं उसके अन्दर आपने न तो उसमें किसी टीचर का रोल, न किसी अभिभावक का रोल और न मैनेजमेंट का रोल। केवल मैनेजमेंट जाकर के उस कमेटी के सामने अपने दस्तावेज पेश करता है और उसकी वह फीस तय करते हैं और फीस को भी कहीं चेलेंज करने का, कहीं

(श्री वासुदेव देवनानी)

अपील करने का किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए फीस निर्धारण का कार्य समय पर किया जाना सम्भव नहीं था। अधिनियम में अपील का कोई प्रावधान नहीं था। फीस निर्धारण में कोई पार्टिसिपेट नहीं था अभिभावक का, प्रबंध और न शिक्षकों और फिर व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर का भी कोई प्रावधान नहीं था। अत: सोचा गया कि इस प्रकार का यदि हमारे पास एक्ट रहेगा तो उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए हमने विचार किया कि इसके समाधान के लिए एक फीस एक्ट लाया जाए। यह कोई जल्दबाजी में नहीं लाया गया है, यह पिछले छह महीने से हम लोग तैयारी कर रहे थे। मैंने महाराष्ट्र पैटर्न को भी पढ़ा, मैंने दूसरे मध्य प्रदेश पैटर्न को भी पढ़ा, हरियाणा पैटर्न को भी पढ़ा, सबका अध्ययन किया, उसमें से निकल करके राजस्थान के अनुकूल क्या हो सकता है। राजस्थान की आवश्यकताओं के अनुकूल क्या हो सकता है इस आधार पर बनाया है।

एक बार मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि इसमें सीबीएसई को आपने इंक्लूड नहीं किया। मैं यह कहना चाहता हूं सीबीएसई राजस्थान बोर्ड यह केवल संबद्धता देता है। अत: यह जो एक्ट है यह दोनों पर लागू होने वाला है जो भी राजस्थान में शिक्षण संस्था चलती है, मान्यता राजस्थान सरकार से लेती है। मान्यता के बाद एग्जामिनेशन के लिए संबद्धता वह सीबीएसई और आरएसबीसी से लेती है इसीलिए इस प्रकार की इसमें कोई कमी नहीं है कि सीबीएसई पर लागू नहीं होगा। यह सीबीएसई से जो एफेलिएटेड जो स्कूल्स हैं यह अधिनियम उन पर भी लागू होने वाला है। जब मैंने कहा जो अपील का नहीं था, हमने विचार किया कि उसका किसी भी स्कूल के अन्दर पढ़ने वाला विद्यार्थी, पढ़ाने वाला शिक्षक और उसमें मैनेजमेंट तीनों का कहीं न कहीं इन्वाल्वमेंट हो। इसलिए पहले स्तर पर कमेटी बनाई कि वह कमेटी स्कूल स्तर पर बने। स्कूल मैनेजमेंट का जो व्यक्ति है वह उसका अध्यक्ष बने और जो हैड मास्टर हैं या प्रिंसीपल हैं उसका सैक्रेटरी बने, तीन अध्यापक उसके मैम्बर हों और बराबर का दर्जा दिया पांच ये हैं तो पांच अभिभावक। फिर यह आरोप लगता कि अभिभावक का संरक्षण कैसे हो? हमने कहा कि यह आरोप न लगे कि मैनेजमेंट ने उसको अपाइंट कर दिया। कहीं यह नहीं लगे किसी भी प्रकार से आ गए, लाटरी का सिस्टम रखा। उस लाटरी में भी बार-बार उनका न निकले इसलिए एक बार जो लाटरी में आ जाएंगे फिर अगले तीन साल तक उनके नाम उस लाटरी में नहीं होंगे। किसी ने कहा कि अनपढ़ आ

(श्री वासुदेव देवनानी)

जाएंगे। अभिभावक भले ही उसको अक्षर ज्ञान नहीं हो लेकिन वे कई मामलों में हमसे ज्यादा शिक्षित भी हैं, इसको भी स्वीकार करना चाहिए। और इसीलिए यदि लाटरी में नाम उसका आता है तो उनको इस आधार पर दूर नहीं किया जा सकता कि उनके मां-बाप जो हैं किसी कारण से पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन वो चीजों को समझते हैं। फीस के एक्ट में वह अपनी बात को रख सकते हैं। स्कूल में जब फीस की बात कही तो लगा कि उसके कौन-कौनसे मापदण्ड होंगे।

इसमें आपके फीस अवधारण के कारक, इसमें स्पष्ट लिखा गया है विद्यालय के अव्यवस्थित से लेकर के इसमें सारे हैं जिसके आधार पर तय करें, लेकिन तय करने की आजादी उस कमेटी को है जो विद्यार्थी का अभिभावक वहां स्कूल में है। उसको कितना रुपया देना है, वो कितना उसके हिसाब में है वह तय करें। शिक्षक उसमें जिसको वहां से सैलेरी मिलती है, मैनेजमेंट है जिसको वह स्कूल चलाना है यदि तीनों मिलकर के तय करते हैं तो उसमें सरकार की या किसी की दखलन्दाजी की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई। लेकिन यह भी कहा कि पांच-पांच हैं, आपस में सहमत होंगे भी या नहीं होंगे। यदि असहमति होगी तो उसके आगे का भी प्रावधान रखा है कि वह संभागीय आयुक्त के वहां हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के अन्दर यह भी नहीं किया है कि केवल सरकारी अफसर होंगे, दो अभिभावकों के प्रतिनिधि भी होंगे और दो मैनेजमेंट के प्रतिनिधि भी होंगे और उनका चयन वह संभागीय आयुक्त तय करेगा कि किस प्रकार से उनका वहां पर नामिनेशन हो। उसमें चाहे वह लाटरी से करें, दूसरे सिस्टम से करें, शिक्षाविदों को किसी प्रकार से करें यह उनका सोच है। इनको आजादी दी है। ये लोग मिलकर के वे समस्याएं जिनमें सहमति नहीं हो पाई, उन स्कूलों के बारे में वो लोग विचार करेंगे और फिर भी यदि असहमति हुई तो तीसरी अपील के लिए राज्य स्तरीय कमेटी है। जिसमें वह आकर के अपनी सारी बात रखें और उनका निर्णय का पालन होगा। इसलिए हमारी यह सोच है कि इसके अन्दर हम लोग सारी चीजों का अपील करने का प्रावधान उसमें है और इसको देखकर के पिछले दिनों हरियाणा ने भी 02 फरवरी, 2015 को इस प्रकार की अधिसूचना लागू की है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश के अन्दर भी 30 अप्रैल, 2015 को इस प्रकार शुल्क निर्धारण की कुछ उन्होंने तय की है। इस आधार पर यह फीस तय करने का जो हमने सारे प्रोविजन रखा है और हर कमेटी के लिए एक

(श्री वासुदेव देवनानी)

निश्चित समय दिया। कुछ बातें उठीं कि साहब 30 दिन के अन्दर पेरेन्ट्स टीचर एसोसिएशन बने। पेरेंट-टीचर एसोसिएशन केवल फीस निर्धारण के लिए नहीं है, फीस निर्धारण के अलावा भी स्कूल के कई काम हैं जो वह करती रहेगी। हर तीन महीने में उसकी मीटिंग का प्रावधान किया है उसका छोटा सा शुल्क इसलिए निर्धारित किया, कोई भी एसोसिएशन बनती है तो उसकी कोई न कोई मैंबरशिप होती है और जो स्कूल में काफी फीस दे रहा है उसके लिए पचास रुपये, बीस रुपये, तीस रुपये यदि तय होती है तो मैं समझता हूं कि यह कोई अधिक रुपये लेने वाला व इसको गलत नहीं कहा जा सकता कि इसके कारण कोई फीस बढ़ा रहे हैं। ये पचास रुपये, बीस रुपये, तीस रुपये तो कहीं भी एक एसोसिएशन की मैंबरशिप का एक आधार है और इसके अन्दर जो प्रोविजंस किये गये हैं, मैं समझता हूं कि तीन के आधार पर हम लोग इसको आगे बढ़ायेंगे और कुछ मुद्दे अभी हमारे सचेतक महोदय कह रहे थे। डोटासरा जी, तो बात कर रहे हैं, माननीय सचेतक जी, आपने कुछ मुद्दे उठाये। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं आपने कहा, मैंने आपको कहा कि मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक के नाते इन सारी समस्याओं का हल कर रहा हूं। आपने कहा कि विचारधारा, यह कौनसी विचाराधारा है जो अकबर को महान कहती है? जो विचाराधारा अकबर को महान कहेगी तो इसका मतलब अंग्रेजों को और एलिजाबेथ को महान् कहे और महात्मा गांधी को महान नहीं कहे? यदि महात्मा गांधी महान हैं तो फिर एलिजाबेथ और अंग्रेज महान नहीं हो सकते हैं क्योंकि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया इसलिए महाराणा प्रताप ने भी अकबर के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी। इसलिए इस राजस्थान में तो महाराणा प्रताप ही महान होंगे।

इसलिए इस प्रकार अपने को इस राजनीति से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। आज यदि हमने पाठ्यक्रम में वीर सावरकर को जोड़ा तो वीर सावरकर कोई आरएसएस के नहीं थे, आरएसएस का जनम तो बाद में हुआ है। उसमें सावरकर कहीं मैंबर नहीं थे। महाराजा सूरजमल को जोड़ा तो कोई सूरजमल आरएसएस के नहीं थे। कोई गोविन्द गुरु थे तो वो आरएसएस के नहीं थे। इसलिए ये छोटी सी बातें अपने को चर्चा में न लाकर के फीस एक्ट के बारे में कहें कि फीस एक्ट कैसा होना चाहिए। राजस्थान में शिक्षा में किस प्रकार गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। स्कूल के एकीकरण पर जब आप कटाक्ष करते हो, श्रीमान् जी, 45-47 वर्ष आप सत्ता में रहे 5-10 विद्यार्थियों के स्कूल चलाओ

(श्री वासुदेव देवनानी)

और पहली से आठवीं तक फेल न करने का आप नियम लाओ इससे कौनसी गुणवत्ता में सुधार हो रहा है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने समाप्त कर दिया क्या वो नियम, जो केन्द्र सरकार का कानून है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो कर दिया क्या?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): उसी का उत्तर दे रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप भी प्रस्ताव करते घूम रहे हो, अभी तक निरस्त नहीं कर पाये वो।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपको कर रहा हूं, आप विराजो। वो आ रहा है आपके पास। हालांकि यह डिमाण्ड्स में आ गई, लेकिन इसमें हमने आकर के पांचवीं और आठवीं की परीक्षा तो हम करवा रहे हैं और गुणवत्ता में सुधार का बताऊं कि गत एक वर्ष में बोर्ड के परीक्षा परिणाम पन्द्रह परसेंट इम्प्रूव हुए हैं। छात्राओं की बात चली, पिछली बार आपके केवल 44 हजार को गार्गी पुरस्कार मिले। इस बार 68 हजार को मिला है। गुणवत्ता में सुधार की ओर हम बढ़ चले हैं। आप भी साथ आइये। हम इस राजनीति को एक ओर रख करके राजस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, सरकारी स्कूलों में सुधार हो, प्राइवेट स्कूलों में ये सारा नियंत्रण हो। इसमें कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेंगे तो देखना राजस्थान देश के नक्शे पर आगे बढ़ेगा। कुछ मुद्दे और चर्चा में आये जिसमें कहा गया कि आपके यहां यूनिफार्म, टाई, किताबें, जूते, कापियां आदि के लिए दबाव डालते हैं और उसमें पैसा लेते हैं। यह चीजें एक्ट का पार्ट नहीं बन सकतीं। इसके लिए नियम और निर्देश निश्चित रूप से हम जारी करेंगे और जारी करने में स्पष्ट होगा कि जो भी पुस्तकें ये निजी शिक्षण संस्थाएं चलाना चाह रही हैं उनको एक माह पूर्व पुस्तकों की सूची लेखक और प्रकाशक का नाम और मूल्य के साथ विद्यालय के सूचना पटल पर लगाना होगा और ये सारी पुस्तकें कम से कम तीन दुकानों पर उपलब्ध करने की उनको व्यवस्था करानी होगी, ताकि एक भी दुकानदार कोई मोनोपोली नहीं चलाये और किसी स्कूल में यह व्यापार नहीं चलेगा। शिकायत आने पर सरकार कार्यवाही करेगी इस प्रकार का उसमें प्रावधान है। पुस्तकों के अलावा जूते, कापियां खुले बाजार से क्रय करने की स्वतंत्रता होगी। कभी भी किसी को किसी दुकान से लेने का उसके ऊपर कोई

(श्री वासुदेव देवनानी)

दबाव नहीं होगा और किसी भी शिक्षण सामग्री पर विद्यालय का नाम अंकित नहीं होगा यह उसके मार्गदर्शन में है और यूनिफार्म भी बार-बार न बदले इसलिए कम से कम पांच वर्ष तक एक ही यूनिफार्म रहेगी। इस प्रकार के कुछ निर्देश हम जारी कर रहे हैं और इस प्रकार करने से मुझे लगता है कि ये जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं इन पर हम काफी बड़ा नियंत्रण करने लग जाएंगे। नियंत्रण शब्द भी कई बार उपयोग करते समय मुझे कुछ कष्ट होता है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के समन्वय से चलने वाले, मेरे हर बालक को सही रूप में गरीब बालक को भी अच्छी शिक्षा मिले वह उसका व्यवसायीकरण न कर सके इसलिए व्यवसाय को रोकने के लिए सारा कुछ एक्ट लाए हैं और स्कूलों की संख्या भी आपने तो जहां कहा कि स्कूल खोले जाओ, दवाइयां फ्री, स्कूल फ्री, बिल्डिंग हो कि नहीं हो। बिल्डिंगें आपने नहीं बनाईं हमारे आने से साल भर में तो कोई अचानक बिल्डिंगों का अकाल नहीं हो गया कि सारी बिल्डिंगें ही गायब हो गयीं और कोई सारे टीचर्स की कमी इस एक-दो साल में हो गयी पहले कुछ थी ही नहीं इसीलिए इन विषयों पर राजनीतिक चर्चा न करते हुए वास्तव में जहां पर...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से एक ही बात...

श्री उपाध्यक्ष: दे दें इनको अनुमति?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): बोलो-बोलो। जवाब दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने यह कहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी, कि एकीकरण करके आपने एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में बच्चों को ट्रांसफर कर दिया। संख्या बढ़ गई। उनके पास कमरे थे नहीं और वो अब बाहर बैठ रहे हैं आपने उन स्कूलों में जिनमें एकीकरण करके दूसरी स्कूल को शिफ्ट किया है वहां भवन नहीं हैं। यह कहा था मैंने।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपने जो कहा मैं आपको कह रहा हूं कि जहां पांच विद्यार्थी थे और दो शिक्षक थे, न शिक्षक जा रहा था न विद्यार्थी जा रहे थे। इसलिए इनको जो मर्ज किया है, मर्ज करने से संख्या नहीं बढ़ी है ये तो साढ़े आठ लाख एक्स्ट्रा बढ़े हैं वो संख्या तो क्लब हो गयी वो तो पहले से ही थी। इसीलिए संख्या बढ़ी है हमें इसके कारण को स्वीकार करना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाया जाए हमारी स्कूलों की संख्या की तुलना में

(श्री वासुदेव देवनानी)

गुणात्मकता में हम लोग बढ़ें इसलिए गुणों की चर्चा करते हुए बढ़ाएं और आज भी जीरो से पन्द्रह जो आपने कहा कि पांच विद्यार्थी, दो विद्यार्थी, चार विद्यार्थी उससे कोई स्कूल चलना चाहिए इसीलिए हम भी सोच रहे हैं कि ऐसे बालकों की पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। आरटीई को मानेंगे और उसमें इन विद्यार्थियों के बारे में हमने आगे चर्चा की है कहीं हम इसके लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर तक की भी चर्चा करेंगे। मेरा हर विद्यार्थी पढ़े, हर अध्यापक पढ़ाये, हर स्कूल में आगे गुणवत्तापूर्ण हम टापर बने। इस प्रकार का जो हमारा सोच है, हम आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो फीस एक्ट है निश्चित रूप से इन प्राइवेट संस्थाओं को सहयोगी के नाते ही सही लेकिन सुव्यवस्थित करने में और किसी प्रकार का कोई शोषण किसी का न हो इसको रोकने में निश्चित रूप से सार्थक होगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के जो संशोधन श्री फूलचंद भिण्डा, श्री रामहेत सिंह यादव, श्री केसाराम चौधरी, श्री मानसिंह, श्री प्रहलाद गुंजल, श्री जोगाराम पटेल ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन पस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड-2 एवं 3 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड-4, श्री जोगाराम पटेल। (अनुपस्थित)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने पहले वापस लेने का प्रस्ताव किया है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-4 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-4 स्वीकार किया गया।

खण्ड-5 से 8 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-5 से 8 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-5 से 8 स्वीकार किये गये।

खण्ड-9 प्रभारी मंत्री।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खण्ड-9 के उपखण्ड-4 में विद्यमान शब्द 'दो' के स्थान पर शब्द 'तीन' प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-9 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह कि खण्ड-9 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-9 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-10 से 22 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-10 से 22 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड-10 से 22 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 – अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नरेन्द्र कुमार। आदरणीय, पांच मिनट का समय है।

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा): उपाध्यक्ष महोदय, तीन मिनट। राजस्थान विद्यालय विधेयक, 2016 जो रखा गया मैं उसमें सहमति प्रदान करता हूं। मैं मुख्य मंत्री महोदया और शिक्षा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पुराने समय में कहा गया है कि शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है तो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है और जब उसका मोल किया जाये तो वह व्यर्थ लगता है। पुराने समय में भीमराव अंबेडकर शिक्षा ग्रहण करने बाहर गये थे। शिक्षा की कोई कीमत ही नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि शिक्षा में फीस निर्धारण को ओपन किया जाये। जब मार्केट में कोई चीज आएगी तब भी वह सस्ती हो सकती है, जितना ज्यादा आप कंट्रोल करेंगे उतनी ही शिक्षा महंगी होगी। हम एक तरफ तो गरीबों की बात करते हैं, ढाणियों की बात करते हैं, गरीबों और ढाणियों में तो छोटी संस्था ही खुल सकती है, उसका बच्चा तभी प्राइवेट संस्था में पढ़ सकता है। वह जयपुर जैसे शहरों में कैसे डालेगा क्योंकि वहां डालेगा तो बसों का किराया और लगेगा। शिक्षा में जो सरलीकरण किया गया है इसके लिये मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जितना भी हो सकता है उतना शिक्षा में सरलीकरण किया जाये। शिक्षा का कोई मोल नहीं है, शिक्षा तो जितनी ली जाये उतनी देनी चाहिये। सरकार कह रही है शिक्षा का प्रचार प्रसार करो। गुणवत्ता की शिक्षा हो, अभी

(श्री नरेन्द्र कुमार)

फीस के लिये कह रहे थे कि फीस निर्धारण नहीं की, जबकि इसके बारे में कोई समझे तो फीस इसमें निर्धारण है। शिक्षा मंत्रीजी ने खुद ने बताया है 3-4 इसमें रख रखे हैं कि गुणवत्ता के आधार पर, संस्था में कैसी व्यवस्था होगी उसके आधार पर फीस रखी जायेगी। शिक्षा से जो जुड़े हुए हैं उनकी जब सहमति है उसके बाद में किसी को विचार करने की जरूरत ही नहीं है। संस्था के अभिभावक, संस्था खोलने वाली प्रबंध कार्यकारिणी और संस्था के अध्यापक, जब उनको सम्मिलित कर लिया गया और जब वह फीस निर्धारण कर देंगे, उसमें कहते हैं कि उसमें नेताओं को और जोड़ा जाये। इसका मतलब दिक्कत नेताओं की होगी जोड़ने की। जब अभिभावक फीस दे रहा है, बच्चा शिक्षा ले रहा है, पढ़ाने वाले की सहमति है और प्रबंध कार्यकारिणी फीस निर्धारण करने में सम्मिलित है उसके बाद क्या बच गया। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि फीस का ही शोषण नहीं है, सामान का शोषण है। आज बाजार में एक दुकान निश्चित कर दोगे उस दुकान पर अभिभावक जायेगा तो वह पांच सौ रुपये का कपड़ा नहीं खरीदता, दो सौ रुपये उसके बस में जाने के किराये के लग जायेंगे। वह थोक में खरीदता है और बाजार के भाव में अगर वह स्कूल में सामान देता है तो अभिभावक के लिये वह अच्छा हुआ या बुरा हुआ। अभिभावक इस बात से सहमत है। वह लोग सहमत नहीं है जो किसी भी चीज में सहमत नहीं है। आज दारू का ठेका लगाओ उसमें भी असामाजिक तत्व आगे आते हैं, नहीं लगाने देंगे, यहां संस्था नहीं खोलने देंगे, हर चीज के लिये ही कहते हैं। 10 परसेंट तो ऐसे अभिभावक भी हैं जिनको बच्चा पढ़ाना नहीं। लोग गायों के लिये भी कहते हैं, किसान कहते हैं गायों के लिए कि जिनके पास गाय नहीं है, जो गाय का दूध खरीदते हैं और गाय के बारे में जानते नहीं किसान का क्या नुकसान हो रहा है, वह कहेगा कि गाय नहीं कटनी चाहिये, गाय के ट्रक नहीं जाने चाहिये, तो हर चीज का अपवाद हर जगह होगा।

शिक्षा के बारे में इतनी चर्चा होती है, मैं तो कह रहा हूं कि इसको खुला कर देना चाहिये। एक बार आया भी था कि एडमिशन के समय उम्र निश्चित होनी चाहिये, बोर्ड होने चाहिये, आठवीं, दसवीं का बोर्ड क्लियर होना चाहिये। सरकार पांचवी का बोर्ड भी करने जा रही है, उसके लिये भी धन्यवाद की पात्र है। सर्विस के लिये जब हमने दो-दो, तीन-तीन एग्जाम रख रखी है उसको अगर वह क्लियर करता है तो उस पर किस चीज की रोक है। वह

(श्री नरेन्द्र कुमार)

सीधा आठवीं में पढ़े, सातवीं में पढ़े, बोर्ड पास होना चाहिए। बच्चे की उम्र निश्चित कर देनी चाहिये। उम्र कर रखी है कि इस उम्र से पढ़ेगा। शिक्षा के लिये तो जहां अच्छी शिक्षा मिलती थी वहां कौन नहीं गया। भीमराव अंबेडकर से ज्यादा गरीब तो देश में कोई हो ही नहीं सकता और वह भी शिक्षा लेने के लिये बाहर गये थे। इतनी बड़ी लाइब्रेरी आज तक देश में नहीं है, उसकी लाइब्रेरी तो साथ ही होती थी, इतनी-इतनी किताबें थीं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कितने रोजगार दे रखे हैं। मुख्य मंत्री महोदया ने कह रखा है, नरेन्द्र मोदी जी ने कह रखा है कि हम रोजगार देंगे, रोजगार केवल सरकारी ही है क्या। प्राइवेट स्कूल वाले खुद कह रहे हैं कि नेताओं के पढ़ने चाहिये। जब सुविधा होगी तो अपने आप सुविधा के पीछे जायेगा। शिक्षा के लिये तो खुला होना चाहिये कि कोई भी कहीं से भी कितनी भी शिक्षा ले और कैसे भी ले, यह होना चाहिये। इसका तो सरलीकरण होना चाहिये। जितना कम्पीटिशन होगा उतना ही ज्यादा फायदा जनता को होगा।

सामान के लिये भी यही है, अभी सुरक्षा के लिये कह रहे थे कि सुरक्षा करनी चाहिये। मैं कह रहा हूं कि जो 50 परसेंट अच्छे विद्यालय हैं जो 4-4, 5-5 लाख रुपये प्रतिवर्ष लेते हैं वह चलते ही सुरक्षा के पेटे हैं। जो बड़े बिजनस मैन हैं उनको पढ़ाई से मतलब ही नहीं है। बिड़ला पब्लिक स्कूल देख लो, और बढ़िया बढ़िया स्कूल देख लो उसमें हमारे बेटे की सुरक्षा होनी चाहिये और उसके पेटे 50 परसेंट विद्यालय जिनकी हम फीस की चर्चा कर रहे हैं, वह चल ही सुरक्षा के पेटे रहे हैं, उनमें ही है सुरक्षा। उनके बच्चों का पता ही नहीं लगना चाहिये कि मेरा बच्चा पढ़ कहां रहा है, वह छोड़ कर जाते हैं। अभिभावक आते ही नहीं है, सुरक्षित रहना चाहिये बच्चा। अभी आपके अजमेर के इधर भी बिड़ला जी ने स्कूल खोला है। मेरे हिसाब से 4 या 5 लाख रुपये फीस है, वह सुरक्षा के पेटे ही चल रहा है। कंट्रोल करना है तो उन स्कूलों पर कीजिए। वह भी तो एक केटेगिरी हो गई, किस चीज की केटेगिरी नहीं है। गरीब खादी का कपड़ा 5 रुपये मीटर, 20 रुपये मीटर वाला पहनता है, हम एक-एक, दो-दो हजार वाले कपड़े क्यों पहनते हैं। हम बड़ी गाड़ी में क्यों आते हैं, वह साइकिल पर घूमता है, फिर क्यों नहीं उसकी व्यवस्था करते। हम क्यों अच्छी-अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, जो कमाता है वह खर्च भी करेगा, उसके नियम बनाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार में कमजोरी यह है कि सरकारी स्कूल नहीं चल रही, इसलिए तो यह चर्चा है। पुराने समय सरकार

(श्री नरेन्द्र कुमार)

सेठ लोगों को अनुदान देकर शिक्षा के लिये संस्थाएं खुलवाती थी कि खोलो 70 परसेंट अनुदान गवर्नमेंट देगी, 90 परसेंट देंगे और अच्छी चलाओगे तो 60 परसेंट देंगे। चार-पांच साल पहले तक अनुदान देते आ रहे थे, अब बंद किया है। अब तो इस तरह से संस्थाएं चला रहे हैं जो सरकार से कुछ नहीं मांगते, केवल एक मान्यता लेते हैं। उसमें भी आपने बालिका फाउंडेशन छात्रावास रख रखा है कि पांच लाख रुपये जमा कराओगे तो मान्यता देंगे, 20 लाख रुपये जमा कराओगे तो मान्यता देंगे, अभी बीएड का कर रहे हो। एक तरफ तो शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हो और दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं इस कारण से प्राइवेट स्कूल पर कसौटी कर रहे हो। देश का, समाज का और घर का विकास तभी होगा जब प्रत्येक व्यक्ति अन्य देशों से अच्छी तरह से शिक्षित होगा। आज अमरीका इंडिया से क्यों घबरा रहा है, केवल शिक्षा के कारण या हथियारों से घबरा रहा है या पैसे से घबरा रहा है, किस चीज से घबरा रहा है या व्यक्तियों से घबरा रहा है? केवल शिक्षा के कारण घबरा रहा है कि हमारे देश के बच्चे सारे विदेशों में काम करते हैं, इसलिए घबरा रहे हैं। शिक्षा के लिये तो जितनी छूट दी जाये, हां जो निश्चित नियम है जिससे दिक्कत आती हो, उम्र की दिक्कत आती है उसके लिये जनम प्रमाण-पत्र होना चाहिये। बोर्ड क्लियर करने चाहिए। आज जिन प्राइवेट स्कूलों पर आप अंकुश लगाना चाहते हो, जिन पर नहीं लग रहा उनको छोड़ रहे हो, जिन पर लगाना चाहते हो, मैं यह कह रहा हूं, 50 परसेंट से ऊपर जितनी भी स्कूलें हैं उनके सबके पैसे, जो गांवों में धंधा करते हैं, आप टीम बना दीजिए, 50 परसेंट स्कूलों की बसें गिरवी रखी हुई हैं, घर गिरवी हैं। जो कमा रहे हैं, जिनके संस्थाएं हैं, जो इनकम टैक्स की छूट दे रखी है इस कारण से लोग 2 नंबर का बिजनस कहीं और करते हैं और दो नंबर के बिजनस से 100-100 बीघा जमीन खरीदकर उन पर बिल्डिंग बना रखी है। वह पैसे दो नंबर में आय में दिखाते हैं इनकम टैक्स बचाने के लिये, उस पर अंकुश लगाइए। जो गांवों में, ढाणियों में, ग्रामीण इलाके में स्कूलें खुल रही हैं उन पर अंकुश लगाते हैं, 10 बीघा जमीन चाहिये, 20 बीघा जमीन चाहिये, वह 10-20 बीघा जमीन उसके पास होगी तो वह प्राइवेट खोल लेगा। आज 90 परसेंट जिन्होंने गांवों में स्कूल खोल रखी है वह बेरोजगार हैं, इसलिए स्कूल खोल रखी है और वह थर्ड डिवीजन से पास नहीं है, वह बीएड भी नहीं है जिसने स्कूल खोल रखा है और उसके पास योग्य टीचर है और वह खुद बीएड

(श्री नरेन्द्र कुमार)

नहीं है, फिर उसने स्कूल खोल रखा है। मजबूरी में, रोजगार नहीं मिल रहा है, खेती कर नहीं सकता, खेती है नहीं और उसके पास गरीब बच्चे पढते हैं। सबसे गरीब ढाणी में जब स्कूल खुलेगा उसमें सबसे गरीब बच्चे पढेंगे आपको सबको पता है जितनी छोटी स्कूल होगी उसी में सबसे ज्यादा गरीब है। आपने कर दिया कि 10-20 परसेंट अनुसूचित जाति के लड़के पढ़ेगे, यह पढ़ेंगे, कहां पढ़ रहे हैं। या तो पढ़ नहीं रहे और पढ रहे हैं तो नाम दिखा रहे हैं जो गवर्नमेंट से फीस लेते हैं। गवर्नमेंट से केवल फीस लेते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति पर जितना खर्चा हो रहा है उतने खर्चे की फीस अगर गार्जियन को दे दी जाये कि तू बढ़िया स्कूल में पढ़ा। आज कितने अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रावास चल रहे हैं, सबमें घोटाला है, कहां नहीं है। मेरे साथ आप टीम कीजिए, बच्चे तो घर पर रहते हैं, आधी फीस बच्चे को घर पर देकर आते हैं और आधी स्कूल वाला रख लेता है। नाम दिखा देता है। कितने केस बताऊं? अनुसूचित जाति–जनजाति का, जब रिजल्ट निकलता है, उस समय देखो क्या धांधली है? कंट्रोल जब तक किसी पर नहीं करते। उसका आल्टरनेट यह नहीं है कि दो गाड़ियां भिड़ गयीं, वहां एक ब्रेकर बना दो। एक्सीडेंट बच जायेंगे। इससे थोड़े ही एक्सीडेंट बचेंगे। कंट्रोल हर चीज पर होगा सरकार का। नियम बहुत अच्छे हैं। यह जो विधेयक लाया गया है वो प्राइवेट स्कूलों के लिए, निजीकरण के लिए बहुत अच्छा है। जो पुराना विवाद चल रहा था, वो विवाद भी खतम होगा और हमेशा प्राइवेट वालों ने तो सबको चाहे सरकार कांग्रेस की रही है, चाहे बीजेपी की रही है। उन संस्थाओं ने सबको सहयोग किया। मैं इस विधेयक के पक्ष में मेरा मत रखना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत लंबे संघर्ष के बाद, बहुत लंबा आंदोलन इस राजधानी की सड़कों पर और राजस्थान के प्रमुख शहरों में अभिभावक वर्सेज प्राइवेट स्कूल संचालकों के बीच लंबे टाइम से जंग जली। हाई कोर्ट में भी मामला गया और हाई कोर्ट की डी.वी. के अन्दर भी मामला गया और पूर्ववर्ती सरकार और उससे पहले की सरकार हमेशा यह बात कहती थी कि प्राइवेट स्कूल जितने भी राजस्थान के अन्दर हैं। इन प्राइवेट स्कूलों पर सरकार नियंत्रण कैसे करे? मनमाने तरीके से ये जो फीस बढ़ोतरी करते हैं, इन पर सरकार का नियंत्रण कैसे हो? और कानून बनाने की बात जोर-शोर से पिछले 10-15 साल में चली। मैंने भी चार दिन पहले यह मामला

(श्री हनुमान बेनीवाल)

उठाया था, स्थगन के माध्यम से। मंत्रीजी ने कहा कि शीघ्र ही हम कानून लेकर आ रहे हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि दो दिन में ये कानून लेकर आ गये अगर इसको एक बार राजस्थान की जनता के सामने रखा जाता, जनप्रतिनिधियों के सुझाव लिये जाते, प्राइवेट स्कूल के लोगों को भी इसमें बिठाया जाता और अभिभावक संघ को बिठाकर ऐसी ठोस एकता बनाते। अभी बहुत बड़ी संख्या में 40-41 हजार प्राइवेट स्कूल राजस्थान के अन्दर हैं।

रेगिस्तान के इलाके में, दूर ढाणियों में और ट्राइबल बैल्ट के अन्दर या किसी गांव के अन्दर कोई व्यक्ति बेरोजगार है, बी.एड. करके, एम.एड. करके बैठा है, पी.एच.डी. करके बैठा है और उसको रोजगार सरकार नहीं दे रही है। वह लोन लेकर एक छोटा स्कूल शुरू करता है। आपने उन सबको उसके अंडर में ले लिया, जबकि राजस्थान के अन्दर जो झगड़ा चल रहा था, वह उन स्कूल माफिया के खिलाफ था जिन्होंने सरकार से औने-पौने दामों में जमीनें ले लीं, एम.ओ.यू. कर लिये। शिक्षा का अधिकार में भी उन्होंने 25 परसेंट सीट भरने की बात करी और करोड़ों-अरबों रुपये की जमीन इन्होंने एक रुपये दर पर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अन्दर ले ली। उन संचालकों और अभिभावकों में झगड़ा था। अब आपने इसकी आड़ में सब लोगों को ले लिया। चालीस हजार प्राइवेट स्कूल राजस्थान में चल रहे हैं और पैंतीस हजार को आपने इसमें ले लिया और 80 परसेंट वो स्कूल यह कानून बनने के बाद भी आपकी सरकार के नियंत्रण में नहीं होंगे। जो सी.बी.एस.ई. बोर्ड और केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि ये कह रहे हैं कि केन्द्र में हमारी सरकार है, हम बात कर लेंगे। सी.बी.एस.ई. बोर्ड तो सिर्फ मान्यता देता है, एग्जाम कराता है बाकी राजस्थान की सीमाओं में विद्यालय चलेगा तो हमारा अधिकार रहेगा। अगर आप इस अधिकार को प्रभावी रूप से लागू करोगे। आज हालात क्या हैं, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। आज लोगों की सोच बन गयी है कि सरकारी स्कूलों में हम हमारे बेटा-बेटी को नहीं भेजेंगे। वहां अच्छी पढ़ाई नहीं है। सरकारी स्कूल के अन्दर बैठने को फर्नीचर नहीं, लाइट नहीं, शौचालय नहीं और राजस्थान के आधे से ज्यादा सरकारी स्कूल तो ऐसे हैं जहां शायद 20-30-40 साल में मरम्मत के लिए एक पैसा भी नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी सोच राजस्थान की जनता के मन में पैदा

(श्री हनुमान बेनीवाल)

करनी होगी कि सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छी शिक्षा राजस्थान में दे सकता है। इस सोच को आप कैसे प्रभावी करें? इसके लिए आपको यह करना चाहिए सरकारी स्कूल के अन्दर, जिस इलाके के अन्दर कोई अध्यापक रहता है। जो सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, एम.एल.ए., प्रधान, प्रमुख और एम.पी.। जैसे आप जल स्वावलम्बन लेकर आये। तो यह सरकार की सोच होती है। ये लाये लेकिन इसका फर्क कुछ भी नहीं पड़ा। भामाशाह योजना में उलझा दिया आपने। नये-नये एक्ट रोज लेकर आ रहे हो। जब लोग उठते हैं, अख़बार पढ़ते हैं कि नया कानून आ रहा है, सबको रोजगार मिल जायेगा। खाली कानून बनाने से कुछ भी नहीं होगा। 'शिक्षा का अधिकार' अधिनियम में 25 परसेंट का कानून बना हुआ है। उसको आप प्रभावी ढंग से लागू कराओ। कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसमें पहले कहा कि बी.पी.एल., एस.सी. एस.टी. और ओ.बी.सी. के बच्चों को 25 परसेंट प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन में देंगे, सी.बी.एस.ई. वाले देंगे, लेकिन कितनो ने दे दिये? 80 परसेंट मापदण्डों पर खरे नहीं उतरे। उसको प्रभावी ढंग से लागू करते तो मुझे नहीं लगता कि नये-नये कानून बनाने की आवश्कता है। लेकिन मंत्रीजी आपने एक नयी शुरुआत की कि प्राइवेट स्कूलों पर नियंत्रण सरकार का हो लेकिन गांव और ढाणी के अन्दर बैठा हुआ।

अभी जैसे मण्डावा से आने वाले माननीय विधायक बता रहे थे कि आप इस कानून की आड़ में जो बेरोजगारी से तंग आकर विद्यालय के माध्यम से रोजगार का काम ढूंढ रहे हैं, उनको सरकार नियंत्रण में ले लेगी तो जो अभिभावकों का संघर्ष है वो कामयाब नहीं होगा। वह कामयाब तभी होगा जब आप जो सारे बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, जयपुर के नामी-गिरामी, उदयपुर के, जोधपुर, जहां प्रिंसिपल मंत्रीजी का टेलिफोन नहीं उठाते। एडमिशन के लिए एम.एल.ए. जाते हैं। आई.ए.एस. अधिकारी डोलते रहते हैं कि सैंट जेवियर वाले फादर को किस से कहलाएं? सैंट एनस्लम में किसकी सिफारिश करायें? एस.एम.एस. के लिए किस महाराजा को पकड़ें? किस राजा से एस.एम.एस. में एडमिशन के लिए करें? सिटी पैलेस की तरफ देखते हैं। राजा साहब उसके खास होंगे तो उससे मैं एडमिशन करा लूं। आप इस तरह इसके अन्दर करें कि राजस्थान सरकार के मंत्री का इशारा हो जाए और पी.ए. का फोन भी चला जाये तो राजस्थान सरकार की सीमाओं पर होने वाला चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल, वो राजस्थान सरकार के अधीन होगा। जमीन हमसे लेते हैं,

(श्री हनुमान बेनीवाल)

मदद हमसे लेते हैं और अपनी उस मदद की आड़ में मनमाने तरीके से टैस्ट लेकर चाहे जो एडमिशन की प्रक्रिया अपनाते हैं। मैं कह रहा हूं अगर वो टैस्ट भी लेते हैं। वो कहते हैं कि टैस्ट लेकर एडमिशन देते हैं। उसकी क्या गारंटी है? वो तो कमरे में बिठाकर टैस्ट ले लेंगे। जिसको चाहा फेल, जो चाहे वो पास। प्राइवेट स्कूल के लोग एक तरीके से वो यह मैसेज देते हैं कि हम नेताओं और अधिकारियों से ऊपर हैं। तो उन स्कूलों को भी जो सी.बी.एस.ई. की भी और इसमें मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मिशनरी स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं, निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों का विकास इस देश के अन्दर होना चाहिए। राजस्थान के अन्दर होना चाहिए लेकिन मिशनरियों की आड़ में कोई यह कह दे कि हम तो मानें ही नहीं। दूसरी बात उस स्कूल के अन्दर कर दें, दूसरे पाठ्यक्रम, दूसरे कार्य शुरू कर दें। तो इस मिशनरीज को भी इस एक्ट के माध्यम से आपको इसमें लाना चाहिए।

मंत्रीजी, आपको सरकारी स्कूल के तंत्र को मजबूत करना चाहिए। आप यह कानून लेकर आये हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छी पहल आपने की है। आपने जो हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस श्री शिव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में फीस नियंत्रण कमेटी बनायी थी। उन्होंने भी कहा कि फीस की बढ़ोतरी जो बार-बार होती है, यह नहीं होनी चाहिए। यह असंवैधानिक है और आपने इस दिशा में एक अच्छा काम किया। मैं कोई घनश्याम जी तिवाड़ी की तारीफ नहीं करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले गलती से बी.जे.पी. में रह गया था। राजस्थान के अन्दर शिक्षा का बंटाधार हुआ और उसको ठीक करने का प्रयास अगर पहली बार किसी ने किया तो घनश्याम जी तिवाड़ी ने अस्सी हजार भर्तियां एक साथ राजस्थान के इतिहास में पहली बार की। वो कोई राजेंद्र जी राठौड़ की सोच नहीं थी, वो घनश्याम जी की सोच थी, जिन्होंने दिल्ली और वर्ल्ड बैंक का जो पैसा आया था, वैसे तो यह था कि आप संविदा पर लगा दो, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं एग्जाम कराऊंगा और राजस्थान के उन एक लाख लोगों को जब हम चुनाव में गये थे, रोजगार की बात कहकर आये मैं उनको रोजगार दूंगा और एक बहुत बड़ी शुरूआत राजस्थान में हुई। पहली बार आपके पास कहने को एक बात मिल गयी कि 2008 में जब हम गये, 2013 में आप गये, हम अलग गये तो आपने एक ही बात कही कि हमने 80 हजार नौकरियां लगाईं। अगर घनश्याम जी यह सोच नहीं लाते तो आप क्या भाषण

(श्री हनुमान बेनीवाल)

देते, बताओ आप? इनको आपको धन्यवाद देना चाहिए। (व्यवधान) हमारे तो नेता आप ही हो, थर्ड फ्रंट वालों के।

मंत्री महोदय, आज आप यह कानून लेकर आ रहे हैं। इस कानून के अन्दर निश्चित रूप से दो-चार कमियां हैं। जैसे विधेयक की धारा 4 –'ख' में माता-पिता संगम के गठन की बात कही गयी है। इसमें विद्यालय के प्रत्येक छात्र के माता-पिता को सदस्य बनाने के लिए 50 रुपये का शुल्क। आप पचास रुपये का शुल्क क्यों ले रहे हो? प्रत्येक बन जायेगा और वो अपनी अलग-अलग बात रखेगा तो मेरे हिसाब से कोई सही मामला निकलकर नहीं आयेगा क्योंकि बहुत बड़ी संख्या होती है और हर माता-पिता और उसमें आपने 50 रुपये की फीस कर दी। इसके साथ धारा-4 'ग' में इच्छुक माता-पिता के चयन का आधार कहीं स्कूल प्रबंधन ही नहीं हो जाये। वो चाहे जिसको कर लेगा, कौन बैठा रहेगा। आप इसके अन्दर जिस तरह विधायकों के प्रतिनिधि जैसे दसवीं और बारहवीं स्कूल में एम.एल.ए., एम.पी. का प्रतिनिधि होता है। दो मैम्बर हम नोमिनेट करते हैं। तो निश्चित रूप से विधायक के क्षेत्र में आने वाली दसवीं-बारहवीं की जो प्राइवेट स्कूल है, उनके अन्दर एम.एल.ए. का प्रतिनिधि हो। आपकी सरकार का एक एस.डी.एम. तहसीलदार, या बी.डी.ओ. जो भी उस इलाके में हो, उसको भी आपको इसमें लेना चाहिए ताकि और पारदर्शिता से इस कानून को लागू किया जाये। धारा-8 के फीस अवधारण के कारकों में विद्यालय की अवस्थिति, गुणात्मक शिक्षा, मानदंड व रख-रखाव जैसे कई विषयों का उल्लेख किया है।

परन्तु यदि स्कूल हाई प्रोफाइल हो तथा दूसरा स्कूल सामान्य हो तो यह कारक बहुत भिन्न हो जाएंगे। सामाजिक तौर पर असमानता और बच्चों में हीन भावना की स्थिति पैदा हो सकती है।

धारा 15 में अपराध और शास्तियां, में जुर्माने की रकम बढ़ोतरी करने के सुझाव देना चाहूंगा क्योंकि इससे पहले निजी स्कूल आरटीई, शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधानों, उद्देश्यों का तोड़ मोड़ निकाल चुके हैं। कड़े प्रावधानों में निजी स्कूलों में कार्यवाही का भय आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ने को मिला, नोखा के अन्दर एक अनुसूचित जाति की लड़की जो बीएसटी के प्राइवेट महाविद्यालय में पढ़ रही थी उसके साथ रेप हुआ और हत्या कर दी। इस मानसिकता और इस सोच के अन्दर अपने को बदलाव लाना होगा।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

आज अगर हमारे बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं होंगे, हमारी बच्चियां अगर स्कूल में सुरक्षित नहीं होंगी, तो यह वातावरण आपको तैयार करना होगा। आप रोज एक्ट लेकर आओ, आप पालना भी करा दो, आपका बहुमत है आप पारित भी करा दोगे। आप तो चाहे राजस्थान का नाम बदलने का एक्ट लाओ तो भी आप बदलवा दोगे क्योंकि आपकी संख्या 163-164 है। एक्ट लाने के बजाए आप राजस्थान का साक्षरता का स्तर सुधारने के लिए ठोस प्रयास करो। किस तरह लोगों की सोच बने कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल की तरह, एमएलए के पास कोई सिफारिश लेकर आए कि एमएलए साहब आप सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को फोन कीजिए, हमारे पास तो काई आता ही नहीं। जो भी सिफारिश लेकर आता है वह एक ही बात कहता है कि प्राइवेट स्कूल का फादर आपका जानकार है क्या, वह आपका जानकार है क्या। मैं गलती से पिछली बार मंत्री जी के पास चला गया, तो मंत्रीजी कह रहे हैं मेरा ही फोन नहीं उठा रहा, आप इसका इलाज करा दो। मैंने कहा मैंने कोई ठेका ले रखा है क्या इलाज कराने का। आपका फोन नहीं उठा रहा मान्यता रद्द कर दो, कोई जांच कराकर अन्दर डालो इसको।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप आ जाओ, आपकी जिससे बात करानी है मैं करा दूंगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब तो करा दोगे, अब तो मैंने खुद ही कर ली आप क्या करा दोगे। वह तो मैंने मेरा काम कर लिया है। ठीक है। अगर मंत्रियों के यह हालात हो...**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकिण्ड, मैं आपके माध्यम से सरकार और मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आपने शुरूआत की है अच्छे कानून की। जिसकी बहुत समय से इस राजस्थान की जनता को, राजस्थान के अभिभावक संघ को आवश्यकता थी। बहुत बड़े आंदोलन उन्होंने 15 साल के अन्दर किए। आप एक्ट लेकर आए। हमारा इसमें इतना ही है कि इस एक्ट को पारित कराने से पहले 3 या 6 माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। इसकी जो कमियां खामियां हैं, किस तरह दूर की जाएं, प्राइवेट स्कूल जिनको अपन नियंत्रण में लेना चाहते हैं, वह तो नियंत्रण में आ नहीं रहे हैं। दूसरे छोटे-मोटे प्राइवेट स्कूल गांव-ढाणी या ट्राइबल बैल्ट में चला रहे हैं या अल्पसंख्यक मोहल्लों में चला रहे हैं या कोई

(श्री हनुमान बेनीवाल)

छोटे और चला रहे हैं, उनको तो आप ले लो और जो बड़ी मछलियां हैं यह आपके पकड़ में नहीं आएं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि इस बिल को पारित कराने से पहले सारे सीबीएसई के और जितने भी शिक्षा माफिया हैं, यह सारे राजस्थान सरकार के इस कानून की पालना करें। इस कानून की सीमाओं के अन्तर्गत आएं। इसके लिए आपको तीन माह के लिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाहिए। आगे सत्र आएगा उसमें आप पारित करा लें। इतनी कौनसी जल्दबाजी है कि आज ही आप शिक्षा का, फीस वृद्धि का और यह सारा लेकर आए हो, आज का आज कराना जरूरी है। जब 50 साल के अन्दर नहीं लाए तो एक दिन में क्या हो जाएगा।

मैं आपसे अपील करता हूं कि इसके अन्दर, एक्ट की सही ढंग से पालना हो। सारे लोगों के, अभिभावकों के, जनप्रतिनिधियों के पक्ष इसके अन्दर रखे जाएं। साथ ही साथ सरकारी स्कूलों का तंत्र आप ठीक करें ताकि राजस्थान की साक्षरता है उसका प्रतिशत देश के अन्दर बढ़े। आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

मैं इस बिल का पूरा विरोध तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं हमेशा प्राइवेट स्कूल फीस नियंत्रण के लिए यहां बोलता रहा हूं, पिछली बार, अबकी बार कि फीस नियंत्रण के लिए प्रभावी कानून बनना चाहिए। विश्वविद्यालयों की फीस और प्राइवेट विश्वविद्यालयों के लिए नियामक आयोग बनना चाहिए। इसका तो मैं स्वागत करता हूं कि आपने एक अच्छी पहल की। इसकी कमियां दूर करके अगर इस एक्ट को पारित कराया जाए तो निश्चित रूप से राजस्थान के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति आएगी। इसको 3 माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सूचना

बाड़मेर में शराब से मौतें

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फारमेशन। बाड़मेर मुख्यालय पर दारू पीने से 11 आदमियों की मौत हो गई, उसमें दो बीएसएफ के जवान हैं। शराब के माफिया हैं, वे फरार हो गए हैं। लोगों में आक्रोश है। कंट्रोल किया जाए व्यवस्था को।

विधेयक का पारण

राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विद्यालय फीस...

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): उपाध्यक्ष जी, एक मिनट, इनका जवाब दे दूं। दो मिनट जवाब दे दूं इनका। (व्यवधान) दो मिनट, दो बात ही कह रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ मुद्दे उठे वास्तव में उन मुद्दों पर कई बार प्राइवेट स्कूलों के बारे में कई तरह की चर्चा चलती है। उनके लिए कई बार हमारे मन में अच्छी दृष्टि नहीं रहती। मैं बताना चाहूंगा कि आज भी वनवासी अंचलों में, वनवासी कल्याण परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों का उल्लेख करूंगा जो बिलकुल सेवा भाव से वहां शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

इसी प्रकार से विद्या भारती के आदर्श विद्या मंदिर भी सेवा भाव के आधार पर काम कर रहे हैं इसलिए प्राइवेट संस्थाएं भी काफी अच्छा काम कर रही हैं। बीच-बीच में इस प्रकार से कुछ स्कूलों की चर्चा आती है जहां पर कोई तानाशाही या बाकी कोई बातें आती हैं, इसलिए यह एक्ट लाना हमने आवश्यक समझा कि एक्ट लाया जाए।

यह कहा गया कि चर्चा नहीं की गई, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हमने इसके पहले निजी विद्यालयों के प्रबंधकों और अभिभावकों से व्यापक विचार-विमर्श किया है। इन सबसे वार्ता करने के बाद हम यह विधेयक लाए हैं और इसमें पूर्व में एक्ट में जो कमियां थीं उसको दूर करने का प्रयत्न किया है। शिक्षा मंदिरों की स्थापना के पुनीत उद्देश्यों की पूर्ति में निश्चित रूप से यह विधेयक सहायक होगा। नया फीस एक्ट से, सामान्य विद्यार्थियों को सर्व सुलभ शिक्षा प्राप्त हो सकेगी, कुछ विद्यालयों की अनियंत्रित तानाशाही से भी हमको मुक्ति मिलेगी और शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत निजी विद्यालयों द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले पुनर्भरण राशि है उसमें गड़बड़ियों पर भी रोक लगेगी। इनके द्वारा की जाने वाली स्वैच्छिक आडिट सरकार के द्वारा नियंत्रित और निर्देशित हो सकेगी जिससे कुछ विद्यालयों की व्यावसायिक और व्यापारिक सोच के चलते सभी स्कूलों के प्रति समाज के नकारात्मक दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। अभिभावक इसके साथ जुड़ेंगे। अभी माननीय विधायक महोदय ने जो प्रश्न रखा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारेंगे, अभिभावकों की पहली च्वाइस सरकारी विद्यालय बनेंगे

(श्री वासुदेव देवनानी)

इसलिए यह विधेयक निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह एक ऐतिहासिक बिल है जिसको हम पारित करके वास्तव में शिक्षा जगत के अन्दर एक नई क्रांति लाएंगे। आइये हम सब लोग मिलकर सरकारी स्कूलों की भी स्थिति सुधारे और जो प्राइवेट स्कूल अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी सम्बल प्रदान करें। जिस प्रकार कुछ विद्यालय मिलकर लूट, तानाशाही, जिस प्रकार की कर रहे हैं, उस पर भी हम रोक लगाएं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपसे यह निवेदन है इसको पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016, प्रभारी मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016 विचार के लिए लिया है। कल ही इसको सदन में पुर:स्थापित किया, आज चर्चा में आ गया। रात को 12 बजे तक माननीय सदस्य सदन में थे। मैंने इसके उद्देश्य और कारणों को पढ़ा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रवास, तीव्र नगरीकरण की मांगों को और सभी निवासियों की उनके नगरों और पड़ौस में बेहतर जीवन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए साम्या, दक्षता और वहनीयता के तीन प्रमुख सिद्धान्तों के अनुसार भू-स्वामियों का सहयोगपूर्ण सहभागिता के माध्यम से लोक अवसंरचना का विकास करने की आवश्यकता की पहचान करना समीचीन है।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर उद्देश्य यही है तो मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो एक्ट माननीय मंत्रीजी लेकर आ रहे हैं यह अंश मात्र भी आपने लागू कर दिया, एप्लाई कर दिया तो निश्चित ही एक सफल और ऐतिहासिक कदम होगा। पर आपने जब उद्देश्यों में सहयोगपूर्ण सहभागिता, अब आप आगे आओगे तो इसमें एक शब्द भी कहीं नहीं लिखा सहयोगपूर्ण सहभागिता।

(16.00 बजे)

यही बात संशय पैदा कर देती है कि उद्देश्यों में सहयोगपूर्ण सहभागिता, और एक्ट में कहीं सहयोगपूर्ण सहभागिता नहीं, यह जो संशय पैदा होता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा इसको खण्ड से बात करूंगा। खण्ड-1 व 2, परिभाषा और नाम का है, तीन में आपने भूमि पूलिंग स्कीम, 'समुचित प्राधिकारी, अपनी अधिकारिता के अधीन के क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र के लिए, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, एक या अधिक भूमि पूलिंग स्कीमें बना सकेगा' एक परन्तुक और दिया है। जो दूसरा परन्तुक है, 'परन्तु यह और कि जहां कोई भूमि पूलिंग स्कीम, किसी अन्य भूमि पूलिंग स्कीम से लगे हुए किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए नहीं बनायी गयी है, वहां ऐसे क्षेत्र के भूमियों के स्वामी, ऐसे क्षेत्र के लिए भूमि पूलिंग स्कीम बनाने हेतु समुचित प्राधिकारी से अनुरोध कर सकेंगे।'

बस यहीं खतम हो गया आपका। सहयोगपूर्ण सहभागिता, आप कोई स्कीम बना रहे हैं। उसके पास कोई और जगह छूट गई, वह आपसे आकर निवेदन कर दें, हमारे को भी इस स्कीम में ले लीजिये लेकिन आप स्कीम बना कहां रहे हैं। किस पर बना रहे हैं। सिवाय चक जमीन पर बना रहे हैं, चरागाह की जमीन पर बना रहे हैं, वन विभाग की जमीन पर बना रहे हैं या काश्तकारों की जमीन पर बना रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, सभी सदस्यों को जाना है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, आप सहयोगपूर्ण सहभागिता की बात कर रहे हैं और जो स्कीम बना रहे हैं, उस स्कीम में आपने धारा 6 में भूमि पूलिंग स्कीम की अंतर्वस्तु, आप आ जाइये (xi) नम्बर पर, (xi) नम्बर पर आइये और आप पढ़िये, (क) स्कीम के अन्तर्गत कुल क्षेत्र में से भूमि का आबंटन कम से कम निम्न सीमा तक होगा- पार्कों, खेल-

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मैदानों, उद्यानों और वगैरह, वगैरह, जो आपने दिया है 15 प्रतिशत, सड़कों का 15 प्रतिशत, 5 प्रतिशत अफोर्डिंग हाउसिंग में जो हैं, उनके लिये दे दिया।

मंत्रीजी, यह तो जे.डी.ए. भी कर रहा है। यह तो यू.आई.टी. भी कर रहा है। यह जो डवलपमेंट आथोरिटिज, जो राजस्थान में आपकी चाहे, ए.डी.ए. है, जोडा है, यू.आई.टी. है, तमाम मौजूदा एजेंसीज ये काम कर रही हैं, ग्रुप हाउसिंग में, आपकी जो हाउसिंग पालिसी है उसमें। फिर इस एक्ट को लाने के पीछे मंशा क्या है। सीधा-सीधा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। जब से केन्द्र का भूमि अधिग्रहण बिल आया, किसान की जमीन लेना बहुत आसान नहीं बचा।

(16.03 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

75 प्रतिशत सहमति के आधार पर, और इसीलिये सबसे पहले भूमि अधिग्रहण बिल के बाद दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने इसमें रास्ता निकाला। यह हैदराबाद में आया। दूसरे राज्यों में, यह नोएडा में बिल आया। इस बिल में आपने कह दिया, आपने स्कीम के लिये जो प्राधिकृत अधिकारी, समुचित अधिकारी, उस समुचित अधिकारी को इस आशय की संतुष्टि होगी कि मैं यहां स्कीम बनाऊंगा तो फिर उन्हें वहां के किसानों से चर्चा करने की, सहमति करने की आवश्यकता नहीं है। वह अपना प्रपोजल सरकार को देगा और सरकार नोटिफिकेशन कर देगी। इतनी पावर्स आपने उसको दे दी, धारा 6 की (xi) के बाद आप आ जाओ 6 के (xiii) में, 6 के (xiii) में आपने लिखा है, 'इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए, जहां तक ऐसा किया जाना आवश्यक हो, राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम, या ऐसे अधिनियमों में से किसी अधिनियम, जिसे राज्य विधान-मण्डल संशोधित करने में सक्षम है, के अधीन बनाये गये किसी नियम, उप-विधि, विनियम या जारी की गयी अधिसूचना या आदेश का निलंबन'। आपका जब वह, कौनसा अधिकारी बनाया आपने, समुचित अधिकारी, जब स्कीम बनाने लगेगा तो जो संशोधन का अधिकार इस हाउस को है, जो अमेंडमेंट लाने का, जो एक्ट लाने का, बनाने का अधिकार है, वह सारा का सारा अधिकार सैक्शन 12 में जो पावर्स राज्य सरकार की हैं, उसके तहत निलम्बित मान लिया जायेगा। आप एक्ट लाओ, कानून बनाओ। लेकिन ऐसे कानून मत बनाओ कि विधान मण्डल की प्रासंगिकता, विधान

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मण्डल के अधिकारों का अतिचार हो जाये कि जो संशोधनों के राइट इस विधान मण्डल को हैं, जो अमेंडमेंट लाने के, जो परिवर्तन लाने के, वह सारे के सारे निलम्बित समझे जायेंगे, जब यह समुचित अधिकारी काम करेगा, तब। ऐसा 12 में आपने डिफाइन कर दिया। मैं बहुत लम्बी बहस में तो नहीं जाना चाहता, माननीय सदस्यों को जाना है। खण्डश: चर्चा करूंगा, लम्बा हो जाएगा। मेरी एक शंका है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आवश्यक चर्चा तो करनी चाहिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): चार तो बज गये हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मैं सैक्शन 11 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री सभापति: जी, आप बोलिये। सदन चर्चा करे, चर्चा करने में कौन रोक रहा है आपको।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सहयोगपूर्ण सहभागिता की बात कर रहे हैं। सैक्शन 11 का (2), सैक्शन 14, 17, 18, क्या प्रोविजंस किये। सैक्शन 11 में आपने कह दिया, सारी की सारी, 'विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अपेक्षित समस्त भूमि समस्त विल्लंगमों से मुक्त आत्यंतिक रूप से, समुचित प्राधिकारी में निहित होगी।' यानी स्कीम बना दी, अब वह उसमें निहित हो गई। वहां खातेदार कोई प्रहलाद गुंजल है या राजपालसिंहजी हैं, उसमें निहित नहीं है। आप उप धारा 2 में जरूर एक क्लाज जोड़ रहे हैं। सब सैक्शन 2 में, 'उप धारा (1) की कोई बात उस उप-धारा के अधीन समुचित प्राधिकारी में निहित भूमि के स्वामी के किसी अधिकारी को प्रभावित नहीं करेगी।' फिर आप धारा 14 में क्या कह रहे हो। धारा 14 में कह रहे हो '(1) ऐसी तारीख को या उसके पश्चात, जिसको किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में भूमि पूलिंग स्कीम के आशय की घोषणा धारा 4 के अधीन राजपत्र में प्रकाशित की जाती है, कोई भी व्यक्ति, समुचित प्राधिकारी से लिखित में अनुज्ञा लिये बिना और इस प्रभाव का प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किये बिना, कि इस अधिनियम के अधीन उद्गृहणीय विकास प्रभार, संवीक्षा फीस या कोई अन्य फीस संदत्त की जा चुकी है या कि ऐसा कोई प्रभार उद्गृहणीय नहीं है, उक्त क्षेत्र की सीमाओं के भीतर, किसी भवन या किसी भूमि में या उस पर कोई विकास नहीं करेगा'। किसी

(श्री प्रहलाद गुंजल)

रूप से उसका उपयोग नहीं करेगा, आपने तय कर दिया, उसमें निहित होने के बाद। एक तरफ आप कह रहे हैं, उसके अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और अगर वह गड़बड़ करेगा तो धारा 17-18 में आपने क्या कर दिया, धारा 15 में आप कह रहे हो, कुछ करेगा तो, खेती भी करेगा तो परमीशन लेनी पड़ेगी। परमीशन देना न देना उसकी मर्जी का काम हो गया। धारा 17-18, अगर आपने उन नियमों वायलेशन कर दिया तो 3 साल की सज़ा हो जाएगी उसको। क्यों?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): दस हजार की पैनल्टी भी है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): दस हजार की पैनल्टी भी है। आपके एक अधिकारी ने योजना बना दी, मैं खातेदार ...(व्यवधान)

श्री सभापति: 'या दोनों भी' है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): या दोनों भी। अप्राधिकृत विकास या उसको, उपयोग को हटाने की शक्ति। आपने शक्तियां दे दीं। आपने मान लिया कि उसका मकान बना हुआ है। वह तो अप्राधिकृत विकास है। आपको स्कीम बनानी है। आपने योजना बना ली। आपने उसको हटाने की शक्ति दे दी, और धारा 27 में आप कह रहे हैं, सरकार इसको मंजूरी से इन्कार भी कर सकती है। तो आप एक और क्लॉज जोड़ दो ना कि सरकार ने अगर मंजूर कर दिया तो सैक्शन 11 (2), 14, 17, 18 में दी हुई कोई भी विधियां इस पर एप्लाई नहीं होंगी। जोड़ दो आप एक क्लाज। सरकार ने अगर उसको नामंजूर कर दिया तो 11 (2) में, 14 में, 17 में, 18 में जो भी प्रावधान आपने किये वह अपने आप समाप्त समझे जाएंगे।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस एक्ट में प्रोविजन्स हैं, चर्चा तो बहुत लम्बी हो सकती है, आपने जो स्कीम का प्रत्याहरण और अंतिम विनिश्चय, प्रारम्भिक और अंतिम, स्कीम की विषयवस्तु और आपने तय कर दिया कि भूमि का बटवारा किस हिसाब से होगा। अधिकारी तय कर देगा। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि आपने एक हजार बीघा जमीन किसानों की ले ली, 15 परसेंट में रोड होगी, 15 परसेंट में पार्क होगा, 5 परसेंट यह जे.डी.ए. का और आपका यू.आई.टी. का जो एक्ट है, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए तय हो

(श्री प्रहलाद गुंजल)

गया, जो 55 परसेंट भूमि आपके पास बची है, जिसका मालिकाना हक लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत किसी और का है, आप उसमें उसकी हिस्सेदारी के बारे में कैसे तय करेंगे? नियम बनाकर और नियम अधिकारी बनाएंगे, वह कह देंगे कि 55 परसेंट में से हम 15 परसेंट खातेदार को देंगे। आप डिफाइन करो कि खातेदार के पूरे हक-अधिकार को सुरक्षित रखा जाएगा और इसीलिए मेरा तो इतना सा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय, कि इस एक्ट पर अगर खण्डश: चर्चा होगी, यह बहुत गम्भीर एक्ट है। आपने असीमित शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार दे दिया। यह तो यह कौनसा? रोलेट एक्ट आया था। किसी को कोई पावर नहीं है, जो तय कर दिया, फाइनल है। हजार बीघा जमीन है, अब मेरे अधिकारी ने कह दिया कि हम स्कीम बना रहे हैं, फिर आपको सुनवाई का कोई अधिकार भी नहीं है। ऐसा तो इमरजेंसी में हुआ था जब पब्लिक के अधिकारों को सस्पैंड कर दिया था।

आप सहयोगपूर्ण सहभागिता उल्लेखित करिए। उसके बिना कोई स्कीम नहीं बनेगी, तब तो लगेगा और आप पीछे तो सहयोगपूर्ण सहभागिता कह रहे हैं, आपको आगे इसमें इतनी असीमित शक्तियां दे रहे हैं और केवल और केवल हिन्दुस्तान में इस एक्ट को लाने के पीछे, माननीय सभापति महोदय, हमारी मंशा ठीक है लेकिन जहां-जहां भी दूसरे प्रांतों में आया है, केवल एक आशय है कि भूमि अधिग्रहण बिल, 2013 के राइडर के बाद अब सरकारों के पास जमीन किसान की खींचना, अच्छा हुआ मात्रा छोटा 'उ' की नहीं लगी, नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा खराब हो जाती। अगर बड़े 'ऊ' की जगह पूलिंग में छोटा 'उ' की लग जाती तो यह जो किसान की जमीन है, यह कैसे ली जा सकती है? कैसे किसान को जमीन से वंचित किया जा सकता है। वह उसका बैक-डोर एंट्री का रास्ता निकालने के लिए हिन्दुस्तान के दूसरे प्रांतों की सरकारें यह एक्ट लेकर आई हैं और हमने उसकी नकल कर ली।

आपकी और हमारी सरकार तो लोक कल्याणकारी सरकार है। इस सदन में मैं समझता हूं, माननीय सभापति महोदय, आप वरिष्ठ लोगों में से हैं, कोई अवसर और कौनसा साल होगा जब किसान के हितों की चिंता नहीं की गयी होगी? किसान संवेदना का विषय नहीं बचा है, एक मुद्दा बन गया। किसान मुद्दा बन गया। अगर किसान संवेदना का विषय, लगातार शहरों के, मैं समझता हूं कि अनियोजित तरीके से फैलते हुए विस्तार को रोकने के लिए आपकी यह योजना ठीक हो सकती है पर आप बनाओ न स्कीम। अनियोजित विकास

(श्री प्रहलाद गुंजल)

करने वाला लैंड डवलपर उसको बाजार की कीमत पर पैसा दे रहा है। आप तय करो उसको, बाजार की कीमत पर पैसा देकर उसकी जमीन लेने का। अधिग्रहण का रास्ता बंद हो गया तो पूलिंग का एक्ट ले आओ और पीछे से उसकी जमीन को ले लो। आपकी मंशा ठीक होने के बावजूद भी इसका जो किसानों पर असर आने वाला है, मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि शहरों के पास कुछ किसान हो सकते हैं जो इस पर सहमत हो जाएंगे, गरीब किसान, छोटे किसान, जिसके पास दो बीघा, चार बीघा, पांच बीघा लेकिन आप इसके दायरे को बढ़ाओगे तो फिर आपको विरोध झेलना पड़ेगा क्योंकि आप उतनी कीमत नहीं दे सकते। डवलप करने के बाद भी जो किसान शहरों के नजदीक आने के बाद अपनी जमीन प्राइवेट डवलपर्स को जिन कीमतों पर दे रहा है इसलिए मेरा आग्रह यह है कि दूसरे स्टेट की इस एक्ट की नकल करने से पहले, आप तो विद्वान हैं, यह नोएडा में भी है, हुडा इसी तर्ज पर गुड़गांव में काम कर रही है, गुड़गांव का डवलपमेंट अच्छा हो रहा है लेकिन इस डवलपमेंट को किस सीमा तक बढ़ाएंगे?

माननीय सभापति महोदय, एक दिन आपने ही कहा था पिछले हाउस में कि अगर इस तरीके से अनियोजित शहरों का विकास बढ़ता चला गया, किसान की जमीन सिमटती गयी और परिवार बढ़ते गये तो इस हिन्दुस्तान में फूड सिक्योरिटी का संकट खड़ा हो जाएगा। क्या हमको इस विषय पर भी चिंता नहीं करनी चाहिए? अगर हमारी चिंता किसान की सुरक्षा है, किसान की संरक्षा है, सारा सदन किसान पर ऐसा बोलता है जैसे कोई किसान के प्रति कूट-कूट कर संवेदना भरी हुई है और जितने फैसले और जितने एक्ट आते हैं, कोई एक्ट नहीं है जिसमें किसान की जमीन को अधिग्रहीत करने और बैक डोर से हथियाने के प्रोविजन्स उसके नहीं रखे गये हों। फिर क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? हम किसान के लिए किस प्रकार का यहां सदन में संवेदना व्यक्त करके अपना व्यवहार कर रहे हैं? किसान मुद्दा नहीं होना चाहिए। किसान इस देश की आत्मा है। उसको सुदृढ़ और मजबूत करना चाहिए। उसे मुद्दा बनाकर घायल कर दिया तो इस देश की आत्मा में घाव हो जाएंगे और ऐसा फैसला राजस्थान में निंदा का कारण बन जाएगा और इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूं, केवल यह सीमित बात कर रहा हूं, कुछ दो-तीन धाराओं पर जिस पर मेरी शंका थी, हमें इस एक्ट की नकल करने के बजाए सम्पूर्ण रूप से सहयोगपूर्ण सद्‌भाव के आधार पर लाते। आपने तो इतनी शक्तियां दे दीं, आप बनाओ

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अभी इस एक्ट को फिर कल दूसरा एक्ट और लाना, वह इस एक्ट की शक्तियों को ही निलम्बित कर देगा और निलम्बित कौन करेगा? जो अधिकारी काम कर रहा है, उसके बाधा नहीं होगी, उसको फ्री कर दिया आपने। विधान मंडल जो संशोधित कर सकता है, विधान ला सकता है जो, विधान बने हुए हैं, उसकी समस्त शक्तियां, जब तक वह जमीन को पूलिंग करके और पूरी स्कीम पारित करके लागू नहीं कर देता, सब सस्पैंड। इस हाउस का फैसला सस्पैंड। इस हाउस की supremacy को खतम मत करो एक छोटा सा क्लाज डालकर। विधान मंडल है, यह जो कानून बनाता है, इससे प्रदेश चलता है, समूची व्यवस्थाएं चलती हैं, उन कानूनों का, एक छोटे-छोटे सब-क्लाज से मजाक मत उड़ाओ।

इसलिए मेरा इतना सा आग्रह है कि आप नियम जब बनाओ, इसमें तो गलती हो गयी, सद् भापूर्ण सहभागिता नियमों में स्पष्ट उल्लेख करें कि उसमें भूमि अधिग्रहण बिल के आल्टरनेट के रूप में स्कीम, बैक डोर एंट्री नहीं होगी। शत-प्रतिशत सद् भावपूर्ण सहभागिता होगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने यह एप्लाई करवा दिया तो इच्छा शक्ति से जो लोग डवलप करना चाहते हैं, डवलपमेंट भी होगा, लोगों का विकास भी होगा, लोगों पर इस कानून का जो सशक्त डंडा है, उससे भी वह लोग बचेंगे और सारा राजस्थान आपकी इस एक्ट को पास कराने की तारीफ करेगा। इतना कहकर अपनी बात को विराम देता हूं और अब मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, माननीय सभापति महोदय, मैं उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति: श्रीमती द्रोपती।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016 पर चर्चा हो रही है। आपने इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। यह विधेयक सभी का सहयोग, सहभागिता और अवसंरचना का विकास करने के लिए लाया गया है। सरकार की अच्छी पहल है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं और साथ में, माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि यह विधेयक हमारे शहरों के पास अच्छी, पूर्ण सुविधाओंयुक्त व पूर्ण मापदंडों के अनुरूप नगर व कालोनीज का विकास जमीन मालिकों की रजामंदी से उन्हें भी विनियमित भूमि देकर किया जा सकेगा, जो कि किसान, व्यापारी एवं डवलपर्स का भी, इसमें सभी के हित में होगा।

(श्रीमती द्रोपती)

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि आज भू-माफियाओं एवं इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों ने ऐसी-ऐसी कालोनीज बना दी हैं जिनमें न तो पानी की व्यवस्था की गयी है, न कोई पानी निकासी के लिए नालियां बनाई जाती हैं और न ही कोई पार्क की व्यवस्था की जाती है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो भू-माफियाओं के द्वारा कालोनीज बनाई जा रही हैं, उनमें पहले कालोनीज में पीने योग्य पानी का कनेक्शन हो, ओवर टैंक बना हो, बिजली की व्यवस्था हो और सड़कों के साथ-साथ नालियों का भी निर्माण हो, यह बहुत ही आवश्यक है। इसे भी एक्ट में लिया जाए तो यह एक अच्छा साबित होगा।

साथ ही, पार्क की व्यवस्था हो, खेल मैदान और खुले स्थान हों, अग्निशमन, सामुदायिक सुविधाएं, आदि लोक उपयोगिताओं की भी व्यवस्था की जाए और पैरीफेरी एरिया में जगह जो खाली पड़ी है, वहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में कॉलोनीज बनाई जाएं ताकि गरीब लोगों को वहां पर बसाया जा सके। जो बी.पी.एल. है, ए.पी.एल. है, गरीब श्रेणी में जो लोग आते हैं, कई लोग सड़कों के पास में झौंपड़ी बनाकर जो बैठे रहते हैं, उनके पास जगह का अभाव होता है तो उनको ऐसी जगह मिल जाए ताकि वह अपना घर बना सके और उनका गरीबों का जो सपना है वह भी पूरा हो सके। ऐसा ही राजस्थान की प्रत्येक तहसील लेवल पर जो छोटे-छोटे शहर हैं, उनमें भी संशोधन करने की आवश्यकता है। मैं अगर मेरे हनुमानगढ़ जिले में बोलूं, पीलीबंगा-रावतसर शहर है जो 30-40 हजार की आबादी का है। और उसमें पानी निकासी की, सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है तो अगर आज आप यह विधेयक लेकर आ रहे हैं, इसमें अगर यह एक्ट जोड़ा जाए कि इसके अन्दर सीवरेज की अच्छी व्यवस्था हो, पानी के निकासी की व्यवस्था हो, गंदे पानी के निकासी की व्यवस्था हो। यह अपने माननीय प्रधान मंत्रीजी की जो योजना है 'स्वच्छ भारत मिशन' यह भी पूरा होगा और शहर की मंडियों में पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं होती है। कई बार शहर के अन्दर जब सीजन होता धान मंडी के अन्दर, तो वहां पर इतनी बुरी हालत हो जाती है साधनों की, कि वहां बाहर बहुत मुश्किल से गाड़ियां और ट्रैक्टर-ट्रोली बाहर निकाली जाती हैं, तो वहां पर अगर पार्किंग की व्यवस्था हो जाए तो शहरों में साधनों को खड़ा करने के लिये अच्छी सुविधा उनको मिलेगी।

(श्रीमती द्रोपती)

जो नई कालोनियां बनाई जा रही हैं राजस्थान में, उनमें भी पार्किंग की व्यवस्था बहुत जरूरी है ताकि शहर को विकसित करने के लिये सड़कों पर अतिक्रमण न हों और आने-जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत न हो। जो दुकानदार, व्यापारी घरों के आगे अतिक्रमण कर लेते हैं, चौकी बना लेते हैं या शेड बना लेते हैं उससे सड़कें संकरी हो जाती हैं तो वह खुली और चौड़ी बनी रहें, यह भी इस एक्ट में शामिल किया जाए जिससे आमजन को फायदा होगा और सीवरेज की व्यवस्था हो। भूमि आबंटन में ठोस कचरा निस्तारण और तरल जल-मल के निस्तारण की व्यवस्था की जाए। इसका भी निस्तारण का प्रावधान किया जाए ताकि जो हमारा अभियान चल रहा है स्वच्छता पर, यह अच्छी तरह से कामयाब हो सके।

इन जोनों के द्वारा यदि कोई धार्मिक जगह हो तो इसका अधिग्रहण भी नहीं किया जाए, इसे मुक्त रखा जाए, यह भी मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहूंगी कि इस एक्ट में यह भी लिया जाए और माननीय सभापति महोदय, मैंने इस बिल पर जनमत जानने का जो प्रस्ताव किया था, वह मैं आपकी अनुमति से वापस लेना चाहती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मानसिंह।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016 पर चर्चा चल रही है। जैसा विधेयक के उद्देश्यों से प्रतीत होता है कि प्रवास के नगरीकरण की मांगों और सभी निवासियों की, उनके नगरों और पड़ौस में बेहतर जीवन की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से इस बिल को लाने का जो उद्देश्य रहा है, निश्चित रूप से आज यह समय की आवश्यकता है और एक अवधारणा की भू-मालिक डवलपर और सरकार की एजेन्सीज के माध्यम से एक पूलिंग करके किसी भी कोलोनाइजेशन के तरीके से नगरों का और शहरों के विकास की कल्पना है, उसकी आज आवश्यकता है। आज जिस प्रकार से भू-माफिया पनप रहे हैं और किसान को अपने चंगुल में लेकर उनसे सौदे कर लेते हैं। ये कहते हैं कि हमारा पैसा नम्बर दो का है, उसका लिखित एग्रीमेंट नहीं करते। उसको विश्वास में लेकर, कि आपके साथ में हम कोई चोट नहीं करेंगे और इस प्रकार से करके जब बाद में वह 10-20 वर्ष तक घूमते रहते हैं, न किसान को कुछ मिलता है।

(श्री मान सिंह)

कम से कम एक बार इस प्रकार का प्रचलन और एक बार पूरे राजस्थान लेवल पर एक्ट लाने का यह जो प्रयास है, इससे किसान को भी, डवलपर को भी और क्रेता को भी और शहर के नागरिकों को भी इस बात का आभास होगा कि इस प्रकार की पूलिंग की जो सबने मिलकर एक कालोनी डवलप करने की जो व्यवस्था की है, उसके अन्दर सुविधाओं का जो क्षेत्र होगा, निश्चित रूप से विकास के हिसाब से, समय के हिसाब से अच्छा होगा और विधेयक के अन्दर, जिस प्रकार से निश्चित रूप से इससे पहले भी हमारे कई एक्ट आए। चाहे हमारा नगर सुधार न्यास का एक्ट हो, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम हो, जयपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर, अजमेर, यह सारे प्राधिकरण बने, लेकिन यह जो पूलिंग एक्ट है, यह पूलिंग का जो विधेयक है, यह पूरे राजस्थान के लिये है और पूरे राजस्थान की इस प्रकार की अवधारणा निश्चित रूप से यह एक सकारात्मक कदम है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विधेयक के अन्दर सारी चीजों को लगभग टच किया गया है। इसके अन्दर ऐतिहासिक, राष्ट्रीय अभिरूचि, प्राकृतिक सौन्दर्य की वस्तुओं, उन भवनों, जिनका वास्तव में धार्मिक प्रयोजन के लिये उपयोग किया जाता है, पर्यवेक्षण, संरक्षण सब तरीके से कैसी योजना कहां बनेगी, यह नहीं होगा कि आज कोई भी अधिकारी नियुक्त किया, उसने चाहे जहां ही इस प्रकार से अधिकृत कर लिया, नहीं। यह पहले से प्रावधान है कि उस स्कीम के अन्दर पूरे तरीके से यह देखेंगे कि कम से कम लिटिगेशन हो, कम से कम अपवाद इस प्रकार के आएं कि कोई विरोध हो, तो स्कीम का जब बनाने का काम होगा तो जो अधिकारी, जिसके बारे में जो समीचीन अधिकारी, जिसको अधिग्रहण के लिये तय किया गया है, वह बिना उनकी भू-स्वामित्व के मालिकों और स्थानीय निकाय के आधार पर, तीनो के मिलकर जो पूल करेंगे, उसी के आधार पर विकास की जो अवधारणा है, उससे किसान को भी लाभ होगा और जिनकी अच्छे नगरों में या अच्छे कस्बों में बसने की जो अवधारणा है, एक स्वच्छ शहर होना चाहिए।

आज अमृत योजना के अन्दर जितने भी 29 शहरों को, जो पैसा सैंट्रल से मिला है, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि उन शहरों में गार्डन बनाने के लिये जगह नहीं है। मैं मेरे गंगापुर की बात बताता हूं 15 करोड़ रुपये हमको गार्डन डवलपमेंट के लिये मिला है। हमारे शहर के अन्दर जगह ही नहीं है, हम गार्डन कहां डवलप करेंगे? इस प्रकार से शहरों की जो

(श्री मान सिंह)

हालत हो रही है, बेतरतीब तरीके से शहर बसा दिये गये और आज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम अमृत योजना में लाएं, स्मार्ट सिटी बनाएं, लाख कोशिश के बावजूद भी यह बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वह जगह ही नहीं है, जहां शहर को मिनिमम 27 परसेंट ग्रीनरी चाहिए, वहां पाइंट 7 परसेंट भी नहीं है। इस प्रकार के हालात के अन्दर यह जो कल्पना की गयी है और इसको मूर्त रूप देने का काम इस विधेयक से हो रहा है। निश्चित रूप से इससे राजस्थान की जनता को लाभ मिलेगा और मैं माननीय मंत्रीजी को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि शहरों में लाखों जिस प्रकार की अनधिकृत कालोनियां बसी हैं, राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार का यह हुआ है, उस पर रोक लगेगी।

एक उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार से एक कालोनी, दो कालोनी जब यह बसेंगी पूलिंग करके, और जिसका स्ववित्त पोषित, जो इसका तरीका है, उससे किसान स्वयं भी अपने आप में अगर वह चाहे कि मुझे अपने आपको डवलप करनी है तो वह भी इसमें अधिकार दिया गया है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि एक्ट के अन्दर 27 में स्कीम को मंजूर-नामंजूर करने पर जिस प्रकार की माननीय सदस्य ने शंका व्यक्त की है, मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी भी स्कीम पर, हर स्टेज पर चर्चा होना यह कतई नहीं हो सकता है कि नामंजूर सरकार ने कर दी तो उसका क्या होगा, क्योंकि किसी भी स्कीम की स्टेज फाइनल तब होती है, जब उसकी सब तरह से स्वीकृतियां हो जाएं और एक स्टेज नामंजूर की भी होती है तो वह भी एक स्टेज होती है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि उस स्टेज के माध्यम से किसी किसान को नुकसान होगा या डवलपर को नुकसान होगा या संस्थागत नुकसान उनको होगा। मैं समझता हूं यह किसान के हित में है और हम लोग कई बार इस चीज को लेकर बहुत हल्ला करते हैं कि किसान का लाभ नहीं होगा उसमें। किसान का लाभ तो आज तक भी नहीं हुआ। किसान के बारे में हमने कितनी चिन्ता की है कि आज किसान की जो पैदावार का एवरेज है, वह 40 परसेंट पर आ चुका। किसान का नौजवान लड़का शहर की तरफ भाग रहा है और गांवों के अन्दर इस प्रकार की कालोनी बनाने की हमारे पास में स्कीम नहीं है। यह स्कीमें अगर हम पर्टीकूलर एरिये में डवलप करेंगे तो इससे हमारा शहरीकरण भी रूकेगा, गांव के नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा और निश्चित रूप से इसका लाभ राजस्थान की जनता को होगा।

(श्री मान सिंह)

माननीय सभापतिजी, मेरा इसमें यही कहना है कि इस विधेयक में जिस प्रकार के उद्देश्य और इनको लेकर जो चर्चा की गयी है, इसमें सारी व्यवस्थाएं बोर्ड में अपील का जो निर्णय है, उसको इसमें जिस प्रकार से अंकित किया गया है कि बोर्ड न्यायालय नहीं होना इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात अपील बोर्ड को न्यायालय के रूप में गठित करने वाली नहीं समझी जाएगी, तो यह भी स्पष्ट है। इसलिये मैं समझता हूं कि मन से इस बिल का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं और पूरी तरह से बिल हित में है। मैंने इस बिल को जनमत जानने के लिये परिचालित करने का जो प्रस्ताव किया था, उसके लिये आपसे अनुमति चाहता हूं उसको वापस लेने की।

श्री सभापति: विराजें। श्री बृजेन्द्र ओला। (अनुपस्थित) श्री जोगाराम पटेल, उपस्थित।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): उपस्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगाया आज आपने।

श्री सभापति: नहीं, नहीं। मतलब आप हमेशा उपस्थित रहते ही हो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं आपके हाव भाव से इतना जानकार अवश्य हो सकता हूं कि उपस्थिति, वाकई उपस्थिति आज होनी है पर आज वाकई उपस्थिति होने की स्थिति नहीं है।

श्री सभापति: नहीं है न।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): समय अपनी गति से चल रहा है, हमारा अपना अगला कार्यक्रम है और यह एक्ट ...

श्री सभापति: यह कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण है, आप अपनी बात रखिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सबसे महत्वपूर्ण ये भी है।

श्री सभापति: विधेयक पर चर्चा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): लेकिन जैसा मैंने आपके हाव भाव देख कर बता दिया, आप मेरा भी हाव भाव देख कर समझ जाएं।

माननीय सभापति महोदय, वैसे यह प्रोग्रेसिव बिल है। अगर इसको सही रूप में पढ़ लिया जावे, इसका सही मीनिंग समझ लिया जाए तो यह

(श्री जोगाराम पटेल)

वाकई प्रोग्रेसिव बिल है और यह कोई राजस्थान अकेला स्टेट नहीं जिसने पहली बार लागू किया हो, इससे पहले पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्रा ने यह एक्ट आलरेडी लागू कर दिया है और उसका बेनिफिट भी उन स्टेट्स को मिला है। बस प्रॉब्लम जो है कि जैसा अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि यह हमको कल सर्कुलेट हुआ, रात को बारह बजे तक हाउस चलता रहा, सुबह दस बजे विधायक दल की बैठक थी तो वो टाइम हमको नहीं मिला कि इस एक्ट को हम पढ़कर के इसकी कोई ज्यादा आपके सामने बता सकें।

फिर भी मैं पहला जो निवेदन कर रहा हूं, सिर्फ पांच मिनट में, पांच या तीन-चार मिनट में कि यह वाकई प्रोग्रेसिव एक्ट है, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा, कैसे होगा यह एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन यह क्यों जरूरी हुआ, कैसे जरूरी हुआ, वो इसीलिए जरूरी है कि हमारी पापुलेशन का रेशो और अरबनाइजेशन का रेशो बढ़ रहा है। चाहे अरबन एरिया की पापुलेशन आप लेवें और रूरल एरिया की पापुलेशन लेवें तो वो दिनों-दिन बढ़ रही है, हर गांव का आदमी शहर की ओर भाग रहा है। शहर में यह प्राब्लम्स पैदा हो रही हैं। इस स्कीम के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से वो स्कीम बना करके व्यवस्थित सिटी बनें, बेसिक उद्देश्य इसका यह है।

इससे मुझे, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्या आयेगी, जो अभी मैं इस बिल को समझ पाया हूं कि हर स्कीम, जो पुरानी सिटी है वो तो बस गयी, उसमें कोई ऊपर-नीचे होना नहीं, ज्यादा से ज्यादा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दो, मल्टी स्टोरी बनायेंगे तो भी कई प्राब्लम्स होती हैं, परमिशन वगैरह लेकिन डवलपिंग कालोनी जो बस रही हैं और डवलपिंग कालोनीज की स्कीम के तहत अगर वैल डवलप कालोनी बसे तो यह आकुपायर को भी फायदा होगा, ओनर को भी फायदा होगा और उसके बाद जो इसमें बसेगा उसको भी फायदा होगा।

सर, मैं आपको दो मिनट में समझाऊं।

श्री सभापति: आप समय लीजिए। आप अपना समय लीजिए, मैं कोई आपको दो मिनट में ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सारी, सारी।

श्री सभापति: आप बोलें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, एक एरिया है, एक बड़ा एरिया है, अव्यवस्थित कालोनियां बसी हुई हैं, उन कालोनियों की सारी जमीन को लेकर के अगर उसका व्यवस्थित प्लान बना करके उन्हीं को वापस उन व्यवस्थित स्थानों पर बसाया जावे, रोड्स भी बनायी जाएं, दूसरे यूटिलिटी के प्रोग्राम भी बनाये जाएं तो उसको व्यवस्थित कालोनी, यह मेन उद्देश्य है, जहां तक मैं समझ पाया हूं, मंत्री महोदय, इतना ही होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय मंत्री महोदय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सुनें कृपया।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): तो मेरा इसमें निवेदन था कि पापुलेशन के रेशो के बाद जो अरबनाइजेशन है उस अरबनाइजेशन की दृष्टि से भी, The urbanization process will naturally lead to a large amount of prime agricultural land being converted to urban land. मैक्सिमम कालोनी, कोई आया, खेत लिया, प्लाट काटे और बेच कर चला गया mostly in the periphery of the existing developing area. However, at the same time it is observed that a large majority of the new urban population does not have easy access to land and that much of the new development is not adequately serviced resulting in unauthorized and haphazard development particularly in the urban fringe areas. तो यह इसका मेन बेसिक उद्देश्य है।

समय का अभाव है, माननीय मंत्री महोदय, मेरे दो क्वेश्चन आपसे हैं। सैक्शन-11 का जैसा कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, वो लैंड आपमें वेस्ट होगी और उसमें वर्ड आपने जो किया है विदाउट, सैक्शन-11 का प्रोविजो नहीं बनाया लेकिन आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाया "Nothing in sub-section (1) shall affect any right of the owner of the land vesting in the appropriate authority under that subsection" तो इसकी लैंग्वेज से लगता है कि ये सब-सैक्शन वन का प्रोविजो है। लिखना प्रोविजो शब्द सही था लेकिन प्रोविजो नहीं है पर इसमें आपने जो ओनर वर्ड यूज किया है और ओनर को आपने डिफाइन किया है सैक्शन-2 के सब-सैक्शन-(x) में और इस सब-सैक्शन-(x) का जो ओनर है वो तो आकुपायर और टीनेंट है। इसमें जो ओनर, प्रोपराइटरी राइट का जो ओनर है उसके राइट कहां सेव हुए, आपके जवाब में बतला दें। यह जो ओनर है यह ओनर प्रोपराइटरी राइट का ओनर नहीं है, यह ओनर तो टीनेंट है या आकुपायर है। इसमें आपने आकुपायर को जो अलग से सब-क्लाज-(viii) में डिफाइन कर दिया है। तो इन दो के अलावा ओनर की डेफिनेशन

(श्री जोगाराम पटेल)

और कहीं नहीं है और वर्ड इसमें ओनर यूज किया है, इसलिए एक तो क्वैरी मेरी यह थी।

दूसरा, इसका जो सैकिण्ड प्रोविजो है "The provisions of sections 31 and 32 shall mutatis mutandis apply to the sanctioned draft scheme as if the sanctioned draft scheme were a preliminary scheme." और इसमें भी ओनर, इसमें भी आपने लिखा है कि तुरन्त ही उसको कैसे बेदखल करेंगे या कैसे उसको नोटिस देंगे, हट जा, नहीं हटेगा तो फिर हटायेंगे। तो सैक्शन-31 और 32 के जो पावर इन्फोर्समेंट करें उसमें उसको रीजनेबल टाइम मिल जाए, रीजनेबल टाइम मिल जाए तो चाहे वो ओनर है, चाहे वो आकुपायर है, चाहे वो प्रोपराइटरी होल्डर का ओनर है, उसको टाइम मिल जावे क्योंकि 31 में तो "On and after the date on which a preliminary scheme comes into force, any person continuing to occupy any land which he is not entitled to occupy under the preliminary scheme shall, in accordance with the prescribed procedure, be summarily evicted by the appropriate authority" तो appropriate summarily eviction का जो प्रोविजन बनाया, वो थोड़ा हार्ड होगा। उसको रीजनेबल अपोर्चुनिटी मिले। स्कीम बनकर के तैयार होने में छह महीने, साल-दो साल भी लग सकते हैं, वो कहीं न कहीं एडजस्ट होगा, तो उसको प्रोपर अपोर्चुनिटी एण्ड प्रोपर टाइम। और नैक्स्ट, 'Power to enforce Scheme' जो हैं उसमें भी वो ही दो वर्ड यूज करूंगा।

इन दो बातों के बाद अनेक बातें कहनी थीं, कहने योग्य भी थीं पर मजबूरी है, आज समय की नजाकत है इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी भावनाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा हूं। इसीलिए यह प्रार्थना करता हूं ...

श्री सभापतिः आप नजाकत समझ रहे हैं और हम आपकी नजाकत देख रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इसीलिए मैंने जो अपना प्रस्ताव दिया है जनमत जानने का उसे वापस लेने की प्रार्थना करता हूं।

श्री सभापतिः विराजें। श्री सुखराम विश्नोई। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, यह एक्ट राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक है ...(व्यवधान) आराम से, कहां तकलीफ है? इसमें अपन हिन्दी की बातें करते हैं, हिन्दी हमारी मातृ भाषा है,

(श्री सुखराम विश्नोई)

हर काम हिन्दी में करेंगे परन्तु दोनों तरफ हिन्दी है और बीच में 'पूलिंग' है, तो कम से कम ...

श्री सभापति: नहीं, आगे भी इंग्लिश ही है 'स्कीम'।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): विधेयक है न, साहब।

श्री सभापति: विधेयक केवल हिन्दी में है बाकी तो ...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कम से कम जब हिन्दी की बात करते हैं तो कहीं इस 'पूलिंग' का शब्द नहीं ढूंढ पाये, माननीय मंत्रीजी होशियार हैं, तेज-तर्रार हैं तो कम से कम पूरा शब्द सही होना चाहिए था।

इसमें जो धारा-7 है इसमें हिन्दी में तो आपने क्रम संख्या लिखी है एक, दो, तीन, चार इंग्लिश में लिखी ही नहीं। इंग्लिश में जो इसका अर्थ है, इंग्लिश में इसमें एक, दो, तीन, चार लिखा नहीं है, हिन्दी में लिखा हुआ है। इसमें जो सैक्शन छह है ...

श्री सभापति: मूल विधेयक, माननीय सदस्य, अपनी विधान सभा में मूल विधेयक हिन्दी में ही आता है इसलिए जो हिन्दी में लिखा है वो ही सही है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): दोनों दे रखे हैं तो इसलिए इस विधेयक की जो धारा 6 है, 'भूमि पूलिंग स्कीम की अंतर्वस्तु' इसमें लेइंग आउट और रीलेइंग आउट, मान लो 80 परसेंट भू-भाग पर मकान बने हुए हैं, या 20-30 पर बने हुए हैं और बाकी खाली हैं तो जो खाली है और जो मकान बने हुए हैं, मकान बने हैं उसको तो उस पूलिंग में आने से फायदा है और जिनके मकान बने हुए नहीं हैं उनकी जमीन पूलिंग में जायेगी, सड़क में जायेगी, पुल में जायेगी, सब में जायेगी, इसलिए जहां जमीन खाली पड़ी है वहां तो यह पूलिंग वाला सिस्टम लागू हो सकता है परन्तु जहां आधी कालोनी बस गयी और आधी खाली पड़ी हैं वहां सभी को संतुष्ट करना, या तो हम समझ नहीं पाये हैं, मामला इसका अलग होगा परन्तु कुल मिलाकर के उसको आप जो लेना चाहोगे तो यह मामला असंभव प्रतीत होगा।

इसके साथ बाद में इसी में क्लाज-(xi) के अन्दर 'भूमि का आबंटन कम से कम निम्न सीमा तक होगा', 15 परसेंट, 15 परसेंट, 5 परसेंट गरीबों के लिए और 15 परसेंट फिर, उसमें उद्योग भी शामिल किया गया है। एक रहवासी कालोनी में उद्योग लगेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। मान लो प्रदूषण होगा, बीस

(श्री सुखराम विश्नोई)

तरह की बातें होंगी। तो आपने इसमें लिखा है कि उसमें उद्योग भी होगा, व्यापार भी, कामर्शियल भी होगा और आवासीय भी होगा। तो जहां तक सरकारी जमीन है तब तक तो यह 50 परसेंट ठीक है।

कोई मान लो कालोनी विकसित करने के लिए आपको जमीन दे प्राइवेट आदमी तो वह 50 परसेंट आप उसमें से खर्च कर दोगे तो वह किसलिए देंगे? ऐसे में सरकारी जमीन के अलावा दूसरा कोई भी नया आदमी आपके इस एक्ट में नहीं आना चाहेगा।

इसके बाद में सैक्शन 9 में भूखण्डों का पुनर्गठन है, उसमें बेकब्जा, एक लाइन लिखी हुई है, 'बेकब्जा हुए किसी स्वामी को अंतिम भूखण्ड का आबंटन करना'। वह उसको किस तरह से करोगे। मान लो बीच में प्लाट था उसका, उसको वहां से बेदखल कर दिया या उस पूलिंग में ले लिया, उसको अंतिम प्लाट दोगे। अंतिम प्लाट किस स्थिति में है, वह लेने को तैयार होगा कि नहीं होगा। यह भी असंभव प्रतीत होता है।

उसके बाद में सैक्शन 14 में, 'भूमि पूलिंग स्कीम के आशय की घोषणा के प्रकाशन के पश्चात् विकास पर निर्बंधन', इसमें क्लाज तो 2 हैं, इसमें 3 तरह की स्कीम बताई है, एक तो है प्रारूप स्कीम, फिर प्रारम्भिक स्कीम और अंतिम स्कीम। प्रारूप का मतलब क्या, प्रारूप किसे कहेंगे? प्रारम्भ किसे कहेंगे? यह दोनों एक जैसे ही हैं। अंतिम तो समझ में आती है। इसको इसमें क्लियर किया जाए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): क्लियर है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): क्लियर है। इसके बाद में समुचित प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, जैसे इसमें परिभाषा दी गई है, समुचित प्राधिकारी से, स्थानीय प्राधिकारी, मतलब नगरपालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत जो भी हो, ग्राम पंचायत नहीं, नगर निगम या नगर परिषद, तीनों में से कोई है, तो वह समुचित प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी दोनों एक ही हो सकते हैं या भूमि पूलिंग अधिकारी अलग है। यह तीनों जो अलग-अलग हैं, इसको तो शक्तियां दे रखी हैं भूमि पूलिंग अधिकारी की, पर समुचित प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, इसकी क्या ड्यूटी होगी? किस तरह से होगी? इसमें अलग लिखा है। अन्य कोई एजेंसी, जो समुचित प्राधिकारी है, वह कोई एनजीओ या दूसरा भी हो सकता है। यह बात इसमें स्पष्ट की जाए।

(श्री सुखराम विश्नोई)

इसके साथ में सैक्शन 31 है, 'संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा बेदखल करने की समुचित प्राधिकारी की शक्ति', 'इसमें कोई आदमी किसी ऐसी भूमि का निरन्तर अधिभोग रखने वाला कोई व्यक्ति, जिसका वह प्रारम्भिक स्कीम के अधीन अधिभोग रखने का हकदार नहीं है' यानी प्रयोग कर रहा था, शुरू से जब इसमें पूलिंग आई, तब वह काबिज था, कर रहा था, परन्तु वह विधिवत नहीं था, उसको बेदखल आप कर दोगे तो उसको बेदखल करने का कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है इसलिए यह उसके साथ अन्याय होगा।

इसके साथ में सैक्शन 32 है, 'स्कीम प्रवृत्त करने की शक्ति', इसमें लिखा है 32 के अन्दर, 'स्कीम में सम्मिलित क्षेत्र में किसी भवन या अन्य संकर्म, जो ऐसा हो कि, स्कीम का उल्लंघन करता हो, या जिसके परिनिर्माण या पूरा करने में स्कीम के किसी उपबंध की अनुपालना न की गयी हो, को हटाना, ध्वस्त करना या परिवर्तित करना', मतलब उसको आप बिना सहमति के, बिना मुआवजा दिए हटा दोगे। यह भी उचित नहीं है। इसको भी व्यवस्थित किया जाए।

सभापति महोदय, उसके बाद में यह अपील बोर्ड का गठन किया गया है। उसमें अध्यक्ष का जहां तक आपने लिखा है, 'जिला न्यायाधीश होगा, रहा होगा', मतलब रिटायर को भी आप इसका अध्यक्ष बना सकते हो। इसकी मंशा यही है, या तो प्रजेंट में है, कार्यरत है या रहा हो, दोनों शब्द लिखे हैं, रिटायर लोगों को जब आप इसमें डालोगे, रिटायर की कार्य प्रणाली आज दिन तक यह रही है कि किसी बोर्ड का आपने गठन किया और उसको दे दिया तो वह लम्बा खींचता है, निर्णय करने की उसकी इच्छा शक्ति नहीं होती है। कम से कम एक्टिव पर्सन तो हो, 60 साल से कम हो, उसको रखा जाए। दो अन्य आदमी के बारे में आपने लिखा है, कि 2 अन्य रखे जाएंगे। वह किस कैडर के होंगे? वह भी स्पष्ट नहीं है। वह भी स्पष्ट किया जाए।

उसके बाद में सैक्शन 63 के अन्दर भूमि पूलिंग अधिकारी का कतिपय मामलों और स्कीमों में उपान्तरण का विनिश्चय अंतिम होगा। इसमें मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि कम से कम जहां जमीन का मामला है, कुछ मामलों में जो भूमि पूलिंग अधिकारी है, उसका निर्णय अंतिम होगा। यह मामला गलत है। अपील का प्रोविजन दिया जाए ताकि उसका हक नहीं मारा जाए।

(श्री सुखराम विश्नोई)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि छोटे-छोटे जो कस्बे हैं, नगर पालिका क्षेत्र हैं, वहां जो प्लाट काटते हैं, प्राइवेट पार्टी प्लाट काटती है, प्लाट काटते हैं तब तो सड़कों की जमीन छोड़ते हैं, 40 और 60, जितना भी प्रोविजन है। उसके बाद में उसमें पार्क की जमीन छोड़ते हैं। मनोरंजन की जमीन छोड़ते हैं लेकिन धीरे-धीरे वह सड़क भी सकड़ी कर देते हैं। उसके बाद पार्क की, मनोरंजन स्थल की या दूसरी जो भी है, वह उसको पूरा बेच देते हैं। उसमें कुछ भी नहीं रखते हैं। दूसरा जो कालोनियां काटते हैं, कालोनियां काटते वक्त हम सड़क बनाएंगे, लाइट की और पानी की व्यवस्था करेंगे। बाहर से गांव के आने वाले लोग उन प्लाटों को खरीद लेते हैं। वह पूरी कालोनी आबाद हो जाती है। वहां न तो सड़क बनाते हैं और न वहां पानी की व्यवस्था होती है एवं न बिजली की व्यवस्था होती है।

श्री सभापति: समय बढ़ा रहे हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016 के पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय सरकारी मुख्य सचेतक महोदय ने रखा है, राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016 पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस तरह की जो कालोनियां काटते हैं, जहां पूरी कालोनियां आबाद हो जाती हैं लेकिन ठेकेदार, उसका जो प्रोपर्टी डीलर है, वह उसका पैसा ले लेता है। वहां न तो लाइट की व्यवस्था करता है, न पानी की

(श्री सुखराम विश्नोई)

व्यवस्था करता है। वह फिर एमएलए कोटे से, एमपी कोटे से या ऐसे ही घूमता फिरता है। नगरपालिका को कहता है तो वह कहते हैं कि आप कालोनी वाले जानो। उनकी भी सर्वे करके व्यवस्था की जाए। वाकई में जब कालोनी काटी है और व्यवस्था नहीं की है तो उनको दंडित किया जाए और वहां पूरी व्यवस्था की जाए।

मैं कुल मिलाकर के इस राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016 को 3-4 महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने का अनुरोध करता हूं।

श्री सभापति: विराजिए। धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, आज हम राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016 पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए प्रस्ताव किया था।

सभापति महोदय, अब पता नहीं मुझे लग रहा है या वास्तविकता है, जनता की भी यही आवाज है कि यह सरकार जब से बनी है, शुरूआत में भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन लाकर के किसानों की जमीन पर नजर रख रही थी। कल परसों भी बिल पारित हुआ माननीय उद्योग मंत्रीजी ने एक बहुत बड़ा बिल पारित कराया। पूरी जमीन ही हम ले लेंगे।

आज दोबारा माननीय स्वायत्त शासन मंत्री आ गए, कि हम जमीन को पूल करेंगे। इस एक्ट की धारा 6 के मुताबिक यह 45 परसेंट जमीन किसान की चली जाएगी और बाकी 55 परसेंट की बात कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जेडीए ने जमीन ली थी न, क्या किया? जेडीए ने सारी कालोनियां माननीय मंत्री महोदय बसा दीं क्या? जो जमीनें किसान से औने-पौने दामों में ली थीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, चर्चा नहीं करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री हैं फिर भी, कोई बात नहीं।

श्री सभापति: बोलिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जेडीए ने जमीनें लीं किसान

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

की। जेडीए ने जमीनों में कालोनियां काटीं, क्या हाल है उन कालोनियों का? किसान की जमीन चली गई। रहने वाला कोई है नहीं वहां पर। सुविधाएं कोई है नहीं। हाउसिंग बोर्ड ने जिस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है कि किसानों की जमीनें ले लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं और उसके बाद में कितनी रेटें बढ़ा-बढ़ाकर के पैसा कमाते हैं। आडिट कराते नहीं हैं। न जेडीए कराता है और न हाउसिंग बोर्ड कराता है।

जब जमीनों का इतना बड़ा आप कारोबार कर रहे हो और जनता का जो नैचुरल रिसोर्स है जमीन, जमीन से बड़ा कोई नैचुरल रिसोर्स नहीं है। किसान की जमीन को लेकर के आप न आडिट कराओ, चाहे जो मर्जी आये स्कीम बनाओ। इस प्रकार के यह बिल लाकर के जमीनों का जो संचय करना है, हमारे डाक बंगलों की सूचियां मंगाई जा रही हैं कितने डाक बंगले पड़े हैं, कितनी शहर के अन्दर पुलिस लाइनें पड़ी हैं, रोडवेज के डिपो कितने पड़े हैं, यह एक तरीके से सारा का सारा जमीनों पर नजर करने वाला काम है न, यह बहुत घातक है।

सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के जो बिल हैं इनसे जनता को क्या लाभ मिलने वाला है? मेरे यही समझ में नहीं आ रहा है। आप 45 परसेंट जमीन उस किसान की ले लोगे तो उससे कोई लाभ मिलने वाला है क्या? जमीन अगर किसान को चाहिए तो वह अपने आप आएगा आपके पास में। आप इस प्रकार के बिल लाकर के, सरकार का केवल अगर काम रह गया तो किसान की जमीन पर नजर और उस जमीन को हड़पने के अधिकार लेना है।

और इस सदन से बहुमत के जोर पर यह मैं समझता हूं जनता के अहित में है, जनता इससे नाखुश भी है और इसका परिणाम तो माननीय सभापति महोदय, आने वाला समय ही बताएगा, आज हम नहीं बता सकते लेकिन जब हम बाहर सुनते हैं तो यह पता लगता है कि यह सरकार तो जमीनों को लेने के लिए ही आई है, पीपीपी मोड, पीपीपी मोड, पीपीपी मोड, पता नहीं किस-किस को दे रहे थे, क्या दे रहे थे, अभी कल परसों बिजली का एक बिल पारित कराया कि बिजली की सम्पत्तियां हम बेच देंगे। यह पूरा का पूरा इस प्रकार का षड्यंत्र सवा दो साल से पूरी राजस्थान की जनता देख रही

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

है, हम सब देख रहे हैं लेकिन हम असहाय हैं माननीय सभापति महोदय, आप कुर्सी पर विराजमान हैं, अगर कोई सहयोग करो तो हम करें बाकी हम तो अब संख्या में भी 21, 23, 25 रह गए।

श्री सभापति: मैं केवल आपके बोलने में सहयोग कर सकता हूं माननीय सदस्य, और वह भी विधेयक।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, विधेयक पर ही बोल रहा हूं, 45 प्रतिशत जमीन लेकर के अगर करना हो तो सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सीकर में, आपकी जन्म भूमि भी है, कर्म भूमि भी रही है, हमने यूआईटी स्वीकृत की सीकर में, हमारी सरकार ने की, उसके बाद में सवा दो साल इनको हो गए, हमारे समय में एक स्कीम बनी थी, भैंरूपुरा में, आपको तो ध्यान में है, गोविन्द देवजी का मंदिर है, उधर जमीन सरकारी थी, उसकी इन्होंने नक्शा देकर के आवेदन मांग लिए और आवेदन मांगने के बाद में आज ढाई साल हो गए माननीय सभापति महोदय, लैंड यूज चेंज नहीं हुआ है, इस सरकार से लैंड यूज चैंज नहीं हुआ है। जब आप सरकारी जमीन की कालोनी विकसित नहीं कर सकते, पैसे जमा लेकर के नहीं कर सकते तो आप किसान की जमीनों पर डाका डालने की तैयारी क्यों कर रहे हो? इस तरह के बिल क्यों ला रहे हो? मैं समझता हूं, हो सकता है आपकी अच्छी सोच होगी, आप यहां प्रदेश को डवलप करना चाह रहे होंगे, कालोनियां विकसित करना चाह रहे होंगे, किसान को फायदा देना चाह रहे होंगे लेकिन इस प्रकार के बिल लाने से संशय उत्पन्न हो जाता है क्योंकि आए दिन हम तो यही सुन रहे हैं। जब रात को सोते हैं तो उस वक्त सपना देखते हैं कि कल जमीन का एक विधेयक फिर आ रहा है, फिर एक जमीन लेने का विधेयक आ रहा है, हमारे तो कान पक गए, लोगों से सुनते-सुनते कि इस प्रदेश में कोई फीट-दो-फीट जमीन छोड़ेंगे कि नहीं, यह सारे के सारे अधिकार ले लेंगे? यह इस प्रकार से नहीं होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सैक्शन 6 के तहत आप 45 परसेंट जमीन की बात कर रहे हैं, मेरा इसमें पूरा विरोध है माननीय मंत्रीजी, किसान की जमीन 45 परसेंट आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, जो कायदे की जमीन है उसको लीजिए और आपका जो सिस्टम है न सरकार का, आज मृत्यु प्रमाण-पत्र अगर नगरपालिका, नगर परिषद में बनाने

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जाते हैं तो उसको भी 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर कोई पट्टा लेने जाता है तो 3-3 साल लग जाते हैं, वह भी मिले ना मिले, बिना किसी की भेंट पूजा वह भी नहीं मिलता। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता लेकिन अगर कोई कालोनी डवलप करना चाहे खातेदार और अगर वह नगर नियोजन में, टाउन प्लानिंग वालों के पास चला जाए, उसके कपड़े छोड़ दें तो उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं छोड़ता, उसके बदन को नंगा करके भेजते हैं। आपको हम पचास परसेंट दे दें, आपको हम पच्चीस दे दें, ऐसा कर दो तो ऐसा कर दें, माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बिल पर बोलें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह बिल पर नहीं है क्या? यह टाउन प्लानिंग बिल नहीं है क्या, आप योजना बना रहे हो, कालोनी विकसित करने जा रहे हो उसमें टाउन प्लानिंग का रोल नहीं है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप कौनसे सैक्शन में बोल रहे हो? बताओ?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): छह बजे से पहले छुट्टी कर दूंगा। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, यह बिल पर ही है, टाउन प्लानिंग उसका हिस्सा है, आप प्लान बनाएंगे किसी कालोनी का तो टाउन प्लानिंग से ही बनेगा इसलिए टाउन प्लानिंग वाले ऐसे बात करते हैं जैसे जमीन तो है और हमें बख्शीश में दे रहे हैं थोड़ी बहुत, ऐसा कर दो तो ऐसा कर देंगे। मैंने पहले भी माननीय मंत्रीजी से निवेदन किया था कि टाउन प्लानिंग...

श्री सभापति: आप थोड़ा संक्षिप्त में बोल दें मुख्य बातें जो इस विधेयक की हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुख्य बात तो मैंने पहले ही बोल दी, मुझे पता नहीं कब डांट दें और कब कह दे बैठ जाओ।

श्री सभापति: बैठने के लिए तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन आप संक्षिप्त में कहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुख्य तो यही है कि जमीन लेकर किसान की इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। आपकी मंशा अगर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

ठीक है मंत्री महोदय, अच्छी बात है, हम आपको सहयोग करेंगे लेकिन यह किसान की 45 परसेंट जमीन आप नहीं लें और इसमें कटौती करने का प्रस्ताव लाएं और बाद में उस इच्छा शक्ति से अपना जो सिस्टम है नगर पालिका, नगर परिषद, जेडीए, उसको आप डंके के चोट पर ठीक करने का काम करें और ठीक करने के बाद में जब जनता में यह विश्वास पैदा हो जाए कि जेडीए ठीक काम करेगा, नगरपालिका, नगर परिषद, यूआईटी ठीक काम करेगी और हमारी जमीन कहीं दिक्कत नहीं आएगी और हमारी कालोनी डवलप होकर के हमें भी कुछ हिस्सा मिलेगा उसके बाद में लाना चाहिए इसलिए ऐसे आनन फानन में लाने से कोई फायदा नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, कुछ काम ठीक भी हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि यह बिल बिलकुल ही बेकार आ गया, मैं विरोध में हूं इसलिए विरोध कह दूं, अच्छा है लेकिन किसान का विश्वास आपके ऊपर जमे इस बात का प्रयास पहले कीजिए और जो 45 परसेंट आप सैक्शन 6 के तहत लेना चाहते हैं, वह बहुत ज्यादा जमीन है, इसमें आपको पुनर्विचार करना चाहिए और इसमें जनता क्या चाहती है कि हम पूल करने के लिए जमीन देंगे कि नहीं देंगे, पूल बनाने के लिए तो उसमें जनता का विचार जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जनमत जानने के लिए इसको प्रस्ताव करता हूं और जनमत जानने के बाद में जब आ जाए दो-तीन महीने में, क्योंकि इतने ही जमीनों के बहुत बिल पारित करा लिए उसी से हो जाआगे निहाल यदि होना है तो इसको तो कम से कम पूल वाले काम को तो बख्शो, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। विराजिए।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री घनश्याम। श्री घनश्याम। (अनुपस्थित)।

श्री धीरज गुर्जर। (अनुपस्थित)।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, +++

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह उचित नहीं है। +++ यह मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं बात। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक्सपंज कर दीजिए।

श्री सभापति: एक्सपंज कर दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि मेरे जैसे सीधे आदमी पर ही आक्षेप लगा दिया, मेरा संरक्षण तो आप ही कर सकते हैं।

श्री सभापति: इसीलिए मैंने संरक्षण करके एक्सपंज कराया है कि जो बात जग जाहिर है उसको यहां कहने की क्या आवश्यकता है?

श्री गिर्राज सिंह।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय यह जो बिल पास करा रहे हैं, इसमें जो भी है किसानों के लिए तो कोई बात है भी नहीं, सिर्फ उद्योगपतियों के लिए इन्होंने बात की है, कैसे होटल बने बढ़िया-बढ़िया, कैसे अच्छे-अच्छे मॉल बने, कैसे बढ़िया बिल्डिंग बने, कैसे व्यापारी उद्योग लगाएं और उद्योग लगाने के बाद में दो-चार-पांच साल चलाने के बाद में वह किसान की जमीन को दस लाख रुपए बीघे की को, पांच लाख रुपए बीघे की को, दो लाख रुपए बीघे की को, उस जमीन को ले लेंगे और लेने के बाद में जो एक करोड़ या दो करोड़ रुपए बीघे के हिसाब से आज की तारीख में जो जमीन की कीमतें हैं वह जमीन कौड़ियों के भाव में किसान से ले लेते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मंत्री महोदय, सब कुछ किसान की जमीन को, सब व्यापारियों को जो ऐसे ही बहुत बड़े पैसे वाले हैं, देखते हैं रोजाना धीरू भाई अम्बानी इतने करोड़ का हो गया, पहले नम्बर का हो गया, आज अम्बानी इतने पैसे वाला हो गया, यह तो वैसे ही बहुत बड़े पैसे वाले हैं, यह किसानों के खून को चूस कर और कितना बड़ा पैसे वाला हम इनको बनाना चाहते हैं कि जो अपनी सरकार से भी ऊपर पैसे वाले हो जाएंगे तो इनका तो कोई कंट्रोल भी नहीं होगा तो माननीय मंत्रीजी, जो आप यह बिल लाए हैं इस बिल में आप किसानों की बात करें।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और है इसमें, आप जैसे अपनी सरकार ने कोई भी किसी जमीन करके इनको दे दी, तो वह जमीन की आज की कीमत कोई पांच हजार की या कहीं दो हजार की या कहीं दस लाख रुपए बीघे की रेट, आज उस जमीन को इन्होंने एक्वायर कर लिया और जब उसको मुआवजा देंगे चार साल या पांच साल बाद में जब तक उसकी रेट इतनी बढ़-

(श्री गिर्राज सिंह)

बढ़ हो जाती है कि उस पुरानी रेट पर तो आप पेमेंट दे रहे हैं किसान को और पुरानी रेट का पेमेंट देने के बाद में जमीन आप किसान की आज ही ले रहे हैं, न तो आपने किसान को पांच साल पहले पैसे दिए, न आपने किसान के लिए पांच साल पहले कोई और सुविधा की जब आप पांच साल पुरानी रेट का पैसा दे रहे हैं किसान को जो आज की रेट है, आप हर साल बढ़ाते हैं, अपन सदन में बढ़ा देते हैं, 1 परसेंट टैक्स बढ़ा दिया, जिले में कलैक्टर बैठे हैं वह बढ़ा देते हैं, डीएलसी रेट तो वह रेट अगर उतनी ही ले लेते हैं तब जाकर रेट इतनी वहां पर ले लेते हैं और देने की बारी आती है तो अपन पुरानी रेट देते हैं। मेन रोड की जमीनें माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में जब इनका कानून बना तो इस सदन में ही पास किया।

जो भी कानून बनता है इस सदन के अन्दर ही बनता है। कानून तो बहुत अच्छे-अच्छे बनाते हैं, जो भी आता है, कोई भी आए, चाहे इधर वाले आएं, चाहे उधर वाले आएं, जो भी आता है वह कानून ही बनाता है। कानून बनाने के बाद वह किसान के ऊपर ही बात करेगा। जब किसान को देने का नम्बर आएगा तो उसमें लालच करेंगे, उद्योगपति को फायदा पहुंचाने की बात करेंगे। किसान की जो जमीन है भूमि अधिग्रहण बिल में मेन रोड से नगरपालिका क्षेत्र में है। आप जब रजिस्ट्री कराते हैं तो, मंत्री महोदय, क्या रेट लेते हैं? आपको मालूम है? शेखावत जी, आपसे ही कह रहा हूं, आपका ही बिल है।

(17.00 बजे)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शेखावत जी शब्द का प्रयोग नहीं करें। यह कानून ''पूलिंग'' है और वह शब्द स्त्रीलिंग है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय मंत्री महोदय, आपको मालूम है आप नगरपालिका क्षेत्र में क्या रेट लेते हैं?

श्री सभापति: कानून पुल्लिंग है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): नगरपालिका क्षेत्र में आप रजिस्ट्री कराते हैं तब क्या रेट लेते हैं? जब किसान को देने का रेट आएगा तब आपका कृषि का देंगे कि आपकी कृषि रेट है। आपने इसमें कहीं हवाला भी नहीं दिया इस गड़बड़ के लिए। आपके पूरे बिल में, आपकी पूरी किताब में हमने सब पढ़कर देख लिया, उसमें कहीं जिक्र नहीं आया कि हम किसान से किस रेट में लेंगे और किसान को मुआवजा किस रेट में देंगे। माननीय सभापति महोदय,

(श्री गिर्राज सिंह)

सरकार का कानून है कि हम जिस रेट में जमीन दे रहे हैं उसी रेट में हमें लेने का भी अधिकार है। एक तरफ तो आप किसान की जमीन की अपन रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो आप वह रेट लेंगे कामर्शियल की कितनी रेट है। रजिस्ट्री कराते वक्त तो आप कामर्शियल की रेट लेंगे और जब देने का नम्बर आएगा तो आप कृषि की रेट देंगे। एक ही प्रदेश में दो-दो कानून क्यों? एक ही जिले में दो कानून? धौलपुर नगरपालिका क्षेत्र में कोई अलग कानून है, हमारे बाड़ी नगरपालिका क्षेत्र में अलग कानून है। मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि जिले में भी दो कानून हो जाते हैं, प्रदेश में भी दो कानून हो जाते हैं।

सभापति महोदय, 2009-10 में भूमि अवाप्ति की गयी एनएच के लिए। हमारे धौलपुर से फोर लेन बनी थी। उसके लिए जो मुआवजा दिया गया, धौलपुर में तो पूरे नगरपालिका क्षेत्र में कामर्शियल के हिसाब से दे दिया। बाड़ी नगरपालिका क्षेत्र में अभी दिया है, करीबन 6 महीने पहले, उसमें आपने कृषि के हिसाब से दे दिया। एक ही प्रदेश में, एक ही जिले में दो-दो कानून कैसे? उसके लिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आपने बाड़ी नगरपालिका क्षेत्र में जो पहले मुआवजा दिया है, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो धौलपुर में मुआवजा दिया है उसी रेट से आप बाड़ी के किसानों को मुआवजा दें। एक ही जिले में दो-दो कानून नहीं चलते हैं। धौलपुर में अलग कानून, बाड़ी में अलग कानून। पूरे राजस्थान में अलग कानून। जयपुर में अलग बना देना, बाड़मेर-जैसलमेर में अलग बना देना। आपकी सरकार है, आपके पास बहुमत है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम तो यहां सिर्फ आवाज ही उठा सकते हैं। इधर से ज्यादा बोलेंगे तो आप टेबल ठोक देंगे, हल्ला मचाना चालू कर देंगे, पर हम आपके हल्ले से डरने वाले नहीं हैं। आप 160 जरूर हैं, लेकिन आपके हल्ला मचाने से हम बैठने वाले नहीं हैं। आप कितना ही हल्ला मचाओ, जो हमको कहना है वह कहेंगे, कतई रुकने वाले नहीं हैं।

(17.04 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, यह सभी की पुकार है कि आज आप बैठ जाएं। मैं आपके माध्यम से, इनके कहने से नहीं बैठ रहा हूं, आपको देखते हुए मैं बैठ रहा हूं। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि इस बिल पर कम से कम नहीं तो 6

(श्री गिर्राज सिंह)

महीने या 3 महीने का जनमत कराया जाय। इस बिल में बहुत-सी कमियां हैं। किसानों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। आपने बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मनोज कुमार (अनुपस्थित) श्री मानिक चन्द जी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016 पर सदन में चर्चा हो रही है। अनेक माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण विश्लेषण इस विधेयक पर हुए हैं। जहां तक मैं समझा हूं, यह विधेयक नगरीय भूमियों के लिए है। इस विधेयक में जो ''समुचित प्राधिकारी'' की परिभाषा है उसी में यह सम्मिलित है ''समुचित प्राधिकारी से कोई स्थानीय प्राधिकारी या कोई अन्य एजेंसी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया जाये, अभिप्रेत है।'' ''स्थानीय प्राधिकारी'' की जो परिभाषा है उसमें ''राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अधीन गठित कोई नगरपालिका, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन गठित कोई नगर सुधार न्यास, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण'', जो कुछ भी होना है इसमें वह नगरीय सीमाओं में होना है। नगरपालिकाओं में और जो हमारे नगर विकास न्यास हैं या जेडीए है, जयपुर विकास प्राधिकरण है, इन्हीं में होना है।

धारा 6 में इस बिल का मूल उद्देश्य ''भूमि पूलिंग स्कीम की अंतर्वस्तु''। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें जो 12 काम हैं, वर्चुअली 12 की जगह 11 ही समझिए, इसमें तो 15 काम गिनाये हैं। उन 15 कामों के लिए ही यह भूमि पूलिंग स्कीम काम आएगी। ''भूमि का अभिन्यास या पुन: अभिन्यास जो या तो खाली हो या जिस पर पहले से ही निर्माण किया हुआ हो।'' जिसको हम अंग्रेजी में लेइंग आउट और री-लेइंग आउट कहते हैं कि खाली भूमि हो चाहे बिल्टअप भूमि है तो उसका री-लेइंग आउट पहला काम है। नैक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है- ''निचले, दलदली या अस्वास्थ्यकर क्षेत्र का भरा जाना या काम में लिये जाने योग्य बनाया या भूमि को समतल करना।'' उपाध्यक्ष महोदय, इसमें किसी की भूमि को अवाप्त करने का पर्टीकुलरली जो क्लाज मैंने पढ़ा है कि निचली, दलदली या अस्वास्थ्यकर क्षेत्र का भरा जाना। किसी से भूमि लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हर नगर में दलदली क्षत्र हैं,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

निचले क्षेत्र हैं और अस्वास्थ्यकर क्षेत्र हैं जिनको वाकई में काम में लिये जाने और भूमि को समतल किये जाने की आवश्यकता है।

''नये मार्गों या सड़कों को बिछाना।'' ''भवनों, पुलों और अन्य निर्मितियों का सन्निर्माण करना।'' ''सड़कों, खुले स्थानों, उद्यानों, आमोद-प्रमोद के मैदानों, इन क्रियाकलापों के लिए।'' ''मलनालियों सहित जल निकास, सतही या अवमृदा''। जो सीवरेज है और जो ड्रेनेज है उसके लिए। ''प्रकाश व्यवस्था के लिए।'' ''जल प्रदाय'' के लिए। ''ऐतिहासिक या राष्ट्रीय अभिरुचि या प्राकृतिक सौन्दर्य की वस्तुओं और उन भवनों का, जिनका वास्तव में धार्मिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है।'' ''जनता के ऐसे वर्ग के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए।'' मैं निवेदन करना चाहता हूं ये सारे बहुत आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं जो नगरों में किये जाने अत्यन्त आवश्यक हैं। यही इस भूमि पूलिंग के परपज और अंतर्वलित उद्देश्य हैं, वे धारा 6 में गिनाये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि इन उद्देश्यों के लिए धारा 6 की उपधारा 13 है ''इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए, जहां तक ऐसा किया जाना आवश्यक हो, राज्य विधान मण्डल या ऐसे अधिनियमों में से किसी अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम, उप विधि, विनियम या जारी की गयी अधिसूचना या आदेश का निलम्बन।'' मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम किसी नियम, विधि, उपनियम और कोई अधिसूचना या आदेश को तो निलम्बित कर सकते हैं।

पर क्या माननीय मंत्रीजी, इसमें अधिनियम को भी निलम्बित कर सकते हैं? क्योंकि जो भाषा है उसमें तो अधिनियम शामिल है। अधिनियम पहले आ रहा है, राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम और उसके बाद में आ रहा है या ऐसे अधिनियमों में से किसी अधिनियम जिसे राज्य विधान मण्डल संशोधित करने में सक्षम है, के अधीन बनाये गये किसी नियम, उप-विधि, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो ईश्वर की कृपा है कि हमने कोई राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक पास नहीं किया अन्यथा तो माननीय मंत्री महोदय, वो भूमि अर्जन विधेयक भी इसमें सस्पैंड हो सकता था, उसको निलम्बित किया जा सकता था। लेकिन चूंकि अभी तो भारत का राइट टू फेयर कम्पनसेशन का एक्ट ही प्रभावी है तो कम से कम हम उस भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के निलम्बन से बचे हुए हैं लेकिन राजस्थान

(श्री मानिक चन्द सुराना)

के भी किसी अधिनियम को, मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि एक अधिनियम के लिए किसी दूसरे अधिनियम के प्रावधानों को निलम्बित करना, मुझे नहीं लगता कि यह कोई न्यायसंगत या कोई बहुत विवेकसंगत बात है। किसी अधिनियम के नियमों को निलम्बित करना अलग चीज है और अधिनियम स्वयं को निलम्बित करना, मैं समझता हूं कि कुछ अलग है।

मैं मोटे तौर पर जो धारा 6 की विषय वस्तु है और जितने काम गिनाये गये हैं, मैं इस पक्ष में हूं कि राजस्थान के नगरीय विकास के इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए और उसको आधुनिक बनाने के लिए, जन-हितैषी बनाने के लिए, जनता के स्वास्थ्य के अनुकूल बनाने के लिए उन सब का प्रयोग होना चाहिए, भूमि पूलिंग की जानी चाहिए। भूमि पूलिंग करते वक्त जो प्रावधान बनाये गये हैं, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि भूमि पूलिंग में हम बड़े-बड़े भूखण्ड बनाना चाहते हैं, निश्चित रूप से वो छोटे भूखण्डों से ही बनेंगे और छोटे भूखण्ड से जब बड़े भूखण्ड बनेंगे तो 10 आदमी, 15 आदमी उसके सह-मालिक होंगे। सह-मालिक कौन, कितने, नियमों में प्रावधान किया जाना चाहिए कि जिस आदमी की जितनी जमीन जा रही है, जिसके कारण वो बड़ा भूखण्ड बन रहा है, कितने प्रतिशत जमीन उसकी उसमें आती है तो उतने प्रतिशत का सह-मालिक उसको कानून के द्वारा माना जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा न हो कि छोटे खण्डों के जो मालिक हैं वो उस बड़े खण्डों में खो जाएं और उनके अधिकार सुरक्षित न रहें, यह नियमों में हमें प्रावधान माननीय मंत्री महोदय, निश्चित रूप से करने की आवश्यकता है। पार्लियामेंट्री मंत्री महोदय ने तो धन्यवाद पता नहीं मुझे इस सुझाव के लिए दिया है या मुझे बैठने का इशारा किया है, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने उस सुझाव के लिए धन्यवाद दिया है।

माननीय मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है और मैं धारा 13 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): धारा 13 नहीं दिखती उनको आज, उनको तो पिक्चर दिख रही है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): धारा 13 नहीं दिखती मुझे?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपको नहीं, उनको।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अच्छा इनको नहीं दिखती। उपाध्यक्ष महोदय, धारा 13 को मैं हिन्दी में पढ़ता हूं और फिर अंग्रेजी में

(श्री मानिक चन्द सुराना)

पढ़ता हूं और हिन्दी से अंग्रेजी में इसलिए पढ़ता हूं ताकि अंग्रेजी में आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ जाऊं। मेरा निवेदन है कि धारा 13 का जो आपने मूल, चूंकि अब धारा 13 हिन्दी में ही मूल है तो यह मूल अनुवाद सही नहीं बना। वो जो अंग्रेजी अनुवाद है वो तो सही बन गया पर क्योंकि हिन्दी को भी अपन मूल मानें तो उसकी भाषा आपके आशय की पूरी प्रति इसमें नहीं झलकती। मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर सुनाता हूं। 'जहां किसी क्षेत्र, जिसके सम्बन्ध में स्कीम बनाये जाने के आशय की घोषणा की जा चुकी है, में सम्मिलित भूमि के किसी टुकड़े के स्वामित्व के बारे में विवादग्रस्त दावा है' माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी में तो डिस्पुटेड क्लेम लिखा है डिस्पुटेड ओनरशिप में, डिस्पुटेड क्लेम और इस डिस्पुटेड क्लेम जो है वो दावा नहीं है, क्लेम जो है वो सूट नहीं है और उस क्लेम के सूट न होने के कारण आपने जो विवादित क्लेम को विवादित दावा लिखा है वो बिल्कुल गलत है। इस कारण से 'और ऐसे विवादग्रस्त दावे' अगेन विवादग्रस्त क्लेम, 'के सुसंगत अधिकारों के अभिलेख या नामांतरण रजिस्टर में की गयी कोई प्रविष्टि गलत या अनावश्यक है, तो ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार यह विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए नियुक्त कर सकेगी'। अब ये नीचे की लाइन है – 'कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसको स्वामी समझा जायेगा, उस तारीख, जिसको भूमि पूलिंग अधिकारी ने धारा 22 के अधीन प्रारम्भिक स्कीम बनायी थी, के पूर्व किसी भी समय, आवेदन किये जाने पर, समुचित प्राधिकारी या भूमि पूलिंग अधिकारी द्वारा जांच की जा सकेगी।' मैं निवेदन करता हूं कि इसको री-ड्राफ्ट करने की जरूरत है। आप हमसे तो आज ही पास करा लें पर इस धारा 13 को आपने जो अंग्रेजी में लिखा है, बिल्कुल उसकी प्रतिकृति और उसका सही सैंस कन्वे करें, उसकी आवश्यकता है माननीय मंत्री महोदय।

मैं सदन का ध्यान धारा 11 की तरफ आकर्षित करूंगा। धारा 11 में 'भूमि का समुचित प्राधिकारी में निहित होना' आप गौर फरमायेंगे – 'जहां राज्य सरकार द्वारा धारा 10 की उप-धारा (2) के अधीन कोई प्रारूप, स्कीम मंजूर की गयी है (जिसे इसमें आगे 'मंजूर की गयी प्रारूप स्कीम' कहा गया है), समुचित प्राधिकारी द्वारा धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (iii), (vi), (vii) (viii) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अपेक्षित समस्त भूमि समस्त विल्लंगमों से मुक्त आत्यंतिक रूप से, समुचित प्राधिकारी में निहित होगी।' अब इसमें आप धारा 6 की उप-धारा (1) के क्लाज (iii), (vi), (vii) (viii) को देख लें।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(iii) को देखें – 'नये मार्गों या सड़कों को बिछाने के लिए', (v) को देखें- 'सड़कों, खुले स्थानों, उद्यानों, आमोद-प्रमोद के लिए', (vi) मलनालियों सहित, (vii) प्रकाश व्यवस्था, यानि यह सीमित उद्देश्य के लिए ही धारा 11 में वेस्टिंग हुई है, समस्त उद्देश्यों के लिए वेस्टिंग नहीं हुई है। धारा 6 में जो 15 काम लिखे गये हैं उनमें सबके लिए नहीं, यह धारा 11 के द्वारा सीमित, धारा 6 की उप-धारा (1) के क्लाज (iii), (vi), (vii) (viii) के लिए ही यह इसमें वेस्ट हुई है। क्योंकि जो वेस्टिंग है वो आगे के प्रावधानों में भी वेस्टिंग का प्रावधान है।

मैं धारा 31 और 32 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। कुल मिलाकर उद्देश्य बहुत, हमारे जो भी नगर निगम हैं, नगरपालिकाएं हैं, नगर परिषद हैं, विकास प्राधिकरण हैं, यूआईटीज हैं, उन सब में इन्फ्रास्ट्रक्चर का जो डवलपमेंट होना है, वो जो 15 उद्देश्य धारा 6 में गिनाये गये हैं, उनके लिए उद्देश्य हमारे बहुत ठीक हैं। पर पूरी तैयारी के साथ इसमें जो संशोधन किये जाने हैं वो आवश्यक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें यह भी लिखा गया है कि जिनके राइट्स हैं वो सुरक्षित हैं और यदि वो कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट की डिक्री के अनुसार उनके हकों का जो भी कम्पनसेशन बनता है वो सुरक्षित है। यह प्रावधान हमने बिल्कुल कानून के अनुकूल रखा है और इससे जो कोई भ्रम हो कि भूमि अवाप्ति अधिनियम को इग्नोर करके यह सारा विकास का काम किया जायेगा, इस भ्रम से मैं पूरे प्रावधानों को देखने के बाद, मैं समझता हूं कि हमको मुक्त होना चाहिए और मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं। इसी निवेदन के साथ मेरा स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रवर समिति वाला विदड्रा किया क्या आपने? मंत्री महोदय।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): हां, कर लिया। समर्थन कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप विराज जाएं। Would you like to withdraw your objection for 'Pravar Samiti?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): निश्चित रूप से, उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैंने प्रवर समिति का दिया है उसे मैं वापस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तेजी से बढ़ते हुए अरबनाइजेशन के लिए हमें जमीनों की जरूरत पड़ती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि 2001 में जहां राजस्थान के अन्दर केवल 222 सेंसस सिटीज थे, वह 2011 में बढ़कर 297 हो गये। इसी प्रकार एक लाख से ऊपर की जनसंख्या के राजस्थान के अन्दर 2001 में केवल 20 शहर थे, जो 2011 में बढ़कर 29 हो गये। यह बढ़ते हुए अरबनाइजेशन के लिए जमीनों की जरूरत होती है, डवलपमेंट के प्लान की जरूरत होती है और इसीलिए सरकारें लगातार जमीन को एक्वायर करती हैं। अंग्रेजों के जमाने से, 1824 से लेकर जब बंगाल में पहली बार रैगुलेशन बना। उस रैगुलेशन के तहत जमीन का एक्वीजिशन होने लगा। धीरे-धीरे यह एक्ट बना। 1894 में एक्ट बना और 1947 में हिन्दुस्तान के आजादी के बाद मोटे तौर पर हमने उसी एक्ट को स्वीकार कर लिया।

अब कोटा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि 2013 के एक्ट से डरकर किसान की जमीन को हड़पने की पिछले दरवाजे से तैयारी हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लैंड पूलिंग का कंसैप्ट कोई 2013 के बाद पैदा नहीं हुआ। हिन्दुस्तान के भी कई प्रदेशों के अन्दर लैंड पूलिंग का काम 2013 से पहले चल रहा है और न केवल हिन्दुस्तान, बल्कि हिन्दुस्तान से बाहर यह काम बहुत सालों से कई अच्छे-अच्छे देशों में हो रहा है। जापान में हो रहा है, स्वीडन में हो रहा है, कोरिया में हो रहा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी चीज है कि जब जमीन चाहिए हमें अरबन डवलपमेट के लिए, तो किसान को हम जमीन से डिप्राइव करते हैं और उसी की जमीन को जब डवलप करते हैं तो उसको उस जमीन के डवलपमेंट का कोई फ्रूट नहीं मिलता। तेजी से बढ़ते हुए अरबनाइजेशन के अन्दर जमीन की जरूरत को पूरा करते हुए उस ग्रोथ के अन्दर, उस डवलपमेंट के अन्दर किसान की शागिर्दी कैसे पैदा की जाए? उसका पार्टिसिपेशन कैसे पैदा किया जाए? और जो अरबनाइजेशन की प्रोस्पैरिटी पैदा होती है, उस प्रोस्पैरिटी में उस किसान को कैसे हिस्सेदार बनाया जाए?

अभी बात कर रहे हैं कि भू-माफिया कमा रहे हैं, ये डवलपर्स कमा रहे हैं। भू-माफिया भी कमा रहे हैं। रीयल एस्टेट सैक्टर ऐसा बहुत जबरदस्त

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

सैक्टर है जहां पर जबरदस्त ग्रोथ है। जमीन किसान की। सरकार अगर डवलपर का रोल प्ले करती है तो सरकार कमाती है। जेडीए आता है। डवलपर का रोल प्ले करता है, जमीन को एक्वायर करता है तो कमाता है। हाउसिंग बोर्ड कमाता है। इण्डस्ट्री के लिए रीको किसान की जमीन एक्वायर करती है तो वह कमाती है। प्राइवेट डवलपर्स किसान के साथ में सौदा करते हैं और लखपति बनते हैं, करोड़पति बनते हैं। जिसकी जमीन से सरकार करोड़पति बन सकती है, जिसकी जमीन से डवलपर करोड़पति बन सकता है, उस आदमी को करोड़पति कैसे नहीं बनाया जा सकता है। हम तेजी से बढ़ते हुए अरबनाइजेशन के अन्दर मास्टर प्लान बनाते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सिटी का मास्टर प्लान बनाते हैं, डवलपमेंट प्लान बनाते हैं। मास्टर प्लान लैंड में यूज होता है। आप सिटी को कैसे डिजाइन करना चाहते हैं, वह मास्टर प्लान में बताया जाता है कि मास्टर प्लान में रोज लैंड यूज का बदलाव होता है। गये चार-पांच साल में हमने देखा कि 1,000-2,000 बार अकेले जेडीए के अन्दर लैंड यूज का परिवर्तन हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। हम न तो मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, न ही कोई इंटेसिव योजना ला पाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि हमने जमीनों को एक्वायर किया डवलप करने के लिए। पृथ्वीराज नगर, सब जानते हैं, पृथ्वीराज नगर के अन्दर 1989 में जमीन को एक्वायर किया। कालोनी बनाना चाहते हैं। डवलप करना चाहते थे। मास्टर प्लान के हिसाब से काम करना चाहते थे। लालकोठी में क्या हुआ? स्वेज फार्म में क्या हुआ? जोधपुर की पाल योजना में क्या हुआ? जोधपुर की बीजेएस कालोनी में क्या हुआ? जमीनें एक्वायर कीं, किसानों को तंग किया। एक तरफ किसान तंग हो गया, दूसरी तरफ उस जमीन के अन्दर सोसायटी वालों ने प्लाट काटकर है हैफ्हेजर्ड डवलपमेंट किया, उससे हम जिस प्रकार की सिटी को हम डिजाइन करना चाहते थे, उस प्रकार की सिटी का हम डिजाइन नहीं कर पाये। इसलिए सिटी को प्रोपरली डिजाइन जिस ढंग से हम करना चाहते हैं, उस हिसाब से आगे कैसे बढ़ें? उसके लिए भूमि की हमें जरूरत हो तो भूमि का जो मालिक है, उस मालिक को हम प्रोस्पैरिटी के अन्दर हिस्सेदार कैसे बनाएं? और एक्वीजिशंस की जो कमी है, एक्वीजिशन के कारण जो तकलीफ होती है और वह जमीन से बेदखल होता है, जमीन के डवलपमेंट का फायदा नहीं होता है और जमीन के साथ में तो

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

सेंटीमेंटल वैल्यू भी जुड़ी हुई होती है। लोग जाते हैं, मेरी पुश्तैनी जमीन है। उस पुश्तैनी जमीन से बेदखल नहीं होना चाहते। उस आदमी को उसी की जमीन में रखते हुए, उसकी जमीन का वैल्यू एडीशन करते हुए, मास्टर प्लान की स्पटिट को कन्वर्ट करते हुए, अरबनाइजेशन की डिमांड को फुलफिल करते हुए, किस प्रकार से इन सब चीजों को कम्प्रिहैंसिवली समाहित करते हुए हम अरबनाइजेशन के फ्रूट आम जनता को भी दें और किसान को भी दें। इस चिंता के साथ में हम इस अधिनियम को लाये हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि यह बिल कल आया। शायद जोगाराम जी ने कहा। हम ज्यादा नहीं पढ़ पाये। यह बात सही है। अगर बिल को पढ़ने का समय ज्यादा मिला होता तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बिल के पक्ष में सबसे ज्यादा आप ही लोगों ने बोला होता। इस बिल को ढंग से हम ज्यादा नहीं पढ़ पाये, इसलिए बहुत ज्यादा चीज इसके बारे में कह नहीं पाये। लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं। आप जानते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डवलपमेंट के बारे में। जब हम किसी जमीन को एक्वायर करते हैं, जमीन को डवलपमेंट करना चाहते हैं तो किसान की जमीन इरेंगुलर होती है। यह बेसिकली कोई जमीन पर कब्जा करना नहीं है। मास्टर प्लान के हिसाब से डवलपमेंट करते हुए किसान की जमीन को जो इरेंगुलर शेप की है, कोई तिकोनी है, कोई चौकोर है, कोई गोलमोल है। उस जमीन को आल्टराइज करके, री-एडजस्ट कैसे करें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय? इसके लिए बड़ा सोचना पड़ता है। इसमें कोई फायदा कमाने की मंशा नहीं है। हम एक ऐसा साल्यूशन चाहते हैं जो विन-विन साल्यूशन हो। जिसमें डवलपमेंट करने का काम सरकार का है। सरकार केवल डवलपमेंट के फर्निशिंग करने के काम आये। सरकार का काम है जनता को कुछ सुविधाएं देना और साथ के अन्दर जिस ढंग से हम सिटी को डिजाइन करना चाहते हैं, उस रूप में सिटी बन जाये और जनता को समर्पित हो जाये। इसलिए हमने कहा कि किसी एक इलाके को हम तय कर लें। मास्टर प्लान के हिसाब से तय कर लें। मास्टर प्लान के हिसाब से तय करने के बाद में वहां पर वे सब सुविधाएं दें जिन सुविधाओं की आकांक्षा को लेकर आदमी सिटी के अन्दर आता है। रोड होनी चाहिए, सीवरेज होनी चाहिए, पानी होना चाहिए।

अभी आपने कहा, सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कालोनी कट जाती है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है। इस डवलपमेंट के प्रोसेस के अन्दर यह सब हमारी रिक्वायरमेंट है जो हमारी एस्पिरेशन है, जिसके कारण हम शहरों में आते हैं। उन सुविधाओं का विकास हो जाये। कई बार हम कहते हैं कि बहुत बड़े इलाके में सुविधाओं का विकास सरकार इसलिए नहीं कर पाती कि सरकार के पास संसाधन की कमी है। हम कहते हैं कि पूरे जयपुर में सड़कें बना लो। उदयपुर में सीवरेज ला दो। पूरे राजस्थान में सीवरेज ला दो। जगह-जगह रोजाना लोग आज मांग करते हैं सीवरेज की छोटे-छोटे कस्बों के अन्दर। सरकार के पास संसाधन की कमी है। सरकार के पास संसाधन की कमी होते हुए भी सरकार उन सब आकांक्षाओं की पूर्ति कैसे करे और अगर सरकार के पास संसाधन नहीं है और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करने में कमी रहती है तो किसान की जमीन को भू-माफिया हड़प ले जाते हैं और उसके बाद में हैफहेजर्ड डवलपमेंट होता है, वह शहर के विकास में एक बदनुमा दाग होता है। इसलिए एक पर्टिकुलर इलाके को हम मास्टर प्लान के हिसाब से तय कर लें। उसमें जितने काश्तकार आते हैं, उन काश्तकारों की जमीन को री-आर्गेनाइज करके, उसका प्रोपर डवलपमेंट करके और बिना कुछ कमाये, उसको प्रपोर्शनेटली जमीन वापस दे दे, डवलप्ड जमीन वैल्यू एडीशन के साथ, तो डवलपमेंट का कारण तो वैल्यू एडीशन होता है जमीन में, जिसके कारण डवलपर अरबपति बनता है। वह वैल्यू एडीशन डवलपर की जेब में नहीं जाये, वह वैल्यू एडीशन उसी किसान के पास जाये, जिस किसान की वह जमीन है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा प्रोग्रेसिव जमीन कोई आ नहीं सकती और इसमें यह डर पैदा हो जाये। यह बात सही है कि एक्वीजिशंस के अन्दर जो कमी है, जो तकलीफ है, उस तकलीफ को कैसे मिटाते हुए अपने आब्जैक्ट्स की पूर्ति कर पाएं। यह रास्ता जरूर है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कहा गया, लैण्ड पूलिंग एक्ट में अपील का प्रोविजन नहीं है। अपील का जगह-जगह प्रोविजन है। यहां पर तीन प्रकार से होता है। पहले तो शहर का मास्टर प्लान बनता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। उसके बाद हम किसी पर्टिकुलर इलाके में लैण्ड पूलिंग स्कीम बनाते हैं। लैण्ड पूलिंग स्कीम जहां बनायेंगे, उसके इंटेशन्स का डिक्लेरेशन करेंगे कि हम इस फलां-फलां इलाके में, इतने बड़े इलाके के अन्दर इन-इन किसानों की इनके इन-इन रकबे की जमीन के अन्दर इस प्रकार का

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

डवलपमेंट का प्लान करना चाहते हैं और उसके बाद उसकी ड्राफ्ट स्कीम बनायेंगे। ड्राफ्ट स्कीम को पब्लिश करेंगे। उसके आब्जेक्शन लेंगे, सुनेंगे लोगों को, उसके बाद प्रीलिमिनरी स्कीम बनायेंगे और उसके बाद फाइनल स्कीम बनायेंगे। मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं करना चाहता। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगरीय विकास की तेजी से जरूरत है। अगर देश को डवलप करना है तो हमें अरबन सैक्टर के अन्दर डवलपमेंट करना पड़ेगा। अभी हमें मीलों आगे जाना है। राजस्थान में केवल अभी तक 25 प्रतिशत जनसंख्या शहरी है। दुनिया में जहां भी डवलप्ड कंट्रीज हैं, उन हर डवलप्ड कंट्रीज की जनसंख्या 82 परसेंट, 81 परसेंट, 83 परसेंट शहरी है और हिन्दुस्तान को हम डवलप्ड हिन्दुस्तान बनाना चाहते हैं तो हिन्दुस्तान के अन्दर तेजी से बढ़ते हुए अरबनाइजेशन को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा लेकिन अरबनाइजेशन कौनसा? कैंसरस ग्रोथ की तरह नहीं, मैल ग्रोथ नहीं। प्लान्ड ग्रोथ और जिस प्लान्ड ग्रोथ के साथ में उन सब लोगों के साथ, उन सब स्टेक होल्डर्स के साथ में काम करते हुए एक प्रोपर्टिव ढंग से हम काम किस प्रकार से कर पाएं, इस प्रकार का विधेयक लाने की कोशिश की गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने चिंता की है सैक्शन-32 की कि इवेक्युएशन के अन्दर बड़े स्ट्रोंग है। किसको इवेक्युएट कर रहे हैं, कब्जाई को, और किसी का मकान बना हुआ है और हमारे प्लान के अन्दर वह मकान एकोमोडेट होता है तो उसको हम रेशनली तोड़ेंगे नहीं।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं लम्बी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इससे बड़ा कोई प्रोग्रेसिव बिल और इससे बड़ा किसानों का हितैषी बिल आ नहीं सकता है। आज शहर के अन्दर गुंजल साहब तो अरबपति बने हैं और किसान जमीन खो दे, खकपति बने, किसी भू-माफिया का शिकार बन जाए या सरकार का शिकार बन जाए। न उसे सरकार का शिकार बनने देंगे, न उसको भू-माफिया का शिकार बनने देंगे जिसकी जमीन है उस जमीन को वैल्यू एडिशन करके उसे भी अरबपति बनने का मौका शहर को विकसित करते हुए किसान के साथ करने का काम करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आज जितने माननीय सदस्यों ने चर्चा की, लगभग सभी ने इसका समर्थन किसी न किसी रूप में किया है और मैं फिर कहना चाहता हूं अगर इसको ज्यादा ध्यान से पढ़ने का समय मिलता तो समर्थन करने वालों के समर्थन में तीव्रता भी आती और समर्थन करने वालों

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

की संख्या भी बढ़ती। मुझे इतना ही निवेदन करना था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: Not on this reading. Now you come on third reading. जब मैं थर्ड रीडिंग पर आऊंगा तब आप करना।

प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने के जो संशोधन श्री प्रहलाद गुंजल, श्रीमती द्रोपती, श्री मानसिंह, श्री जोगाराम पटेल ने प्रस्तुत किए हैं उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रवर समिति को निर्देशित किए जाने के जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराणा ने प्रस्तुत किए हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्देशित किए जाने की संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 74, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 74 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 2 से 74 स्वीकार किए गए।

खण्ड 1-अधिनियम सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियम सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियम सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016 को पारित किया जाए।

श्री रमेश (सपोटरा): आप चिंता नहीं करें, दो मिनट से ज्यादा तीसरा हो जाए तो आप कह देना। ठीक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016 का जो बिल आया है, उसमें कल ही तो बिल आया, बड़ी जल्दी मंत्रीजी कह रहे थे कि सब पढ़ लेते तो तालियां बजतीं और पुर:स्थापित भी कल हुआ और रात को 12 बजे यहां से गए। उसके बाद समय नहीं मिला तो मैंने मंत्रीजी से पूछा कि इस बिल में है क्या? तो मंत्रीजी ने बताया जिस प्रकार की मंत्रीजी की भावना है कि बिल अच्छा है और यदि यह पारदर्शिता के साथ लागू होगा। सरकार की मंशा ठीक होगी तो आने वाले समय में स्कीम, नई कालोनियां, नया विस्तार एक अच्छा होगा। मंत्रीजी से मैं पूछना चाहूंगा कि 15 परसेंट आप खेल मैदान के लिए देंगे, 15 परसेंट सड़क में, 10 परसेंट कामर्शियल इण्डस्ट्रीज और 5 परसेंट अल्प आय का प्रावधान किया है। इसमें आपने इसको बदलने का प्रावधान भी कर दिया। अल्प आय वर्ग का 5 परसेंट से अधिक वो बिल्डर जो कालोनाइजर होगा वो कैसे देगा, वह तो अपना फायदा देखेगा। इसलिए इस पर भी आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि कोई भी बिल्डर काम करने आएगा तो सबसे पहले अपना फायदा देखेगा। इसमें उस भूमि के मूल स्वामियों के हितों की रक्षा करना राज्य सरकार का दायित्व है। मंत्रीजी स्पष्ट करें कि किस स्थिति में मूल भूखण्डधारी का भूखण्ड किसी अन्य को आबंटित किया जाएगा या नहीं और किसी स्थिति में आप अल्प आय वर्ग के लोगों को 5 परसेंट या उससे अधिक के क्षेत्र को आबंटित करेंगे और ऐसा तो नहीं कि केवल एक ही कॉलोनी विकसित करके राज्य

(श्री रमेश)

सरकार का पूर्ण हो जाएगा? कालोनी विकसित होगी तो अब उसकी पहुंच के लिए मार्ग भी बनेगा। उसके लिए भूमि चाहिए, बिजली, पानी की लाइनों के लिए भूमि चाहिए। इन सबका व्यय और उस भूमि के सम्बन्ध में बिल में कोई प्रावधान नहीं है और इसके साथ ही इस पूलिंग के लिए किस-किस प्रकार की भूमि ली जाएगी, यह भी स्पष्ट करें। तो क्या राज्य सरकार राज्य की और कृषि भूमियां शहर के निकट स्थित ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि लेने का विचार रखती है? जिसमें मामूली पैसा देगा बिल्डर, कोई भी और उस भूमि को खरीद लेगा और नाम के लिए वो कह देगा कि किसानों की भूमि है और उसके बाद उस स्कीम को आपसे डवलप करा लेगा और उसके बाद बेच देगा और पैसा कमा लेगा तो इसको भी स्पष्ट करें। इस बिल में यह भी स्पष्ट नहीं है कि निर्माण बहुमंजिला बनेंगे या पारम्परिक तरीके से बनेगे और इनका रख-रखाव किस प्रकार निश्चित होगा, यह मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो यह कहना कि किसी डवलपर को हम जमीन देंगे और डवलपर डवलप करेगा, ऐसा नहीं है। अरबन बाडीज, यह सही है कि आपने खुद ने स्वीकार कर लिया है कि आप इसको ज्यादा नहीं पढ़ पाये। अगर आपने पूरा पढ़ा होता तो मुझे लगता कि एक भी संदेह आपके दिमाग में नहीं होता।

श्री रमेश (सपोटरा): आपने कहा कि किसानों को जो आएगा, उसका हिस्सा देंगे। कम होगा या ज्यादा होगा वो देंगे। तो वह आपको नहीं बताएगा कि जमीन मैंने खरीद ली है। दस आदमियों ने खरीद ली, कोई भी स्कीम काटने वाला होता है, माननीय मंत्री महोदय, वो स्कीम काट देता है और आपसे जे.डी.ए. से अप्रूव्ड करा लेता है उसके बाद दस बीघा या बीस बीघा एक्स्ट्रा जमीन टीपी की भी उस प्लान में बेच देता है। तो इसी प्रकार यह कोई कालोनाइजर आएगा, डवलपर आएगा वह आगे किसानों को कर देगा और वह जमीन आपसे पास करा लेगा। उसके बाद वह बेच देगा तो आपका उस पर कंट्रोल क्या रहेगा, मेरा निवेदन यह है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान को अपनी विकसित जमीन प्राप्त होने के बाद उसके बाद उसके बेचान का अधिकारी तो है ही। उसके बाद वह राजपालसिंह जी को बेचे या रमेश जी को बेचे या डवलपर को बेचे, किसी को भी बेचे। लेकिन यहां कोई डवलपर को सरकार जमीन देने वाली है, ऐसी

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

स्थिति नहीं है। और मैंने जो कहा कि मोटे तौर के ऊपर एज ए थम्ब रूल 15 परसेंट जमीन सड़कों पर, 15 परसेंट जमीन फैसिलिटीज के लिए और 15 परसेंट जमीन जिसमें से 5 परसेंट जमीन सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए गरीब के लिए काम में लेगी। वह 15 परसेंट जमीन किसके लिए? उस पैसे से हम उस स्कीम को डवलप कर पायें। वहां रोड बनाएंगे पैसा लगेगा, अस्पताल बनाएंगे पैसा लगेगा, सीवरेज लगाएंगे, पैसा लगेगा और ये 15-15-15 का जो है यह हिस्सा कोई परमानेंट नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टोपोग्राफी कैसी है? स्कीम का नेचर कैसा है? उस स्कीम के नेचर के हिसाब से, उस जमीन की टोपोग्राफी के हिसाब से इसमें वेरिएशन आ सकता है। पर मैं इतना कह सकता हूं कि किसी भी प्रकार का वैरिएशन आये, उस वेरिएशन के बावजूद भी जो डवलप्ड लैंड किसान को मिलेगी, वह आज तक राजस्थान के इतिहास में उतनी डवलपमेंट किसी किसान को किसी भी तरीके से नहीं मिली है और उसकी कॉस्ट में भी वृद्धि करेगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016 पारित किया गया।

घोषणा

छठे सत्र में किये गये कार्यों का ब्यौरा

सम्माननीय अध्यक्ष की अनुमति से मुझे सदन को कुछ चौदहवीं के विधान सभा के छठे सत्र के वृत्तांत के बारे में जानकारी देनी है। चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का छठा सत्र जो दिनांक 29 फरवरी, 2016 से प्रारम्भ हुआ था आज दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो रहा है। इस बजट सत्र में कुल 23 बैठकें हुईं। मुझे माननीय सदस्यों को यह भी बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज दिनांक 05 अप्रैल, 2016 तक की कार्यवाही समाप्त होने तक लगभग 208 घंटे 44 मिनट तक बिना किसी गतिरोध के विधान सभा की कार्यवाही चली।

प्रश्न

इस सत्र में माननीय सदस्यों के कुल 7955 प्रश्न प्राप्त हुए जिनमें से 7951 प्रश्न स्वीकृत किए गए। स्वीकृत प्रश्नों में तारांकित प्रश्न 3669,

(श्री उपाध्यक्ष)

अतारांकित प्रश्न 4282 हैं। कुल 521 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए जिनमें से 115 प्रश्न मौखिक रूप से पूछे गए एवं उनके उत्तर दिए गए। इसी तरह 704 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

प्रक्रिया के नियम-50

माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम-50 के अन्तर्गत 146 स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई जिनमें से राज्य सरकार को 6 प्रस्ताव उत्तर प्राप्ति हेतु प्रेषित किए गए जिनमें से पांच प्रस्तावों के उत्तर प्राप्त हो गये हैं तथा एक का उत्तर प्राप्त होना शेष है, 56 माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्तावों के माध्यम से अपने विचार रखे एवं 39 विषयों पर राज्य सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत - माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त 240 विशेष उल्लेख की सूचनाएं सदन में पढ़ी गयीं, पढ़ी हुई मानी गयीं तथा 222 विशेष उल्लेख की सूचनाएं राज्य सरकार को प्रेषित की गयीं, जिनमें से 55 सूचनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है।

प्रक्रिया के नियम 131 – उक्त नियमों के अन्तर्गत 502 प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई, जिनमें से 498 प्रस्ताव राज्य सरकार को तथ्यात्मक जानकारी के लिए प्रेषित किये गये, जिनमें से 165 के उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त हो गये और चार प्रस्ताव अग्राह्य किये गये। कुल 22 प्रस्ताव सदन में सम्बन्धित मंत्री का ध्यान आकर्षित करने हेतु कार्य सूची में सूचीबद्ध किये गये।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा – महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 29 फरवरी, 2016 को सदन में अभिभाषण दिया गया, जिस पर सदन में चार दिन चर्चा हुई, जिसमें 57 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। दिनांक 4 मार्च, 2016 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अभिभाषण पर हुए वाद-विवाद पर राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया गया।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-17 – दिनांक 8 मार्च, 2016 को आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-17 सदन में उपस्थापित किया गया, जिस पर चार

(श्री उपाध्यक्ष)

दिन सामान्य वाद-विवाद हुआ, जिसमें 57 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। दिनांक 14 मार्च, 2016 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आय-व्ययक पर हुए वाद-विवाद पर राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया। विभिन्न विभागों से सम्बन्धित 16 अनुदान की मांगों पर सदन में चर्चा हेतु 8 दिवस नियत किये गये। अनुदान की मांगों पर 4,066 कटौती प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई, जिनमें से 3,535 कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये गये एवं 531 कटौती प्रस्ताव अग्राह्य किये गये। अनुदान की मांगों पर विभिन्न तिथियों पर हुई चर्चा में कुल 233 सदस्यों ने भाग लिया।

विधायी कार्य – वर्तमान सत्र में कुल 13 विधेयक पुर:स्थापित किये जाकर 13 विधेयक सदन द्वारा पारित किये गये। विधेयकों पर माननीय सदस्यों के कुल 228 संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 35 संशोधन प्रस्ताव सचिवालय स्तर पर अग्राह्य एवं 193 संशोधन स्वीकार किये गये।

पर्ची के माध्यम से – प्रतिदिन शून्य काल में माननीय सदस्यों की ज्वलंत समस्याओं और विभिन्न जनहित के मुद्दों पर उनके द्वारा दी गई पर्चियों के आधार पर अवसर दिया गया, 76 माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई पर्ची के आधार पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया। यहां यह भी उल्लेख करना है कि पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषयों पर राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जाना आवश्यक नहीं है, फिर भी पर्ची के माध्यम से उठाये गये 73 विषयों पर तत्काल मंत्रीगण द्वारा स्थिति को स्पष्ट किया गया।

याचिकाएं – सदन में 68 याचिकाएं माननीय सदस्यों द्वारा उपस्थापित की गईं।

विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन – सत्र में विभिन्न समितियों के 92 प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किये गये।

प्रदेश में विद्युत की स्थिति पर विचार – राज्य में विद्युत की स्थिति पर दिनांक 31 मार्च, 2016 को सदन में विचार हुआ, जिसमें 31 माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। ऊर्जा राज्य मंत्री द्वारा राज्य सरकार की ओर से चर्चा का उत्तर दिया गया।

आखिर में, मैं सभी राजनीतिक दलों के नेतागण व समस्त माननीय सदस्यों को उनके द्वारा सदन में कार्य संचालन में दिये गये सहयोग के लिए

(श्री उपाध्यक्ष)

उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं सभापति तालिका के सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ ही मैं सदन की नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष, सरकारी मुख्य सचेतक, सरकारी उप मुख्य सचेतक, सचेतक कांग्रेस पार्टी का उनके द्वारा सदन में कार्य संचालन में दिये गये सहयोग के लिए अत्यन्त आभारी हूं। इस अवसर पर मैं विधान सभा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा सत्र कार्य में दिये गये सहयोग एवं पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी सत्र के दौरान उपलब्ध कराई गई सुरक्षा व्यवस्था के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ ही सभा की कार्यवाही के संचालन में राज्य सरकार के समस्त विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सहायता के लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा,
द्राविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.46 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर जिले में सीमान्त क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत पेयजल के कार्य

500. श्री मानवेन्द्रसिंह (शिव): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा सीमावर्ती बाड़मेर जिले में सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013 से दिसम्बर, 2015 तक कितने ट्यूबवैल, ओपनवैल एवं पाइपलाइन के कार्य स्वीकृत हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने ट्यूबवैल, ओपनवैल एवं पाइपलाइन के कार्य पूर्ण हुए एवं कितने कार्य शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा अपूर्ण कार्य के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) के अन्तर्गत जिला बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने हेतु माह जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2015 की अवधि में राशि रुपये 2241.00 लाख की कुल 153 योजनाएं स्वीकृत की गईं।

इन स्वीकृत योजनाओं में 57 नलकूप एवं 20 खुले कुओं का निर्माण कार्य, पाइप लाइन के 52 कार्य तथा विभिन्न प्रकार के 24 अन्य कार्यों को कराया जाना प्रावधित था। वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत 153 योजनाओं में से पूर्ण की गई 123 योजनाओं में 53 नलकूप एवं 6 खुले कुओं का निर्माण कार्य, पाइप लाइन के 50 कार्य तथा 14 अन्य कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

शेष 30 योजनाओं में 4 नलकूप एवं 14 खुले कुओं का निर्माण कार्य तथा पाइप लाइन सम्बन्धी 2 कार्य एवं 10 अन्य कार्य वर्तमान में प्रगतिरत/विभिन्न कारणों से अपूर्ण हैं। इन योजनाओं को चरणबद्ध रूप से माह मार्च, 2017 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) उक्तानुसार स्वीकृत 153 योजनाओं में से 123 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं तथा शेष 30 योजनाओं में से 16 के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं एवं 4 के निष्पादन हेतु कार्यादेश दिनांक 29.03.16 को जारी किये गये हैं।

शेष रही 10 योजनाओं के कार्य निम्न कारणों से वर्तमान में अपूर्ण हैं:-

(अ) 3 कार्यों हेतु आवश्यक भूमि के चयन एवं पाइप लाइन के एलाइनमेन्ट में स्थानीय विवाद उत्पन्न होना,

(ब) 5 कार्यों हेतु जिला परिषद, बाड़मेर में संशोधित वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही का प्रक्रियाधीन होना, एवं

(स) संवेदकों द्वारा 2 कार्यों का क्रियान्वयन प्रारम्भ नहीं करना। इनमें से एक कार्य के निष्पादन हेतु पुन: निविदा आमंत्रित की गई है तथा एक अन्य कार्य प्रारम्भ करने हेतु संवेदक को अंतिम नोटिस जारी किया गया है। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

उक्तानुसार कोई अधिकारी दोषी नहीं होने के कारण कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोतर

उपखण्ड मुख्यालय ऋषभदेव में बाल श्रमिक को चोट लगने पर मुआवजा

505. श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के उपखण्ड मुख्यालय ऋषभदेव की ग्राम पंचायत सागवाडा में बाल श्रमिक का मजदूरी के दौरान हाथ कटने पर सरकार द्वारा उक्त बालक को मुआवजा अथवा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई थी? यदि हां, तो कब व कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

खैरवाड़ा तहसील के बाल श्रमिक श्री अजीत पटेला का मेहसाणा (गुजरात) जिले की कड़ी तहसील स्थित बंशीधर जीनिंग फैक्ट्री में मजदूरी करते समय दायां हाथ कटने की घटना की जानकारी के पश्चात् उक्त दुर्घटना गुजरात में घटित होने के कारण संयुक्त श्रम आयुक्त, उदयपुर द्वारा पत्र क्रमांक 3822 दिनांक 28.12.2015 द्वारा श्रम आयुक्त, गांधीनगर, गुजरात को सम्बन्धित बाल श्रमिक को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, बाल श्रम अधिनियम, 1986, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 व वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के सक्षम अधिकारी के समक्ष वाद दर्ज करवाने एवं पीड़ित बालक को क्षतिपूर्ति मुआवजा दिलवाने हेतु लिखा गया है।

धरियावद की सड़कों का नवीनीकरण

506. श्री गोतमलाल (धरियावद): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र धरियावद की तीनों पंचायत समितियों की कुल कितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों के नवीनीकरण के साथ-साथ चौड़ाई बढ़ाने का भी विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धरियावद में तीनों पंचायत समितियों धरियावद, लसाड़िया व झल्लारा के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन कुल 963.54 किमी. सड़क लम्बाई में से 82 सड़कें 241.43 किमी. लम्बाई की क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं। उक्त क्षतिग्रस्त लम्बाई में से 23.70 किमी. लम्बाई के नवीनीकरण की स्वीकृति नाबार्ड की आर.आई.डी.एफ.-21 योजनान्तर्गत जारी की जा चुकी है एवं कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। शेष 217.73 किमी. क्षतिग्रस्त लम्बाई का नवीनीकरण/मरम्मत वर्तमान में किसी योजना में स्वीकृत नहीं है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उपरोक्तानुसार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की 23.70 किमी. लम्बाई के नवीनीकरण की स्वीकृति नाबार्ड की आर.आई.डी.एफ.-21 योजनान्तर्गत जारी की जा चुकी है एवं कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

शेष क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण के साथ-साथ चौड़ाई बढ़ाने का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में तृतीय श्रेणी अध्यापकों का परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर स्थाईकरण

507. **श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 में सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी? यदि हां, तो प्रदेश में कितने अध्यापकों की नियुक्तियां की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अध्यापकों द्वारा परिवीक्षा काल पूर्ण करने पर उनका स्थायीकरण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अध्यापकों का स्थायीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुए क्या सरकार विद्यार्थी मित्रों का पद पुनः सृजित कर उन्हें रोजगार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री धीरज गुर्जर)

(5) क्या सरकार द्वारा सुराज संकल्प यात्रा के दौरान विद्यार्थी मित्रों का स्थायीकरण करने का वादा किया गया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। तृतीय श्रेणी (प्रथम लेवल एवं द्वितीय लेवल) अध्यापक भर्ती परीक्षा 2012 के अन्तर्गत कुल 39544 पदों हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी। इस भर्ती के अन्तर्गत वर्ष 2012 एवं 2013 में कुल 37317 अध्यापकों को नियुक्ति दी गई है।

(2) जी नहीं। आरटेट के न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी संख्या 23508-23513/2013 राज. राज्य बनाम विकास कुमार अग्रवाल व अन्य में यथास्थिति के निर्देश हैं। यथास्थिति के निर्देशों के कारण उक्त अध्यापकों का स्थायीकरण नहीं किया गया है। परन्तु उन्हें परीवीक्षाकाल समाप्ति पर पद के लिये निर्धारित वेतनमान दिये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(3) जी हां। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन एसएलपी संख्या 23508-23513/2013 राज. राज्य बनाम विकास कुमार अग्रवाल व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी नहीं। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत इस प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन/प्रस्तावित नहीं है।

(5) सुराज संकल्प यात्रा 2013 के बिन्दु संख्या 10.10 में राज्य में कार्यरत विद्यार्थी मित्रों की समस्याओं के समाधान हेतु विद्यालय सहायक का नया संवर्ग सृजित कर पदों को भरने हेुत विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा चुके हैं।

प्राईवेट प्लेसमेंट एजेन्सी में कार्यरत कर्मियों को अनुभव के बोनस अंक दिये जाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी विचाराधीन है। एसएलपी का निर्णय होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

टोंक के ग्रामों में आर.ओ. प्लान्ट्स की स्थापना

508. श्री अजीत सिंह (टोंक): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अजीत सिंह)

(1) विधान सभा क्षेत्र टोंक के कौन-कौनसे ग्रामों एवं कस्बों में फ्लोराइड और सेलीनिटी के कारण पेयजल गुणवत्ता की समस्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा पेयजल गुणवत्ता की समस्या के कारण कितने ग्रामों में आर.ओ. प्लान्ट्स की स्थापना की गई तथा प्रत्येक आर.ओ. प्लान्ट्स पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र टोंक के कई ग्रामों में पेयजल गुणवत्ता की समस्या होने के उपरान्त भी आर.ओ. प्लान्ट्स की स्थापना नहीं किये जाने के क्या कारण रहे? सरकार द्वारा अब कब तक ऐसे ग्रामों में आर.ओ. प्लान्ट्स की स्थापना कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार के समेकित सूचना प्रबन्धन तंत्र (आई.एम.आई.एस.) की दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार विधान सभा क्षेत्र टोंक के 42 ग्रामों के स्थानीय जल स्रोतों में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है। इन 42 ग्रामों में से 2 ग्रामों को बीसलपुर परियोजना से तथा 23 ग्रामों को दूरस्थ जल स्रोत लेकर क्षेत्रीय जल योजनाओं से निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित शेष 17 ग्रामों में सही पेयजल गुणवत्ता के पर्याप्त रूप से स्थापित एवं क्रियाशील हैण्डपम्पों से पेयजल उपलब्ध हो रहा है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। इस विधान सभा क्षेत्र सहित सम्पूर्ण टोंक जिले में सेलेनिटी से प्रभावित कोई ग्राम नहीं है।

उक्त क्षेत्र के कस्बा टोंक में मोलाईपुरा में निर्मित 16 भू-जल स्रोतों (9 खुले कुएं एवं 7 नलकूप) से पूर्व से तथा सतही जल स्रोत बीसलपुर बांध से माह मई, 2010 से निर्धारित पेयजल गुणवत्ता अनुरूप स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोंक के ग्रामों में उपरोक्तानुसार वर्तमान में निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप पेयजल उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ बीसलपुर बांध से स्वीकृत योजनाओं से ग्रामों को लाभान्वित करने का कार्य प्रगतिरत होने के कारण, इस क्षेत्र में आर.ओ. संयंत्रों का निर्माण प्रस्तावित नहीं है एवं ना ही कोई राशि व्यय की गई है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) स्थानीय भू-जल में फ्लोराइड 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक, टी.डी.एस. 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक एवं नाइट्रेट 45 ग्राम प्रति लीटर से अधिक होने पर आर.ओ. संयंत्र के निर्माण करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में वृहत् पेयजल परियोजनाओं से ग्रामों को आगामी एक वर्ष में लाभान्वित करना प्रस्तावित है, ऐसे ग्रामों में इन संयंत्रों का निर्माण नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है।

विधान सभा क्षेत्र टोंक की तहसील टोडारायसिंह के समस्त 59 ग्रामों को बीसलपुर-दूदू पेयजल परियोजना के प्रथम चरण से वर्ष 2014 तक लाभान्वित किया जा चुका है। तहसील टोंक के 124 ग्रामों में से 106 ग्रामों को बीसलपुर-देवली-उनियारा-टोंक पेयजल परियोजना से दिनांक 31.08.2017 तक तथा शेष अन्य 18 ग्रामों को बीसलपुर-टोंक-निवाई पेयजल परियोजना से दिनांक 31.12.2016 तक लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र, टोंक के ग्रामों में उपरोक्तानुसार वर्तमान में निर्धारित गुणवता अनुरूप पेयजल उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ बीसलपुर बांध से स्वीकृत योजनाओं से ग्रामों को लाभान्वित करने का कार्य प्रगतिरत होने के कारण इस क्षेत्र में आर.ओ. संयंत्र का निर्माण प्रस्तावित नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को दिये जाने वाला रोजगारपरक प्रशिक्षण

509. श्री श्रीराम भींचर (मकराना): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त विकास निगम नागौर द्वारा अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिलाया जाता है? यदि हां, तो गत पांच वर्षो में कितने छात्र-छात्राओं को किस-किस कार्य का प्रशिक्षण दिलाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नागौर जिले में गत पांच वर्षो मे किन-किन संस्था/कम्पनी/फर्म को प्रशिक्षण का कार्य दिया गया? उनके अनुबंध पत्र व शर्तो की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री श्रीराम भींचर)

(3) उक्त जिले में उक्त संस्था/फर्म/कम्पनी की किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब जांच की गई व जांच में क्या-क्या अनियमितताएं पाई गईं? जांच रिपोर्ट की प्रति एवं की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले में किस संस्था/कम्पनी/फर्म को कितना-कितना भुगतान कब-कब किया गया एवं कितना भुगतान किया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नागौर जिलें में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को विगत पांच वर्षों में निम्नानुसार रोजगार परक प्रशिक्षण दिलाया गया है:

वर्ष	प्रशिक्षणार्थी
2011-12	938
2012-13	341
2013-14	-
2014-15	17
2015-16	52

ट्रेड वाइज प्रशिक्षणार्थियों की सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) नागौर जिलें में विगत पांच वर्षों में प्रशिक्षण हेतु जिन संस्थाओं कम्पनी/फर्म को कार्यादेश दिये गये उनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। सस्थाओं के साथ किये गये अनुबन्ध पत्र व शर्तों की प्रति पृष्ठ संख्या 1 से 27 पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2012-13 में हार्डिकोन लि. दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किये गये थे, जिनके निरीक्षण/जांच श्री सुवालाल परियोजना प्रबन्धक, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास सहकारी निगम लि. नागौर द्वारा की गई व प्रशिक्षण कार्य संतोषजनक पाये गये। निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां पृष्ठ संख्या 28 से 42 पर संलग्न है।

(4) प्रशिक्षण कार्य सम्पादित करने वाले संस्था/कम्पनी/फर्म को भुगतान राशि व बकाया राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में संचालित राशन की दुकानें

510. **श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर जिले में वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कितनी राशन की दुकानें हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में वर्तमान में कितनी राशन की दुकानें कहां-कहां स्थित हैं तथा उक्त दुकानों पर आमजन को क्या-क्या वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं एवं प्रत्येक दुकान पर कितने राशन-कार्डधारी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत, गाला बेरी में राशन की कितनी दुकानें हैं एवं कितने राशन-कार्ड पंजीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, गाला बेरी के राजस्व गांव सुखसागर के निवासियों को राशन हेतु 4-5 किमी. पैदल जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में राजस्व गांव सुखसागर में राशन की दुकान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) राशन की दुकानें खोलने हेतु क्या-क्या नियम एवं प्रक्रियाएं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 1052 राशन की दुकानें हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र बाडमेर में वर्तमान में 191 राशन की दुकानें हैं, जिनका विवरण तथा दुकानवार राशनकार्डों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। उक्त दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं, चीनी एवं नीला केरोसीन राशनकार्डधारियों को वितरित किया जाता है तथा उपभोक्ताओं की मांग के आधार पर नॉन पीडीएस सामग्री यथा नमक, चाय, मिर्च, हल्दी, धनिया आदि उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(3) ग्राम पंचायत गालाबेरी नवसृजित ग्राम पंचायत है। उक्त ग्राम की मूल पंचायत शिवकर थी। नवसृजित ग्राम पंचायत गालाबेरी में एक उचित मूल्य की दुकान स्थित है, जिस पर 460 राशनकार्ड पंजीकृत हैं।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(4) ग्राम सुखसागर के उपभोक्ता ढाणियों में निवास करते हैं, जिनकी ग्राम गालाबेरी से अधिकतम दूरी 2 कि.मी. है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 17.03.2016 को जारी नवीन दिशा-निर्देशों के तहत ग्राम सुखसागर में नई उचित मूल्य दुकान खोलना निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने से सम्भव नहीं है।

(5) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकान आबंटन के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश दिनांक 17.03.2016 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीम की ग्राम सेवा सहकारी समितियों से वंचित ग्राम पंचायतें

511. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समितियां कहां-कहां कार्यरत हैं?

(2) क्या यह सही है उक्त विधान सभा क्षेत्र की अनेक ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं खोली गयी हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में किसानों की मांग को देखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में वर्तमान में कार्यरत ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। विधानसभा क्षेत्र भीम की ग्राम पंचायतें जहां ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं है, की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर

(सहकारिता राज्य मंत्री)

तथा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम झिंझारी कंटालिया (पाली) में अवैध खनन पर रोक लगाने की कार्यवाही

512. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सरहद मौजा ग्राम झिंझारी पटवार क्षेत्र कंटालिया चक नं. 2 खसरा नं 2826 (गौचर भूमि) पर स्टोन माइन्स एम.एल. नं. 190/7 व 191/7 कुल 2 हैक्टेयर आबंटित की गई थी? यदि हां, तो आबंटन की गई खानों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त लीज 2 हैक्टेयर के लिये आबंटित हुई थी लेकिन वर्तमान में उससे अधिक क्षेत्र में खनन कार्य चल रहा है? यदि हां, तो अवैध खनन के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त खनन से निकली हुई स्लेरी (खनन वेस्ट) पास बह रहे नाले में डाल दिये जाने से नाला अवरूद्ध हो गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा लीजधारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उपरोक्त लीज एम.एल. नं. 190/7 व 191/7 रावली टाडगढ़ अभयारण्य की सीमा से माइनिंग लीज बेहद नजदीक होने के कारण वन्यजीव मण्डल राजसमन्द तथा वन विभाग पाली द्वारा लीज बाबत् अनापत्ति प्रमाण-पत्र (दोनों द्वारा) जारी किये गये थे? यदि हां, तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि उपरोक्त लीज एम.एल. नं. 190/7 व 191/7 वन्यजीव अभयारण्य तथा जोधपुर से भीम मार्ग के बिल्कुल नजदीक होने के कारण क्रेशर यूनिट से होने वाली ध्वनि तथा ब्लास्टिंग करने से उछलने वाले पत्थरों से वन्य जीवों के लिये हानिकारक होने के साथ ही उनकी मृत्यु होने की सम्भावना बनी रहती है?

(श्री केसाराम चौधरी)

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त लीज क्षेत्र से लगी हुई पट्‌टाशुदा जमीनें भी हैं, जहां लोग निवास कर रहे हैं? इन निवासियों की जानमाल की हानि होने की निरन्तर संभावना बनी रहती है? क्या सरकार वन्य जीवों तथा स्थानीय निवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उक्त लीजों को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम झिंझारडी पटवार क्षेत्र कण्टालिया चक नं. 2 खसरा नं. 2826 (गौचर भूमि) पर मैसनरी स्टोन के 2 खनन पट्‌टे एम.एल. 190/07 व 191/07 (प्रत्येक 1 हैक्टर क्षेत्रफल) कुल 2 हैक्टर जिला कलक्टर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवंटित किए गए। आबंटित खनन पट्‌टों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त लीजों में से लीज संख्या 190/07 के बाहर अतिरिक्त क्षेत्र में खनन कार्य चालू पाए जाने पर सहायक अभियंता (सतर्कता) सोजत सिटी की रिपोर्ट दिनांक 01.02.2016 के आधार पर पटटाधारी को 15 दिवसीय नोटिस खनि अभियंता सोजत सिटी द्वारा पत्र दिनांक 23.02.2016 से जारी किया गया एवं समयावधि में कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर दोषी खनन पटटाधारी के विरुद्ध नियम 48(5) के तहत खनिज की कीमत रु. 18,11,250/- की मांग कायम करने का आदेश दिनांक 01.04.2016 को जारी कर दिया गया है।

(3) खनन पट्‌टा एमएल 190/07 से लगभग 40 मीटर की दूरी पर एक बरसाती नाला गुजरता है, जो कि खनन वेस्ट डाले जाने के कारण आंशिक रूप से अवरुद्ध हुआ है। पट्‌टाधारी द्वारा नियम विरुद्ध मलबा डालने के दोष पर खनि अभियंता सोजतसिटी द्वारा चेतना पत्र दिनांक 15.03.2016 को जारी किया गया जिस पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(4) उपवन संरक्षक, पाली से क्षेत्र वन रहित होने की पुष्टि पत्र दिनांक 04.10.2007 से प्राप्त कर दोनों खनन पट्‌टे स्वीकृत किये गये हैं। उपवन संरक्षक, पाली के पत्रों की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। प्रस्तावित रावली टाडगढ अभयारण्य एवं ईको सेन्सेटिव जोन का प्रारम्भिक नोटिफिकेशन दिनांक 17.09.2015 को हुआ है। अंतिम नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। उक्त खनन पटटे नोटिफिकेशन दिनांक 17.09.2015 से पूर्व स्वीकृत होकर दिनांक

(खान राज्य मंत्री)

31.07.2008 से धारित है। इसलिये उस समय वन्यजीव मण्डल, राजसमन्द की अनापत्ति लेना आवश्यक नहीं थी।

(5) एम.एल. 190/07 व 191/07 वन्य जीव अभयारण्य के बिल्कुल नजदीक नहीं होकर 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। प्रस्तावित रावली टाडगढ़ अभयारण्य एवं ईको सेन्सेटिव जोन का प्रारम्भिक नोटिफिकेशन दिनांक 17.09.2015 को हुआ है। उक्त खनन पट्टे नोटिफिकेशन से पूर्व से स्वीकृत एवं धारित हैं। क्रेशर से ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा की जाती है तथा खनन पट्टे में असुरक्षित रूप से ब्लास्टिंग किए जाने की शिकायत मिलने पर खनन पट्टेधारी के विरुद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान में खनन पट्टों में खनन कार्य संचालन सहमति का नवीनीकरण प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से नहीं होने के कारण खनि अभियन्ता द्वारा दिनांक 02.02.2016 से खनन पट्टों में खनन कार्य बन्द करा रखा है।

(6) उक्त खनन पट्टा क्षेत्र से लगी हुई पट्टाशुदा जमीनें एवं वन्य जीवों तथा स्थानीय निवासियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 15.03.16 को क्षेत्र का मौका निरीक्षण खनिज विभाग व राजस्व विभाग के हल्का पटवारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार आबादी लगभग 1.5 कि.मी. दूरी पर स्थित है। खनन पट्टा क्षेत्र के पास में कृषि भूमि है। जहां निकट ही एक मकान बना हुआ है व एक अन्य मकान लीज क्षेत्र से लगभग 350 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त आस-पास कोई आबादी क्षेत्र नहीं होने के कारण लीज क्षेत्र में सुरक्षा मापदण्डों के अनुसार ब्लास्टिंग किए जाने पर उछलने वाले पत्थरों से आस-पास आबादी क्षेत्र में पत्थर आने की संभावना नहीं है। पट्टेधारी द्वारा खनन पट्टों की संविदा की शर्तों व नियमों के उल्लंघन के तहत जारी चेतना पत्र दिनांक 15.03.2016 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा जिले में रोजगार शिविरों का आयोजन

513. **श्री विद्याशंकर नन्दवाना** (पीपल्दा): क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा जिले में गत पांच वर्षों में कितने रोजगार शिविरों का आयोजन किया गया है?

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

(2) उक्त शिविरों में कितने युवकों द्वारा रोजगार हेतु रजिस्ट्रेशन करवाया गया है तथा कितने युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रोजगार से वंचित युवकों को रोजगार से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) कोटा जिले में 01-04-2011 से 28-2-2016 तक गत पांच वर्षों में 13 रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन किया गया है।

(2) वर्तमान में रोजगार विभाग द्वारा बेरोजगार युवकों का आनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रोजगार सहायता शिविरों में बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जाते हैं। उक्त 13 रोजगार सहायता शिविरों में 38500 बेरोजगार आशार्थी उपस्थित हुये। इन आशार्थियों में से 6139 बेरोजगार आशार्थियों को 96 निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये गये। विवरण परिशिष्ट क पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। सरकार द्वारा रोजगार से वंचित युवकों को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रदत कौशल प्रशिक्षण, आई टी आई में उद्योग आधारित प्रशिक्षण, आर्मी भर्ती रैली एवं रोजगार सहायता शिविरों के माध्यम से रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा जिले के प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़े गये गांव

514. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में कितनी जनसंख्या वाले गांवों को डामर सड़क से जोड़ने के मानदंड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दौसा जिले के किस-किस विधान सभा क्षेत्र में गत 2 वर्षों में कितने गांवों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनातर्गत सड़कें बनायी गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अलका सिंह)

(3) क्या यह सही है कि दौसा जिले के कुछ विधान सभा क्षेत्रों में उक्त योजनान्तर्गत सड़कें नहीं बनायी गई हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की दिशा निर्देशानुसार जनगणना वर्ष 2001 के आधार पर सामान्य क्षेत्र में 500 व उससे अधिक तथा मरु व जनजाति क्षेत्र में 250 व उससे अधिक आबादी की बसावटों को डामर सड़क से जोड़ने का प्रावधान है एवं समूह में 500 मीटर परिधि में आने वाली बसावटों को उपरोक्त आबादी के अनुसार डामर सड़क से जोड़े जाने का प्रावधान है।

(2) दौसा जिले की पांचों विधान सभा क्षेत्रों में 2013-14 में 71 सड़कें तथा 2014-15 में 45 सड़कों का निर्माण कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत करवाया गया है, विधानसभावार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पिछले 2 वर्षों में दौसा जिले की सभी पांचों विधान सभा क्षेत्रों में पात्रता रखने वाली सभी बसावटों को डामर सड़क से जोड़ दिया गया/जोड़ा जाना प्रक्रियाधीन है। विधानसभावार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पुनः सोलर लाइट लगाने की योजना

515. **श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों में सौर उर्जा की रोड लाइट लगाने पर रोक लगी हुई है? यदि हां, तो कब से व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायतों में आय के स्रोत सीमित होने के कारण बिजली की रोड लाइट लगाया जाना यम्भव नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः उक्त सोलर लाइटें लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ग्राम पंचायतों में प्रमाणित कम्पनी की सोलर रोड

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

लाइट लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रदेश में ग्राम पंचायतों में सोलर रोड लाइट लगाने हेतु कोई विशेष मद अथवा विधायक कोष से उक्त लाइटें लगाने की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइटों की स्थापना सही तरीके से नही होने तथा इनके अनुरक्षण/संधारण की कोई नियमित व्यवस्था नहीं होने के कारण विभागीय आदेश क्रमांक 2887 दिनांक 17.06.2014 द्वारा ग्राम पंचायतों में सौर ऊर्जा की रोड लाइट लगाने हेतु रोक लगाई गई थी। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुऐ विभागीय आदेश क्रमांक 1605 दिनांक 31.08.2015 द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विभाग एवं पंचायती राज विभाग की जिन योजनाओं में सोलर लाइटों की स्थापना किया जाना अनुमत है, उनमें सोलर लाइटों की स्थापना की शिथिलता प्रदान की गई है। आदेश की प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

(4) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं (कोई विशेष मद अथवा विधायक कोष) से ग्राम पंचायतों में सोलर लाइटें लगाने की स्वीकृति प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बानसूर के ग्रामों/ढाणियों में पेयजल की समस्या का समाधान

516. **श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर के कई गांव व ढाणियों में भू-जल स्तर काफी ज्यादा नीचे चला गया है? हां, तो क्या सरकार द्वारा ऐसे गांवों

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

व ढाणियों का कोई सर्वे कराया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ऐसे गांवों एवं ढाणियों को अभावग्रस्त घोषित कर तथा विशेष दर्जा देकर पेयजल का कोई स्थाई समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जल स्रोत से सम्पन्न ग्राम बानसूर, रामपुर, नारायणपुर, बामनवास, काकंड व हरसोरा आदि से उक्त विधान सभा क्षेत्र के अभावग्रस्त गांवों व ढाणियों में राइजिनिंग पाइप लाइन डालकर पेयजल सप्लाई करने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भू-जल विभाग द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार अलवर जिले में वर्ष 2010 के प्री-मानसून सर्वेक्षण में औसत जल स्तर 25.12 मीटर एवं वर्ष 2015 के प्री-मानसून सर्वेक्षण में औसत जल स्तर 27.06 मीटर पाया गया है। भू-जल विभाग द्वारा वर्ष में दो बार मानसून पूर्व व मानसून पश्चात् भू-जल सर्वेक्षण किया जाता है। अलवर जिले की पंचायत समितिवार भू-जल स्तर की स्थिति की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बानसूर में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल 176 ग्रामों में विभिन्न जल योजनाओं से की जा रही पेयजल आपूर्ति सुचारु एवं संतोषप्रद है।

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार इस विधान सभा क्षेत्र के किसी भी ग्राम को ग्रीष्म 2016 के संदर्भ में अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बानसूर के वर्णित 5 ग्रामों में उपलब्ध भू-जल की मात्रा इन ग्रामों की पृथक-पृथक पेयजल आपूर्ति हेतु ही पर्याप्त है एवं इन ग्रामों से अन्य ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना समभव नहीं है।

उक्त क्षेत्र में पेयजल की कमी वाले 5 ग्रामों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु नवीन नलकूप एवं इनसे सम्बन्धित पाइप लाइनों का प्रावधान

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

लेते हुए राशि रुपये 77.89 लाख की स्वीकृत योजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं तथा ये योजनाएं माह अप्रैल, 2016 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित हैं।

इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र के 10 ग्रामों में सौर ऊर्जा आधारित 10 सिंगल फेस नलकूप राशि रुपये 95.40 लाख, 3 ग्रामों की जनता जल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु राशि रुपये 37.09 लाख एवं 4 ग्रामों हेतु संवर्धन योजनाएं राशि रुपये 67.59 लाख की स्वीकृति जारी की जाकर इनके कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं।

क्षेत्र की पंचायत समिति, थानागाजी के 3 ग्रामों हेतु बनाये गये प्रस्ताव सक्षम स्तर पर स्वीकृति पूर्व तकनीकी परीक्षण में विचाराधीन हैं। उक्तानुसार स्वीकृत एवं प्रस्तावित योजनाओं के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों की बकाया छात्रवृत्ति

517. **डा. फूल चन्द भिण्डा** (विराटनगर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक के बैच के अन्य पिछड़ा वर्ग के बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की राशि स्वीकृति के बाद भी बकाया है? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा?

(2) क्या निम्स यूनिवर्सिटी से बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षणार्थी रवि शंकर पलसानियां पुत्र रामजीलाल पलसानिया की अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति वर्ष 2014-15 में स्वीकृति की गयी थी?

(3) सरकार द्वारा उक्त छात्रवृत्ति का भुगतान किस तिथि को किया गया तथा विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सिमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर छात्रवृत्ति स्वीकृत कर भुगतान किया जाता है। सीमित वित्तीय

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

संसाधनों के दृष्टिगत अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में ही स्वीकृत कर भुगतान किया जाता है, अगले वित्तीय वर्ष में गत वर्षो के लम्बित आवेदन पत्रों को स्वीकृत नहीं किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में स्वीकृत छात्रवृत्ति का भुगतान बकाया नहीं है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2015-16 में छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथी 20 अप्रैल 2016 है।

(2) जी हां। निम्स यूनिवर्सिटी के श्री रविशंकर पलसानिया पुत्र श्री रामजीलाल पलसानिया ने वर्ष 2014-15 में बीएससी नर्सिंग का छात्र था जबकि श्री रविशंकर द्वारा छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन पोस्ट बीएससी नर्सिंग में आई डी संख्या 1114024 के द्वारा किया गया जो पोर्टल पर फिस कैपिग के अनुसार सही नही था फिर विद्यार्थी द्वारा दूसरी आई डी संख्या 1496039 बनाकर बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष में कालेज को आवेदन किया गया। जिसे द्वारा दिनांक 31.03.2015 को लाक प्रोजल में डाला गया जिसकों स्वीकृर्त्ता अधिकारी द्वारा दिनांक 21.04.2015 को स्वीकृत किया गया लेकिन सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत बिल पास नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान नही किया जा सका।

(3) विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समिति वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर छात्रवृत्ति स्वीकृत कर भुगतान किया जाता है। सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत संबन्धित वित्तीय वर्ष में ही स्वीकृत कर भुगतान किया जाता है, अगले वित्तीय वर्ष में गत वर्षो के लम्बित आवेदन पत्रों को स्वीकृत नहीं किया जाता है।

फुलेरा में नवीन गैस एजेन्सी खोलने की योजना

518. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में कौन-कौन सी गैस एजेन्सी कहां-कहां पर कब से संचालित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के किन-किन कस्बों में नई गैस एजेंसी खोलने हेतु जनवरी, 2010 से अब तक विभिन्न कम्पनियों द्वारा कब-कब आवेदन मांगे गये और उनमें से किन-किन को एजेंसी का कब आबंटन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में पर्याप्त गैस एजेंसी नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं को नागौर जिले की गैस एजेंसियों से कनेक्शन लेना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न कस्बों में नवीन गैस एजेंसी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर और कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में 06 गैस एजेन्सी संचालित हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	एजेन्सी/कम्पनी का नाम	स्थान	शुरू होने की दिनांक
1.	पश्चिम रेलवे कर्मचारी को-आपरेटिव कम्पनी (परियोजना) आई.ओ.सी.एल.	फुलेरा	24.02.1999
2.	बधाल इण्डेन ग्रामीण वितरक आई.ओ.सी.एल.	बधाल	19.12.2011
3.	मैसर्स अन्नपूर्णा गैस सर्विस बी.पी.सी.एल.	नारयाना	22.07.2004
4.	मैसर्स शहीद आनन्द गैस एजेन्सी एच.पी.सी.एल.	सांभर	30.03.2001
5.	मैसर्स बजरंगबली एचपी गैस ग्रामीण वितरक एच.पी.सी.एल.	मंडाभीम	21.09.2013
6.	मैसर्स आशुतोष एचपी गैस ग्रामीण वितरक, एच.पी.सी.एल.	कचरोडा	31.03.2014

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि. द्वारा गैस एजेन्सी के लिए विज्ञापन मार्केटिंग प्लान 1996-98 के अन्तर्गत दिनांक 21.09.2013 को दिया गया। इसका ड्रा दिनांक 21.02.2014 को हुआ। चयनित उम्मीदवार की एफ.वी.सी. होने पर उसे रिजेक्ट किया गया।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में पर्याप्त घरेलू गैस एजेन्सी (डिस्ट्रीब्यूटरशिप) उपलब्ध है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

भारत सरकार के पत्र दिनांक 04.12.2015 के क्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा पत्र दिनांक 09.02.2016 के माध्यम से समस्त जिला कलक्टर/जिला रसद अधिकारियों को सम्बन्धित माननीय सांसद, माननीय विधायक तथा जिला परिषद के प्रधानों से विचार-विमर्श कर नई संभावित गैस एजेन्सियों के लिए समेकित प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया है। हालांकि पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई गैस एजेन्सी के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करने पर फिलहाल रोक लगा रखी है। उक्त दोनों पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

क्रय-विक्रय सहकारी समिति कोटा को चावल मिल हेतु आबंटित भूखण्ड

519. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति कोटा को चावल मिल संचालित करने हेतु रीको द्वारा रियायती दर पर भूखण्ड का आबंटन किया गया था? यदि हां, तो कब एवं कितना स्क्वायर मीटर? पूर्ण दस्तावेजों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा रियायती दर पर आबंटित भूखण्ड एवं गोदाम को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किसी अन्य संस्थान को अनुबंध पर दिया गया है? यदि हां, तो कब से एवं किन-किन शर्तों पर तथा कितने समय के लिए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति कोटा को रीको द्वारा रियायती दर पर आबंटित भूखण्ड का भू-उपयोग परिवर्तन कराये बिना व्यावसायिक उपयोग में लिया जा सकता है? यदि नहीं, तो क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा किन आदेशों के तहत मैरिज हाल संचालन हेतु किराये पर दिया गया? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। परन्तु क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. कोटा को राइस

(सहकारिता राज्य मंत्री)

मिल संचालित करने हेतु रीको द्वारा दिनांक 3.10.70 को निर्धारित दरों पर 8000 स्क्वायर मीटर का भूखण्ड आबंटित किया गया था। आबंटन पत्र की प्रति परिशिष्ट '1' पर उपलब्ध है।

(2) समिति द्वारा समिति के सदस्यों/नॉमिनल सदस्यों को शादी, विवाह, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुबंध पर अप्रैल 2015 से मार्च 2018 तक की अवधि के लिए मैसर्स पूनम टैन्ट एण्ड लाइट हाउस को स्थान उपलब्ध कराया गया है। अनुबंध की शर्तें परिशिष्ट '2' पर उपलब्ध हैं।

(3) समिति द्वारा प्रशासकीय प्रस्ताव लेकर रीको द्वारा आबंटित भूखण्ड को अनुबंध पर दिया गया है तथा समिति द्वारा उक्त कार्य हेतु उपयोग परिवर्तन के लिए दिनांक 31.7.15 को रीको को पत्र लिखा गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डूंगरपुर की वन भूमि में बरसात के पानी को रोकने की योजना

520. **श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) डूंगरपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में कितना वन क्षेत्र है तथा उक्त वन क्षेत्र का बरसात का पानी बहकर कहां जाता है?

(2) क्या सरकार ने वन भूमि में बरसात के पानी को रोकने के लिए तथा बरसात के पानी से भूमि को रिचार्ज करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में 26905.256 हैक्टेयर वन क्षेत्र है जिसमें से रतनपुर, चुण्डावाडा, माकेरडा, रातापानी रानीझुला वनखण्डों के 12907 हैक्टेयर क्षेत्र का बरसाती पानी राज्य के सीमावर्ती राज्य गुजरात में बहकर जाता है।

(2) डूंगरपुर वन मण्डल में सरकार द्वारा वन भूमि पर, राज्य योजना, कैम्पा तथा आर.एफ.बी.पी. फैज-2 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन

(वन राज्य मंत्री)

योजनाओं में पानी को रोकने एवं भूजल को रीचार्ज करने हेतु वृक्षारोपण के साथ-साथ कन्टूर ट्रेचें, चेकडेम, गेबीयन स्ट्रक्चर्स, अर्दन बण्ड, पक्के एनीकट निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं।

चूरू जिले में श्रम कल्याण अधिकारी के पद को भरने की योजना

521. श्री मनोज कुमार (सादुलशहर): क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चूरू में कुल कितने पद स्वीकृत हैं व उनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या चूरू में श्रम कल्याण अधिकारी एवं निरीक्षक का पद रिक्त है? यदि हां, तो कब से? क्या सरकार उक्त रिक्त पद को भरने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त कार्यालय में श्रम कल्याण अधिकारी का पद रिक्त रहने से कार्यों का निस्तारण नहीं हो रहा है? क्या सरकार विशेष कैम्प अभियान चलाकर उक्त लम्बित कार्यों का निस्तारण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय चूरू में निम्न प्रकार से पद स्वीकृत व रिक्त हैं:-

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद एवं दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्रम कल्याण अधिकारी	1	रिक्त 1 18.6.15	पद का अतिरिक्त कार्यभार श्री पी.पी. शर्मा, संयुक्त श्रम आयुक्त, बीकानेर को दिया हुआ है।
2.	श्रम निरीक्षक	1	रिक्त 1 17.6.15	पद का अतिरिक्त चार्ज श्रम निरीक्षक, बीकानेर को आदेश सं. 9861-9900 दि. 30.6.15 दिया गया है।
3.	लिपिक	2	रिक्त 1 22.1.16	पदों का पुनः आबंटन आदेश सं.-1670-1738 दिनांक 22.1.16 के द्वारा किया गया।
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	-	पद भरा हुआ है।

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

(2) जी हां। श्रम कल्याण अधिकारी, चूरू में श्रम कल्याण अधिकारी का पद 18.6.15 से तथा श्रम निरीक्षक का पद दिनांक 17.6.15 से रिक्त है। राज. लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में श्रम कल्याण अधिकारी के 16 पदों तथा श्रम निरीक्षकों के 151 पदों की रिक्तियां दिनांक 30.8.13 को प्रकाशित की गई थी तथा मुख्य परीक्षा 2016 में आयोजित होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध कराए जाने पर रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जाना सम्भव होगा।

(3) कार्यालय में श्रम कल्याण अधिकारी का पद रहने से फाइलों व कार्यों का निस्तारण कभी नहीं रूका है। इस पद का अतिरिक्त कार्यभार अन्य जिलों के अधिकारियों को दिया जाता रहा है जिनके द्वारा यथा सम्भव समय पर कार्यों का निस्तारण किया गया है। वर्तमान में लम्बित प्रकरणों को विशेष प्रयास कर शीघ्र निस्तारित किया जायेगा। लम्बित कार्यों व पत्रावलियों का विवरण निम्न है :-

1. उपादान भुगतान अधिनियम - 8
2. वेतन भुगतान अधिनियम - 151
3. राज. दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम - 2
4. कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम—54
5. न्यूनतम वेतन अधिनियम - 17
6. औद्योगिक विवाद अधिनियम (शिकायत) - 83
7. औद्योगिक विवाद अधिनियम (विवाद) - 20

भवन एवं अन्य संनिर्माण अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित आवेदन

8. विवाह सहायता आवेदन - 137
9. शिक्षा सहायता आवेदन - 1057
10. दुर्घटना/साधारण मृत्यु व घायल - 28
11. शुभ शक्ति योजना - 41
12. प्रसूति सहायता योजना - 21
13. गम्भीर बीमारी सहायता - 6

अतारांकित प्रश्नोतर

मारवाड़ जंक्शन कस्बे में निर्माण कार्यों के प्रस्ताव

674. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

मारवाड़ जंक्शन कस्बे में सहायक अभियन्ता द्वारा गत 5 वर्षो में निर्माण कार्यों के कितने प्रस्ताव विभिन्न योजनाओं के तहत डी.आर.डी.ए. पाली को प्रेषित किये गये तथा कितने प्रस्तावों की क्रियान्विति हुई शेष रहे प्रस्तावों की क्रियान्विति नहीं होने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

मारवाड़ जंक्शन कस्बे में सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विगत 5 वर्षो में निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न योजनाओं में जिला परिषद (DRDA) पाली को कुल 3 कार्यों के प्रस्ताव प्रेषित किये गये तथा इन 3 कार्यों की वितीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है जिनमें से 2 कार्यों की क्रियान्विति होकर कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं तथा 1 कार्य की क्रियान्विति होना शेष है। क्योंकि इस कार्य की स्वीकृति फरवरी, 2016 में ही प्राप्त हुई है। वर्तमान में कोई भी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़ी के नीमखेड़ा से पिदावली तक पक्की सड़क का निर्माण

675. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की पंचायत समिति बाड़ी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय नीमखेड़ा से पंचायत मुख्यालय पिदावली तक (लगभग 2 किमी) पक्की सड़क नहीं है? क्या सरकार उपरोक्त मार्ग पर पक्की सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। ग्राम पंचायत मुख्यालय नीमखेड़ा एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पिदावली दोनों को आपस में जोड़ने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है। परन्तु

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

दोनों ही गांवों का जुड़ाव डामर सड़कों से है, जिनके माध्यम से इनके बीच आवगमन रहता है। उक्त सीधी सड़क का निर्माण सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

ग्रामीण गौरव पथ योजना में ग्राम पंचायतों को सड़कों से जोड़ने की योजना

676. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्रामीण गौरव पथ (सी.सी. रोड) योजना के तहत सभी विधान सभा क्षेत्रों की हर ग्राम पंचायतों में सड़कें बनाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त योजना में सड़क बनाने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं?

(3) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की सभी पंचायतों को उक्त योजना से कब तक जोड़ दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में ग्रामीण गौरव पथ/मिसिंग लिंक बनाने का विचार रखती है। प्रथम चरण में कुल ग्राम पंचायतों में से 3164 ग्राम पंचायतों में स्वीकृति जारी की गई, जिनमें से दो तिहाई ग्रामीण गौरव पथ व एक तिहाई मिसिंग लिंक का निर्माण किया जा रहा है एवं बजट घोषणा 2016-17 के अनुसार द्वितीय चरण में 2000 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ/मिसिंग लिंक की स्वीकृतियां जारी की जाएंगी। शेष ग्राम पंचायतों में भी आवश्यकतानुसार ग्रामीण गौरव पथ/मिसिंग लिंक का निर्माण किया जायेगा, जो सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(2) ग्रामीण गौरव पथ योजना में सड़क बनाने के मापदण्ड परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत हैं।

(3) ग्रामीण गौरव पथ की सभी पंचायतों को उक्त योजना के अन्तर्गत तीन चरणों में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। जिसके तहत प्रथम चरण की स्वीकृतियां जारी कर अधिकांश कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं बजट घोषणा 2016-17 के अनुसार द्वितीय चरण में 2000 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ/मिसिंग लिंक की स्वीकृतियां जारी की जायेंगी। शेष ग्राम पंचायतों में

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विद्यालयों में क्षमता से अधिक बच्चे ले जाने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही

677. **श्री रमेश** (सपोटरा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बच्चों को विद्यालय ले जाने और वापस लाने वाले आटो, बस व वैन आदि में क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाया जाता है? यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या सरकार की कार्यवाही के पश्चात् क्षमता से अधिक बच्चों को लाने व ले जाने पर रोक लगी है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता के कारण ओवरलोड स्कूली वाहनों पर रोक नहीं लगी है?

(4) क्या सरकार ओवरलोड स्कूली वाहनों के सम्बन्ध में वाहन चालक एवं मालिक के साथ-साथ विद्यालयों की भी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार बार-बार पकड़े जाने वाले वाहन चालकों की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त समस्या के निदान हेतु कोई कारगर उपाय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में क्षमता से अधिक बच्चों को विद्यालय ले जाने और वापस लाने वाले आटो, बस, वेन आदि वाहनों की नियमित रूप से जांच की जाती है। वर्ष 2015-16 में माह अप्रैल 2015 से फरवरी-2016 तक ऐसे कुल 988 वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

(परिवहन मंत्री)

(2) जी हां। नियमित प्रवर्तन कार्यवाही से क्षमता से अधिक बच्चों को लाने व ले जाने पर अंकुश लगा है। ऐसे वाहनों के विरुद्ध सतत् रूप से कार्यवाही की जाती है।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(4) जी हां। ओवरलोड स्कूली वाहनों के सम्बन्ध में वाहन चालक एवं मालिक के साथ-साथ सरकार द्वारा विद्यालयों को भी जिम्मेदार बनाया हुआ है।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 21.07.98 जारी किया गया है। प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(5) जी हां। विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 में माह फरवरी-2016 तक बार-बार पकड़े जाने वाले कुल 129 वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निलम्बित किये गये हैं।

(6) जी हां। क्षमता से अधिक बच्चों को विद्यालय ले जाने और वापस लाने वाले आटो, बस, वेन आदि वाहनों की नियमित रूप से जांच द्वारा उक्त समस्या के निदान का प्रयास किया जा रहा है।

वर्ष 2015-16 में माह अप्रैल-2015 से फरवरी-2016 तक ऐसे कुल 988 वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चाकसू के सड़कों से वंचित ग्राम

678. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र चाकसू का कौन-कौन सा ग्राम किस-किस सड़क मार्ग से जुडा हुआ है एवं कौन-कौन सा सड़क मार्ग सुविधा से वंचित है? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में वर्तमान में कौन-कौनसी सम्पर्क सड़कें विचाराधीन हैं एवं कौन-कौनसी सम्पर्क सड़कें निर्माणाधीन हैं? विचाराधीन एवं निर्माणाधीन सड़कों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा निर्माणाधीन सड़कों का कार्य पूर्ण होने की अवधि क्या है व उक्त कार्य अब कब तक पूर्ण करवा लिया जाएगा? सड़कों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चाकसू के कुल 324 गांवों में से 263 गांव डामर सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं एवं डामर सड़क मार्ग सुविधा से वंचित 61 गांव हैं, जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र चाकसू में वर्तमान में 10 सड़कें जिनकी लम्बाई 64.45 किमी. व स्वीकृत राशि रु. 6245.93 लाख की निर्माणाधीन हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) निर्माणाधीन सड़कों का कार्य पूर्ण होने की नियत अवधि एवं सम्भावित तिथि परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नावां की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण

679. श्री विजय सिंह (नावां): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नावां की क्षतिग्रस्त एवं टूटी हुई सड़कों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों की कब तक मरम्मत करवायी जायेगी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पी.पी.पी. मोड पर कौन-कौनसी सड़कों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कुचामन से वाया चिताणा-धारवा-दांतारामगढ़ होकर खाटूश्यामजी तक कोई सड़क बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नावां में टूटी/क्षतिग्रस्त सड़कों की लम्बाई 127.97 किमी. है जिसकी सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। इस लम्बाई में से वर्ष 2015-16 में 26 किमी. सड़कों का नवीनीकरण का कार्य आर.आई.डी.एफ.-21 में स्वीकृत है, जिसकी स्वीकृत राशि रु. 324.00 लाख है। जिसकी सूची परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। वर्तमान में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है एवं 3.40 किमी. सुदृढ़ीकरण का कार्य सी.आर.एफ. योजना में स्वीकृत है, जिसकी स्वीकृत राशि रु. 491.53 लाख है। शेष बची हुई सड़कों का नवीनीकरण राज्य

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र नावां में पी.पी.पी. (एन्यूटी) मोड पर तीन सड़कें कुचामन-चितावा-घाटवा, कुचामन-रेनवान किशनगढ़, खुड-दांतारामगढ़-रेनवाल प्रस्तावित हैं। विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है। उक्त सड़कों का विकास पी.पी.पी. (एन्यूटी) मोड़ पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर किया जाना प्रस्तावित है। जो कि उक्त वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाने ऋण एवं रियायतग्राहियों (कन्सेशनेयर्स) की भागीदारी पर निर्भर करेगा।

(3) कुचामन से वाया चितावा-घाटवा-दांतारामगढ़ होकर खाटूश्यामजी तक सड़क पी.पी.पी. (एन्यूटी) मोड़ पर प्रस्तावित है। उक्त सड़कों का विकास पी.पी.पी. (एन्यूटी) मोड़ पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर किया जाना प्रस्तावित है। जो कि उक्त वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाने ऋण एवं रियायतग्राहियों (कन्सेशनेयर्स) की भागीदारी पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नसीराबाद में बन्द की गयी बस सेवा का पुनः संचालन

680. श्री रामनारायण (नसीराबाद): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम घाटे में चलने के कारण कई ग्रामीण रूट की यात्री बसों को बन्द कर दिया गया है, जिससे निगम का घाटा और बढ़ गया है? यदि हां, तो उक्त बसों को बन्द करने का क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बस सेवाएं पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा एक तरफ तो ग्रामीण जनता के लिए अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने जा रही है और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र में बस सेवाएं बंद की जा रही हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण)

(4) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में ग्रामीण क्षेत्र की कौन-कौनसी बस सेवा का संचालन गत दो वर्षों में किस कारण से बन्द किया गया है? क्या सरकार इन्हें पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 15.00 रुपये आय प्रति कि.मी. से कम आय अर्जित करने वाली सेवाओं का संचालन निगम हित में नहीं होने के कारण एवं निगम के सीमित संसाधनों के कारण बंद किया गया है।

उक्त सेवाओं को बंद करने के बाद निगम का घाटा नहीं बढ़ा है।

(2) जी नहीं। निगम के सीमित संसाधनों के कारण ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बस सेवाएं प्रारम्भ करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(3) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 15 रुपये आय प्रति कि.मी. से कम आय अर्जित करने वाली सेवाओं का संचालन निगम हित में नहीं होने के कारण एवं निगम के सीमित संसाधनों के कारण बंद किया गया है।

इसके अतिरिक्त मांग के अनुसार पर्याप्त यात्रीभार के मार्गों पर निगम द्वारा सेवाएं संचालित की जा रही हैं।

(4) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में ग्रामीण क्षेत्र की विगत दो वर्षों में बंद की गई सेवाओं का कारण सहित विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

निगम के सीमित संसाधनों के कारण बंद की गई इन सेवाओं को पुन: प्रारम्भ करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खानपुर की ग्राम पंचायतों में कराये गये कार्य

681. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र खानपुर की 71 ग्राम पंचायतों में गत 2 वर्षों में किस-किस योजना में क्या-क्या कार्य कराये गये व वर्तमान में कौन से कार्य प्रगति पर हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

खानपुर विधान सभा क्षेत्र की 71 ग्राम पंचायतों में पिछले 2 वर्षो में योजनावार कराये गये कार्यो का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जायल विधान सभा क्षेत्र में मनरेगा योजनान्तर्गत आबंटित राशि

682. **डॉ. मंजू बाघमार** (जायल) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री पयह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में मनरेगा योजना के तहत कितनी राशि आबंटित की गई व कितनी-कितनी राशि का व्यय किन-किन कार्यों पर किया गया? ग्राम पंचायत वार आंवटित राशि एवं व्यय राशि का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

महात्मा गांधी नरेगा योजना मांग आधारित योजना है जिसमें मांग के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। योजनान्तर्गत राशि का आबंटन नहीं किया जाता है अपितु समस्त प्रकार के भुगतान राज्य स्तर पर संधारित बैंक खाते से आनलाइन सीधे ही लाभार्थी के खाते में किया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र जायल में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कार्यों पर क्रमश: 3104.53 लाख एवं 2523.18 लाख रु. का व्यय किया गया है। ग्राम पंचायतवार व्यय का विवरण परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली जिले में जलग्रहण योजनान्तर्गत कराये गये कार्य

683. **श्रीमती राजकुमारी** (हिण्डौन): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला परिषद करौली में जलग्रहण योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कौन-कौन से कार्य किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी राशि के पूर्ण किये गये तथा कौन-कौनसे कार्य शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला परिषद करौली में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)

(पंचायती राज मंत्री)

योजनान्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कराये गये पूर्ण एवं प्रगतिरत (शेष) कार्यों का पंचायत समितिवार, जलग्रहण परियोजनावार, कार्यवार, स्थान/ग्रामवार एवं इन पर की गयी व्यय राशि का राशिवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगंज-शाहबाद में इन्दिरा आवास के लाभार्थी

684. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में कितने परिवार बी.पी.एल. श्रेणी में आते हैं व वर्तमान में इन्हें बी.पी.एल. की क्या-क्या सुविधाएं मिल रही हैं?

(2) उक्त क्षेत्र में कितने परिवारों को इंदिरा आवास आबंटन किये जा चुके हैं व कितने परिवार प्रतीक्षा सूची में हैं? श्रेणीवार व ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में 21577 परिवार बीपीएल श्रेणी में आते हैं। जिनको विभिन्न योजनान्तर्गत आवास, स्वच्छ भारत मिशन, पेंशन, बीमा, चिकित्सा सुविधा एवं खाद्यान आदि की सुविधाएं मिल रहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद की पंचायत समिति किशनगंज में 7385 एवं शाहबाद में 4229 कुल 11614 परिवारों को आवास आबंटित किये जा चुके हैं।

पंचायत समिति किशनगंज के 5658 एवं पंचायत समिति शाहबाद के 1001 परिवार प्रतिक्षा सूची में हैं। सूची परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायतों में आबादी भूमि के पट्टों का नामान्तरण

685. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती संजना आगरी)

(1) ग्राम पंचायतों में आबादी भूमि के पट्टों का नामान्तरण करने की क्या प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों में आबादी भूमि के पट्टों का नामान्तरणकरण करने की प्रक्रिया निर्धारित नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार का नियम बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायतों में आबादी भूमि के पट्टों का नामान्तरण करने की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में सभी पहलुओं का ध्यान रखकर नियम बनाने पर विचार किया जावेगा।

कोटा संभाग के फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या से ग्रस्त गांव

686. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गत 2 वर्षों में कन्टींजेन्सी प्लान के तहत कितने हैण्डपम्प एवं सिंगल फेस बोरवेल लगाए गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार की प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में स्वच्छ एवं जीवाणु रहित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए छोटे फिल्टर प्लान्ट/आर.ओ. प्लान्ट लगाये जाने की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो गत 2 वर्षों में कितने छोटे फिल्टर प्लान्ट/आर.ओ. प्लान्ट लगाये गए हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कोटा संभाग के कितने गांवों और शहरी बस्तियों में फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा प्रदेश के भूजल एवं बरसाती पानी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं? गत 2 वर्षों में कोटा संभाग में किए गए उक्त कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु कन्टींजेन्सी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की अवधि में हैण्डपम्प एवं सिंगल फेज नलकूपों का निर्माण कार्य नहीं किया गया।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उक्त दो वितीय वर्षों में अन्य योजना/मदों के अन्तर्गत प्रदेश में 8654 हैण्डपम्प एवं 978 सिंगल फेज नलकूपों की स्थापना का कार्य किया गया। जिलेवार वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में स्वच्छ एवं जीवाणु रहित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु छोटे फिल्टर प्लांट अथवा आर.ओ. प्लांट स्थापित करने की वर्तमान में पृथक से कोई योजना नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा पेयजल गुणवत्ता प्रभावित ग्राम/ढाणियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विगत दो वर्षों में प्रदेश में स्थापित किये गये आर.ओ. संयंत्रों में विद्यालयों के परिसर में लगाये गये 13 संयंत्र सम्मिलित हैं। इस अवधि में प्रदेश के विद्यालयों में कोई छोटा फिल्टर प्लांट स्थापित नहीं किया गया है। जिलेवार वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) कोटा संभाग में सम्मिलित जिला कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़ की समस्त शहरी जल योजनाओं तथा झालावाड़ जिले के समस्त ग्रामों में उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा की सीमा में है।

जिला कोटा के 44 ग्राम, जिला बूंदी के 27 ग्राम एवं जिला बारां के 8 ग्रामों के स्थानीय भू-जल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है। वांछित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) राज्य सरकार द्वारा भू-जल के उपयोगकर्ताओं यथा लाभार्थी व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी/राजकीय विभाग एवं उपक्रम/गैर सरकारी संगठन/इन्फ्रा-स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इत्यादि को उनके कार्यक्रम क्रियान्वयन स्थलों पर वर्षा जल द्वारा भू-जल पुनर्भरण से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी समय-समय पर प्रदान की जाती है।

कोटा संभाग में भू-जल एवं बरसाती पानी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये विगत दो वर्षों में किये गये प्रयास एवं कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. संभाग मुख्यालय पर स्थित तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (आई.एम.टी.आई.) कोटा के माध्यम से होने वाले सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों को जिसमें जल संसाधन, कृषि विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सहित अन्य समस्त विभागों के प्रतिभागियों/किसानों/गैर सरकारी संस्था के सदस्यों को भू-जल पुनर्भरण तकनीक एवं वर्षा जल संग्रहण के बारे में जानकारी प्रदान की गयी।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में आयोजित जल क्रांति अभियान के अन्तर्गत किसानों/लाभार्थियों को कार्यशाला के माध्यम से जल ग्रामों के लिए वर्षा जल संरक्षण तथा भू-जल पुनर्भरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी ई।
3. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा पंचायत समिति स्तर पर आयोजित कार्यशालाओं में सम्बन्धित क्षेत्र में उपयुक्त भू-जल संरक्षण एवं पुनर्भरण की तकनीकों की जानकारी दी गई।
4. क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना के अनुसार भू-जल पुनर्भरण हेतु संरचनाओं के प्रारूप (डिजाइन) जिनमें प्रमुखतया एनीकट के जल भराव क्षेत्रों परकोलेशन टैंक/रिचार्ज शाफ्ट, बरसाती नालों/खालों से बहते जल से रिचार्ज शाफ्ट द्वारा भू-जल पुनर्भरण, ग्राम तालाबों के जल आधिक्य से भू-जल पुनर्भरण संरचना, हैण्डपम्प से व्यर्थ बहते जल से भू-जल पुनर्भरण, छत से प्राप्त वर्षा जल से भू-जल पुनर्भरण संरचनाओं का प्रारूप तैयार कर उपयोगकर्ता एजेन्सी/विभागों को प्रस्तुत किये।
5. संभाग के कोटा, बारां एवं झालावाड़ जिलों में रिचार्ज शाफ्ट, परकोलेशन टैंक एवं ग्राम तालाब सुदृढ़ीकरण के माध्यम से भू-जल पुनर्भरण हेतु मास्टर प्लान तैयार किया गया।
6. कोटा एवं बारां जिले के चट्टानी क्षेत्रों में कृत्रिम भू-जल पुनर्भरण के लिए संभावित स्थानों का चयन कर प्रयोगात्मक परीक्षण हेतु प्रस्ताव बनाये गये हैं।
7. रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में उनके क्षेत्र विशेष के अनुसार भू-जल पुनर्भरण संरचनाओं के प्रारूप सम्बन्धित जानकारी कार्यशाला के माध्यम से प्रस्तुत की।
8. संभाग में पुरानी बावड़ियों/बड़े खुले कुओं के पुनरुद्धार व वर्षा जल से पुनर्भरण हेतु प्रस्ताव तैयार किये गये।
9. राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना (आर.ए.सी.पी.) के तहत कोटा जिले के सांगोद (भू-जल कलस्टर) में भू-जल आधारित प्रोजेक्ट का अध्ययन एवं सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ बांध से जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र को पेयजल की आपूर्ति

687. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के जमवारामगढ़ बांध से आज भी नलकूपों द्वारा जयपुर को पेयजल आपूर्ति की जा रही है? यदि हां, तो कितने-कितने नलकूपों द्वारा कब से पेयजल आपूर्ति की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध बरसात नहीं होने से पूरी तरह से सूख गया है और उक्त विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है? यदि हां, तो उक्त बांध से नलकूपों द्वारा जयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति क्यों की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त बांध के नलकूपों द्वारा विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की जनता को ही पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित जमवारामगढ़ बांध के डूब क्षेत्र में वर्ष 2006 में 10 नलकूप निर्मित कर जयपुर शहर हेतु इनसे 30 लाख लीटर पानी प्रतिदिन लिया गया था। वर्ष 2009 तक 4 नलकूपों के सूख जाने के पश्चात् 6 नलकूपों से 13 लाख लीटर पानी प्रतिदिन तथा तत्पश्चात् वर्ष 2015 में इनमें से 2 नलकूप सूख जाने के कारण वर्तमान में 4 नलकूपों से 4.30 लाख लीटर पानी प्रतिदिन लिया जाकर जयपुर शहर के देहली रोड के आस-पास के क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु आंशिक रूप से उपयोग में लिया जा रहा है।

(2) जमवारामगढ़ बांध में पानी नहीं होने के कारण वर्ष 2006 से इस बांध के डूब क्षेत्र में उक्तानुसार नलकूपों का निर्माण कर इनसे जयपुर शहर में वर्तमान में आंशिक पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के समस्त 234 आबाद राजस्व ग्रामों में विभिन्न प्रकार की जल योजनाओं अन्तर्गत भू-जल स्रोतों से की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारु एवं संतोषप्रद है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) जी नहीं। उपरोक्तानुसार। जमवारामगढ़ बांध के डूब क्षेत्र में निर्मित उक्त नलकूपों से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्रामों को जोड़ा जाना तकनीकी रूप से व्यवहारिक एवं उपादेय नहीं है।

विराटनगर में स्वीकृत हैण्डपम्प एवं नलकूप

688. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में 1 जनवरी, 2009 से 13 दिसम्बर, 2013 तक तथा 13 दिसम्बर, 2013 से 31 जनवरी, 2016 तक कितने हैण्डपम्प एवं नलकूप कहां-कहां स्वीकृत किये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत किये गये हैण्डपम्पों एवं नलकूपों में से कितने स्थापित किये जाकर चालू किये जा चुके हैं और कौन-कौन से हैण्डपम्प एवं नलकूप का निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ है या अपूर्ण है? स्वीकृति के पश्चात् हैण्डपम्प व नलकूप के निर्माण कार्य चालू नहीं करने या अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं और अब कब तक स्वीकृत किये गये सभी हैण्डपम्प एवं नलकूपों के निर्माण कार्य पूर्ण कर उन्हें चालू कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में चलाए जा रहे हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के उपरान्त भी उक्त क्षेत्र में अनेक हैण्डपम्प खराब है या नकारा घोषित होने योग्य हैं? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां कितने हैण्डपमप खराब है और उन्हें कब तक चालू कर दिया जायेगा या नकारा घोषित होने योग्य हैण्डपम्पों को नकारा घोषित किया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में चालू व आगामी वित्तीय वर्ष में कहां-कहां कितने हैण्डपम्प/नलकूप स्वीकृत करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने हेतु दिनांक 1 जनवरी, 2009 से 13 दिसम्बर, 2013 की अवधि में 121 हैण्डपम्प, 663 सिंगल फेज नलकूप एवं 43 थ्री-फेस नलकूपों के

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

निर्माण तथा दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 से दिनांक 31 जनवरी, 2016 की अवधि में 42 हैण्डपम्प, 20 सिंगल फेस नलकूप, 9 सौर ऊर्जा आधारित सिंगल फेस नलकूप एवं 26 थ्री-फेस नलकूपों के निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृतियां जारी की गईं। स्थानवार स्वीकृत उक्त कार्यों के सम्बन्ध में वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) दिनांक 1 जनवरी, 2009 से 13 दिसम्बर, 2013 की अवधि में 121 हैण्डपम्पों एवं 663 सिंगल फेस नलकूपों की स्वीकृति के विरुद्ध 78 हैण्डपम्प एवं 558 सिंगल फेस नलकूपों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। लिये गये निर्णय अनुसार शेष रहे 43 हैण्डपम्प एवं 105 सिंगल फेस नलकूपों के निर्माण की स्वीकृति निरस्त की जा चुकी है। स्वीकृत समस्त 43 थ्री-फेस नलकूपों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 से दिनांक 31 जनवरी, 2016 की अवधि में 42 हैण्डपम्पों, 20 सिंगल फेस नलकूपों एवं सौर ऊर्जा आधारित 9 सिंगल फेस नलकूपों के निर्माण की स्वीकृति के विरुद्ध क्रमशः 39 हैण्डपम्प एवं समस्त 20 सिंगल फेस नलकूपों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 3 हैण्डपम्पों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सौर ऊर्जा आधारित 9 सिंगल फेस नलकूपों के निर्माण हेतु निविदा सम्बन्धी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। स्वीकृत 26 थ्री-फेस नलकूपों के विरुद्ध 15 सफल नलकूपों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 3 नलकूप वेधन के दौरान असफल रहे।

उक्तानुसार शेष रहे 3 हैण्डपम्प एवं 8 थ्री-फेस नलकूपों का निर्माण कार्य चरणबद्ध रूप से माह जून, 2016 तक एवं सौर ऊर्जा आधारित 9 सिंगल फेस नलकूपों का निर्माण माह दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(3) जी नहीं। प्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से प्रगतिरत 39वें विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के दौरान विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में मरम्मत योग्य खराब पाये गये क्रमशः 19 एवं 1170 हैण्डपम्पों को अब तक सुधारा गया है तथा समय-समय पर खराब होने वाले अन्य हैण्डपम्पों का मरम्मत कार्य अभियान में सतत प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के मरम्मत योग्य खराब शेष 15 हैण्डपम्पों (दिनांक 29.03.2016 की स्थिति के अनुसार) को प्रगतिरत उक्त अभियान के तहत

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

सुधारने का कार्य चरणबद्ध रूप से दिनांक 06.04.2016 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

उक्त क्षेत्र में 553 हैण्डपम्प (शहरी क्षेत्र के 31 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 522) वर्तमान में नाकारा हैं तथा इनमें से 470 हैण्डपम्पों (शहरी क्षेत्र के 31 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 439) को अब तक नाकारा घोषित किया जा चुका है। क्षेत्र में कुल स्थापित, क्रियाशील, मरम्मत योग्य खराब एवं नाकारा हैण्डपम्पों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की पंचायत समिति, पावटा के ग्राम मंडा एवं कारोली प्रत्येक में 3-3 नलकूप एवं पंचायत समिति, शाहपुरा के ग्राम बाड़ी जोड़ी में 1 नलकूप तथा इनसे सम्बन्धित पाइप लाइनों के कार्यों हेतु क्रमश: राशि रुपये 54.47 लाख, रुपये 37.49 लाख एवं रुपये 19.28 लाख की स्वीकृति दिनांक 04.03.2016 को जारी की गई है। उक्त स्वीकृत कार्यों के निष्पादन हेतु निविदा सम्बन्धी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

भू-जल की उपलब्धता एवं पेयजल की आवश्यकता अनुरूप उक्त क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के संवर्धन/पुनर्गठन के तहत पेयजल स्रोतों का निर्माण सतत प्रक्रिया के तहत उक्तानुसार किया जा रहा है एवं आगामी वर्ष में भी आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कठूमर के गांवों में पेयजल की आपूर्ति हेतु कार्य योजना

689. श्री मंगल राम (कठूमर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र कठूमर में पहाड़ी तलाई की पंचायत नाहरखोरा, खो, जटवाड़ा, अड़ोली, टोड़ा, बसेट खोकर, खेड़ा मैदा इलाके में गत 20 वर्षों से पेयजल की समस्या है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर पानी की समस्या के समाधान हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए वहां के निवासियों की समस्या के समाधान हेतु हैण्डपम्प स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर की ग्राम पंचायत नाहरखोरा, खो, जतवाड़ा, अडोली, टोड़ा, बसेट, खोकर, खेड़ामैदा में कुल सम्मिलित 33 ग्रामों में से 5 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था वर्तमान में सुचारु एवं संतोषप्रद है।

शेष 28 ग्रामों में से 11 ग्रामों में आर.ओ. संयंत्र एवं एक ग्राम में सौर ऊर्जा आधारित सिंगल फेस नलकूप निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शेष 16 ग्रामों हेतु क्षेत्रीय/पम्प एवं टैंक योजनाओं के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।

इन ग्रामों में वर्तमान पेयजल आपूर्ति व्यवस्था एवं समस्याग्रस्त ग्रामों हेतु स्वीकृत/प्रस्तावित योजनाओं के सम्बन्ध में वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) भू-जल की उपलब्धता एवं पेयजल की आवश्यकता अनुसार हैण्डपम्पों की स्वीकृति पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार विचार किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बूंदी जिले के छात्रावासों में कार्यरत अंशकालीन रसोइयों एवं चौकीदारों का बकाया वेतन

690. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विभाग के अधीन बून्दी में कितने छात्रावास कहां-कहां संचालित हैं? उक्त छात्रावासों में कार्यरत अंशकालीन रसोइये एवं चौकीदारों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्मिकों को वेतन का माहवार भुगतान किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों? किन-किन कार्मिकों का किस-किस माह का भुगतान बकाया है? कार्मिकों का नाम एवं बकाया का माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बून्दी के खटकड़ में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामाजिक न्याय एवं विभाग द्वारा बून्दी जिलें में 21 राजकीय एवं 2 अनुदानित छात्रावास संचालित हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

राजकीय छात्रावासों में विभाग द्वारा अंशकालीन रसोइया/चौकीदार नहीं रखें जाते है। विभाग द्वारा राजकीय छात्रावासों में स्थाई कर्मचारियों के अतिरिक्त रिक्त पदों पर रसोइया/चौकीदारी का कार्य जाब बेसिस पर प्लेसमेण्ट एजेन्सी/स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करवाया जाता है।

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा राजकीय छात्रावासों में स्थाई कर्मचारियों के अतिरिक्त रिक्त पदों पर रसोइया/चौकीदारी का कार्य जाब बेसिस पर प्लेसमेण्ट एजेन्सी/स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करवाया जाता है, जिसका भुगतान 41-संविदा मद से उक्त प्लेसमेण्ट एजेन्सी/स्वयं सहायता समूह को बजट की उपलब्धता के अनुसार भुगतान किया जाता है।

(3) जी नहीं। नवीन राजकीय छात्रावास खोले जाने हेतु अतिरिक्त बजट प्रावधान उपलब्ध नही होने के कारण बून्दी के खटकड़ में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये नवीन छात्रावास खोले जाने का विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में देय पेंशन की राशि में वृद्धि

691. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत दी जाने वाली वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता व पालनहार आदि पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि का अंतिम बार निर्धारण कब किया गया था?

(2) क्या सरकार मूल्य सूचकांकों की वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए उक्त पेंशन राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं (राष्ट्रीय एवं राज्य) के अन्तर्गत दी जाने वाली वृद्धावस्था, विधवा एवं परित्यक्ता आदि पेंशन योजनाओं में देय पेंशन राशि का दिनांक 01.04.2010 एवं पालनहार योजनान्तर्गत देय अनुदान राशि का दिनांक 29.03.2013 को अन्तिम बार निर्धारण किया गया था।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत एवं पालनहार योजनान्तर्गत पेंशन/अनुदान राशि में वृद्धि किये जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कुचामन (नागौर) में गुर्जर छात्रावास हेतु स्वीकृत राशि

692. श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा कुचामन (नागौर) के पास गुर्जर छात्रावास के लिए जमीन व निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त छात्रावास के लिए भूमि व भवन हेतु और राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा जाति विशेष के नाम से कोई भी छात्रावास स्वीकृत नहीं किया जाता है। देवनारायण योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक वर्षवार चरणबद्ध स्वीकृत कार्यों में वर्ष 2017-18 के लियें कुचामनसिटी (नागौर) में छात्रावास (छात्र क्षमता 50) हेतु भवन निर्माण के लियें राशि रुपये 234.05 लाख की वित्त विभाग द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

(2) जी हां। देवनारायण योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक वर्षवार चरणबद्ध स्वीकृत कार्यों में वर्ष 2017-18 के लिये कुचामनसिटी (नागौर) में छात्रावास भवन निर्माण के लिये राशि रुपये 234.05 लाख की सहमति वित्त विभाग द्वारा दी जा चुकी है।

डग में सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित आवेदक

693. श्री रामचन्द्र (डग): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में गत तीन वर्षों में वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा एवं अन्य पेंशन हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए एवं कितने व्यक्तियों को किस-किस श्रेणी में पेंशन जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(श्री रामचन्द्र)

(2) क्या सरकार जिन आवेदकों के पुत्र-पुत्रियां 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं, किन्तु बेरोजगार अथवा गम्भीर रोगी या अस्वस्थतावश कमाने में असमर्थ हैं, उन्हें भी पेंशन प्रदान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने आवेदकों को किस कारण वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा एवं अन्य पेंशन जारी नहीं की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डग में पेंशन की निम्न योजनाओं में पेंशन प्राप्त एवं पेंशन जारी की गयी लाभार्थियों का संख्या विवरण निम्नानुसार है:

प्राप्त आवेदनों की संख्या			पेंशनरों की संख्या जिनको पेंशन जारी की गई		
वृद्धावस्था	विधवा	विशेष योग्यजन	वृद्धावस्था	विधवा	विशेष योग्यजन
19503	4038	1513	19483	4033	1513

(2) राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता पेंशन नियम 2013 एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृति में पुत्र की शर्त लागू नहीं है। जिनके पुत्र राजकीय सेवा में हैं, ऐसे आवेदको को पेंशन स्वीकृति का प्रावधान नहीं है। पेंशन आवेदन हेतु नियमानुसार आवेदक की पात्रता होने पर पेंशन स्वीकृति की जा सकती है। आदेशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र डग में पेंशन हेतु जितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए, में से नियमानुसार पात्र सभी आवेदन पत्रों की पेंशन स्वीकृति जारी कर दी गयी कोई भी आवेदन पत्र शेष अथवा लम्बित नहीं है। वृद्धावस्था पेंशन के 20 आवेदन निर्धारित आयु से कम होने से एवं विधवा पेंशन के 5 आवेदन पत्र पुत्र की राजकीय सेवा में कार्यरत होने से अस्वीकृत किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निवाई में सामाजिक सुरक्षा की संचालित योजनाएं

694. श्री हीरालाल (निवाई): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में विभाग की कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2014-15 व 2015-16 में उक्त योजनाओं में किस-किस योजनान्तर्गत कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में विधान सभा क्षेत्र निवाई में वर्ष 2014-15 व 2015-16 में माह फरवरी 2016 तक लाभान्वितों की सूचना परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में प्राप्त अनाज के रख-रखाव की योजना

695. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में केन्द्र प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं से प्राप्त अनाज उचित रख रखाव व समय पर वितरण नहीं करने के कारण उसके सड़ने के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किस-किस दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा राज्य भण्डारण निगम के वेयर हाउसों के निरीक्षण के सम्बन्ध में क्या-क्या निर्देश जारी किये गये हैं और अधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों की पालना में गत पांच वर्षों में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। भारतीय खाद्य निगम एवं राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम से प्राप्त सूचना अनुसार गत दो वर्षों में केन्द्र प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं के प्राप्त अनाज उचित रखरखाव व समय पर वितरण नहीं करने के कारण सड़ने का प्रकरण सामने नहीं आया है।

(2) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के भण्डारगृहों पर प्रत्येक माह में दो बार भण्डार प्रबंधक द्वारा निरीक्षण एवं एक बार निगम के प्रधान कार्यालय द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक द्वारा पर्यवेक्षण करने की स्थायी व्यवस्था है, जिससे जमा खाद्यान्न की गुणवत्ता बनाये रखना सुनिश्चित किया जाता है।

(3) सरकार द्वारा राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के वेयर हाउसों के निरीक्षण के सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी नहीं किये हुए हैं। निगम द्वारा स्वयं के स्तर पर अनाज के उचित रख-रखाव के लिए समस्त भण्डारगृहों पर प्रशिक्षित भण्डार प्रबंधकों/कर्मचारियों को पदस्थापित किया हुआ है। समस्त भण्डारगृहों का सम्बन्धित भण्डार प्रबंधक द्वारा प्रत्येक माह में पाक्षिक आधार पर पर्यवेक्षण के साथ-साथ वर्ष में एक बार शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन भी करवाया जाता है।

बहरोड़ में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

696. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में उचित मूल्य की दुकानें कहां-कहां संचालित हैं? मय दुकानदार के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य की दुकानों में गबन/अनियमितताओं के कुल कितने प्रकरण पाए गये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में 111 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। दुकानदार के नाम सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) गत पांच वर्ष में विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में संचालित उचित मूल्य की दुकानों में गबन/अनियमितताओं के कुल 63 प्रकरण पाए गये है। प्रकरणों एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर शहर से गैस गोदामों का अन्यत्र स्थानान्तरण

697. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा रसोई गैस गोदाम के संचालन हेतु मानदण्ड निर्धारित है? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रसोई गैस गोदाम का संचालन रहवासीय इलाकों में करने पर पूर्णतया प्रतिबंध है? यदि हां, तो जोधपुर शहर में कितने गैस गोदामों का संचालन रहवासीय इलाकों में किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रहवासीय इलाकों में संचालित गैस गोदामों को अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) के गैस सिलेण्डर नियम, 1981 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) के गैस सिलेण्डर नियम, 1981 के अनुसार रसोई गैस गोदाम का संचालन रहवासीय इलाकों में करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है तथा इन गैस एजेन्सियों को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडक्टस (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1990 के तहत लाइसेन्स भी जारी किया गया है। जोधपुर शहर में वर्तमान में 24 गैस एजेन्सियों के गोदाम रहवासीय इलाकों में है, जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) रहवासीय ईलाकों में संचालित गैस गोदामों को अन्यत्र स्थान पर हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग से प्राप्त निर्देशों की पालना हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा पत्र दिनांक 08.04.2013 द्वारा समस्त जिला कलक्टरों/जिला रसद अधिकारियों को लिखा गया है। पत्र दिनांक 08.04.2013 की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सहकारी संस्थाओं में राजस्व व रोजगार बढ़ाने के उपाय

698. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार सहकारिता आंदोलन को तेज करने के लिए सहकारी संस्थाओं में इनोवेशन, स्टार्टअप, नवाचार टैक्नोक्रेट्स की सेवाओं का उपयोग करके रोजगार और राजस्व बढ़ाने के लिए Start up Policies के तहत कार्य करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। सहकारिता आन्दोलन को गतिशील व प्रभावी बनाने के लिए सहकारी संस्थाओं में समय-समय पर इनोवेशन व नवाचार लागू किए जाते हैं। स्टार्ट-अप गतिविधियों के लिए सहकारी बैंकों द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध है। सहकारी संस्थाओं के संचालन मण्डल में विषय विशेषज्ञ व टैक्नोक्रेट्स को मनोनीत भी किया जाता है।

जैसलमेर जिले में संचालित एन.जी.ओ. के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

699. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जैसलमेर जिले में कितने एन.जी.ओ. सेवा कार्य कर रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एन.जी.ओ. द्वारा किस प्रकृति के कार्य किये जाते हैं?

(3) क्या इनका कार्य व क्षेत्राधिकार निर्धारित है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने एन.जी.ओ. द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त एन.जी.ओ. अपने संविधान के अनुसार कार्य करते हैं तथा इनकी निगरानी के लिए कोई कार्यकारी संस्था बनी हुई है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में इनके विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं व प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सहकारिता विभाग में एन.जी.ओ. नाम से कोई निकाय पंजीकृत नहीं है।

(सहकारिता राज्य मंत्री)

(2) उक्तानुसार।

(3) उक्तानुसार।

(4) उक्तानुसार।

बस्सी की वन भूमि पर चारदीवारी बनाने की योजना

700. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कितना वन क्षेत्र है? तथा उक्त क्षेत्र में से कितने क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण के कितने प्रकरण विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में कितनी वन भूमि पर चारदीवारी बन चुकी है? तथा कितनी भूमि पर चार दीवारी बनाने का कार्य कहां-कहां चल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कुल 2230 हैक्टेयर वन क्षेत्र है। इसमें से 655 हैक्टेयर वन भूमि में विभिन्न वर्षों में वृक्षारोपण किया गया है।

(2) उक्त क्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण के विचाराधीन प्रकरणों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ए" अनुसार है।

(3) उक्त क्षेत्र में वर्ष 2013-14 तक 2878 र.मी. विभागीय मद में एवं 2200 र.मी. महानरेगा योजना में कुल 5078 र.मी. चार दीवारी बन चुकी है। इस क्षेत्र अधीन वर्तमान में कहीं पर भी चारदीवारी का कार्य नहीं चल रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर जिले में खान मजदूरों में बढ़ती सिलिकोसिस बीमारी को रोकने के उपाय

701. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कैलाश भंसाली)

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में खान मजदूर सुरक्षा उपायों के बगैर काम करने से गम्भीर बीमारी सिलिकोसिस की चपेट में आ रहे हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उनको आर्थिक सहायता नहीं देने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सिलिकोसिस मरीजों की बढ़ती तादाद पर सरकार ने खानों में सुरक्षा उपायों को लेकर खान मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने सिलिकोसिस मरीजों को 1 लाख की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर अब 3 लाख कर दिया है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जोधपुर ही नहीं, बल्कि सभी जगह जहां खनिज सैण्डस्टोन की क्वारी में मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपायों के बगैर खनन कार्य किया जाता है, सिलिकोसिस बीमारी होने की संभावना रहती है। अत: विभाग द्वारा खान मालिकों को खनन कार्य के दौरान मजदूरों द्वारा मास्क, हैलमेट, दस्तानें पहनकर वैट ड्रिलिंग से खनन कार्य करने हेतु पाबंद किया है तथा उल्लंघन पाये जाने पर जिला जोधपुर में 125 क्वारी लाइसेन्सों को निरस्त किया गया है। इन समस्त उपायों के पश्चात् भी यदि किसी मजदूर को सिलिकोसिस बीमारी होती है तो उसे 1 लाख रुपये की नकद सहायता रिहेब मद से उपलब्ध कराई जाती है तथा उक्त बीमारी से मरने वाले के आश्रितों को 1.5 लाख रुपये नकद एवं 1.5 लाख रुपये की एफ.डी. प्रदान की जाती है। रिहेब बोर्ड की बैठक दिनांक 18.08.2015 के अनुसार सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए मुआवजा दिया जाना तय होने से इन्हें मुआवजा दिया जाता है। जिला जोधपुर में कुल 242 सिलिकोसिस पीड़ित/मृतक श्रमिकों को कुल 312 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। सिलिकोसिस मरीजों की बढ़ती तादाद को रोकथाम हेतु सैण्डस्टोन खनन पट्टाधारियों को खनन क्षेत्र में वेट ड्रिलिंग करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार, खनन श्रमिकों को डस्ट मास्क का उपयोग करने हेतु निदेशालय पत्र दिनांक 06.02.2015 एवं 18.02.2015 से निर्देशित किया गया है एवं निरीक्षण के दौरान वेट ड्रिलिंग अथवा डस्टमास्क का उपयोग नहीं करने वाले

(खान राज्य मंत्री)

खनन पट्टाधारियों को नोटिस जारी करने तक की कार्यवाही अमल में लायी जाती है। जिसके क्रम में पालना नहीं करने वाले जोधपुर जिले में 125 क्वारी लाइसेन्स निरस्त किए गए हैं तथा भरतपुर वृत्त में 1 व कोटा वृत्त में 6 खनन पट्टे खण्डित किए गये। वेट ड्रिलिंग एवं अन्य सुरक्षा उपाय हेतु मुख्य सचिव स्तर से सभी जिला कलक्टर्स को परिपत्र दिनांक 05.02.2016 जारी कर कार्यवाही हेतु लिखा गया। प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित खान श्रमिकों को उपचार के लिये एक लाख रुपये की नकद सहायता दी जाती है तथा खान श्रमिक की सिलिकोसिस बीमारी से मृत्यु हो जाने पर उसके विधिक आश्रितों को कुल तीन लाख रुपये (1.5 लाख नकद व 1.5 लाख सावधि जमा) सहायता दी जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा में वायु व ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय

702. **श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा में वायु व ध्वनि प्रदूषण गत पांच वर्षों में तय मानकों से कितना अधिक पाया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कोटा को स्मार्ट सिटी बनाने हेतु उक्त वायु व ध्वनि प्रदूषण को तय मानकों तक रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोटा शहर में तीन चयनित स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तीन प्रमुख वायु प्रदूषकों यथा नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड (NO_2), सल्फर डाई आक्साइड (SO_2) एवं विविक्त पदार्थ (पार्टिकुलेट मैटर) PM_{10} की जांच की जाती है।

गत पांच वर्षों में चयनित तीन स्थानों पर की गई परिवेशी वायु गुणवत्ता की जांच के वार्षिक औसत आंकडे परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। गत पांच वर्षों के वार्षिक औसत आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इन तीन स्थानों पर सल्फर डाइआक्साइड (SO_2) एवं नाइट्रोजन डाई आक्साइड (NO_2) की

(पर्यावरण राज्य मंत्री)

मात्रा सभी वर्षों में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक 2009 में निर्धारित सीमा से सदैव कम रही है। सभी स्थानों पर गत पांच वर्षों में विविक्त पदार्थ पार्टीकुलेट मैटर (PM_{10}) की वर्षिक औसत की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गई है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शहर में प्रति वर्ष दीपावली महोत्सव पर पटाखों/आतिशबाजी से उत्पन्न ध्वनि स्तर की जांच की जाती है। गत पांच वर्षों के सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न हैं। अभी तक प्राप्त अधिकांश परिणाम निर्धारित ध्वनि स्तर से अधिक पाये गये हैं।

(2) कोटा शहर में उक्त वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को तय मानकों तक रखने हेतु सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खण्डेला में संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

703. **श्री बंशीधर** (खण्डेला): क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में सरकार एवं निजी स्तर पर कितनी आई.टी.आई. संचालित हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में कहां-कहां पर निजी अथवा सरकारी स्तर पर कब से आई.टी.आई. संचालित है और उनमें कौन-कौन से ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में सरकारी स्तर पर नई आई.टी.आई. खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां और कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में सरकार स्तर पर 134 एवं निजी स्तर 1598 आई.टी.आई. संचालित हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट-1 व परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में सरकारी स्तर पर आई.टी.आई. नहीं है परन्तु निजी स्तर पर 19 आई.टी.आई. संचालित हैं। आई.टी.आई. संचालित वर्ष एवं ट्रेड का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय संसाधनों की उपलब्धता होने व गुणवगुणों के आधार पर एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाये जाते हैं तो राजकीय औ.प्र. संस्थान खोला जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा जिले में श्रमिकों के मुआवजे के लम्बित प्रकरण

704. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले में कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत वर्ष 2008 से 2016 तक कुल कितने श्रमिकों के मामले दर्ज किये गये हैं? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कितने श्रमिकों को मृत्यु होने के उपरान्त व कितने श्रमिकों को स्थाई व अस्थाई रूप से अपंग होने पर राशि उपलब्ध कराई गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरण में अब तक कितनी मुआवजा राशि नियोजकों से वसूल कर श्रमिकों को वितरित की गई? वर्षवार वसूल की गई राशि व वितरित की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त दुर्घटना प्रकरणों के निस्तारण के लिये कितने आयुक्तों की नियुक्ति की गई है व इनके द्वारा कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया है तथा वर्तमान में कितने प्रकरण विचाराधीन है? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2008 से फरवरी, 2016 तक कुल 492 मामले दर्ज किये गये। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	दर्ज प्रकरणों की संख्या
2008	47
2009	62
2010	112

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

वर्ष	दर्ज प्रकरणों की संख्या
2011	58
2012	50
2013	36
2014	61
2015	62
फरवरी, 2016	04

(2)

वर्ष	मृत्यु	अस्थाई/स्थाई रूप से अपंग
2008	7	8
2009	30	6
2010	54	10
2011	24	12
2012	24	4
2013	12	2
2014	41	21
2015	40	29
फरवरी, 2016	5	-

(3)

वर्ष	नियोजकों से वसूल की गई राशि रूपये	श्रमिकों/मृतकाश्रितों को वितरित की गई राशि
2008	4875028.50	2737523.50
2009	6216747	6847432
2010	27477355	24283963
2011	10079261	12515392
2012	11776445.92	10696365.92
2013	6297213	7679013
2014	15008128	15162535
2015	28143241	25126788
फरवरी, 2016	2448281	1913436

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

(4) श्रम विभाग कोटा में 2 आयुक्त नियुक्त हैं तथा वर्तमान में 1 आयुक्त कार्यरत है। निस्तारित एवं विचाराधीन प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	निस्तारित मामले	विचाराधीन मामले
2008	21	150
2009	45	172
2010	80	204
2011	49	215
2012	32	236
2013	19	259
2014	92	228
2015	97	193
फरवरी, 2016	06	191

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

नगर विकास न्यास भिवाड़ी द्वारा बाईपास के लिए अवाप्त की गई भूमि पर अतिशीघ्र रोड बनवाना और किसानों को मुआवजा

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र तिजारा में नगर विकास न्यास भिवाड़ी में बाईपास 60 मीटर रोड जो कि एन.एच. 8 को जोड़ने के लिए ग्राम खानपुर-मिल्कपुर गुर्जर, खिजुरीवास आदि गांवों के किसानों की भूमि अवगत की गई है। जिसमें किसानों को मुआवजा कई वर्षों से नहीं मिला है और न ही किसान अपनी जरूरत के अनुसार उसे बेचान कर सकते हैं। रोड न बनने के कारण भिवाड़ी की हालत दिन के समय में जमा लग जाता है,। जिससे कई दुघर्टनाएं पहले हो चुकी हैं। किसानों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अत: नगरीय एवं स्वायत्त शासन मंत्री से निवेदन है कि यह रोड जल्द बनवाने व किसानों को अतिशीध्र मुआवजा दिलवाकर अनुगृहीत करने की कृपा करें।

मा. मामन सिंह यादव

(तिजारा)

टोडाभीम में पेयजल संकट

मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पीने के पानी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो रही है इस वर्ष वर्षा नहीं होने के कारण आमजन सिंचाई का पानी तो दूर की बात पीने के पानी को भी तरस रहा है। क्षेत्र में हैण्डपम्प खराब पड़े हुए हैं जिनकी मरम्मत नहीं हो रही है तथा सिंगल फेस बिजली के कनेक्शन विभाग द्वारा काट दिये जाने के कारण पानी की समस्या हो गई है। टैंकरों से पानी की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है अगर यह स्थिति रही तो आने वाले गर्मी के मौसम में आम आदमी एक-एक बूंद पीने के पानी को तरसेगा और जनता को मजबूर होकर आमरण अनशन करने पर उतारू होना पड़ेगा।

अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध है कि नादौती-सवाईमाधोपुर चम्बल पेयजल परियोजना का कार्य बहुत धीमी

गति से चल रहा है अत: समय रहते उक्त कार्य को गति देने हेतु संबंधितों को निर्देश प्रदान करें तथा क्षेत्र की जनता को पीने के पानी की अविलम्ब समुचित व्यवस्था कराएं।

घनश्याम महर
(टोडाभीम)

भीम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का 75 बैड से 100 बैड में क्रमोन्नयन

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र भीम भौगोलिक दृष्टि से पिछड़ा व मगरा क्षेत्र है एवं चार जिलों (अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा) की संगम स्थली है, उक्त क्षेत्र नेशलन हाइवे नं. 8 में बसा हुआ है, जिसमें आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं, जिसकी वजह से असमय घायल व्यक्ति समय पर चिकित्सा सुविधा न मिलने से मृत्यु के आगोश में चला जाता है एवं आप ही के 2003-08 के कार्यकाल में आप द्वारा ट्रोमा यूनिट की स्थापना की गई थी एवं ट्रोमा संबंधित सभी उपकरणों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन आज तक निश्चेतन चिकित्सक एवं ऑर्थोपैडिक चिकित्सक नहीं होने की वजह से सभी औजार खराब हो रहे हैं।

अत: महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तत्काल जनता की उक्त समस्य को ध्यान में रखते हुए, भीम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 75 बैड से 100 बैड में क्रमोन्नत करने की कृपा कराएं, जिसके लिए भीम विधान सभा क्षेत्र की जनता आपकी आभारी रहेगी।

हरि सिंह रावत
(भीम)

राजस्थान में मीणा व मीना विवाद

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान में वर्तमान में मीना व मीणा पर जबरदस्त विवाद हो रहा है। राजस्थान के मीना जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं और किए गए प्रमाण पत्रों में समस्या आ रही है, क्योंकि मीना जाति को अंग्रेजी में MINA लिखा जाता है, परन्तु जब मीना जाति का प्रमाण पत्र जारी किया

जाता है उसमें मीणा शब्द जो कि भाषा का बहुप्रचलित शब्द है और भाषा द्वारा उच्चारण होने के कारण व्यावहारिक भाषा में मीना की जगह मीणा लिख देते हैं और यह एक विसंगति है जिसका सामना प्रमाण पत्र धारकों को करना पड़ रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार ने दो परिपत्र दिनांक 30/09/2014 तथा दिनांक 23/12/2014 को मीना व मीणा जाति के व्यक्तियों को जारी किए जा रहे अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्रों के संबंध में जो आदेश जारी किए हैं, जिसमें निर्देशित किया गया है "अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रम संख्या 9 पर MINA (मीना) जाति का अंकन किया गया है, परन्तु प्राय: यह देखा जाता है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा मीना व मीणा कोई एक ही जाति मानते हुए इस जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। राजस्थान सरकार ने दिनांक 23/12/2014 के उपरोक्त आदेश को दुबारा दोहराते हुए आदेश पारित किए कि इन आवेदकों द्वारा पूर्व में MEENA Spelling एसटी का जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है उस आवेदक को पुन: MINA Spelling परिवर्तित कर एसटी का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं दिया जाए। अत: विभाग के पूर्व पत्र क्रमांक प.11(204)आरएण्डप/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/53218 दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के संबंध में उक्त स्पष्टीकरण के साथ जारी किया जाता है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में किसी प्रकार का रद्दोबदल नहीं किया गया है।

अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष महोदय को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि मीना व मीणा एक ही जनजाति के हैं और राजस्थान में मीणा कोई जाति नहीं है। भारत सरकार ने जनजाति मीना को जनजाति के रूप में अधिसूचित किया है, यहां बोलचाल की भाषा में इसी मीना को लोग मीणा कह देते हैं और अधिकारीगण इसी को अंकित कर उलझन पैदा कर रहे हैं। अभ्यावेदन में यह भी चर्चा की है कि क्यों कर मीना और मीणा एक ही जाति है और उन्हें अभी तक जनजाति प्रमाण पत्र मिलता रहा है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक प.11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011I/53218 जयपुर दिनांक 30.09.2014 एवं पत्र क्रमांक प.11 (204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/66293, दिनांक 23.12.2014 के बाद प्रमाण पत्र जारी करना बंद कर दिया गया है इससे जनजाति के लोगों को

दिक्कते हो रही हैं, परन्तु राज्य सरकार राजस्थान द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट आयोग को प्राप्त नहीं हुई।

महोदय मीना और मीणा के इस विवाद के कारण केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल फलासियां में ही नहीं अपितु समूचे आदिवासी बाहुल्य उदयपुर संभाग में अनुसूचित जनजाति के गरीब आदिवासियों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अत: मै सदन के माध्यम से माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री तथा राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त विवाद को यथाशीघ्र हल कराकर अनुसूचित जनजाति के इन गरीब आदिवासियों को राहत प्रदान करें।

हीरालाल दरांगी

(झाड़ोल)

प्रदेश के किसानों को नीलगाय/रोजड़ों से हो रही समस्या से उत्पन्न स्थिति

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रदेश के किसान जो अपनी आशाओं और भावनाओं के साथ अपना खून पसीना मिलाकर धरती मां का सीना सींचता है। उसकी खेती में सक्सैस रेट 1/10 यानी दस बार फसल बोने पर एक बार उसको अपनी फसल का पूरा मूल्य मिल पाता है। कभी अतिवृष्टि ओलावृष्टि तो कभी सूखा और अकाल जो मौसमी मार है पर आज राजस्थान में एक बड़ी समस्या किसान को खा रही है वो है नील गाय (रोजड़ा) जिसके कारण नजर हटी और दुर्घटना घटी वाली हालत किसान की हो रही है। किसान 24 घंटे खेत की रखवाली करते हैं और थोड़ा सा ध्यान हटते ही रोजडे अगर उनके खेत में घुस गये तो पूरा का पूरा खेत तबाह, पूरी की पूरी फसल खतम, पकी पकाई खेती का नाश हो जाता है और मेवाड़ में तो यह हालत और भी खराब है क्योंकि छोटी-छोटी जोती, आपस में बंटवारा होने के कारण थोर बाड भी नहीं हो सकती है और फसलों का बहुतायत में नुकसान हो रहा है और न केवल रोजड़े बल्कि आजकल गांवों में घूमने वाली सुनी गायों की रेवड़ जिनको कि दूध नहीं देने पर घरवाले छोड़ देते है वो भी किसान की फसल को बर्बाद कर रही है। 30-40-50 के झुन्ड में घूमने वाली में सूनी गायें भी जिस तरफ निकल जाती हैं, खेत के खेत उजाड़ देती हैं और मौसम की मार से झूझते

किसान इन रोजड़ों (नील गायों) व सूनी गायों के आतंक से अपना सीना पीटने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। रोजड़ों जैसे जंगली जीव के संबोधन नीलगाय में गाय जैसे धार्मिक महत्व के शब्द होने के कारण प्रदेश का किसान इसे किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने में भी कतराता है इसलिए इस समस्या के निराकरण के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि नरेगा के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ की योजना में न केवल एसटी, एससी, ओबीसी, बल्कि नोन बीपीएल अल्प आय वाले सामन्य वर्ग के किसानों को भी तारबन्दी, फेसिंग, थोर लगाने के लिए नरेगा में सम्मिलित करें। साथ ही राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर नरेगा के तहत वहां खाई खुदवाकर फैसिंग कर चरागाह भूमि में गौशाला का निर्माण करें जिससे ग्राम की सूनी गायें वहां रह सकें साथ ही पानी के टांके ट्रेन्च का भी निर्माण करें और वहां चारे के बीजों का छिड़काव करें ताकि सूनी गायों का वहीं ठहराव हो सके। इसके साथ ही प्रत्येक तहसील में 500 से हजार बीघे तक की चरागाह भूमि का चयन करके नरेगा के माध्यम से खाई निर्माण व बाड़ निर्माण करके उसमें चारे के बीजों का छिड़काव, ट्रेन्च निर्माण व पानी के टांकों का निर्माण करें ताकि इन रोजडों को जो पूरी तसहील क्षेत्र में जहां भी नजर आएं खदेड़ कर अथवा बेहोश कर अथवा खाने के लालच में इस क्षेत्र में लाकर यहां रहने और फिर यहां इनका बंधियाकरण हो जाये ताकि इनकी जनसंख्या भी नहीं बढ़ सके एवं यह किसानों की फसल भी तबाह नहीं करें और इनको मारना भी नहीं पड़े तथा जो मौसम आधारित बीमा होता है उनमें राज्य व केन्द्र सरकार जो बीमा कम्पनियों के अनुबंध करती है उसमें इन जानवरों से होने वाले नुकसान का भी क्लेम शामिल कर इसे बीमें में शामिल करें ताकि किसान को मुआवजा मिल सके।

अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि नीलगाय अथवा रोजड़ों से प्रदेश के किसानों को राहत दिलाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर किसानों की फसलों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु ठोस कदम उठाएं।

धीरज गुर्जर

(जहाजपुर)

राजस्थान के कल्प वृक्ष खेजड़ी को लुप्त होने से बचाना व पर्यावरण की रक्षा

मान्यवर,

राजस्थान व पड़ौस के प्रदेश गुजरात, मध्यप्रदेश, हरियाणा इत्यादि

प्रदेशों में पौराणिक, आर्थिक व ऐतिहासिक दृष्टि से खेजडी का वृक्ष काफी महत्वपूर्ण है। खेजड़ी के वृक्ष को राजस्थान सरकार ने ''राज्य वृक्ष'' घोषित कर रखा है, परन्तु वर्तमान में इसका अस्तित्व ही खतरे में है।

खेजड़ी का पेड़ किसान के लिए न केवल वरदान है बल्कि उसे सबसे अधिक फायदा देने वला पेड़ है। खेजड़ी के पेड़ के नीचे सभी प्रकार की फसलें दुगने से ज्यादा पैदा होती हैं, यदि खेतों में अधिक संख्या में खेजड़ी के पेड़ हैं, तो यूरिया खाद या अन्य खाद की आवश्यकता ही नहीं है। खेजड़ी के पेड़ के नीचे की भूमि अन्य पड़ौस की भूमि की अपेक्षा अधिक उपजाऊ हो जाती है, इस तरह खेजड़ी का पेड़ खेत में खड़ा होने मात्र से ही किसान के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। खेजड़ी की पत्तियां यानी लूंग पशुओं के लिए सबसे अधिक पौष्टिक आहार है तथा वर्तमान में यह 8-9 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। खेजड़ी के पेड़ की सांगरी सब्जियों में विश्व प्रसिद्ध है तथा करीब तीन सौ रुपये प्रति किलो बिक रही है। मारवाड़ में जब संवत 1956 में भयंकर अकाल पड़ा था, तब लोगों ने उसके तने की चाल की रोटियां बना कर खाई थीं। इस तरह खेजड़ी के पेड़ का हर भाग न केवल मूल्यवान व पौष्टिक है, बकि किसान को बहुत अधिक आर्थिक सहायता करने वाला भी है। यदि राजस्थान सरकार या केन्द्र सरकार किसानों को खेजड़ी का पोधा उपलब्ध करवाकर इसे पनपाने हेतु प्रोत्साहित करे, प्रोत्साहन राशि देवे तो इन प्रदेशों में यूरिया खाद की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी तथा पर्यावरण रक्षा हेतु वन विभाग को न तो पेड़-पौधे लगाने की आवश्यकता रहेगी, न पर्यावरण दूषित होगा, बल्कि वर्षा भी अधिक होगी।

सन 1982 में राज्य सरकार द्वारा खेजड़ी के वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित करने के बाद न तो सरकार ने इस ओर कोई विशेष ध्यान दिया, न इसके संरक्षण के लिए कोई प्रयास ही किए व न ही इसकी पौधे तैयार की। इन परिस्थितियों में पर्यावरण प्रेमियों के अनुसार व वास्तव में संरक्षण के अभाव में खेजड़ी अपना अस्तित्व ही खो देगी तथा इतिहास की धरोहर बनकर रह जायेगी।

रामायण काल और महाभारत काल में भी इस खेजड़ी के पेड़ का उल्लेख मिलता है। राजा रघु को तो भगवान इन्द्र ने वरदान दिया था कि यदि राज्य में खेजड़ी का पेड़ होगा तो कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा। महाभारत काल में पाण्डव अपने हथियारों को खेजड़ी के पेड़ में छिपाकर वन में रखते थे।

आजादी के समय देश व प्रदेश में खेजड़ी के पेड़ों की संख्या बहुत अधिक थी, इसी कारण व बहुउपयोगी पेड़ होने से इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। सन 1947 के आस-पास मरुस्थल जिलों में 80-90 खेजड़ी के पेड़ प्रति हैक्टेयर हुआ करते थे, लेकिन अब यह संख्या में धीरे-धीरे घटते-घटते 15-20 पेड़ प्रति हैक्टेयर रह गई है। वर्तमान में हो रहे पर्यावरण असंतुलन, हर वर्ष पड़ रहे अकाल व दिनों दिन खराब हो रही किसानों की माली हालात के सुधारों के अनेक उपायों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण व ठोस उपाय खेजड़ी के पेड़ का संरक्षण, संवर्धन व अधिक संख्यामें लगानाहै, यह पुण्य का कार्य भी है। वर्षा जल के संरक्षण व जीव की रक्षा का भी उत्तम उपाय है। वन विभाग की अनेक वर्षों की फिजूल खर्ची को रोकने का यह सही व ठोस उपाय है, जिससे केन्द्र व राज्य सरकारों के अरबों रुपयों की बचत होगी। हर परिस्थिति में खेजड़ी के पेड़ लगाना, उसका संरक्षण व संवर्धन करना वर्तमान युग में बहुत जरूरी है।

ऐसे लोक हित के अति महत्वपूर्ण व तुरन्त आवश्यकता के विषय को सदन में रखने की अनुमति प्रदान कराएं1

जोगाराम पटेल

(लूणी)

किशनगंज में मनाये जाने वाले फूल डोल उत्सव को पर्यटन विभाग के कलैण्डर में शामिल करना

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज जो कि जिला मुख्यालय से लगभग 16 कि.मी. दूर है। यहां रहने वाली आदिवासियों की सदियों पुरानी परम्परा लोगों को चकित करने वाली है। किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र, रजवाड़ों के समय से ही संस्कृति व पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध रहा है। यहां रामगढ़ माताजी, भण्डदेवरा, आदिवासियों क कुम्भ स्थल सीताबाड़ी, कपिलधारा एवं कन्यादह आदि पर्यटक स्थल हैं। होली के समय यहां होने वाला फूल डोल लोक उत्सव हर किसी के मन को लुभाता है। लोकोत्सव की ख्याति के अनुसार कस्बे के हर घर में उत्सव के दो दिन पूर्व ही मेहमानों का पहुंचना शुरू हो जाता है। यह होली के दिन शाम से शुरू होकर दोज की सुबह तक चलता है। इस उत्सव के दौरान

मंच पर होने वाले कार्यक्रमों में हाड़ौती की लोक संस्कृति की सजीव झांकी देखने को मिलती है। जितना अनूठा यह पर्व है उतना अनूठा इसका इतिहास है। होली दहन के बाद कस्बें के चारभुजा मन्दिर पर भजन संध्या का भव्य कार्यक्रम होता है। धुलण्डी को स्वांग निकाले जाते हैं। सबसे पहले काला-गोरा स्वांग निकलता है। जो कि लोकोत्सव के शुरू होने का सूचक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काला-गोरा देवताओं के नाई माने जाते हैं। जो पूरे कस्बे में जाकर न्यौता देते हैं। कस्बे के चतुर्भुज नाथ मन्दिर से निकलने वाले स्वांग धार्मिक कथानकों पर आधारित होते हैं। इनमें गिद्ध, रावण, हनुमान, कंकाली, बाली, सुग्रीव, अभिमन्यु व साधुओं की जमात प्रमुख है। लोकोत्सव के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के मेलों में भी इनका प्रदर्शन होता रहा है। चलते फिलते स्वांग अनायास ही लोगों को आकर्षित करते हैं। लोगों के मनोरंजन के लिए कलाकार, ढोला मारू, गाड़िया लुहार, इत्र फरोश, सेठ-सेठानी, फकीर और कव्वाल का स्वांग करते हैं। फूल डोल लोक उत्सव के अवसर पर कस्बे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। मुख्य द्वार पर विद्युत सहित आर्टिफिशियल सजावट, बंधनवार आदि लगाये जाते हैं। स्वांग लोक सांस्कृतिक और हास्य पर आधारित होते हैं।

फूल डोल लोक उत्सव की शुरूआत- यहां के निवासी अयोध्या प्रसाद सक्सेना ने की थी। सक्सेना ने नि:संतान होने के अभिशाप से मुक्त होने के लिए 130 वर्ष पूर्व सन 1886 में अपने आंगन की तुलसी को पुत्री मानकर उसका विवाह कस्बे में मुख्य मंदिर में स्थित भगवान चतुर्भुजनाथ की प्रतिमा से करवाया था। उस समय हजारों लोगों ने शिरकत की थी। उस समय परम्परा थी कि विवाह के बाद दुल्हा अपने इष्ट मित्रों के साथ ससुराल में होली खेलने जाता था, ग्रामीणों ने अगले वर्ष इस परम्परा का निर्वहन किया उस समय देवी-देवताओं की झांकी के साथ कस्बेवासी सक्सेना परिवार के यहां होली खेलने गये तभी से यह परम्पराव चली आ रही है। इस लोकोत्सव का आयोजन 130 वर्षों से लगातार स्थानीय लोगों के सहयोग से किया जा रहा है। जिसमें 8-10 लाख रुपये खर्च होते हैं। व लगभग 1 लाख दर्शनार्थी मौजूद होते है।

पर्यटन से जोड़ने की मांग:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कस्बे व स्थानीय लोगों की मांग के अनुरूप माननीया मुख्यमंत्री महोदया एवं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि विविधता से

परिपूर्ण इस लोकोत्सव को बून्दी की तीज व कोटा के दशहरे की तरह पर्यटन विभाग के कलैण्डर में शामिल करें एवं सरकार द्वारा कार्यक्रम को और अधिक भव्य बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

सादर।

ललित कुमार
(किशनगंज)

मेड़ता में अतिरिक्त कलक्टर कार्यालय

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपसे करबद्ध निवेदन है नागौर जिला भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही बड़ा जिला है, जिसमें लम्बे समय से और नया जिला बनाने की मांग हो रही है। नागौर जिले की मेड़ता तहसील देश की आजादी से ही न्यायिक, सामाजिक व अन्य क्षेत्र में केन्द्र के रूप में रही है। मेड़ता क्षेत्र में प्रशासन की दृष्टि से व वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अतिरिक्त कलक्टर (A.D.M.) का कार्यालय खोला जाना बेहद ही जरूरी है। मेड़ता सिटी से जिला मुख्यालय 82 किलोमीटर व रियां बडी से 135 किलोमीटर दूर है। ऐसे में लॉ एण्ड आर्डर की दृष्टि से भी यह क्षेत्र कलक्टर कार्यालय व A.D.M. कार्यालय से दूर है। ऐसे में यदि मेड़ता में A.D.M. कार्यालय खुलता है तो मेड़ता, रियां बड़ी, डेगाना व परबतसर तहसील की जनता के लिए जिला स्तरीय कार्य मेड़ता में ही हो जायेंगे। वैसे मेड़ता सिटी में जिला न्यायालय भी है। ऐसे में A.D.M. कार्यालय खुलने पर सरकार के लिए प्रशासनिक पकड़ मजबूत होगी तथा प्रशासनिक कार्य तुरन्त होंगे। मेड़ता शहर में सभी विभागों के मुख्य-मुख्य कार्यालय स्थित हैं। ऐसे में A.D.M. कार्यालय खोलकर मेड़ता व आस-पास की जनता का फायदा पहुंचाएं।

आप द्वारा मेड़ता में पूर्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्थापना करने की घोषणा से मेड़ता, रियां, डेगाना व परबतसर की जनता में हर्ष की लहर है और जनता आपकी बहुत-बहुत आभारी है।

अत: आपसे निवेदन है कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए मेड़ता में अतिरिक्त कलक्टर कार्यालय खोलने की कृपा करें।

सधन्यवाद।

सुखाराम
(मेड़ता)

सुजानगढ़ नगर परिषद में अवैधानिक तरीके से बीयर बार का लाइसेंस

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सुजानगढ़ नगर परिषद में होटल वैलकम में बीयर बार चल रहा है। जिसका नगर परिषद द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु अनुमति नहीं है, तथा मन्दिर से 200 मीटर कम दूरी पर स्थित है तथा बस स्टैण्ड एवं हाइवे रोड के ऊपर स्थित है तथा होटल की पार्किंग नहीं है। सैटबैक नहीं है, ना ही अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह होटल की भूमि मात्र 69.93 वर्ग मीटर में बना हुआ है तथा कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान के पत्र क्रमांक-एल/V/23.12.2011 नवीन लाइसेंस जारी करने की प्रचलित शर्तों के साथ मानक निर्धारित किए गए थे, की क्रम संख्या 1, 2 व 3 की पालना नहीं की गई है। उक्त होटल/दुकान में पूर्व में जिला आबकारी चूरू द्वारा 12.07.2012 को मदिरा/बीयर दुकान संचालित करने की स्वीकृति नहीं दी जाने की सिफारिश की थी। अतिरिक्त आबकारी आयुक्त राजस्थान सरकार, उदयपुर ने पत्र क्रमांक: 2011/1020/दिनांक 10/12/2011 को होटल वैलकम पैलेस सुजानगढ़ के परिसर में सैटबैक व पार्किंग स्थल नहीं होने के कारण आवेदक द्वारा होटल बार अनुज्ञापत्र स्वीकृत किए जाने हेतु आवेदन को निरस्त किया गया था फिर किस दबाव से, किस कारण से लाइसेंस नं. 03/2012-2013/23-5-2012 को जारी किया गया।

उक्त होटल में आबकारी विभाग द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री व अन्य अनियमितताओं के कारण चालान भी किया गया। इस होटल में अधिक शराब पीने के कारण कई दुर्घटनाएं हुई।

मैं इस वैलकम होटल सुजानगढ़ के लाइसेंस की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच कर आवश्यक कार्यवाही कराने का आग्रह करता हूं।

धन्यवाद।

खेमाराम

(सुजानगढ़)

उदयपुरवाटी में बालाजी स्टैण्ड, खींवासर में 132 के.वी. जी.एस.एस.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में बालाजी स्टैण्ड, खींवासर के आसपास छावसरी, भाटीवाड़, केड़,

हांसलसर, बड़ागांव, सीथल, बजावा, टीटनवाड़ इत्यादि गांव है, यहां विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 30,000 के करीब है, जिससे विद्युत भार अधिक है। अत्यधिक विद्युत भार होने के कारण ग्रामीण जनता को बिजली सुचारु रूप से नहीं मिल रही है तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वलो बच्चों को रात में पढ़ने के लिए लालटेन व चिमनियों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है एवं उनका भविष्य खतरे में है। उक्त उपभोक्ताओं में 25000 कृषि उपभोक्ता हैं, जिससे किसानों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर बिजली नहीं मिलने पर फसल की सिंचाई अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है जिसके कारण गुणवत्ता पूर्ण फसल का उत्पादन नहीं हो रहा है तथा फसल के उत्पादन में भी निरन्तर कमी हो रही है एवं बिजीी को वोल्टेज रेगुलेशन सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाकर कहना चाहूंगा कि बढ़ते विद्युत भार को देखते हुए बालाजी स्टैण्ड खींवासर (छावसरी) में 132 के.वी. जी.एस.एस. का बनना अति आवश्यक है, जो पूर्व में भी प्रस्तावित है एवं तकनीकी रूप से फिजिबल भी है। अतः इसकी पुनः तकनीकी जांच करवाकर अनुमोदित किया जाये ताकि ग्रामीण जनता को विद्युत भार से हो रही परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े तथा आम जनता को बिजली सुचारु रूप से मिल सके एवं किसानों को भी समय पर पर्याप्त बिजली मिले ताकि फसल उत्पादन में हो रहे नुकसान की भरपाई हो एवं फसलों की पैदावार भी बढे साथ ही सिविल लाइबिलिटी के नाम से भरी जा रही वी.सी.आर. बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इसमें भी सुधार किया जाना जरूरी है तथा जिन खेतों में कुएं खुद चुके हैं वहां डार्क जोन का हवाला देकर पटवारियों की रिपोर्ट मांगी जा रही है जो नियम विरुद्ध है। किसान के खेत में कुआ खुदने के बाद उसमें मालिकाना हक के दस्तावेज व जमाबंदी देखकर कनेक्शन दिये जाने चाहिए तथा मंदिर माफी की जमीनों पर जहां वर्षों से किसान काबिज है और काश्त कर रहे हैं, अब उन किसानों को विद्युत कम्पनियां विद्युत कनेक्शन नहीं दे रही हैं। कृपया इसमें भी संशोधन कर किसानों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने के आदेश प्रसारित करावें व ग्राम पंचायत सीथल में चार साल पहले प्रस्तावित व निर्माणाधीन जी.एस.एस. को जल्दी ही पूर्ण कर शुरू किया जाये ताकि किसानों को सही समय पर उचित व गुणवत्ता वाली बिजली उपलब्ध हो सके।

धन्यवाद।

शुभकरण चौधरी

(उदयपुरवाटी)

रायसिंहपुर नगर में टेल के किसानों की पानी की समस्या

महोदय,

प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत गम्भीर एवं लोकमहत्व के विषय पर चर्चा हेतु मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव करती हूं। महोदय मेरी विधान सभा क्षेत्र के मसीतावाली हैड, सूरतगढ़ ब्रांच और गंगनहर की एफएफए माइनर के प्रारम्भ में स्थित मोघों पर निर्धारित मात्रा के अनुरूप पानी दिया जा रहा है, जबकि टेल पर स्थित किसानों को नहरों के बैड लेवल सही नहीं होने से निर्धारित मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि माइनर के मोघे पर प्रारम्भ में स्थित खेतों में प्रति बारी प्रति मुरब्बा में 12 बीघा क्षेत्र सिंचित होता है वहीं यह आश्चर्यजनक है कि टेल पर स्थित किसानों को मात्र 2 बीघा प्रति मुरब्बा प्रति बारी पानी उपलब्ध हो पाता है। नहरी तंत्र की तकनीकी खामियों की वजह से टेल के किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

दिनांक 01.04.2016 को तारांकित प्रश्न संख्या 4420 के जवाब में सिंचाई मंत्री जी का जवाब है कि राजस्थान फीडर के हरियाणा भाग (बुर्जी 496 से 555) तथा राजस्थान भाग बुर्जी 555 से 671 (मसीतावाली हैड) एवं इन्दिरा गांधी मुख्य नहर बुर्जी 0 से 200 तक के कार्य हेतु राशि रुपये 1257-62 करोड़ के प्रस्ताव। (राजस्थान जल क्षेत्र संरचना सुधार परियोजनाएं रेगिस्तान क्षेत्र) अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये हैं, स्वीकृति उपरान्त कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

यहां मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगी कि आईजीएनपी की सूरतगढ़ ब्रांच में 1850 क्यूसैक पानी स्वीकृत है परन्तु इस ब्रांच में आज तक भी 1775 क्यूसैक पानी छोड़ा जा रहा है, लगभग 75 क्यूसैक पानी की अघोषित रूप से कटौती की जा रही है, जिसका सिंचाई विभाग के अधिकारियों के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं है, इसके क्या कारण हैं यह भी जांच का विषय है। इसका परिणाम यह है कि इस ब्रांच की टेल पर स्थित गांव जीबी, एपीडी और पीटीडी के मोघों पर स्थित किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है यहां या तो पानी पहुंचता ही नहीं या फिर निर्धारित मात्रा के अनुरूप नहीं आता है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि उक्त कार्य में यह आवश्यक ध्यान रखा जाए कि सभी मोघों पर प्रारम्भ और टेल पर स्थित किसानों को सिंचाई का पानी एकरुपता से मिल सके। आईजीएनपी को पक्का

करने के साथ-साथ इसकी सभी वितरिकाओं को भी पक्का करने एवं समस्त गेज के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है।

सोना देवी

(रायसिंहनगर)

तहसील व नगरपालिका क्षेत्रों में नया किराया कानून

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि राज्य में सभी तहसील मुख्यालयों पर किराया नियंत्रण कानून-2003 के लागू नहीं होने और पुराने कानून के समाप्त होने से तहसील निवासियों के साथ भेदभाव होने पर क्यों न 21 मार्च, 2003 की अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए? न्यायाधीश अजय रस्तौगी व न्यायाधीश जे.के. रांका ने यह अंतरिम आदेश राजगढ़ (अलवर) निवासी भरतलाल व अन्य की याचिका पर दिए। एडवोकेट अमित गुप्ता ने बताया कि प्रार्थी राजगढ़ तहसील के निवासी हैं और किराएदार हैं। सभी के खिलाफ उनके मकान मालिकों ने खाली करवाने के मुकदमे किए हैं, लेकिन 21 मार्च, 2003 की अधिसूचना से सरकार ने राज्य में पुराना किराया कानून समाप्त कर नया कानून लागू कर दिया था। नया कानून पहले जिला मुख्यालयों व बाद में तहसील व पालिका क्षेत्रों में लागू होना था, लेकिन राजगढ़ तहसील में आज तक लागू नहीं किया गया। वहीं पुराना कानून समाप्त हो गया है।

इससे प्राइज के साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि जिला मुख्यलायों पर किराएदारों को तो नए कानून के तहत संरक्षण मिल रहा है व तहसील में रहने वाले नागरिक वंचित हो रहे हैं।

इससे राजस्थान भर में असमंजसता की स्थिति पैदा हो गई। राजस्थान भर में रोज किरायेदार एवं मकान के झगड़े बढ़ गये हैं। कहीं-कहीं फौजदारी तक हो गई, फिजिकल लडाई झगड़ों के कारण जनता बहुत परेशान है।

मेरा सदन में आपके माध्यम से सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस किराया कानून का कोई उचित हल निकाले, साथ ही हर वर्ष 10 प्रतिशत किराया बढ़ाने के स्थान पर कम से कम 3 वर्ष में 10 प्रतिशत किराया बढ़ाने का कानून बनाने का कष्ट करें।

सधन्यवाद,

ज्ञानदेव आहूजा

(रामगढ़)